राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1)   आठवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का नवां दिवस   (संख्या 9

बुधवार

दिनांक 27 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : प्रश्न संख्या 46.

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकारा नहीं है अभी। 46.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जागरूक एम. एल. ए. है, साहब।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री यदुनाथ सिंहजी ने....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुख्य मन्त्रीजी आ जाते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष : वैसे काफी विस्तृत इस सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो चुकी है स्टेटमेण्ट के ऊपर भी, कई दूसरे मसलों के ऊपर भी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रश्न का उत्तर सुन लें। अधिक सप्लीमेण्ट्री की आवश्यकता इसमें होनी नहीं चाहिए। माननीय सदस्य, प्लीज। सदन के कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से सहयोग कीजिए।

श्री मोहन प्रकाश : कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी वो नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष : 46.

डीग-भरतपुर गोली काण्ड

46. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर), **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई), **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 21 फरवरी, 1985 को डीग जिला भरतपुर में पुलिस फायरिंग किन कारणों तथा किन परिस्थितियों में की गई ?

(2) उक्त फायरिंग में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा मृत व्यक्तियों के परिवार जनों को क्या-क्या राहत सरकार ने प्रदान की ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

(3) भूतपूर्व विधायक राजा मानसिंह की हत्या के सन्दर्भ में किन-किन व्यक्तियों को आरोपित किया गया है तथा किन किन धाराओं के बाद पंजीकृत किया गया है ? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) हत्या से तीन दिन पूर्व तक राजा मानसिंह पर कब-कब केस पंजीकृत हुए ? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखें।

(5) राजा मानसिंह की हत्या के बाद भरतपुर जिले में कहां-कहां, कब-कब पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चलाई गई ? इसमें कितने आदमी मारे गये, कितने घायल हुए, कितने विकलांग हुए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(6) उक्त फायरिंग में मृतक एवं घायलों के परिवारजनों को प्रशासन द्वारा क्या-क्या राहत प्रदान की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) राजा मानसिंह से क्या क्या सामान एवं हथियार बरामद किये गये ?

(8) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच आयोग बैठाया गया है ? यदि हां, तो कब व इसमें कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं ?

(9) इस जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने को कहा गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) फायरिंग के कारणों एवं परिस्थितियों की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

(2) विवरण (परिशिष्ट-क) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट की वान्छित प्रति (परिशिष्ट–ख) सदन की मेज पर रख दी गई है। अभियोग का अनुसन्धान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।

(4) राजा मानसिंह के विरुद्ध दिनांक 20.2.85 को दो अभियोग थाना डीग में पंजीबद्ध किये गये थे जिनकी प्रथम सूचनाओं की प्रति (परिशिष्ट ग एवं घ) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) दिनांक 24.2.85 को कस्बा डीग व भरतपुर में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चलायी गई। वान्छित सूचना की सूची (परिशिष्ट–ड) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) विवरण (परिशिष्ट–च) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) पुलिस द्वारा स्वर्गीय राजा मानसिंह से कोई हथियार बरामद नहीं किये गये। मृत्यु पर उनके शरीर से प्राप्त चीजों का ब्यौरा (परिशिष्ट- छ) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(8) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री विरेन्द्र दत्त ज्ञानी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग दिनांक 16.3.85 को गठित किया गया है।

(9) दिनांक 31 अगस्त, 1985 तक।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(विवरणादि के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री वाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने बताया कि दस हजार मृतक के परिजन को और दो हजार रुपए दो व्यक्तियों को। तो इन दो व्यक्तियों को जो राशि दी गई और दस-दस हजार की जो राशि दी गई मरने वाले के परिजनों को, गृह मन्त्री जी, क्या आप इसे पर्याप्त समझते हैं एक व्यक्ति की मृत्यु पर ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब आया है इसमें हत्या के जो कारण और हत्या में....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया है, इस विषय पर, हत्या के कारण क्या हुए, घटना किस प्रकार से हुई, सारे फैक्ट्स माननीय सदस्यों के सामने इस सदन में आ चुके हैं। इस पर काफी बहस हो चुकी है।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं। प्रश्न मेरा यह है कि अधिकारी, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, चाहे वह डी. एस. पी. कान सिंह भाटी हो, यह कहना है कि आदेश ऊपर से थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न करना चाहता हूं, आदेश देने वाले आदमी मुख्य मन्त्री सचिवालय के थे, डी. जी. के थे ? उन्होंने डी. एस. पी. को आदेश क्यों दिये ? डी. आई. जी. कहां हैं ? इस सम्बन्ध में एक बात बता दें, अर्जुन सिंह नाम के डी. एस. पी. को जोधपुर से भरतपुर लाया गया है ताकि वह गवाहों को तोड़ सके, डरा सके, धमका सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब बातें आ चुकी हैं। आप समय ले रहे हैं।

श्री मोहन प्रकाश : जिस पर मल्हन कमीशन बैठ चुका है उसके रहते यह सारी चीज नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब बातें आ गई।

श्री मोहन प्रकाश : सरकार इसका जवाब दे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। जवाब की बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार यह बतायेगी कि जो जांच कमीशन आपने नियुक्त किया है उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेन्स के अन्दर है और सी. बी. आई. जो जांच कर रही है जो उसके अन्दर है क्या उसी बात की जांच सी. बी. आई. करेगी जिन बातों के ऊपर जूडिशियल कमीशन जांच करेगा और जूडिशियल कमीशन उन्हीं बातों के ऊपर जांच करेगा जिन पर सी. बी. आई. करेगी ? या कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केवल पुलिस ही जांच करेगी कमीशन नहीं, या कमीशन ही जांच करेगा पुलिस नहीं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक सी बी. आई. की जांच का प्रश्न है, राजा मानसिंह के दामाद ने जो एफ. आई. आर. दर्ज करायी है....

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(व्यवधान)

मेरा निवेदन सुन लें, फिर कोई बात है तो मैं जवाब देने की स्थिति में हूं। जहां तक सी. बी. आई की जांच का सवाल है, राजा मानसिंह के दामाद के द्वारा जो रिपोर्ट दर्ज करायी गई है उस रिपोर्ट को जांच के लिये सी. बी. आई. को सुपुर्द कर दिया गया है। इसी तरह से अभियोग जो पहले राजा मानसिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था उसको भी सी. बी. आई के सुपुर्द कर दिया गया है, जांच कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। जो दायरा निर्धारित किया गया है वह है, वे परिस्थितियां जिनके कारण दिनांक 21.2.1985 को भरतपुर जिले के डीग कस्बे में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप भरतपुर के राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई और उनके दो सहयोगियों सर्वश्री हरिसिंह एवं सुमेरसिंह को क्षति पहुंची, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई क्या पुलिस द्वारा गोली का चलाया जाना न्यायोचित था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न सीधा सा है, क्या जूडिशियल इन्क्वायरी कमीशन और सी. बी. आई. उन्हीं बिन्दुओं पर जांच करेगी जिनसे किसी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं हो ?

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गया, माननीय सदस्य। यह तो तफतीश है और एक पर्टीकूलर बिन्दु पर दिया है कमीशन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सी. बी. आई. जो जांच कर रही है, क्या यह सही है, उन्हीं मामलों की जांच इन्क्वायरी कमीशन करेगा और जिनकी जांच इन्क्वायरी कमीशन करेगा उनकी जांच सी. बी. आई. करेगी ? मुद्दे एक ही हैं बिल्कुल। मन्त्री महोदय से यह समझना चाहता हूं कि सरकार दो इन्क्वायरी एक ही विषय के ऊपर क्यों करवा रही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जो एफ. आई. आर. पुलिस द्वारा डीग में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच राजस्थान की लोकल पुलिस कर रही थी उस बारे में मानसिंहजी की विधवा ने प्रार्थना की थी कि स्थानीय पुलिस जस्टिस नहीं कर पायेगी इसलिए इसको सी. बी. आई. के सुपुर्द कर दिया जाय। जो एफ. आई. आर. दर्ज हुई है उनके तथ्यों की जांच करेगी सी. बी. आई., जो फैक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं उनकी जांच करके नतीजे पर पहुंचेगी। हमने जो कमीशन नियुक्त किया उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेन्स है और सी. बी. आई. की जांच नियुक्ति में कोई टर्म्स ऑफ रेफरेन्स नहीं है, उसका आधार एफ. आई. आर. है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात को। विपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है कि जो जांच हो रही है उस पर राज्य सरकार यह विचार कर ले, यह देख ले कि ओवरलैपिंग द्वारा विरोधाभास न हो जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि एक ही विषय पर दो एजेन्सीज से जांच करा क्यों रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो आपको हो गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी नहीं हुई इसीलिये तो कहना चाहता हूं कि ओवरलैपिंग करने का मतलब ही यह है कि मुजरिम को सजा नहीं मिले। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इसका जवाब दे।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि आपने जो सरकार को सुझाव दिया है, इस बात पर विचार कर लें, देख ले कि सही रास्ता क्या हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पुन: विचार भी तो किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत विचारपूर्वक निर्णय लिया गया है सी.बी.आई. से इन्वेस्टिगेशन और सी.बी.आई के साथ जूडिशियल इन्क्वायरी।

श्री अध्यक्ष : आपका सजेशन सरकार को दे दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार नहीं समझ रही है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसको गलत तरीके से रखा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने ऐसी कौनसी बड़ी भारी बात कह दी, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैंने इसलिये पहले ही आपसे निवेदन किया था कि इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह विषय उस डिबेट में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बिन्दु दिया है उस पर सरकार विचार कर लेगी। मैंने सरकार से कहा है कि इस पर विचार कर ले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने से सरकार ने लिया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, कृपया। आसन से जो व्यवस्था दी जाती है उसे आम तौर पर निश्चित रूप से माना जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था नहीं दी है, आपने सुझाव दिया है। आपके सुझाव को सरकार माने या नहीं माने, रूल्स के तहत अगर आप कोई व्यवस्था देते तो और बात थी। सरकार बोल ले, कह दे।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : इसमें व्यवस्था की कोई बात ही नहीं है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, जूडिशियल इन्क्वायरी जो बैठी है वह तो स्पेसिफिक दो बात कि किन कारणों से पुलिस को गोली चलानी पड़ी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पुलिस भी जांच करेगी । आप तो एक पाइन्ट बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिन मुद्दों पर कर रही है उन मुद्दों पर जूडिशियल इन्क्वायरी कमीशन जांच नहीं करेगा या पुलिस जिन मुद्दों पर जांच करेगी उन पर जूडिशियल इनक्वायरी कमीशन जांच नहीं करेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा मैंने निवेदन किया दो मुद्दे हैं--जो गोली चलानी पड़ी वह किन परिस्थितियों में चली आया जरूरत थी या नहीं थी । दोषी व्यक्तियों से लेना देना नहीं है । दो ही मुद्दों पर उनको कहना है । अब रही एफ.आई.आर. जो दर्ज हुई है । गोली चलाई, उन्होंने गोली नहीं चलाई इसके डिटेल इन्वेस्टिगेशन के परिणाम आये बिना क्या कहा जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जूडिशियल कमीशन जो जांच करेगा, गोली चलाई किसने चलाई, क्यों चलाई यह जूडिशियल कमीशन भी जांच करेगा और इन्हीं मामलों पर पुलिस भी जांच करेगी । मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूं कि पुलिस जिन मुद्दों पर जांच करेगी उन्हीं मुद्दों पर जूडिशियल इन्क्वायरी कमीशन भी जांच करेगा, उससे ओवरलैपिंग नहीं होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस केस के अन्दर सरकार साफ नीयत से काम नहीं कर रही है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह अभी कहना संभव नहीं है ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने क्या सुझाव दिया और क्या सुझाव देना चाहते हैं, यह भी बात बता दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में न बोलें । कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

कोई भी माननीय सदस्य आसन से व्यवस्था लेकर बोलें ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्यों हमारे क्षेत्र को आप बदनाम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया, इनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, यह मुद्दा सुलझ जाय, इसलिये इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया जाय । माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय इसका उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रहा था कि जूडिशियल कमीशन की फाइण्डिंग्स पुलिस इन्क्वायरी पर प्रिवेल

(श्री अध्यक्ष)

करती है It is a general principle. अडाप्टेड प्रिंसिपल है । उसमें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन झूठी हो गई ?

श्री अध्यक्ष : पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कार्यवाही करने का अलग प्रोसीजर रहने वाला है । पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस हद तक होना चाहिये....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब तक जूडिशियल इन्क्वायरी कमीशन की फाइन्डिंग्स नहीं आयेगी तब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी । यह एक प्रकार से प्रोटेक्शन है । इस प्रश्न को माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में कई बार....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी प्रोसीडिंग्स देखी हैं और कहीं पर भी यह मुद्दा नहीं आया, नहीं उठाया गया । केवल इस क्वेश्चन के माध्यम से उठाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय न लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मोहन प्रकाश : जो अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो इस तरह के काम करने के दोषी हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप व्यर्थ सदन का समय ले रहे हैं । इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी होंगे, अपराधी पाये जायेंगे वह पकड़े जायेंगे ।

श्री मोहन प्रकाश : वह उस घेरे में नहीं आते हैं ।

श्री अध्यक्ष : घेरा सीमित नहीं होगा ।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट है । प्रश्न यह है कि यह लीगल पाइन्ट है एफ. आई.आर. लाज की जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है । एफ.आई.आर. राइट आफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है वह तो बाद में उसमें एक्यूज ले सकते हैं । इसलिये सरकार के सामने यह प्रश्न नहीं होना चाहिये । कमीशन को जो दो मुद्दे दिये गये हैं वह बिलकुल स्पष्ट दिये गये हैं—पहला मुद्दा तो यह है कि भरतपुर के डीग में गोली चली, क्या गोली चलाना जरूरी था ? दूसरा यह है कि आया पुलिस का गोलियां चलाना न्यायोचित था, गोलियां किन परिस्थितियों में चलीं । इसमें प्रश्न दो हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलग अलग नहीं हैं ।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी : कानूनी पाइन्ट है, एफ.आई.आर., इस तरह की कोई चीज नहीं की गई । गोली चलाना न्यायोचित था या नहीं था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पण्डित जी आप बड़े विद्वान हैं।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : यह मन्त्री बनने के बाद इस तरह की बात कहें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताना चाहता हूं, आप बड़े विद्वान आदमी हैं. उस विद्वत्ता का लाभ हम भी उठाना चाहते हैं। मैं आपसे केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं, ऐसा कोई मुद्दा, जिस मुद्दे की जांच जूडिशियल इन्क्वायरी कमीशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बड़ा इम्पार्टेन्ट क्वश्चन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कहना बहुत हद तक सही हो सकता है कि दो जगह जांच हो रही है और जो पाइन्ट कमीशन के सामने आयेंगे वह इन्वेस्टीगेशन में भी आयेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ये क्या चाहते हैं, यह भी तो मालूम हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन से बोला जा रहा है, माननीय सदस्य, कुछ व्यवस्थाओं का ध्यान रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों बदनाम कराते हो।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा था आपके सुझाव को देखते हुये राज्य सरकार को कहा है कि वह इस पर पुनः विचार करे कि दोनों के अन्दर कोई विरोधाभास न आ जाय। कमीशन को देखते हुए इन्वेस्टीगेशन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कौनसी चीज कहां होनी चाहिये यह देखने की बात है।

(व्यवधान)

मैंने सरकार से कहा है, इस पर सरकार विचार करेगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है, इन दोनों में से किसकी आवश्यकता है, सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। कमीशन को लिमिटेड स्कोप में जांच करनी है।

श्री मोहन प्रकाश : उच्चाधिकारियों को बचा रहे हैं और छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजा मानसिंह की गाड़ी में तीन आदमी थे, उनकी तरफ से कितनी गोलियां चलाई गईं ?

श्री मोहन प्रकाश : मुख्य अभियुक्त अभी तक बचे हुए हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कौनसा प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिनांक 21 फरवरी, 1985 को डीग, जिला भरतपुर में पुलिस फायरिंग किन कारणों तथा किन परिस्थितियों में की गई ?

श्री अध्यक्ष : आप तो राजा मानसिंह के लिए कह रहे थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उनका कहना है कि सेल्फ डिफेन्स में गोलियाँ चलाई। राजा मानसिंह की गाड़ी में तीन आदमी थे उनकी तरफ से कितनी गोलियां चलाई गईं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मण सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या, अध्यक्ष महोदय आप उचित नहीं समझते कि इसको स्थगित कर दिया जाय, मुख्य मन्त्री जी के यहां पदार्पण करने तक।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये जवाब नहीं दे पायेंगे कि पुलिस पार्टी पर कितनी गोलियाँ चलाई गईं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यह सूचना तो मांगी नहीं गई थी।

श्री शोपत सिंह : माननीय मन्त्री, इन फर्स्ट क्वश्चन ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप 5 की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसमें लिखा है, राजा मानसिंह की हत्या के बाद भरतपुर जिले में कहाँ कहां, कब-कब पुलिस द्वारा लाठी चार्ज एवं गोली चलाई गई ?

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : मैं पढ़कर सुना दूं, दिनांक 21 फरवरी, 1985 को डीग जिला भरतपुर में पुलिस फायरिंग किन कारणों तथा किन परिस्थितियों में की गई ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : परिस्थितियों के सम्बन्ध में कमीशन जांच कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन दो बिन्दुओं पर सीमित रखते हुए, सारे प्रश्न को तो नहीं लेकिन दो बिन्दुओं पर, जांच होने के बारे में, फायरिंग के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं, इस सीमा तक इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, नेता महोदय ने स्वीकार कर लिया है। आपके नेता हैं उनकी अपनी गरिमा है, उसका ध्यान रखना चाहिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी गरिमा ही हमारी गरिमा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। माननीय सदस्य तैयार होकर आइये।

ग्राम पंचायतों को स्वीकृत राशि का भुगतान

47. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढा-मालानी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में राज्य सरकार द्वारा कुओं व टांकों हेतु पंचायत समिति, बाड़मेर एवं पंचायत समिति, सिणधरी के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को, मेजरमेंट समय पर नहीं लिये जाने से, अभी तक नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

किया गया है ? यदि हां तो अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बाड़मेर की ग्राम पंचायत गरल व पंचायत समिति सिणधरी की ग्राम पंचायत चवा में कुओं व टांकों का निर्माण कार्य पूरा किये करीब दो वर्षों के बाद भी अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) जी नहीं । मेजरमेंट के अभाव में इन कार्यों का भुगतान बकाया नहीं है, बल्कि उक्त कार्य निर्धारित अवधि 30-9 83 तक पूर्ण नहीं किये जाने से भुगतान नहीं किया जा सका है ।

(2) जी हां। इन पंचायतों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने से अन्तिम किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। सम्बन्धित पंचायत समितियों को शेष राशि का भुगतान पंचायत समिति की निजी आय से करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही निर्धारित अवधि को बढ़ाने की भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, निजी आय से भुगतान करने के आदेश का प्रश्न नहीं है । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो राशि स्वीकृत की है वह पंचायत समिति में जमा है, केवल मियाद के अन्दर भुगतान नहीं कर पाये । अब भी अवधि बढ़ा देंगे तो वह पेमेन्ट कर देंगे । निजी आय तो पंचायतों का निजी मामला है, समय का सवाल है । फेमिन का काम था और बहुत कम टाइम था, काम शुरू हो गया था लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया ।

श्री अध्यक्ष : समय बढ़ाने की बात तो कह दी माननीय मन्त्री महोदय ने ।

श्री हेमाराम चौधरी : यह कब तक बढ़ा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कब तक बढ़ा देंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : दस बारह दिन मे मेरा खयाल है, यह व्यवस्था हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अश्क अली ।

चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

48. **श्री अश्क अली टाक** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के चिकित्सालयों में कितने मेल डाक्टर्स लेडी डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स एवं नर्सेज के पद रिक्त हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री रामदेव सिंह) : (1) राज्य के चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. मेल डाक्टर्स 2. लेडी डाक्टर्स	193
3. मेल नर्स श्रेणी प्रथम	388

(चिकित्सा-मन्त्री)

4. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय	885
5. सिस्टर्स	90
6. स्टाफ नर्स	195
7. ए. एन. एम.	873

(2) योग्य प्रशिक्षित स्टाफ के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायगी।

श्री अश्क अली टाक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि राज्य सरकार हास्पिटल खोलती है लेकिन स्टाफ नहीं है, डाक्टर्स नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, कम्पाउन्डर्स नहीं हैं। इन दोनों के बीच में किस तरह की नीति है ? हास्पिटल खुल जाय तो कितनी अवधि तक स्टाफ पहुंच जायगा ? एक प्रश्न।

दूसरा प्रश्न यह है कि इतनी भारी कमी है इसको कब तक पूरा कर दिया जायगा ? इसके लिए एक समयावधि निर्धारित होनी चाहिये, जिससे हास्पिटल का स्तर सुधरे।

श्री रामदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल डाक्टर्स के 378 नये पद सृजित किये गये हैं उसमें से 185 डॉक्टर्स की नियुक्ति कर दी गयी है। शेष जैसे जैसे डाक्टर्स उपलब्ध होते जायेंगे वैसे वैसे उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।

जहां तक मेल नर्सेज, ए. एन. एम. और मिडवाइफ का सवाल है, अभी इन लोगों की हमारे यहां ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग सैन्टर्स पर कम्पाउण्डर्स और नर्सेज की ट्रेनिंग चल रही है वह जून के अन्त तक पूरी हो जायेगी तब इस सारी कमी को पूरा कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, अगले पांच साल में सभी के लिये चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने की बात हमारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार कर रही है, अभी जो आंकड़े दिये गये हैं उसके आधार पर तो पांच साल से आप इनकी रिक्वायरमैन्ट को, डाक्टर्स और ए. एन. एम. वगैरह की कमी को पूरा नहीं कर पायेंगे। तो जब तक आप पूरी व्यवस्था कर पायें इस बीच में जो स्थिति रहेगी उसके लिये राज्य सरकार क्या नीति अपनाने जा रही है ? अगले पांच सालों में क्या डाक्टर्स की सीटें बढ़ाने, नये ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलने के लिये कुछ व्यवस्था करेंगे जिससे कि डाक्टर्स कम्पाउन्डर्स और ए. एन. एम. वगैरह उपलब्ध हो सकें ? अभी जो 193 डाक्टर्स की कमी है, आगे पांच साल में और ज्यादा हो जायेगी। तो अगले पांच साल में पूरी व्यवस्था हो तब तक आप इस बीच में क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस साल जो ट्रेनिंग कम्पाउण्डर्स की चल रही हैं, 560 कम्पाउण्डर्स जुलाई तक शिक्षित हो जायेंगे। इसके अलावा 900 मेल नर्सेज का प्रशिक्षण चल रहा है, वह पूरा होने के बाद माननीय सदस्य इस कमी को महसूस नहीं करेंगे।

12

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगांद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जिन डाक्टर्स और लेडी डाक्टर्स व नर्सेज की नियुक्ति मिलती है वह लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं और सरकार बार बार उन लोगों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में करती है लेकिन अधिकांश लोग अपना ट्रान्सफर शहरों में करा लेते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर को प्रशिक्षित करने पर एक लाख 30 हजार रुपये का खर्चा राज्य सरकार का आता है। तो जो लोग आदेशों की पालना नहीं करते हैं उनको रोकने के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री रामदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो मेरे पास इसकी सूचना नहीं है पर गांवों में जो डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी है उसको जल्दी से जल्दी राज्य सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। शहरों में जो ज्यादा डाक्टर्स है उनकी नियुक्ति गांवों में कर दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात में कोई सार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा आश्वासन तो भूतपूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री खेतसिंहजी भी दे गये थे जिसका कि पता साफ हो गया है। जिन डाक्टर्स और नर्सेज की नियुक्ति गांवों में होगी वह वहां पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जायेंगी तो उनको तुरन्त सस्पैण्ड कर दिया जायेगा, जब तक इस प्रकार का आदेश सरकार लिखकर नहीं देगी तब तक यह डाक्टर्स, लेडी डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स और नर्सेज गांवों में नहीं जायेंगी। यह जैसे पहले मन्त्री महोदय आश्वासन देकर गये उसी तरह आप भी आश्वासन देकर चले जायेंगे।

(व्यवधान)

आज अध्यक्ष महोदय, गांवों में मौरी और बुखार जैसी बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। वहां अस्पताल में डाक्टर्स की जगह खाली पड़ी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसी नीति घोषित करे कि अगर एक महीने के अन्दर अन्दर किसी डाक्टर अथवा नर्स ने नहीं जोइन किया तो उसको सस्पैण्ड कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

(व्यवधान)

मैंने श्री रामसिंह का नाम पुकार लिया है, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो यहां जानकारी दी है उस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और लेडी डाक्टर्स की नियुक्ति सरकार ग्रामीण क्षेत्र में करती है उनको कोई अलग से इन्सेन्टिव, जैसे ग्रामीण भत्ता देगी ? या ऐसा आदेश निकाल

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दे कि हर डाक्टर या कम्पाउंडर को पांच साल अपनी सर्विस में ग्रामीण क्षेत्र में रहना लाजिमी होगा । इस तरह का कोई आदेश निकाल दे ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला चलने वाला नहीं है क्योंकि पहले भी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत यह योजनायें चालू की गई थीं। जब तक गांवों में डाक्टर्स के रहने के लिये पूरी व्यवस्था नहीं होगी तब तक शहरों में रहने वाले डाक्टर्स गांवों में जाने को तैयार नहीं होंगे । आज भी गांवों में जो पी. एच. सी. वगैरहा हैं वहां रहने को मकान नहीं है । वहां पर उनके बच्चों की शिक्षा की सुविधा नहीं है । इसलिये डाक्टर्स, दूसरा स्टाफ, जिनका ट्रांसफर गांवों में हो जाता है, सिफारिश लगाकर जयपुर या और शहरों में अपना ट्रान्सफर करा लेते हैं । मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो बताये जाते हैं पहले तो उनका बजट करोड़ों रुपये का होता है फिर वह घट कर लाखों रुपये रह जाता है और बाद में हजारों रुपये का बजट रह जाता है । अध्यक्ष महोदय, जब जोधपुर डिविजन के तीन मन्त्री थे, परसरामजी और खेतसिंह जी, उस वक्त मेरे पास एक फोन आया कि आप तुरन्त जोधपुर आवो । मैं यहां से भाग कर जोधपुर गया तब वहां पर मुझे यह कहा गया था कि एक लाख रुपया है, आप तीनों मिल कर बांट लो, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का पैसा कहां खर्च करना चाहते हैं वह करलें । तो कहने का मतलब यह है, जब तक पी. एच. सी. में डाक्टर्स और नर्सेज के रहने की जगह नहीं होगी तब तक गांवों में स्टाफ की कमी रहेगी । जब तक आप इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, स्वास्थ्य मन्त्री जी, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब, मुख्य मन्त्रीजी मेहरबानी नहीं करेंगे तब तक यह व्यवस्था नहीं हो सकेगी और यह पद गांवों में रिक्त पड़े रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य, आप एक और प्रश्न पूछ लें ।

श्री अश्क अली टाक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि एम. बी. बी. एस. करने के बाद गांवों में डाक्टर्स की नियुक्ति होती है वह एम. एस या एम. डी. का स्पेशल इजेशन करते हैं उसके कारण भी गांवों में पद रिक्त होते हैं । यह सुविधा गांवों में नहीं होती है इसलिये डाक्टर्स स्पेशलाइजेशन करने के लिये शहरों में आ जाते हैं, इससे जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो इसके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके ।

श्री रामदेव सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन शहरों में डाक्टर्स की संख्या अधिक है वहां से उनको कमी वाली जगह पर भेजने की कोशिश की जायगी । मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में स्टाफ बहुत कम है वहां उस कमी को बहुत जल्दी पूरा किया जायेगा । आपने जो ए० एन०

(श्री रामदेव सिंह)

एम० वगैरह के बारे में कहा है उस कमी को भी जल्दी पूरी करने की चेष्टा की जायगी।

श्री सी. पी. जोशी : शहरों के अस्पतालों में से एम. बी. बी. एस. की भीड़ को कम करने के लिये, जो गांवों में नहीं जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य कृपया बैठें। नैक्स्ट प्रश्न। माननीय सदस्य, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। कृपया बैठें। आर्डर। दूसरा प्रश्न पुकार लिया है, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह।

सतपुड़ा प्रोजेक्ट

49. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सतपुड़ा में जहां 5 यूनिट लगे हैं वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने और यूनिट लगा ली हैं ? यदि हां, तो कितनी क्षमता की ? क्या इनमें भी राजस्थान का हिस्सा है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या इन यूनिटों को लगाने से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से परामर्श किया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे समझौता का उल्लंघन मानती है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने जहां 62.5 मेगावाट की पांच यूनिट लगाई हैं वहीं पर 210 मेगावाट की तीन यूनिट व 200 मेगावाट की एक यूनिट लगाई है जिसमें राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है।

(2) मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा अतिरिक्त इकाइयां लगाने से पूरे राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल व राजस्थान सरकार से कोई परामर्श नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त इकाइयों के लिये परामर्श करना आवश्यक हो।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब राजस्थान का शेयर 40 प्रतिशत है, क्या हम उस शेयर का उपयोग कर रहे हैं ? जो दूसरी अतिरिक्त इकाइयां वगैरह लगाई गई हैं उन इकाइयों में भी हमारा 40 प्रतिशत के हिसाब से हिस्सा बनता है। उनके बन जाने से उसमें कमी आ रही है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि नई यूनिट लगाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा विरोध किया गया है ? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की सहमति बिना यूनिट लगाने के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई जानकारी में नहीं है। यह यूनिट 1979–80 में लगाया था, इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

है, आप तब मुख्य मंत्री थे, उस वक्त सरकार ने कोई विरोध किया, सरकार की ओर से कोई पत्र भेजा गया हो, ऐसा कोई पत्र आपके पास उपलब्ध हो तो मुझे दें, मैं छानबीन करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी में नहीं है कि राज्य सरकार ने कोई विरोध नहीं किया और किसी भी....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : किस योजना के सम्बन्ध में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नई यूनिट लगाने के सम्बन्ध में। जोइन्ट प्रोजेक्ट है उनके सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नई यूनिट लगाने के सम्बन्ध में न तो राज्य सरकार से परामर्श लिया और न बिजली दी।

श्री मोहन प्रकाश : इसके खिलाफ कोई आपने प्रोटेस्ट किया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसमें हमारा हिस्सा नहीं है।

श्री मोहन प्रकाश : चालीस प्रतिशत हिस्सा है और आपको रोका हुआ हिस्सा लेना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सतपुड़ा में 62.5 मेगावट की जो हमारी पांच इकाइयां है उसमें हमारा हिस्सा चालीस प्रतिशत है। उसमें हम भागीदार हैं। मध्यप्रदेश ने इसी स्थान पर जो नई यूनिट्स लगाई हैं उनमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो सतपुड़ा में पावर प्लांट लगाया है, क्या यह सही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख है कि इस पावर प्लांट के लिए जो कोयला आता है उसका उपयोग इसी प्लांट के लिए किया जायेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही है और कोयला का इस्तेमाल इसी प्लांट में लिया जा रहा है। जो नई यूनिट लगाई गई हैं उनके लिए दूसरी जगह से कोयला लाया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दूसरी जगह से नहीं लाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय को जानकारी नहीं है, यह इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, इसकी और स्टडी करके जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को जानकारी के लिए बता दूं कि कोयला लिमिटेड आ रहा है इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार उन पांच यूनिटों में कोयले को नहीं लगाती है और वह बिजली अपने पास रख लेती है। हमारी पांच यूनिट में नहीं लगाकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विरोध हमने किया है वह इसलिए किया है। आज राज्य सरकार उसको देखे और देखकर विरोध करे। पांच यूनिट निश्चित रूप से चलाई जाय ताकि हमें अपना हिस्सा मिले।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं इसकी पूरी जानकारी करूंगा राज्य सरकार का जो हिस्सा है वह बराबर मिलता रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली का हिस्सा नहीं है। जो सस्ता कोयला है वह इसमें उपयोग नहीं करें। मध्य प्रदेश की सरकार कोयला इस्तेमाल करती है और हमें कॉस्टली कोयला इस्तेमाल में लाना पड़ता है। वह हमारा कोयला रोक लेते हैं और कहते हैं कि कोयला नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक 62.5 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का प्रश्न है, उसमें हमारा कोयला मध्य प्रदेश सरकार यूज़ नहीं करे, अगर करती है तो इसकी मैं जानकारी करके 62.5 मेगावाट बिजली में जो हमारा हिस्सा है, दिलवाने की कोशिश करूंगा। उसका पूरा उत्पादन किया जाये। इसकी कोशिश करूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव। 50।

जयपुर स्थित पवित्र तीर्थ गलता का जीर्णोद्धार

50. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर के पवित्र तीर्थ स्थल गलता का जीर्णोद्धार बाढ़ के बाद कब कराया गया और प्रत्येक मद पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) क्या क्यारे का निर्माण कार्य योजनानुसार पूरा कर दिया गया है और वृक्ष लगाकर व अन्य निर्माण कार्य पुनः पूरा कर, पुनः बाढ़ से खतरा उत्पन्न नहीं हो सके ऐसी स्थिति बना दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पर्यटन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : (1) गलता के जीर्णोद्धार का कार्य वर्ष 1981--82 में शुरू कराया गया। इस पर अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा 10,34,000 रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा, 9,26,000 रुपये वन विभाग द्वारा, तीन लाख 90,000 रुपये और सिंचाई विभाग द्वारा 22,44,000 रुपये का व्यय किया जा चुका है। यह कुल व्यय 45,94,000 रुपये है।

(2) क्यारे बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वृक्षारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ कार्य सिंचाई विभाग द्वारा किये जाने शेष हैं, जो इस वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व पूरे किये जाने हैं। इन सब कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् गलता पर बाढ़ से क्षति होने की सम्भावना नहीं रहेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय जी से यह कहना है कि क्यारे बांध की दशा आज भी वैसी की वैसी है। गलता के पीछे से जो घाट-गेट होते हुए रास्ता है उस सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। एक तो यह प्रश्न है।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि पर्यटन विभाग ने पीछे वाली रोड, जो सिसोदिया गार्डन की तरफ जाती है उसकी सजावट के लिये, सुन्दरता के लिए व फर्श के लिए योजना बनाई थी। राज्य सरकार इन दोनों के बारे क्या विचार कर रही है और कब तक यह ठीक करा दी जायेंगी ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जहां तक सड़क का प्रश्न है, दोनों सड़कों जो गलता को मेन गेट है और सिसोदियां गार्डन से सड़क आ रही है, पर काम किया गया था पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा 1981–82 व 1982–83 में। इसकी सूचना आपके ध्यान में नहीं है। बाद में बाढ़ से सड़क खराब हुई उसकी रिपेयर के लिए पर्यटन विभाग द्वारा मांडल योजना बनाई गई थी। यह काम पी.डब्ल्यू. डी. के पास है। हम बराबर उनको कह रहे हैं कि इनकी मरम्मत वापस कराई जाय।

जहां तक फर्श का प्रश्न है, सातवीं योजना में यह विचाराधीन है। रामगढ़ में जो टूरिस्ट विलेज बनाया था उसमें कुछ खर्चा हुआ, उसमें हमें लगता है आनॅ इकानॉमिक बेसिस पर फायदा नहीं होगा इसलिये टूरिज्म के लिए जो दर्शनार्थी जाते हैं उनके लिए हट्स की व्यवस्था की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गलता में इस समय पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न है, राज्य सरकार ने रोप-वे लगाने के लिए एक बार घोषणा की थी, क्या इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पेयजल की समस्या वहां है और जलप्रदाय विभाग और पर्यटन विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनमें इस पर विचार हो रहा है। 15 दिन पहले यह चिट्ठी भेजी थी कि पीने का पानी बराबर सप्लाई किया जाये।

जहां तक रोप-वे का सवाल है, माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अभी सिंगापुर में एक एक्सीडेंट हुआ है, वहां रोप-वे सिस्टम बहुत ही अच्छा और सुलभ था पर कुछ नेचर के कारण ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 70–80 आदमी मारे गये। मेरे हिसाब से भी तथा राज्य सरकार यह सोचती है कि वह इतना सेफ नहीं रहेगा, गलता की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। आज से तीन, चार साल पहले थोड़ी-बहुत जांच करवाई थी उसमें विशेषज्ञों ने वहां रोप-वे लगने के खिलाफ निर्णय दिया था, वह मेरी जानकारी में है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सेफ नहीं रहेगा। मैं भी यही सोचता हूं और आप भी इस पर सोचें और फैसला करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है मेन रोड जो गलता की है वह रामगंज चौपड़ से वहां तक जाती है, वह खराब है। रामनवमी का मेला आने वाला है, अभी तक उसकी रिपेयर नहीं की गई, रिपेयर करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजकुमार जयपाल।

अजमेर अस्पताल में अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था

51. श्री राजकुमार जयपाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जोधपुर, उदयपुर व अजमेर अस्पतालों में प्रतिवर्ष कितने अंतरंग व बहिरंग मरीज इलाज हेतु आते हैं ?

(2) इन तीन अस्पतालों में कितनी रोगी शैयायें हैं ?

18

(श्री राजकुमार जयपाल)

(3) क्या सरकार को विदित है कि अजमेर अस्पताल में आने वाले अंतरंग मरीजों को देखते हुए शैयायें कम पड़ती हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक शैयाओं को बढ़ाने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है?

चिकित्सा मंत्री (श्री रामदेव सिंह): (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अजमेर अस्पताल में 250 शैयाओं की वृद्धि प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री राजकुमार जयपाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जो 818 बैड्स हैं उसमें जनाना अस्पताल, मानसिंह अस्पताल और टी०बी० हॉस्पिटल के बैड्स भी सम्मिलित हैं? अगर सम्मिलित हैं तो फिर जनरल बैड्स कितने हैं?

दूसरा, यह सातवें प्लान में 250 बैड्स बढ़ा रहे हैं, वह किस वर्ष तक बढ़ा देंगे?

तीसरा यह है, क्या यह सही है अजमेर जे०एन० हास्पिटल में इण्डोर पेशेन्ट्स ओवर क्राउडेड हैं और मरीज बरामदे में नीचे पड़े रहते हैं? मुझे तो इसका एक्सपीरियेंस है?

श्री रामदेव सिंह: यह मेरे पास सूचना नहीं है कि किस अस्पताल में कितनी जगह है लेकिन यह मैं जानता हूं कि सातवीं योजना में प्रावधान किया गया है। आज की तारीख में वहां पर 23 यूनिट्स हैं उनके हिसाब से वहां पर करीब 1090 शैयायें होनी चाहिए। यह शैयायें कम है इसलिए इसका प्रावधान सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट।

श्री प्रतापसिंह। श्री जगन्नाथ। श्री हरीश।

पंचायत समिति, बकानी का विद्युतीकरण

52. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति बकानी के कितने गांव विद्युतिकरण के लिए स्वीकृत हैं? शेष गांव विद्युतिकरण हेतु कब तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के गांवों का विद्युतिकरण नियत समयावधि में नहीं हो पाया है? यदि हां इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): पंचायत समिति बकानी के 56 ग्राम वर्ष 1983-84 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में सम्मिलित हैं जिनसे से

(ऊर्जा मन्त्री)

वर्ष 1984-85 में 9 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। पंचायत समिति के शेष ग्रामों के विद्युतिकरण करने की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति व कानो की एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना ओ. वी. श्रेणी में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा माह फरवरी, 1984 में स्वीकृत की गई है जिसकी मण्डल द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1984-85 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में 9 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया था। उक्त सभी ग्रामों का विद्युतीकरण माह फरवरी, 85 के अन्त तक पूर्ण किया जा चुका है। अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर हो सकेगा। सभी ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य मण्डल के कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरीश शर्मा : क्या यह सही है कि शेष गांव जो बचे हैं उसका कारण ट्रान्सफार्मर, तार, खम्बे और मीटर वगैरह है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि गांव विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हो जाते हैं लेकिन वहां विद्युत नहीं लगती।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जी नहीं, विद्युतीकरण योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रथम वर्ष में राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केवल 9 गांवों को ही विद्युतीकरण के लिए ही चयन किया गया था और उनका कार्य पूरा कर दिया गया है।

श्री हरीश शर्मा : कितने गांव हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने प्रश्न के भाग एक में निवेदन किया कि 56 गांवों के लिए योजना स्वीकृत हुई हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 1983-84 की स्कीम में जो 56 गांव स्वीकृत हुए, आप बतायें कि वर्षवार कितने गांव विद्युतीकृत करने की योजना है ? 1984-85 में 9 गांव किये तो 1985-86 और 1986-87 में कितने करेंगे ? आपने कहा कि संसाधनों के आधार पर किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि जिस समय योजना स्वीकृत हुई उस समय उनके यहां गांवों की स्वीकृति उनसे ली गयी, कृपया वह गांव बताने की कृपा करें कि प्रति वर्षवार कितने हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी सूचना के अनुसार, वैसे पूर्ण योजना तीन वर्ष के लिए स्वीकृत होती है उसके अनुसार प्रथम वर्ष में 20 गांव, अगले वर्ष में 19 गांव और तीसरे वर्ष में 17 गांव विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यही था कि 20 गांव जब प्रथम वर्ष में स्वीकृत हुए उसमें से आपने 9 किये हैं और कहा यह है कि 9 ही गांव हमने तय किये थे। 9 ही किये' मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से 20 गांवों को पैसा उपलब्ध हो सकता था तो केवल मात्र 9 गांव करने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, हम जो भी योजना ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बनाते हैं वह पूरी स्वीकृत करने के लिए योजना का कार्यक्रम बना लेते हैं और योजना की स्वीकृती हमको प्राप्त हो जाती है लेकिन जो हमारा एनुअल प्लान है, हमारे प्लान में वित्तीय वर्ष में जितना प्रावधान मिलता है उसके अनुसार ही हम काम कर पाते हैं । राजस्थान की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में लगभग 20 हजार गांवों की स्वीकृति प्राप्त कर रखी है लेकिन साधनों को ध्यान में रखते हुए हम केवल 11 हजार गांवों को ही कर पाये हैं । ज्यों-ज्यों हमारे वित्तीय वर्ष में साधन उपलब्ध होते जायेंगे त्यों-त्यों इसको पूरा करेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अन्तिम प्रश्न यही पूछना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन एक केन्द्रीय संस्था है उस नाते से वह पैसा मुहैय्या कराती है, राजस्थान को । जिस प्रकार की स्थिति हमारे यहां चल रही है, जब से वर्तमान सरकार आई है तबसे लगातार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन से ऐसे पत्र लिखे जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार स्वीकृत कराती जा रही है और उनको पूरा नहीं कर पा रही है । जो कभी जनता पार्टी के शासन में सर्टिफिकेट मिला था, आज यह स्थिति पैदा हुई है कि यह सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत बाधायें पैदा कर रही है ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सही नहीं है, ऐसे कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुए है । जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि हम योजनाओं को स्वीकृत करा लेते हैं लेकिन एनुअल प्लान में सिलिंग फिक्स कर देते हैं उससे ऊपर नहीं वह पैसा नहीं दे सकते ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 20 गांव मंजूर कराये और आप अपने सीमित संसाधनों की बात करते हैं । Very strange Condition.

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन फाइनल पूरी स्कीम जो स्टेट को देता है उसका पूरा फाइनेन्स वर्ल्ड बैंक से है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह बात तो सही है लेकिन एनुअल प्लान में जो सीलिंग है उससे हम ज्यादा खर्च नहीं कर सकते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर सीलिंग कहां से आ गई ? आपको पैसा लगाना ही नहीं पड़ता तो सीलिंग कहां से आ गई ?

(व्यवधान)

ठीक है, आप सही कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । माननीय सदस्य, कृपया बैठें । श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

पंचायत समिति चाकसू में ऋण वितरण में अनियमितता

53. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति चाकसू द्वारा हुडको योजना के अन्तर्गत फर्जी ऋण वितरण एवं 'गरीब को छप्पर' कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्जी अनुदान की राशि वितरण दिखाकर अप्रत्यक्ष गबन करने के मामले में जिलाधीश, जयपुर को शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रारम्भिक जांच में तथ्य सही पाये गये ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पर्यटन मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) :

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में निम्नांकित शिकायतें जिलाधीश जयपुर को प्राप्त हुई थीं :—

(1) माननीय विधायक श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी द्वारा दिनांक 26-6-84

(2) श्री छीतर पुत्र रामदेव बैरवा द्वारा दिनांक 9-7-84

(3) श्री जगदीश पुत्र नानगा मीणा द्वारा दिनांक 2-8-84

(4) श्री गोपाल मीणा, कार्यवाहक सरपंच, ग्राम पंचायत आकोडिया द्वारा दिनांक 6-8-84

शिकायतों की जांच जिलाधीश, जयपुर द्वारा अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी जयपुर से प्रारम्भ कराई थी। किन्तु राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 40. (1). के अन्तर्गत प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः शिकायतें जिलाधीश ने अपने पत्र क्रमांक 6462, दिनांक 11-10-84 को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजी है। राज्य सरकार द्वारा 22-3-85 को यह शिकायतें जिलाधीश, जयपुर को पूर्ण प्राथमिक जांच हेतु भेजी हैं। जांच जिलाधीश के यहां विचाराधीन है।

(2) जांच जिलाधीश, जयपुर के यहां विचाराधीन है। यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(12.00 म.प.)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, केवल एक ही प्रश्न पूछें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि यह शिकायतें भ्रष्टाचार से सम्बन्धित थीं, फर्जी अनुदान बांटने की शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद विभाग ने आज तक जांच क्यों नहीं कराई जब कि जिलाधीश को शिकायतें प्राप्त हो चुकी थीं ? आज उनसे ऋण वसूली की जा रही है। इसमें अनावश्यक विलम्ब कैसे हुआ ? पहले जो जांच हुई

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

उसमें कौन कौन दोषी पाये गये और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया ? पुलिस ने जब इण्डिविजुअल इस्त-गासा पेश किया। विभाग की तरफ से वह कागजात उपलब्ध नहीं कराये गये जिसमें एफ. आर. लगाई गई, क्या यह सही है ?

श्री नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में बताया 11-10-84 को कलेक्टर से राज्य सरकार को पत्र प्राप्त हुआ और तत्कालीन मंत्री महोदय चूंकि चुनावों में व्यस्त थे शायद उस कारण उनके पास वे कागज आर्डर्स के लिए रह गये । जैसे ही मेरे सामने आया, 20 तारीख को मैंने इसके आदेश दे दिये कि जिलाधीश महोदय उसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करवाकर जो उसके नतीजे निकाले उसके ऊपर एक्शन लें ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें ।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खानपुर पनवाड़ सड़क का निर्माण

56. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या खानपुर से पनवाड़ सड़क निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं ? यदि हां, तो इस सड़क का कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

खानपुर दहीखोड़ा पनवाड़ सड़क निर्माण की स्वीकृति ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी प्रोग्राम के अन्तर्गत रुपये 35.66 लाख की जनवरी, 1984 में प्राप्त हुई है राज्य सरकार के आदेशानुसार इस सड़क का निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर फरवरी 1984 से करवाया जा रहा है। मिट्टी का व खानों पर गिट्टी तुड़ाई जाने का कार्य विभागीय स्तर पर चालू है जो इस माह के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । निविदायें केवल खान से गिट्टी व ग्रेवल सड़क पर परिवहन के लिये ली गई है जिसका कार्य चालू है ।

छोटे ताप बिजली घरों की स्थापना

57. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में 6 छोटे ताप बिजली घर लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा कितनी कितनी मेगावाट बिजली के ?

(2) क्या इन ताप बिजली घरों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है ?

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना के किस वर्ष में इसके निर्माण हेतु प्रावधान रखा गया है ? इन पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

(ऊर्जा मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने छोटे ताप बिजली घरों की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु एक समिति गठित की थी। इस समिति ने यह पाया कि छोटे ताप बिजली घरों के स्थान पर उच्च क्षमता का ताप बिजलीघर लगाया जाना उपयुक्त है। उच्च क्षमता के ताप बिजली घरों हेतु बनाये गये योजना प्रतिवेदन निम्नलिखित हैं :—

क्र. सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में
1.	कोटा तापीय योजना तृतीय चरण	1×210	180.08
2.	सूरतगढ़	2×200	464.93
3.	मांडलगढ़	3×210	554.74
4.	चित्तौड़गढ़	2×210	451.81
5.	धौलपुर	2×210	648.11
6.	गैस आधारित तापीय योजनाएं सवाईमाधोपुर एवं बांसवाड़ा	800	251.11 प्रारम्भिक में जमा प्रतिवेदन के आधार पर

(2) उच्च क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है तथा वे केन्दीय विद्युत प्राधिकरण के पास विचाराधीन हैं। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोटा तापीय परियोजना के तृतीय चरण के लिए 104.28 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें वर्ष 1985-86 के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अन्य नवीन तापीय/गैस विद्युत परियोजनाओं के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें वर्ष 1985–86 के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान है।

सरपंच, पंचायत जगतपुरा के विरुद्ध शराब के अवैध धन्धों की शिकायत

58. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 3-9-1984 को सांगानेर तहसील में जगतपुरा पंचायत के सरपंच को शराब के नाजायज धन्धा करने, बेचने व रखने के आरोप में पुलिस और आबकारी विभाग ने रंगे हाथों पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अपराध में लिप्त उक्त सरपंच कुछ दिन जेल काटने के बाद जमानत पर रिहा किये गये और केस अभी चल रहा है ?

(3) क्या उक्त फौजदारी केस होने के बावजूद भी उक्त सरपंच को पंचायत की बैठकें व कार्यवाही में भाग लेने से वंचित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार सरकारी कार्य वहन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । दिनांक 3-9-84 को जगतपुरा पंचायत के सरपंच को आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब के धन्धे में गिरफ्तार किया गया ।

(2) जी हां। दिनांक 6-9-84 को उन्हें जमानत पर रिहा किया और केस न्यायालय में विचाराधीन है ।

(3) जी हां । न्यायालय ने अभी सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रस्थापित नहीं किये हैं। जिलाधीश, जयपुर से इस सम्बन्ध में प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26-3-85 विचाराधीन है ।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जिला बांसवाडा के गांवों में सिंचाई साधनों का विस्तार

59. **श्री नवनीत लालनीनामा** (घाटोल): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के दानपुर, कुशलगढ़, पीपलखुट क्षेत्र में सिंचाई के क्या साधन उपलब्ध हैं ? क्या सरकार इन क्षेत्रों को माही बजाज सागर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या दानपुर, कुशलगढ़, पीपलखुट क्षेत्र में तालाब बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु क्या योजना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा के दानपुर, कुशलगढ एवं पीपलखुट क्षेत्र में परिशिष्ट "अ" के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साधन स्थित है। माही बजाज सागर से कुशलगढ़ क्षेत्र में लिफ्ट स्कीम

(सिंचाई मंत्री)

द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है। दानपुर व पीपलखूट क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए माही परियोजना से सिंचाई की संभावना नहीं है।

(2) दानपुर, कुशलगढ़ एवं पीपलखूट क्षेत्रों की विचाराधीन योजनाएं परिशिष्ट "ब" में दर्शाई गई हैं।

(परिशिष्ट के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

जिला कोटा के सुकेत कस्बे में थाने की स्थापना

60 श्री **प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री **जगन्नाथ** (मनोहरथाना)
श्री **हरीश** (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के कस्बे सुकेत में थाना स्थापित करने हेतु पत्र व्यवहार और कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो कब से और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) सरकार का सुकेत में कब तक थाना स्थापित करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 26-3-84 से मामला विचाराधीन है।

(2) सुकेत में थाना स्थापित करने की औचित्यता एवं अन्य सभी पहलुओं पर विचार पूर्ण हो जाने पर ही निर्णय लिया जावेगा। समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

पुष्कर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

61. श्री **रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की कोई योजना बनायी है?

(2) यदि हां तो विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है?

(3) अब इस क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के कितने मुख्यालय मुख्य सड़कों से जोड़ने शेष रहे हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) शेष ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को कब तक मुख्य सड़कों से जोड़ दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2–3) पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है।

(3) 7 ग्राम पंचायत मुख्यालय मुख्य सड़कों से जोड़ने शेष हैं। सूची संलग्न है।

(4) आगामी 15 वर्षों में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की योजना है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

आयुर्वेद विभाग में बजट राशि का उपयोग

62. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत 3 वर्षों में आयुर्वेद विभाग का वर्ष-वार कितना-कितना बजट था और उक्त बजट की राशि में से किस वर्ष कितनी राशि का विभाग उपयोग नहीं कर सका और क्यों ?

उत्तर

आयुर्वेद विभाग का वर्ष 1981-82, 1982-83, व 1983-84 का स्वीकृत संशोधित बजट प्रावधान एवं उपभोग नहीं की जा सकी राशि का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	स्वीकृत संशोधित बजट प्रावधान (लाख रुपयों में)	उपभोग नहीं की जा सकी राशि का विवरण (लाख रुपयों में)
1981-82	800.50	71.04
1982-83	904.24	9·80
1983-84	1021·04	10·08

स्वीकृत संशोधित बजट प्रावधान के सम्पूर्ण उपयोग न हो सकने के निम्न कारण प्रमुख रहे हैं—

1. मार्च-अप्रेल 1982 में राज्य कर्मचारियों की आम हड़ताल ।

2. 1982-83 में बचत नगण्य है, यह बचत भी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई है ।

3. 1983-84 में भी बचत नगण्य रही है । पदों के रिक्त रहने एवं नवीन वेतनमानों के स्थिरिकरण एरियर्स का भुगतान नहीं होने से भी बचत हुई है ।

ग्राम काचरी (कोटा) में आयुर्वेद औषधालय की मांग

63. **श्री हरीश** (खानपुर)—

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)—

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि कोटा की पंचायत समिति, अन्ता के ग्राम काचरी में आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु विभागीय प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) ग्राम काचरी में कब तक आयुर्वेद औषधालय खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984-85 में प्राप्त विभागीय प्रस्तावों में इस स्थान का नाम सम्मिलित नहीं हैं।

(2) ग्रामवासियों से या अन्य स्तर से नवीन औषधालय खोलने की मांग आने पर निम्न मापदण्ड को ध्यान में रखते हुये ग्राम काचरी में औषधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा—

1. ग्राम में पर्याप्त निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।

2. ग्राम में अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होना।

3. लाभान्वित जनसंख्या कम से कम 2000 होना।

4. 8 कि. मी. की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा न हो।

सीकर जिले में चोरी, डकैती व हत्या आदि की घटनाएं

64. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में 1980 से 28 फरवरी, 1985 तक डकैती, हत्या, लूटपाट, चोरी, आगजनी, राहजनी की कितनी-कितनी घटनायें हुई ?

(2) इन घटनाओं में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया व कितने लोगों का चालान पेश किया गया ?

(3) चोरी व डकैती में कितने रुपये का माल चोरी गया तथा कितने रुपये का माल बरामद किया गया ? कृपया थानों वार पृथक् पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना तालिका "अ" संलग्न है।

(2) वांछित सूचना तालिका "ब" संलग्न है।

(3) वांछित सूचना तालिका "स" संलग्न है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

इन्दिरा गांधी नहर निर्माण में अनियमितताओं में निलम्बित अधिकारी

65. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)—

श्री हरीश (खानपुर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

इन्दिरा गांधी नहर निर्माण में अनियमितताओं के सिलसिले में सन् 1980 से अब तक किन-किन दोषी अधिकारियों को सेवा से निलम्बित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नहर निर्माण में अनियमितताओं के सिलसिले में सन् 1980 से अब तक जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

लाडनूं का अस्पताल भवन

66. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं के अस्पताल का भवन श्री गनपतराम सरावगी ने बनाकर सरकार को सौंप दिया था ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई इकरारनामा किया था ? यदि हां, तो कब और किस आशय का ?

(2) क्या यह भी सही है कि मौजूदा भवन छोटा पड़ रहा है और दानदाता भवन का विस्तार आगे करना नहीं चाहता ? क्या सरकार दूसरे दानदाताओं के द्वारा भवन का विस्तार करने की अनुमति देने का विचार रखती है ?

(3) क्या पूर्व दानदाता के साथ किये गये इकरार के अनुसार भवन विस्तार में सरकार कोई कठिनाई महसूस करती है ? यदि हां, तो क्या और उसका क्या निराकरण होगा ?

(4) क्या उक्त अस्पताल के विस्तार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या और कब तक विस्तार करने की ?

(5) क्या इसी प्रकार की कठिनाई इसी दानदाता द्वारा बनाये गये जनाना अस्पताल के भवन की भी है और उसके लिये भी सरकार ने कोई इकरारनामा किया है ? यदि हां तो किस आशय का ?

उत्तर

(1) जी हां।

भवन निर्माण सम्बन्धित इकरारनामा स्टेट के समय हुआ था।

(2) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

(3) भवन 50 शैयाओं के लिये पर्याप्त है।

विस्तार का वर्तमान में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। फिलहाल चूंकि लाडनूं में उपलब्ध सुविधा

(चिकित्सा मंत्री)

पर्याप्त है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

हाईकोर्ट जज व अधीनस्थ कोर्टस् में न्यायाधिकारियों की कमी की पूर्ति

67. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करें—

(1) प्रदेश में हाई कोर्ट जज, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के कितने पद रिक्त हैं ?

(2) इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और यह कब तक भर लिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) (ए) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद–4

(बी) सत्र न्यायाधीशों के रिक्त पद–नहीं

(सी) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के रिक्त पद—16

(डी) मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 16 न्यायिक मजिस्ट्रेट के रिक्त पद–32 हैं—

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

अपर सत्र न्यायाधीशों के 16 पदों में से 11 पद अभी पदावनत होने की वजह से है। माननीय उच्च न्यायालय की जल्दी ही इस सम्बन्ध में बैठक होने वाली है और उसमें निर्णय होने पर उनकी सिफारिश प्राप्त होने पर शीघ्र ही रिक्त पद भर दिये जायेंगे।

मुंसिफ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और साक्षात्कार की कार्यवाही चालू है। अतः राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित सूची उपलब्ध होने पर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जावेगी।

भीमसागर बांध (झालावाड़) निर्माण में फर्जी मस्ट्रोल भरने की शिकायतें

68. **श्री हरीश** (खानपुर)

श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के निर्माणाधीन भीमसागर बांध के कार्य में फर्जी मस्ट्रोल भरने की शिकायत है ?

(2) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्माणाधीन भीमसागर योजना पर फर्जी मस्ट्रोल भरने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जब कोई शिकायत ही नहीं है तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(30)

इकलेरा-सालपुरा सड़क की मरम्मत

69 **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)
श्री हरीश (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि इकलेरा-सालपुरा सड़क पर कुछ किलोमीटर सड़क यातायात के काबिल नहीं रही है ? यदि हां, तो विभाग उसके लिए कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही नहीं है। सिर्फ 5 किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. रोड़ पर डामर नहीं कराया जा सका है जिसे 1985-86 में पूरा कराने का लक्ष्य है।

सीकर क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

70. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं ? कृपया सूची, 1981 की जनगणना के तद्विषयक आंकड़ों सहित, सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सीकर से ग्राम बेरी, तारपुरा, सिंहासन, ग्रामो को सड़क से जोड़ने की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति न होने से काम प्रारम्भ नहीं हो सका है ? इनकी वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(3) उपरोक्त गांवों के अलावा बाकी बची हुई पंचायतों को कब तक सड़क से जोड़ने का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सीकर में कुल 21 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 10 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये नहीं है जिनकी सूची 1981 की जनसंख्या सहित संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सीकर में ग्राम बेरी व सिंहासन को सड़क से जोड़ने के लिये कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं है अत: वित्तीय स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्राम सारपुरा को जोड़ने के लिये कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत सड़क दादिया से तारपुरा 3 कि. मी. लम्बी स्वीकृत है। शेष 0.5 कि. मी. की स्वीकृति रा. ग्रा. रो. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। कार्य प्रगति पर है।

(3) बाकी बचे हुये सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना अगले तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

छबड़ा–कुम्भराज सड़क

71. **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा),
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना),
श्री हरीश (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरीश)

क्या यह सही है कि छबड़ा-कुमराज सड़क बनकर तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो उस पर क्या कार्य बाकी है, और उसे कब तक पूर्ण कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

छबड़ा-कुमराज सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पुलियाओं का कार्य प्रगति पर है। 2 पुलों का निर्माण कराना शेष है जिस पर वांछित राशि आवंटित होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा।

पड़ासोली (जयपुर) का सब-ग्रिड स्टेशन

72. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समिति, बस्सी में पड़ासोली 33 के.वी. सब-ग्रिड स्टेशन बना हुआ है ? यदि हां तो यह सब-ग्रिड स्टेशन कब बना था और इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि सब-ग्रिड स्टेशन पड़ासोली चालू कम व बन्द अधिक रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो बनने के बाद कब कब खराब हुआ और कितने अर्से बन्द रहने के बाद कब ठीक हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पड़ासोली, पंचायत समिति, बस्सी के अन्तर्गत आता है एवम् वहां पर 33/11 के.वी. सब-स्टेशन 2 जनवरी 1981 से चालू है, जिसे बनाने में लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये का खर्च आंका गया है।

(2) जी नहीं। इस ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसफार्मर अधिकतम चालू रहा। पड़ासोली 33/11 के. वी. सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण निम्न अवधि में संबंधित क्षेत्रों के प्रभावित उपभोक्ताओं को विद्युत प्रवाह 33/11 के. वी. दौसा सब स्टेशन से 11 के. वी. लाईन पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार (स्टेगरिंग प्रोग्राम) किया गया :—

क— 10.8.83 से 13.2.84

ख— 10.2.85 से 21.3.85

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय राशि

73. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कार्य वर्ष 1984-85 में 28 फरवरी, 1985 तक राज्य में निर्माणाधीन वृहत् मध्यम और आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) व्यय की गई धनराशि किस-किस परियोजना पर कितनी-कितनी की गई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) कार्य वर्ष 1984-85 में 28 फरवरी, 1985 तक सिंचाई विभाग के

(सिंचाई मंत्री)

अधीन वृहद, मध्यम एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर (इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाओं को छोड़कर) 36.42 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(2) योजना वार तालिका संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अन्ता-काचरी सड़क का निर्माण

74. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)
श्री हरीश (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कोटा जिले में अन्ता से काचरी तक की सड़क पक्की बनाने के लिए स्वीकृत है ? यदि हां तो निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

राजस्थान यूनानी तिब्बीया कालेज

75. **श्रीमती उजला अरोड़ा** : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान यूनानी तिब्बीया कालेज जो कि निजी संस्था है, उसको राजस्थान विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है ?

(2) यदि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, तो क्या कारण है कि इसकी परीक्षाएं राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं ले रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संस्था को अनुदान देती है ? यदि हां तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार चल रहा है।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में यूनानी फैकल्टी खोले जाने बाबत निर्णय सैद्धान्तिक रूप से ले लिया गया हैं, परन्तु विश्वविद्यालय को इस हेतु दिये जाने वाले अनुदान के मामले पर विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार हो रहा हैं। इसी कारण इसकी क्रियान्विती नहीं हो पाई हैं।

(3) जी हां। गत वर्षों में दिये गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	अनुदान राशि (रुपयों में)
1980-81	3,000
1981–82	3,000
1982–83	10,000

वर्ष 1983–84 में संस्था की अनुमोदित आय, अनुमोदित व्यय से अधिक होने के कारण इस संस्था को अनुदान नियम (6) के अन्तर्गत कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

राजकीय चिकित्सालय
ग्राम बल्दू (नागौर)

76. **श्री हरजीराम** (लाडनू) : क्या

चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम वल्दू तहसील लाडनूं जिला नागौर में राजकीय चिकित्सालय कब खोला गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय के लिये किसी दानदाता ने भवन निर्माण करवा कर दिया है ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ? कृपया इकरारनामें की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस चिकित्सालय के नाम के सम्बन्ध में कोई इकरारनामा सरकार ने किया है ? यदि हां तो क्या ?

(4) क्या इस चिकित्सालय में रोगियों को दी जाने वाली पर्चियों पर दानदाता का नाम अंकित है और भवन पर दानदाता का नाम दर्ज है ? यदि हां तो क्यों ?

(5) क्या इस चिकित्सालय के लिये भवन आवश्यकतानुसार है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां राज्यादेश, क्रमांक एफ 8(50) चि० स्वा० 81 दिनांक 25-2-81 को स्वीकृति के अनुसार ग्राम वल्दू में राजकीय डिस्पेन्सरी दिनांक 17-10-81 को खोली गई।

(2) जी हां। वर्ष 1981 में दानदाता श्री पुखराज काकरणी ने इस शर्त पर भवन दिया था कि इस चिकित्सालय का नाम सेठ पुखराज काकरणी चिकित्सालय रखा जाये। भवन को स्थानान्तरित करने के बारे में अभी तक कोई इकरारनामा नहीं हुआ। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, रोगियों को दी जाने वाली पर्चियां तथा भवन पर नाम अंकित है। चिकित्सालय शुरु करने के समय दानदाता द्वारा कुछ पर्चियां छपवाकर दीं थीं जो अभी तक काम में आ रही हैं।

(5) जी हां, भवन चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार है।

छूत रोग, अंधता और शारीरिक पंगुता का उपचार

77. **श्री अशक अली** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छूत रोगों की समाप्ति और नियन्त्रण तथा अन्धता और शारीरिक पंगुता के उपचार हेतु क्या सरकार की कोई विशेष कार्यक्रम है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार ने, संक्रामक रोगों की समाप्ति और नियंत्रण एवम् अन्धता तथा शारीरिक पंगुता को उपचार हेतु उपलब्ध तकनीकी संशोधनों एवम् रोगों की प्राथमिकता के आधार पर, जिनका संचालन, क्रियान्वयन, व्यवहारिक हो, हेतु कार्यक्रम चला रखे हैं। जैसे कूकर खांसी, गलघोट, पोलियो, क्षय रोग आदि के बचाव हेतु ई०पी०आई० प्रोग्राम के तहत समस्त

(चिकित्सा मंत्री)

बच्चों को टीके अथवा दवा का घोल पिलाने का कार्यक्रम है। अन्धता निवारण एवं बचाव हेतु क्रमशः व्यापक पैमाने पर आंखों के ऑपरेशन के कैम्प लगाने का अन्धता से बचाने के लिये रोहे नियंत्रण कार्यक्रम चालू हैं एवम् विटामिन "ए" का घोल पिलाने का कार्यक्रम चालू है। शारीरिक पंगुता के मुख्य रोग पोलियों एवम् कुष्ठ रोगों से बचाब हेतु क्रमशः वैक्सीन एवं उपचार का कार्यक्रम भी चालू है। राज्य सरकार एवम् केन्द्र सरकार छूत के रोगों से बचाव हेतु निम्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरम्भ कर रखे हैं।

1. ई०पी०आई० कार्यक्रम

2. अन्धेपन की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

3. कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम

4. क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

पत्रकारों को बस यात्रा सुविधा

78. **श्री प्रताप सिंह** (छबड़ा)
श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना)
श्री हरीश (खानपुर) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य के पत्रकारों को राजस्थान रोड़वेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है? यदि हां, तो किन-किन को? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो कब तक यह सुविधा प्रदान कर दी जावेगी?

(2) राज्य के पत्रकारों को अन्य क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? प्रदेश में कहां कहां आवास हेतु पत्रकार कालोनी बनाई जा रही है?

(3) पत्रकारों को छापाखाना डालने के लिए क्या मदद दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण एवं डीलक्स बसों में केवल सरचार्ज लेकर यात्रा करने की सुविधा है। निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को निम्न सुविधाएं दी जाती है :—

1. जन सम्पर्क निदेशालय द्वारा संचालित पुस्तकालय तथा पत्रकार कक्ष का उपयोग।

2. पत्रकार सम्मेलनों एवं अन्य राजकीय समारोहों में जहां के लिए उन्हें निमन्त्रण भेजा जाए उपस्थिति।

3. टेलीफोन उपलब्ध कराने की यथावश्यकता सिफारिश।

4. विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल को सुविधा।

5. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना सामग्री, फोटोज, प्रकाशन आदि उपलब्ध कराना।

(जन सम्पर्क मन्त्री)

(6) मंत्री एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं फोटोग्राफ आदि लेना।

(7) कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर घूमने की सुविधा की सिफारिश।

(8) राजस्थान पथ परिवहन निगम की साधारण एवं डीलक्स बसों में रियायती दर पर केवल सरचार्ज लेकर यात्रा करने की सुविधा।

(9) डाक बंगलों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा।

(10) आवासन मण्डल द्वारा ढाई प्रतिशत विशेष कोटे में से आवंटन।

(11) रियायती दरों पर रेल यात्रा।

(3) जी नहीं। 'प्रेस' को अलग से उद्योग माना गया।

रामगंज मण्डी एवं सांगोद क्षेत्रों में कुओं को विद्युत कनेक्शन

79. **श्री हरि कुमार** (पीपल्दा), **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रामगंज मण्डी एवं सांगोद क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कितने कुओं पर बिजली कनेक्शन स्वीकार किये गये हैं तथा कितने मामले विचाराधीन हैं?

(2) लम्बित कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है।

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मण्डी एवं सांगोद में वर्ष 1980–81 से 1984–85 (माह फरवरी, 85 तक) तक क्रमशः 320 एवं 304 कुओं को विद्युतीकृत किया गया एवं माह फरवरी, 85 तक क्रमशः 546 एवं 706 कृषि आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(2) सीमित वित्तीय साधनों के कारण विचाराधीन कृषि आवेदन कर्ताओं को मण्डल के फेज प्रोग्राम के अनुसार ही कनेक्शन दिया जाना सम्भव होगा।

पंचायत शिक्षकों के लिए राज्य बीमा योजना

80. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पंचायत शिक्षकों पर राज्य बीमा योजना लागू करने का विचार कर रही है?

(2) यदि हां तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है

(श्री अध्यक्ष)

कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में भू-सुधार कार्यक्रम के तहत किसानों से अनियमित वसूली के बारे में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील इकलेरा में छापी बांध के लिये पुरानी सड़क को छोड़कर नई सड़क खेतों में होकर बनाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री विरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर नगर परिषद के सदस्य दो गुटों में बंट जाने के कारण बजट पारित न होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर तहसील मुख्यालय पर स्थानांतरित विद्युत मण्डल का कार्यालय गांव पिपलिया कलां में बदल देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामसीन कस्बे की डिस्पेन्सरी में कोई कर्मचारी न लगाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राथमिक शाला गोठावाली ग्राम पंचायत मूंडरू में स्कूल भवन बना देने और स्कूल खोल देने के आदेश देने के पश्चात् अन्यत्र बदल देने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रजमान खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर के घाटों पर अनधिकृत रूप से तीन होटलें बना देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जगमाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले के भूमि विकास बैंक द्वारा डीजल व पम्प सेटों के लिए ऋण में भारी अनियमितता के संबंध में।

(9) श्री फूलचन्द, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस थाना नोम का थाना में 22.3.85 को एस. एच. ओ. और स्टाफ के बीच मारपीट के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुचामन नगर परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों को दुकान आवंटन करने के लिए चयन में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(11) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा की ओर से बीकानेर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का चुनाव अनियमित रूप से करवाने के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान, सभा की ओर से पाली जिले के ग्रामीण व शहरी इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में।

(2) श्री रामदेव (मूण्डवा) सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर, जोधपुर व बाड़मेर के अभाव ग्रस्त गांवों में सहकारी संस्थाओं द्वारा वसूली जारी रखने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जलदाय विभाग की निष्क्रियता के कारण पेयजल की समस्या के के संबंध में ।

इन विषयों पर आज वक्तव्य दिये जा रहे हैं अतः उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जायेगी ।

(1) श्री सम्पतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर सीकरी क्षेत्र में नल कूपों को बिजली कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से सादुल शहर, संगरिया, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ व अनूपगढ़ क्षेत्र में रेलवे लाइन पर रेलवे क्रासिंग न होने से कृषकों को दिक्कत के बारे में ।

वैसे यह विषय केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : नो, नो, सर ।

श्री अध्यक्ष : (3) श्री किरोड़ीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से महुआ पुलिस थाने के अन्तर्गत 13.3.85 को एक महिला का अपहरण करने के मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में ।

(4) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मंडी इटावा द्वारा किसानों की सुविधा की ओर से ध्यान न दिये जाने के संबंध में ।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से टीबी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मैंरूसरी के प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत करने के पश्चात् भी स्कूल बन्द होने के बारे में ।

(7) श्री कालीचरण सर्राफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से पहाड़ झालाना, जयपुर में खानों को राज्य सरकार द्वारा बन्द करने से मजदूरों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदर्श नगर में रावल इण्डस्ट्रीज से प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री गणेशलाल वैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय किले तथा फूल सागर के विक्रय पर रोक नहीं लगाने के संबंध में ।

(10) श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विकास खण्ड बायतू के ग्राम कूपलिया में डिप्थीरिया की महामारी के प्रकोप के संबंध में ।

(11) श्री मोहन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले में नारी बिक्री के संबंध में ।

(12) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर

(38)

(श्री ग्रध्यक्ष)

शुगर मिल द्वारा किसानों से गन्ना न खरीदने के सम्बन्ध में।

(13) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बालोतरा ग्रौद्योगिक केन्द्र के कारण प्रदूषण से भू-जल पीने योग्य न रहने के संबंध में।

(14) श्री शिवचरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सवाई माधोपुर जिले की सड़कों की दुर्दशा के संबंध में।

(15) श्रीमती उजला ग्ररोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जयपुर शहर में बाढ़ से बचाव के लिए बनाये गए प्रोजेक्ट पर कार्यवाही न करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं ग्रतः मैं इन पर ग्रनुमति देने में ग्रसमर्थ हूं।

राज्य सरकार से निम्न स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त हुई :-

श्रीमती विद्यापाठक, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से सांगानेर कस्बे में ग्रवैध निर्माण कार्य से परकोटा टूटने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि ग्रवैध कार्य का मौका देखकर कार्य बन्द करने का नोटिस दिया गया था ग्रौर मौके पर जाकर बन्द भी करवाया तथा सामान भी जब्त किया लेकिन दूसरे दिन दुर्घटना हुई। प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000 हजार रुपये सहायता दी गई है। प्राप्त उत्तर संतोषजनक मानते हुए मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर स्वीकृति देने में ग्रसमर्थ हूं।

जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव मैंने ग्रस्वीकार किये हैं, उन्हें मैं क्रम से पुकारूंगा, कृपया दो मिनट में ग्रपनी बात कहकर समाप्त करें। मैं खास तौर से समय के लिए माननीय सदस्यों से इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ग्रागे ग्राज काफी लम्बी कार्यवाही है। दो वक्तव्य भी राज्य सरकार से ग्राने वाले हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं। उसमें भी काफी सदस्यों को बोलना है। कृपया बोलने का माननीय सदस्य ध्यान रखें।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट निवेदन कर दूं, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री हरीश शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कह दूं, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है....

(व्यवधान)

खेत तोड़ रहे हैं, फसलें तोड़ रहे हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापकी बारी ग्राये जब ग्राप बोलें।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, तीन दिन हो गये, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, राजस्थान की नर्सेज के बारे में। उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया है. धरना लगाकर बैठी हुई हैं। राजस्थान में उनका ग्रान्दोलन चल रहा है। हर जिले से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां आकर नर्सेज बैठी हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी बैठे हैं, बहुत बड़ी समस्या है सारे राजस्थान की....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और हड़ताल हो रही है। सारे राजस्थान में बीमारी फैल रही है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन परिस्थितियों में अगर नर्सेज हड़ताल पर जायेंगी तो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिये होगी। मैं चाहता हूं, राज्य सरकार से इस संबंध में आप वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि हमारे क्षेत्र में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 6 दिन से लगातार स्थगन प्रस्ताव जा रहा है। राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं आ रही है। आखिर राज्य सरकार जानकारी कब देगी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। जिनकी जानकारी आ रही है, उनको मैं सदन के सामने रख रहा हूं।

श्री नवरंग सिंह।

श्री सम्पत सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका नहीं है।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : आपका तो मैंने दूसरी जगह लिया है।

(व्यवधान)

आप दिन में बोलेंगे, माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : सम्पत सिंह नहीं, साहब शोपत सिंह।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो अभी व्यवस्था दी है पीने के पानी के बारे में, आपने यह कहा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठ जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है वह सम्बन्धित है सिंचाई मंत्री जी से।

(40)

श्री अध्यक्ष : वह पीने के पानी से ही है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने लिखा है, जंवाई बान्ध से पानी छोड़ना लिहाजा वह जो आप बता रहे हैं, वह तो जल मंत्री जवाब देंगे और जो मेरा स्थगन प्रस्ताव है वह सम्बन्धित है, सिंचाई मंत्री जी से।

(व्यवधान)

वह जंवाई बान्ध के अलावा कहीं से आ नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जल मंत्री जी से आपकी बात कहियेगा उस वक्त जैसा अभी कह रही हैं, वह उस समय कह दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : फिर अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव उनके पास भेज दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह।

श्री शोपत सिंह : नहीं है साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री शोपत सिंह।

अभी कुछ ही दिन हुये हैं, थोड़े दिनों में सबकी जानकारी हो जायगी।

एक माननीय सदस्य : वे बाहर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : शोपत सिंह।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव जो मैंने दिया है, आपने कहा था कि इसका सम्बन्ध रेलवे से है। रेलवे से पूछा गया, सेन्टर में रेलवे मंत्री के सामने समस्या को खड़ा किया गया कि जिन क्षेत्रों में रेलवे लाइन निकलती है उन एरियाज में कोलोनाइजेशन विभाग ने नये रास्ते निकाल लिये, पुराने रास्ते बन्द कर दिये। गंगानगर के बहुत बड़े भू-भाग में जहां से रेलवे लाइन जाती है, गांवों और खेतों के रास्ते बन्द किये पड़े हैं, कहां जायं लोग, जब सेन्टर में इस बात को उठाया गया तो रेलवे मंत्री ने कहा, राज्य सरकार इसका खर्च आधा वहन करे तो हम इस बात को करने के लिये तैयार हैं। तो राज्य सरकार आधा खर्च वहन करे उस सूरत में केन्द्र सरकार रेलवे क्रासिंग बनायेगी और उसके बाद में वहां का किसान, वहां के लोग उस रेलवे लाइन को क्रास करेंगे। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों को दूसरे गांवों और अपने ही खेतों में जाने के लिये मुश्किल हो रही है, यह बहुत गंभीर मसला है। इस सवाल को लावारिश बच्चे की तरह केन्द्र सरकार राज्य सरकार की तरफ फैंकती है और राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। ऐसी सूरत में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले के हनुमानगढ़, सादूंल शहर और संगरिया क्षेत्र के अन्दर रेलवे क्रासिंग बना हुआ नहीं है तो कोई भी किसान एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये और खेतों में जाने के लिये किस तरह उस रेलवे लाइन पर से गुजरेगा ? ब्राड गेज लाइन आ गई है भटिण्डा से सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक, तो लाइन अब ज्यादा ऊंची होगी। हमारे यहां पहले मीटर गेज थी, मीटर गेज में फिर भी किसान ट्रैक्टर ले जाकर निकल सकता था, ब्राड गेज आने के

(श्री शोपत सिंह)

बाद मेरे क्षेत्र में सैंकड़ों एक्सीडेन्ट हुए हैं। किसानों के ट्रेक्टर टूट गये, लोग मर गये। कम से कम 20 लोग इस रेलवे के क्रांसिग पर मर गये। या तो गाड़ी रुक जाती है या ट्रेक्टर रुक जाता है, जीप रुक जाती है। सारे आवागमन के साधन उसके लिये परेशानी पैदा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद आपने उनकी हालत नहीं देखी, रेलवे लाइन के एक तरफ गांव है तो दूसरी तरफ उनके खेत हैं। वह अपने खेत से फसल लाता है तो उसको बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। खेत से फसल निकालने के बाद रोज वह अनाज लाता है, रोज पशुओं के लिये चारा लाता है और उधर रेलवे लाइन के अधिकारी उसको रोकते हैं। रेलवे के गेंग मेन से उनका रोज झगड़ा हो जाता है, उनके खिलाफ एफ०आ०ई०आर० होती है। बहुत ही गंभीर मसला है, आप इस मसले को गंभीरता से लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जो मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं आपकी मार्फत उनसे निवेदन करूंगा कि यह मसला 20 साल पहले जब भाखड़ा और राजस्थान कैनाल की नहरें आई थीं, रास्ते दूसरे काटे, सारा का सारा उस इलाके में चेन्ज हुआ उसके बाद से यह सारी की सारी बीमारी उस एरिया के किसानों को हो रही है और वहां के किसानों को बहुत भयंकर स्थिति से गुजरना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस परेशानी को हल नहीं किया तो बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है। अगर केन्द्र सरकार ने लिखा है आपको तो आपके पास एजेन्सीज हैं, आपके पास कृषि उपज मण्डी की एजेन्सी है, उनके पास पैसा है, कई कृषि उपज मण्डियां किसानों के हित के लिये अपना पैसा रोड्स पर लगाती हैं और कामों पर भी लगाती हैं, रेलवे लाइन के क्रांसिग, जो बने हुए नहीं हैं, के लिये आदमी की जरूरत नहीं है, जो बहुत बिजी रास्ते हैं उन पर तो आदमी की जरूरत होती है मगर जो गांवों और खेतों के रास्ते हैं उन रेलवे क्रांसिग पर किसी आदमी की जरूरत नहीं है, उन पर 8–10 हजार की मनी लगेगी, कुछ लोगों ने बनाये भी हैं, पैसे लगाये हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि हमारे पास एजेन्सी मौजूद है, कृषि उपज मण्डी के पास पैसा पड़ा है, जिन एरियाज में रेलवे क्रांसिग नहीं बने हैं, आप डायरेक्शन देकर कृषि उपज मण्डी जो रास्ते बनाती है, सड़कें बनाती है, रेलवे क्रांसिग बनाती है, उनको बनाने के लिये कहें ताकि किसान को खेती की पैदावार और अपने साधनों को मण्डी में लाने के लिये सुविधा हो और वहां के आवागमन को ठीक रखा जा सके। इन रेलवे क्रांसिग्स को बहुत ही महत्वपूर्ण मान कर, गंभीरता से लेकर उनकी तकलीफ को समझते हुए मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहूंगा कि इसका कुछ न कुछ समाधान निकालिये किसी तरह से।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री किरोड़ी लाल।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महुआ क्षेत्र में

(42)

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

गुण्डागर्दी, डकैती और अपहरण की घटनायें दिनोंदिन बढ़ती जा रही हैं महुआ कस्बे में शारदा नामक एक महिला का 13-3-85 को अपहरण किया गया। उस महिला को इस बहाने ले जाया गया कि तुम्हारे पति का जयपुर में एक्सीडेन्ट हो गया है। जो व्यक्ति उसको ले गया, उसकी जानकारी पुलिस को दी गई लेकिन, अध्यक्ष, महोदय, 13-3-85 से लेकर आज तक उस पर कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की। उसके माता-पिता, जो बहुत वृद्ध अवस्था में है, भयंकर रूप से चिन्तातुर हैं। उसके भाई-बहिन उसको ढूंढ रहे हैं। जहां ढूंढते हैं, जिन स्थानों को बताते हैं पुलिस को, पुलिस का एस०एच०ओ० और डी वाई एस०पी० अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। श्रीमन् से मेरा निवेदन है कि उस औरत का अपहरण किया गया है, उसमें पुलिस संजीदगी के साथ और सक्रिय होकर काम करे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में इटावा कृषि उपज मण्डी समिति है। कोटा जिले की कोटा और बारां के बाद बड़ी मण्डी में उसकी गिनती है। वहां पर सैकड़ों किसान अपनी फसल को बेचने के लिये आते हैं लेकिन कृषि उपज मण्डी समिति, इटावा द्वारा किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये उनकी सुविधाओं का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है। किसानों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता है। किसानों के पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है। यहां तक कि किसानों को वहां बैठने के लिए छाया भी नहीं है। पूरा का पूरा जो मण्डी क्षेत्र है उसमें कहीं पर भी पेड़ लगे हुए नहीं हैं, न ही कहीं पर बैठने की जगह है। सारे दिन किसान और उसके पशु वहां तपते रहते हैं, प्यासे रहते हैं। कृषि उपज मण्डी में लाखों की इन्कम हर वर्ष होती है लेकिन कृषि उपज मण्डी उस पैसे को किसानों की सुविधाओं पर खर्च करने की बजाय केवल अपनी बाउण्ड्री वाल वहां पर बनवा रही है। बड़े बड़े दफ्तर तैयार करने पर खर्चा कर रही है। किसानों की सुविधाओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहां पर किसानों और पशुओं को पेयजल उपलब्ध हो उसके लिए ट्यूबवैल खुदवाया था लेकिन वह ट्यूबवैल भी अभी तक अधूरा होने की वजह से उसमें पानी पर्याप्त आता नहीं है। पानी के अभाव में पशुओं के लिए जो खेली है वह भरती नहीं हैं। इस वजह से किसान और पशु पानी के लिए तड़फते रहते हैं और छाया नहीं होने की वजह से धूप में तड़फते रहते हैं। आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो लाखों रुपयों की इन्कम किसानों से उस कृषि उपज मण्डी को हो रही है उसमें से किसानों पर खर्च नहीं किया जाकर केवल वहां जो कर्मचारी हैं उनके रेजीडेंस पर खर्च किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पैसे को वहां पर व्यापारियों की सुविधा के लिए खर्च किया जा रहा है। वहां पर अनाप शनाप दुकानें बनाई जा रही है। करीब पचासों दुकानें खाली पड़ी हैं। उनका कोई उपयोग नहीं है। अब वहां पर बैंक की

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

बिल्डिंग बन रही है। बैंक की बिल्डिंग कृषि उपज मण्डी बना रही है, व्यापारियों के लिए वहां पर दुकानें बनाई जा रही हैं, किराये पर उठाने के लिए दुकानें बनाई जा रही हैं लेकिन किसानों की सुविधा की ग्रोर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस बात को लेकर वहां का किसान बड़ा ग्रान्दोलित है।

यही नहीं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, वहां पर जो तुलाई की व्यवस्था है वह भी ठीक नहीं है। जो गेहूं की चलनी है वह तो लगाई जाती है सरसों वगैरह की तुलाई में ग्रौर जो बड़ी चलनियां हैं वह उसमें लगाई जाती हैं। इससे किसानों का बहुत सारा माल चलनी के नीचे निकल जाता है। उस मण्डी में इतने फुटकर गेहूं खरीदने वाले, माल खरीदने वाले लोग हैं कि जो ग्रासपास की मण्डी में कहीं पर भी नहीं हैं। इसलिए वहां पर किसानों की तुलाई में भारी लूट हो रही है। ग्रापके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस कृषि उपज मण्डी, जो उस इलाके की मानी हुई मण्डी है, में किसानों की लुटाई हो रही है ग्रौर किसानों की सुविधाग्रों की ग्रोर ध्यान नहीं दिया रहा है। उस पैसे को जो ग्रपनी सुख सुविधाग्रों पर, वहां के सेक्रेटीज हैं, वहां के कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं उन पर खर्च किया जा रहा है उसकी बजाय किसानों की सुविधाग्रों पर खर्च किया जावे। पीने के पानी, जिसकी सख्त ग्रावश्यकता है, ग्रौर छाया पर यह सारा पैसा खर्च करें। दूसरी जगह खर्च कर रहे हैं उसको रोक कर किसानों के लिए छाया ग्रौर पीने के पानी उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जावे, इतना ही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल): हां, संक्षेप में।

मान्यवर जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों की इस समय बड़ी दयनीय दशा है। जयपुर नगर में इस समय जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 142 सर्वेधारी कच्ची बस्तियां हैं जिनमें 42816 परिवार निवास करते हैं। नगर परिषद् क्षेत्र में सात हजार परिवार हैं। टोटल मिलाकर जो प्राइवेट बस्तियां हैं जिनका ग्रभी तक सर्वे नहीं हुग्रा ग्रौर जिनकी जे. डी. ए. को या नगर परिषद् को जानकारी नहीं है 225 कच्ची ग्रौर गन्दी बस्तियां जयपुर नगर में हैं। राज्य सरकार बार बार उनके सुधार के बारे में घोषणा करती है। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि इनमें ढाई लाख व्यक्ति निवास करते हैं। यह बड़ा मानवीयता का प्रश्न है। जे. डी. ए. उनको बसाने में ग्रसफल है, नगर परिषद् उनको बसाने में ग्रसफल है। जे. डी. ए. ने मुरलीपुरा ग्रौर विद्याधर नगर नाम की योजना लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर बनाई। वहां भी लोगों को यह कहा गया था कि तुमको 7800) रुपये में एक बहुत बड़ा ग्रच्छा मकान मिलेगा जिसमें एक कमरा होगा, एक बरामदा होगा, एक मकान बनाने की जमीन होगी, शौचालय होगा ग्रौर स्नान गृह होगा। वह सपना

(५५)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लोगों को दिखाया गया। वह सब्जबाग जो दिखाया गया, मुरलीपुरा विद्याधर नगर का, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं उधर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं क्योंकि आप बड़े दयालु व्यक्ति हैं, उनको 7800) रुपये में खींच कर वहां ले गये। मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या? वहां पर कुल एक कमरा है, उस एक कमरे में न तो टांड है और न उसमें खिड़की है। स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें एक कील भी गाड़े किसी माननीय नेता का चित्र लगाने के लिए तो वह तो गाड़ेगा उधर कील, पीछे से आदमी का खोपड़ा फोड़ेगा क्योंकि वह कील गाड़ते ही पड़ौस वाले मकान में खिड़की निकल जाती है। ऐसे मिट्टी के बने हुए हैं, मेरा मतलब मकान से है। पट्टियां वहां करौली की हैं, वह भी टूट जाती हैं। अब सरकार ने उसकी कीमत बढ़ा दी तब 19) रुपया माहवार उसकी किश्त की थी सब्ज बाग दिखाकर, आज उसकी किश्त 66) रु. महीना कर दी है। आज लोगों में भयंकर असंतोष है। लोग कहते हैं कि किश्त हम देंगे नहीं। 7800) रुपये में सरकार हमको लाई थी, 17800) रुपये कर दिये। और ऐसे निकम्मे मकान हैं, आप आश्चर्य करेंगे, गुसलखाना और रसोई एक जगह हैं। दुनियां भर में गुसलखाना और शौचालय एक जगह होते हैं पर यह जे. डी. ए. की योजना है जिसमें कि स्नानघर और रसोई एक में है। कोई आदमी नहाए तो साबुन का पानी तवे पर पड़ेगा। गटर के बम्बे सारे टूट गए। मैं समझता हूं कि न वहां कब्रिस्तान है, न वहां श्मशान है, न मंदिर है, न मस्जिद है, जयपुर से 12 किलोमीटर दूर है, न अस्पताल की व्यवस्था है। अस्पताल भी अगर कोई व्यक्ति आयेगा तो वह मुरलीपुरा, विद्याधर नगर 14 किलोमीटर दूर से आयेगा। दुनियां मुर्दे को ढो करके इधर चान्दपोल श्मशान लायेगी। जब कि दुनियां यों ले जाती है राम नाम सत्त करती हुई पश्चिम की ओर, वे लाते हैं उल्टे पूर्व की ओर। मेरा निवेदन है कि नागरिक सुविधायें हैं नहीं। इसलिए राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। राज्य सरकार उनको बेदखली के नोटिस दे रही है, उनको बेदखल कर रही है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा मानवीयता का प्रश्न है। उन लोगों के साथ धोखा हुआ है। बाढ़ में जो कहा गया था कि एक सौ रुपया, तीन सौ रुपये हम आपको देंगे अनुदान का....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उनके मकान टूटे थे, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वह भी नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपका कुल एक मिनट लूंगा आप मुझे बीच में न टोकें तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। 1981 में जो सर्वे कराया गया था, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि उन लोगों, जिनके उस समय ताले बन्द थे और जो लोग उस समय थे नहीं, का इस 1981 के सर्वे में नाम आया नहीं। तो राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए कि जो व्यक्ति उस समय वहां

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं थे, जिनके ताले बन्द थे 1981 में, उनके पास सब प्रकार के सबूत भी हैं, उनके बारे में राज्य सरकार क्या करेगी ? उनको बेदखल तो हम करने नहीं देंगे । आखिरकार उनके पास सर्वे नम्बर हैं और उन लोगों के वहां पर मकान हैं । इसी प्रकार से 1971 के सर्वे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बस्तियां रह गईं । जो बस्तियां छूट गईं उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है, राज्य सरकार स्पष्ट करे । मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में कुछ कच्ची बस्तियां हैं, न तो पंचायत समिति उनका काम हाथ में ले रही है, न नगर परिषद् उनका काम हाथ में ले रही है । जे. डी. ए. कहता है कि हमारा एरिया तो है, पर हम यहां पर विकास कार्य नहीं करेंगे । इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए ?

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, हो यह रहा है कि जनता पार्टी के राज में 110 वर्ग गज का भूखण्ड तीन रुपये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : पाइन्ट आफ आर्डर । एक ही माननीय मंत्री हैं और वे भी बातों में व्यस्त हैं, साहब । इतनी इम्पार्टेंट बात कह रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदया बैठी हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे इतने व्यस्त हैं बातों में ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया बैठी हैं, माननीय सदस्य ।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) : आप बातों में लगे रहे मान क्यों नहीं लेते । अगर कुछ भी नोट किया हो तो बता दो ? क्या कहा बताओ ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (पर्यटन मंत्री) : काम हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के राज में 110 वर्ग गज का भूखण्ड दिया जाता था उसकी रेट तीन रुपया प्रति वर्ग गज ली जाती थी । आज स्थिति यह है कि पचास वर्ग गज का....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : भूखण्ड दिया जायगा, जैसे आदमी की मोटाई कम हो गई हो, और पांच रुपये से पचास रुपया प्रति वर्ग गज लिया जायेगा । कहां तीन रुपये में 110 वर्ग गज, कहां पचास वर्ग गज और कहां पांच से पचास रुपया । स्थिति यह हो गई, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, 44) रुपया प्रति वर्ग गज रिजर्व प्राइस कच्ची बस्ती में कर दी गई । आपको सुन कर आश्चर्य होगा, 44) रुपया प्रति वर्ग गज पर सरकार लीज मनी ले रही है । जनता पार्टी के राज में कहां पर नौ रुपया पचास वर्ग गज के भूखण्ड की लीज मनी एक वर्ष की थी वहां पर आज 99) रु० पचास वर्ग गज के भूखण्ड पर लिया जा रहा है । उस पर,

५६

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, चक्रवर्ती ब्याज लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय है। स्थिति यह है कि उन कच्ची बस्तियों के निवासियों को पानी और बिजली के कनेक्शन भी वहां नहीं दिए जा रहे हैं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अन्त में मेरा आपसे निवेदन है, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, कूंचा उपाड़ जो लोग बैठे हुए हैं, जो पुरानी लोकलिटीज में बैठे हुए हैं, न तो उनका 1971 में सर्वे किया गया, न 81 में सर्वे किया गया। उनको भी मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

अन्त में मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि जो लोग डवलपमेंट के आधार पर यानि योजना के अनुसार प्लाण्ड वे में बैठना चाहते हैं, राज्य सरकार मामूली रकम देती है उनके विकास की, उनको भी अच्छी रकम देनी चाहिए। हो यह रहा है कि राज्य सरकार धोखा दे रही है। मेरे किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र में शायद एक राष्ट्रपति मैदान है कोई केन्द्र का मंत्री लायेंगे, लोगों को अलाटमेंट लेटर दे देंगे, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा मतलब, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो भी आता है वह उनको अलाटमेंट लेटर को पट्टे के नाम पर देता है अब आप तो स्वयं जानते हैं, अलाटमेंट लेटर का मतलब नियमन करेंगे। अब कब नियमन होगा भगवान जाने। लोगों की, गरीबों की रकम ले ली साइट प्लान की, जनता पार्टी के राज में, मान्यवर अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव की सीमा है। माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा अन्त में निवेदन करना है कि आखिरकार पट्टे में और नियमन में बड़ा अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सीमा में रहें। माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अंतिम शब्द कह रहा हूं। यह बड़ा एक मानवीयता का प्रश्न है। कच्ची बस्ती और गन्दी बस्ती, सुधार के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री बार बार जो घोषणा करते हैं उससे जयपुर की कच्ची बस्तियों के लोग दुखी हैं। उनको बेदखल नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुरलीपुरा और विद्याधर नगर में 19) रुपया महीना लिया जावे, 66) रुपया महीना नहीं लिया जावे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे टीबी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ग्राम भैरूसरी के प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत किया गया लेकिन किया क्या,

(श्री डूंगरराम पंवार)

बजाय लड़कों के लड़कियों का स्कूल कर दिया गया। अब एतराज सीधा है कि न तो यहां अध्यापिकाएं जाती हैं और न अध्यापक जायें क्यों जब वह लड़कियों का स्कूल है। गांव वालों ने कहा था कि इस प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है, मिडिल स्कूल कर दिया गया है लेकिन किया क्या कि लड़कियों का कर दिया। अब एक साल से वह बन्द है। गांव वाले बराबर निवेदन करते आ रहे हैं कि यहां इस स्कूल को फिर से दुरुस्त किया जाय, इसको लड़कों का स्कूल कर दिया जाय।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आदमियों का कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : न वह लड़कों का ही मान रहे हैं, लड़कियों की तादाद नहीं है। उल्टा कर दिया, बजाय लड़कों के लड़कियों का कर दिया। वह एक साल से बन्द है। न तो गांव में अध्यापिकाएं जाती हैं और अध्यापक जाये क्यों जब वह लड़कियों का है। इसलिए दोनों तरफ से ही गया न होने के बराबर है। इस प्रकार सरकार की इस तरह की जो यह गलती है यह सुधारी नहीं गई है। बच्चे घरों में बैठे हैं, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और सम्बन्धित अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बार बार लिखने पर भी कोई उत्तर नहीं आया है, एक वर्ष हो गया है।

इसी प्रकार ग्राम कुम्हारों की ढाणी तहसील नोहर के अन्दर भी स्कूल क्रमोन्नत किया गया लेकिन अभी तक स्टाफ नहीं भेजा है। नाम मात्र का कागजों में क्रमोन्नत है। उसमें भी स्टाफ नहीं है। इस क्षेत्र के कितने ही ऐसे स्कूल हैं, चाहे रिपोर्ट मंगा ली जाय कहीं पर स्टाफ पूरा नहीं है। बच्चों की तादाद ज्यादा है और मास्टर जाते नहीं हैं। जिसका ट्रान्सफर किया जाता है गांवों में, तो फौरन स्वास्थ्य खराब हो जाता है मास्टर जी का। छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं और सरकार को अंगूठा दिखा देते हैं। सरकार बैठी देखती है। कोई भी मास्टर गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री डूंगरराम पंवार : इस प्रकार यह जो गलती है, इसको दुरुस्त किया जाय, बजाय लड़कियों के लड़कों का किया जाय। वहां पर जल्दी स्टाफ भेजा जाय। कुम्हारों की ढाणी में मास्टर नहीं है, वहां पर स्टाफ भेजा जाय। दूसरे स्कूल में जहां स्टाफ की कमी है उसकी पूर्ति की जाय। यह जनरल समस्या हर स्कूल में है। इतना ही मैंने निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में स्थित पहाड़ी झालाना में जो गत 25-30 वर्ष से पत्थर की खानें थीं, उन पर लगभग 0 हजार मजदूर काम करते थे। इस वर्ष जब हर वर्ष की भांति दिसम्बर में आवेदन पत्र जमा कराने के लिए खानों पर काम करने वाले गये तो खनिज अभियन्ता, जयपुर ने उनको यह कहकर आवेदन-पत्र लेने से मना कर दिया कि राज्य सरकार ने

(श्री कालीचरण सराफ)

इन खानों को बन्द कर दिया है और अब इसके लिए आवेदन पत्र नहीं लिये जायेंगे। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग 20 हजार मजदूर इन खानों पर काम करते हैं उनमें भी विशेषकर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग काम करते हैं। उनके सामने इन खानों के बन्द होने से रोजगार का सवाल पैदा हो गया है, अपना और अपने बच्चों का और परिवार का भरण-पोषण करने का सवाल पैदा हो गया है। मान्यवर, इन खानों के बन्द होने से....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : इन खानों पर जो 500 ट्रक चलते थे, जो पत्थरों की सप्लाई करते थे, पत्थरों को ढोते थे वह भी बन्द हो गये हैं। जो हैवी स्टोन क्रेशर मशीनें वहां पर लगी हुई थीं वह भी बन्द हो गई हैं। इन सबके कारण 20 हजार मजदूर और 15 हजार लोग, जो अन्य कामों में लगे हुए थे, प्रभावित हुए है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि इतनी अधिक संख्या में जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार मिले, वह बेरोजगार नहीं हो, इसके लिए सरकार ने इन खानों को जो बन्द करने का निर्णय लिया है उस पर पुनर्विचार करे और इन खानों को पुनः चालू करे। एक तरफ सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े बड़े वायदे कर रही है कि हम रोजगार प्रदान करेंगे, जो बेरोजगार होगा उसको रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति हैं उनको बेरोजगार किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः यह अनुरोध करना चाहूंगा सरकार से कि इन खानों को पुनः चालू किया जाय और जो व्यक्ति वहां रोजगार में लिप्त हैं वह बेरोजगार नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य में सरकार ने खुद मंजूर किया है कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार ने कुछ कार्यवाही की है। इसका मतलब यह है कि यह मामला अवैध कब्जे का था। सिर्फ अवैध कब्जे यहीं हो रहे हों या उसकी जानकारी इस पर्टीकूलर संदर्भ में भी सरकार को अभी मिली हो, ऐसा नहीं है। यह मामला, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, प्रदूषण के सम्बन्ध का था आपका।

श्रीमती विद्या पाठक : नहीं, इस पर आपने रिजेक्ट भी किया है, सरकार ने जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : दोनों पर बोल लीजिए।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में खसरा नम्बर 1132, 1135, 1444 एक धार्मिक स्थल रहा। पंडितजी की बगीची के नाम से जाना जाता है। इस पर अवैध कब्जा रहा। इसका रिकार्ड 72 के पंचायत के प्रस्ताव से भी

(श्रीमती विद्या पाठक)

प्राप्त होता है। उस प्रस्ताव के अनुसार पंचायत ने यह तय किया था कि यदि जमीन की आवश्यकता हो, पुलिस की आवश्यकता हो तो भी अवैध कब्जा खाली करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब पंचायत के बाद नगरपालिका बन गई तब भी असिस्टेन्ट कलेक्टर ने स्वयं और रेवेन्यू बोर्ड तक ने इसके खिलाफ स्टे दिया था कि जो अवैध कब्जा है उस कब्जे को इवैक्यूएट करवाया जाय, खाली करवाया जाय और बगीची और मन्दिर के नाम पर जो यह जमीन लगी हुई है इसको वापस मंदिर के ही नाम लगाया जाय। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड और कोर्टस् की अवहेलना के बावजूद लोअर कोर्ट के आदेश के आधार पर अवैध कब्जा नियमित हुआ है। एक हीरालाल सेन वकील हैं, एक कल्याण सहाय हैं, इनका नाम इस पर है। बार बार खसरा नम्बर बदलता रहा और बार बार उनके नाम बदलते रहे। जमीन के कब्जे और जमीन के अलाटमेन्ट और रजिस्ट्री तक बदलते रहे। जिन्होंने 72 में पंचायत में रहते हुए दस्तखत करके दिया था वहां के कांग्रेस के नेता श्री सलीमुद्दीन कागजी हैं ? पता नही कैसे यही जमीन सलीमुद्दीन कागजी भाई रफीक, उनके 3 बच्चे नसरुद्दीन, अलीमुद्दीन, इस्लामुद्दीन के नाम पर रजस्ट्री नम्बर 34 डेटेड 29·10·79 को 30 हजार रुपये में बेच दी गई। एक तरफ वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आब्जेक्शन किया प्रस्ताव में, पंचायत के प्रस्ताव में इस बात के दस्तखत किये कि यह अवैध कब्जा है, इसको खाली करवा लिया जाना चाहिए, 79 में उन्हीं महाशय ने क्योंकि यह भूमि मंहगी हो गई, यह भूमि मंदिर के अन्तर्गत आने वाली भूमि है, अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली। वैसे तो इस शहर में बहुत लोगों ने कृषि भूमि पर मकान बनवा रखे हैं उनका रजिस्ट्रेशन, रेगूलेराइजेशन आज तक जे० डी०ए० ने नहीं किया। इस सलीमुद्दीन कागजी ने 4 प्लाट अपने नाम पर रख कर बाकी 17 प्लाट काट कर केवल एक परिवार कागजी परिवार को बेच दिये। इन्होने अपोलो सोसायटी को बेचा। यह है बीचुअल हैं इस बात के कि मंदिरों की जमीन ली जाय और उसको सोसायटी को बेचा जाय। ऐसे कम से कम 13 केस मैं इस सदन में रख चुकी हूं। मंदिरों की जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कैसे किया और उसको किस तरह सोसायटीज को बेच दिया ? सरकार के कान पर जरा भी जूं नहीं रेंगी। तो यह 4 प्लाट अपने नाम पर रख कर बाकी 17 प्लाट अपोलो सोसायटी के नाम से बिकवा दिये। अपोलो सोसाइटी को जो कागजात गये 17 प्लाट जे.डी.ए. के....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो बिल्डिंग गिर जाने के बारे में था।

श्रीमती विद्या पाठक : उसी के बारे में आ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अभी तक तो आप उस पर आई नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं उसी पर....

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में।

श्रीमती विद्या पाठक : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 17 प्लाट हैं उनका रेगूलाइजेशन भी जे. डी. ए. ने कर दिया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

अब यह जो चार प्लाट इन्होंने रोक दिये थे उनको फरवरी 85 में बैक डेट में अपोलो सोसायटी के एडवोकेट के नाम पर 70 हजार में बिकवा दिये जिस पर यह स्टे दर्ज हुआ। यह 70 हजार में प्लाट खरीदा, उस पर काम शुरू किया, उसकी इतनी गहरी नींव खोदी, नतीजा यह हुआ कि परकोटा गिर गया, उसके नीचे दो आदमी मर गये, पास में बिल्डिंग थी वह ढ़ह गई, उसमें जो सोने चांदी का बिल्डिंग ऑनर का सामान था, जो कुछ उसकी प्रोपर्टी थी वह कहां खो गई बाकी बारिश में भीग गया क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ही बारिश आई। यह जो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिला प्रशासन ने बहुत तत्परता से काम किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। वह तुरन्त वहां पहुंच गये, रिलीफ दी, मुआवजा भी दे दिया। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी मगर इसके अलावा भी कुछ विचारणीय मुद्दे है जिनका प्रशासन से भी संबंध है, दीगर व्यवस्थाओं से भी संबंध है। पंचायत के समय में जिस पर रोक लगाई गई, पंचायत के समय में आब्जेक्शन आते रहे, पंचायत ने किया, नगरपालिका ने किया, जे० डी० ए० ने किया, इस पर आब्जेक्शन रेवेन्यू विभाग ने फिर यह स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे 72 की जानकारी के बाद 85 तब इर्रेगूलर कब्जे कैसे होते रहे ? विचारणीय मुद्दा एक तो यह है और इसमें किसी की सांठ-गांठ है, यह स्पष्ट ही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती विद्या पाठक : 19 फरवरी को जो इस पर नगरपालिका ने स्टे लिया, उन्होंने जे. डी. ए. को लिखा, तहसीलदार ने उस पर स्टे लगाया उसके बावजूद भी काम कैसे चलता रहा ? अब इन्होंने मुआवजा तो इन लोगों को दे दिया जिसका मकान टूटा मगर परकोटा एक पुरातात्विक महत्व की चीज है उसका मुआवजा, कम्पेन्सेशन कौन देगा और कौन से विभाग में जमा करवाया जायेगा, यह भी विचारणीय प्रश्न है। जिस को प्रिजर्व करते हैं उसको कब्जों के माध्यम से तोड़ दिया जाता है, डेस्ट्राय किया जाता है तो यह स्वयं में एक अपराध है। जिसका मकान गिर गया, जिसका सामान खो गया उसका मुआवजा कौन देगा, यह भी विचारणीय प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इन्होंने एक ठेकेदार पर केस चला दिया, वह तो छूट भी गया क्योंकि वहां जो ठेकेदार काम करता था, अपराध उसका इतना नहीं है जितना इन लोगों ने अवैध काम करके किया है। वह तो एक कर्मचारी की तरह है उसके माध्यम से जो चाहे काम करवाये। इन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मंदिर के नीचे की जमीन मुसलमानों की सोसायटी को कैसे दी गई ? यह हम सभी की भावना का प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तो यह कुछ मुद्दे हैं जो सदन के सामने उठाना चाहती थी और मैं चाहती हूं कि सरकार इस पर भी जल्दी कार्यवाही करे। जितने लोगों को लॉस हुआ है उनको उचित एजेंसी के माध्यम से मेक-अप करवाइये।

दूसरा मुद्दा, अध्यक्ष महोदय, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर में एक रावल इंडस्ट्री कास्ट आयरन का काम करती हैं। उसमें कुछ भट्टी वगैरह भी चलती हैं उसकी चिमनी से धुआं निकलता रहता है। उसके

(श्रीमती विद्या पाठक)

ग्रासपास जितने रेजीडेंशियल प्लॉट्स हैं, इस इंडस्ट्री की चिमनी से जो धुग्रां निकलता है उससे उस ग्रासपास रहने वाले लोगों को बहुत भारी कष्ट हो रहा है। लोगों को नौसिया होता है, उल्टियां होती हैं, तबियत खराब होती है। यह निरन्तर रोज शाम को 10-11 बजे से 2-3 घण्टे जिस तरह की जहरीली गैस निकालती है अगर कूलर लगाकर भी लोग सोते हैं तो यह जो स्मेल नोसिएटिंग इफेक्ट है वह निरन्तर बना रहता है। विदेशी पत्रकार भी इस तरफ से गुजरे, पंजाब केसरी के संपादक गुजरे, ग्रन्य कुछ पत्रकार गुजरे। उन लोगों ने भी इस तरह का लिखकर सरकार ग्रौर विभाग को दिया। स्वयं मैंने इसको परश्यू किया है, पर्यावरण विभाग में, नगर पालिका में। जो पर्यावरण सैक्शन है, मुझे खेद है, उनका कहना यही है कि हमारे पास उसके लिए कानूनी तौर पर कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, तो लोग कैसे रहेंगे? फिर बीमारियां फैलेंगी। जो मध्य प्रदेश में काण्ड हुग्रा, यह छोटे पैमाने पर है मगर इससे इफेक्ट उतना ही ज्यादा खराब है क्योंकि इसकी गैस बहुत जहरीली है। मैं सरकार को यह निवेदन करूंगी, मैं यह तो नहीं कहती कि इंडस्ट्री बन्द हो जानी चाहिए परन्तु जो स्पेसिफिकेशन उसकी चिमनी ऊपर, ऊंचा उठाने का है या जो स्पेसिफिकेशन इस गैस को ड्रॉप करने का है उसको तुरन्त किया जाना ग्रावश्यक है। सदन के माध्यम से, ग्रापके माध्यम से, यही मेरा निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गणेश लाल बैरागी।

एक माननीय सदस्य : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मुझे भी ग्रवसर दिया जाना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है, बैठिये।

श्री गणेश लाल बैरागी (हिण्डोली) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वृहस्पतिवार को स्थगन प्रस्ताव पेश किया था सदन के सामने कि बूंदी जिले में 20 लाख रुपये पर्यटन विभाग की तरफ से खर्च करने के लिए पिछली सरकार ने स्वीकृत किये थे, इस स्थगन प्रस्ताव को ग्रापने सरकार के सामने भेजा इसके लिए मैं ग्रापका ग्राभारी हूं। ग्राज जो स्थगन प्रस्ताव मैंने ग्रापके सामने पेश किया कि बूंदी का जो ऐतिहासिक किला है उस किले को वहां का राजपरिवार बेचने जा रहा है। ग्रध्यक्ष महोदय, बूंदी का किला कोई किसी की व्यक्तिगत धरोहर नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें कोर्ट से स्टे मिला है, यह सही है ना?

श्री गणेशलाल बैरागी : मैं निवेदन कर रहा हूं, कोर्ट से स्टे मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे ऐसा मालूम हुग्रा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोर्ट से स्टे नहीं मिला है, एप्लाई किया है।

श्री ग्रध्यक्ष : यही मैंने पूछा, ग्रगर जानकारी है तो।

श्री गणेश लाल बैरागी : ग्रगर स्टे मिला हुग्रा है तो मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मिला है या नहीं मिला है ? अगर मिला है तो सबजुडिस मैटर में मुझे आपको बोलने की इजाजत वापस लेनी पड़ेगी ।

श्री गणेश लाल बैरागी : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी हो तो बता दें ।

श्री गणेश लाल बैरागी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ पर्यटन विभाग 20 लाख रुपये बूंदी जिले के लिए खर्च करेगा उसके लिए आपने सरकार से जानकारी चाही है और दूसरी तरफ ऐतिहासिक किले, जो पर्यटन विभाग की दृष्टि से भी ऐतिहासिक हो सकता है और इतिहास की दृष्टि से भी ऐतिहासिक किला है, वहां का राज परिवार बेचना चाहता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल बूंदी जिले का ही सवाल नहीं है, पूरी हाड़ौती का ही सवाल नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे देश का सवाल इसलिए हो गया है कि इस किले का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। आप मेरे से अधिक जानकारी रखते हैं, आप विद्वान हैं, अनुभवी भी हैं, राजस्थान में ही इस किले का महत्व नहीं है, हिन्दुस्तान में भी इस किले का महत्व है । आज यदि इस किले को बेचा जाता है तो उचित नहीं है । अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मैं बूंदी गया था शनिवार, इतवार को, वहां इस किले को बेचने की चर्चा बहुत जोरों पर है । यहां पर भी चर्चा है कि इस किले को बेच दिया गया है और दिल्ली में कहीं मैट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट के सामने इसके विक्रय पत्र आदि रजिस्टर हो गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस किले को बेचा जाता है तो यह कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह राजकीय धरोहर है । इस किले को चाहे राज परिवार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बेचना आवश्यक भी हो तो इसको सरकार एक्वायर करे और इसको पर्यटन का स्थान बनाकर इसका पूरा पूरा विकास राज्य सरकार करे । इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार ले । अध्यक्ष महोदय, मेरी इतनी जानकारी है कि कोई व्यक्तिगत फर्म इसे खरीदना चाहती है । वह कोई विशेष रियायत देने के लिए नहीं खरीद रही है बल्कि किसी न किसी कारण के लिए खरीदना चाहती है । वह कारण यह हो सकता है कि इस किले में बहुत ही कीमती चित्रकारी है उसको बरबाद करने के लिए उसको बेचें । यह भी चर्चा है, जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें से खजाना निकालने के लिए भी इसको कोई फर्म खरीदना चाहती है । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना निवेदन है कि आप राज्य सरकार को इसके लिए निर्देश दें कि इस किले को व्यक्तिगत सम्पत्ति के नाते खरीदने का अधिकार नहीं दें । यदि खरीदा जाय और यह बेचना आवश्यक हो तो राज्य सरकार इसको एक्वायर करे और इसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं पर ले ताकि ठीक प्रकार से इसकी व्यवस्था की जा सके । इसको पर्यटन का केन्द्र बनायें ताकि इसका लाभ बूंदी जिला ही नहीं, हाड़ौती ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, सारा देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोग ले सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन। संक्षेप में, दो मिनट में आप कह दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेरे ध्यान में नहीं आया। कृपया बैठें।

जो मेरे ध्यान में है उसके लिए मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : मेरा रोशनी की व्यवस्था के बारे में है।

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री हरीश शर्मा : आपने वायदा किया था।

श्री अध्यक्ष : क्या वायदा किया था ? कृपया बैठ जायं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात मानकर बैठ गया मैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय दूसरा चल रहा है, कृपया बैठ जायं।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी के ऐतिहासिक किला और बूंदी के फूल सागर को बहुत कम कीमत में बूंदी के भूतपूर्व महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बेचान किया जा रहा है। बूंदी का किला ऐतिहासिक किला है और इतिहास में इसका अलग से महत्व है। इस किले को बेचने से और फूल सागर पैलेस को बेचने से जन-साधारण में काफी रोष है। जो फूल सागर पैलेस है उसको बेचा जा रहा। दो लाख रुपये में तारागढ़ किले का सौदा हुआ है, 20 लाख रुपये में फूल सागर पैलेस का सौदा हुआ है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि यदि तारागढ़ का किला और फूल सागर पैलेस भूतपूर्व महाराजा की सम्पत्ति हो तो राजस्थान सरकार को अवाप्त कर लेनी चाहिए। जो दो लाख रुपये में तारागढ़ का किला बेचा जा रहा है उसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही लेकिन काफी कीमती वह किला है। इसी प्रकार जो फूल सागर पैलेस है उसका 20 लाख रुपये में सौदा किया जा रहा है। अगर राजस्थान सरकार उसको खरीद भी ले तो उसमें कई इमारतें बनी हुई हैं, बूंदी जिले के मुख्य सरकारी कार्यालय उसमें चल सकते हैं। सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी बूंदी में पर्यटन विकास की सम्भावना है, उसको देखते हुए इन दोनों स्थलों को राजस्थान सरकार को तत्काल अवाप्त कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में इस वक्त कुछ गांवों में महामारी फैली हुई है। इस जिले की पंचायत समिति बायतू के गांव कूपलिया में बच्चों में डिप्थीरिया की बीमारी फैल रही है। इससे कई बच्चों की मौतें हो गई हैं। कुछ लोग बच्चों को लेकर बालोतरा हॉस्पिटल आये तब इन्हें

(श्री गंगाराम चौधरी)

पता लगा कि यह तो एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी खतरनाक है, डिप्थीरिया इसका नाम है, डाक्टर ने बताया है कि इसका उपचार बड़ी मुश्किल से होता है। यह जो गांव है, नजदीक के क्षेत्र पर तो यह हॉस्पिटल तीस मील एक तरफ है और 40 मील दूसरी तरफ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, बायतू है इससे यह गांव 40 मील दूर पड़ता है और बालोतरा से यह 30 मील दूर पड़ता है। लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि यह किस तरह की बीमारी है। बच्चों के गले में दर्द होता है, उल्टी होती है, तेज बुखार होता है और उसके बाद में जल्दी से मृत्यु हो जाती है। इस इलाके में डी. पी. टी. वगैरह इस तरह की दवाइयों की कोई सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं है। डी. पी. टी. के इन्जेक्शन तो फ्रिज में ही रखे जा सकते हैं और कई जगह तो उपलब्ध भी नहीं होते हैं इसलिए प्रिवेन्टिव मेजर्स इसमें अभी कोई लिया ही नहीं जा सकता। इस वक्त बेचैनी लोगों में है, चिन्ता है, भय है। इसलिए मैं सरकार से यह चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सीनियर डाक्टर्स की टीम उधर भेजें। वहां जाकर जो भी बच्चे इस वक्त पीड़ित हैं उनका वह इलाज करें, प्रिवेन्टिव मेजर्स लें। कंटेनर्स में वे डी. पी. टी. के इन्जेक्शन ले जाये। उस इलाके के नजदीक जो भी और इलाके हैं, उनमें 5 साल के नीचे के बच्चों के डी. पी. टी के इन्जेक्शन लगायें तभी जाकर उन लोगों में कुछ वातावरण आराम का हो सकेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता था, स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि वे जल्दी से जल्दी इसमें कुछ कार्यवाही करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका टर्न आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वैक्सीन जो डिप्थीरिया के अवेलेबल नहीं थे उसके कारण से मौतें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। श्री मोहन प्रकाश।

श्री मोहन प्रकाश : (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में। आप इस विषय को कई बार कई तरह से कह चुके हैं।

श्री मोहन प्रकाश : फिर भी कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। आप इस विषय को कई तरह से कई बार इस सदन में कह चुके हैं।

श्री मोहन प्रकाश : लेकिन फिर भी तो कुछ नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : धौलपुर जिले में नारी खरीद फरोख्त का जो व्यापार है उसके सिलसिले में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव को रखने की जरूरत क्यों पड़ी है, उस जरूरत के बारे में मैं आपसे निवेदन

(श्री मोहन प्रकाश)

करना चाहता हूं। शुक्रवार को अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जब मैंने यहां चर्चा की और कल जवाब मुख्य मंत्री जी दे रहे थे उस समय भी चर्चा की तो उसका कोई जवाब नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में यह 25 मार्च का जनसत्ता, 25 मार्च की राजस्थान पत्रिका और 25 तारीख का ही दैनिक नवज्योति है, आप इनको उठाकर देखने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश है कि इस सवाल का मैं कई बार उठा चुका हूं। आज इस सदन में नहीं पूरे देश का, पूरे हिन्दुस्तान का नौजवान इस सवाल की ओर इशारा करते हुए राजस्थान के लोगों की तरफ इशारा कर रहा है। इससे बड़े शर्म की बात किसी भी सभ्य समाज के लिए नहीं हो सकती कि वह नारी की खरीद फरोख्त के लिए मोहर लगाये बैठा रहा। कल जब मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से सवाल किया कि नारी बिक्री पर आपका क्या कहना है, तो हमारे ही पक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सरकार नारी बिक्री कर लगाने जा रही है। इस तरह की फब्तियां कसी जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : मुझे स्थगन प्रस्ताव रखने की जो आवश्यकता पड़ी उसके बारे में बताना चाहता हूं। गोश्तफरोशों के चंगुल से तीन अबलायें मुक्त कराई गई। पुलिस ने पिछले दो सप्ताह के भीतर छापा मारकर जिन गोश्तफरोशों के चंगुल में फंसी इन महिलाओं का उद्धार किया है, इस सिलसिले में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जिन महिलाओं का उद्धार किया है उनमें मिथिलेश नामक महिला तीन बच्चों की मां है, पुलिस ने इन तीनों बच्चों को भी बरामद कर लिया। उन महिलाओं में उर्मिला उर्फ सुरजीत कौर की कहानी इससे भी दर्दनाक है जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अलीगढ़ निवासी एक बस कण्डक्टर की पत्नी उर्मिला को तीन महिने पूर्व उसकी दो कथित दोस्त नर्स मार्केटिंग के बहाने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ठीक है. आपने रेफरेंस कर दिया है, That's all, आगे बढ़ायें।

श्री मोहन प्रकाश : साहब आप....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो कार्यवाही होनी है ना।

श्री मोहन प्रकाश : कल एक बलात्कार पर इतना किस्सा हुआ, लगातार 24 दिन तक इस औरत के साथ बलात्कार हुआ है। 24 दिन में तीन बार बेची गई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो कार्यवाही की है पुलिस ने पकड़ने की। जारी रखें। आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : यह तो कहीं से अखबार उठा लाये हैं।

श्री मोहन प्रकाश : कहीं से नहीं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान न करें। बुरा क्यों लगे, इस पर तो कार्यवाही हुई है।

श्री मोहन प्रकाश : मैं जल्दी ही पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन प्रकाश : मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। जिन गोश्तफरोशों के हाथ बेच दिया, मीना और पाली दोनों सगी बहिनें हैं। उर्मिला ने संवाददाता को बताया कि सबसे पहले मुझे राजाखेड़ा क्षेत्र के मुरेना गांव में ले जाया गया उसके बाद जिस्म का सौदा शुरू हो गया। तीन महीने मीना को गांव में घुमाया गया। इस बीच एक भी औरत ऐसी नहीं थी जिसके साथ बलात्कार नहीं हुआ हो। कभी गांव की झोंपड़ियों में कभी जंगी के पेड़ों के नीचे उर्मिला की इज्जत लूटते रहे। उर्मिला की तीन बार बिक्री हुई। कभी दो हजार रुपये में, कभी 4 हजार रुपये में। अब उसे चौथी बार बेचने का सौदा हो ही रहा था तो छापा मार कर उसको बचाया। मैं आपसे और बाकी के बारे में जिक्र नहीं करता जो इसी सन्दर्भ में दिया है। मेरा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि 15–20 दिनों में चुनाव के बाद से जो तेजी आई है, पिछले 5 सालों में मैं बता देना चाहता हूं, कम से कम दस हजार औरतों की खरीद-फरोख्त अकेले धौलपुर जिले में हुई है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन प्रकाश : आपने वहां का गृह मंत्री भी बनाया....

(व्यवधान)

सुनिये, गृह मंत्री के बनाये जाने के....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यही तो चाहते हैं कि जल्दी से काम पूरा हो, इसमें तेजी आये। धड़पकड़ जल्दी हो।

श्री मोहन प्रकाश : नहीं, साहब मैं यह नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : तो आप चाहते हैं कि चालू रहे ?

(1.00 म. प.)

तो उनके पीछे जो व्यापार चलाने वाले लोग हैं, मास्टर माइण्ड माफिया गैंग है— धौलपुर के अन्दर, इससे सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसी से डाकू समस्या जुड़ी हुयी है, उसी से वहां का शोषण जुड़ा हुआ है, उसी से धौलपुर जिले का पिछड़ापन भी जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ राज्य सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, राज्य सरकार के पक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं ये सारे लोग इस माफिया गैंग में शामिल हैं। राज्य सरकार ने एक बार इस पर सी.आई.डी की जांच बैठायी थी 57 में उस समय जिन लोगों के नाम उस सी. आई. डी. के आफीसर ने दिये, रिपोर्ट में, उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे इसलिए उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहन प्रकाश : राजनैतिक प्रश्न

(श्री मोहन प्रकाश)

नहीं है, मैं इसको राजनैतिक प्रश्न बनाना भी नहीं चाहता हूं। यह एक मानवीय पक्ष है। खास तौर से कांग्रेस पक्ष में जो माननीय महिला सदस्यायें हैं, उनकी यह विशेष जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : इस सवाल पर तमाम पक्ष, सत्तापक्ष और विपक्ष को एक होकर कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि राजस्थान के नाम पर, सभ्य समाज के नाम पर नारी खरीद फरोख्त के चल रहे व्यापार जड़ से समाप्त करने का काम हो। इस मामले में मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार उच्च स्तरीय कमीशन बैठाये, जिसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो अगर वह संलग्न पाया जाय तो संकल्प लें सदन के हम सब लोग कि इसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायेंगे। पिछले दिनों सुझाव दिया था कि और काम न करे सरकार, पिछले 10 सालों में जितने केसेज पकड़े गये हैं सिर्फ उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाय। जिन गांवों में जिन आदमियों द्वारा यह धन्धा होता है वहां इनको निकालकर पाइंट आउट किया जाय और पाइंट आउट करके सगुण कार्यवाही करा ली जाय। निर्गुण कार्यवाही में तो पुलिस चप्पे चप्पे पर लोगों से मिली हुई है। लड़की बरामद हुई, अध्यक्ष महोदय, उसको नारी निकेतन में भेजा जाता है। जमानत के नाम पर उसको बाहर निकालकर पुलिस स्वयं तीसरी बार बेचने का काम करती है, तो फिर कैसे कहां से न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, खाली एक इन्क्वायरी करा ली जाय कि कितनी लड़कियां पकड़ी गयीं और नारी निकेतन में भेजी गयी उसके बाद पता लगा कि उन लड़कियों का क्या हुआ ? किसी भी मामले पर सरकार, किसी भी मामले में हम विपक्ष के लोग कहीं तो आज उंगली रखने का काम करें। निर्गुण बहस से इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता है। सगुण बहस होती नहीं है। सीधा मसला है कि हम जो यह कदम उठाने जा रहे हैं वह न उठायें तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बड़े अदब के साथ विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं इस मामले में दिलचस्पी लेकर इस मानवीय पक्ष को देखें। हम नौजवानों का चेहरा पूरे हिन्दुस्तान में झुक जाता है बार-बार जब ऐसी खबरें आती हैं कि यह प्रदेश और कुछ करे या न करे नारियों की खरीद फरोख्त करता है।

इस प्रदेश की एक शान रही है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन प्रकाश : अपनी इज्जत रखी है इस प्रदेश ने, कभी अपने सर को नहीं झुकाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है कि आज सरकार को आप इसके लिये बाध्य करें कि सरकार इस सवाल पर निश्चित तौर पर कोई साफ और सीधी कार्यवाही करे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल्स आज गंगानगर के किसानों का गन्ना नहीं खरीद रही है। एक तरफ हजारों टन गन्ना किसानों का खेत में खड़ा है, खड़ा खड़ा सूख रहा है, दूसरी तरफ गंगानगर शुगर मिल के लोग, पदाधिकारी, कर्मचारी पता नहीं कौन सी नीति है जिसके कारण उस गन्ने को नहीं खरीद रहे हैं। गंगानगर के किसान ने सामूहिक रूप से प्रशासन से मिले फिर भी प्रशासन इसमें किसी प्रकार की सहायता करने की दृष्टि से आगे नहीं आ रहा है। किसानों में रोष व्याप्त है। इतना ही नहीं गंगानगर शुगर मिल्स के लोग गंगानगर के किसानों का गन्ना नहीं खरीद रहे हैं। गन्ना चाहिए, गन्ना खरीदा जा रहा है, अबोहर के किसानों का, फाजिल्का के लोगों का। देश एक है, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है किन्तु मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि गंगानगर शुगर मिल्स की जो अपनी टेरीटरी है उसमें आने वाले किसानों के गन्ने का क्या होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि दो बड़े कारण हैं। इन दोनों कारणों को अविलम्ब दूर किया जाये। बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं राजस्थान से लोकसभा के सदस्य जो अभी अबोहर के हैं उन्होंने इस प्रकार का प्रभाव डाला कि अबोहर का गन्ना खरीदें और राजस्थान के किसानों का गन्ना नहीं खरीदा जाय और राजस्थान का किसान टुकुर टुकुर रास्ता देखता रहे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होने के कारण इस प्रकार की स्थिति बनती है। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार इसके बारे में स्पष्ट हो जाय, राज्य सरकार इसका जवाब दे। इसकी पूरी व्यवस्था करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दूसरे कारण की ओर दिलाना चाहता हूं। इसी राजस्थान विधान सभा में यह सवाल बार बार उठा है। गंगानगर के किसान की बहुत बड़ी बकाया गंगानगर शुगर मिल्स में है। मेरी जानकारी है कि इनकी पूरी बकाया नहीं चुकायी गई है। गंगानगर शुगर मिल्स समझती है कि जब तक वह बकाया नहीं चुकाई जायगी, कठिनाई खड़ी होगी। दुबारा गन्ना लेने जाते हैं तो वह कठिनाई पैदा होती है, यह बहुत बड़ा कारण है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी पुरानी बकाया है अविलम्ब चुकाई जाय। जो गन्ना खड़ा है, गन्ना सूख गया, समाप्त हो गया किसानों को उससे बड़ा नुकसान होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पता नहीं किसान विरोधी सरकार कैसे हो गयी है? एक तरफ गंगानगर से आये हुए, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कोटा में किसान से 5 गुना लगान वसूल किया जा रहा है। गन्ना खड़ा है तो गंगानगर के किसानों का गन्ना नहीं खरीद रहे हैं। पता नहीं, सरकार के आने के बाद क्या यह तय किया है कि किसानों के विरुद्ध जितने भी कदम होंगे वह उठाते चले जायेंगे। किसान कितना भी कहता रहे, आन्दोलन करता रहे, जुर्रत करता रहे, किसी प्रकार से प्रशासन से मिलता रहे कोई सुनेगा नहीं। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह मानवीय पहलू है, किसानों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का पहलू है, गंगानगर के किसानों का पहलू है, उनके जन जीवन का सवाल है। आपने पानी नहीं पिलाया फिर भी कुछ उन्होंने अपनी जुर्रत से पैदा किया है। इसलिये कम से कम गन्ना खरीद लें, पूरी कीमत दें, पुरानी बकाया चुकायें। गन्ना खरीद करे गंगानगर शूगर मिल। मैं आपके माध्यम से यही राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चम्पालाल।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से कि बालोतरा जैसे औद्योगिक कस्बे में बेकारी फैल रही है; जो उन्नति उस क्षेत्र में आयी थी, जिसके माध्यम से समाज के हर वर्ग चाहे वह भील हो, मेघवाल हो, कोली हो, सभी तरह के लोगों के छोटे छोटे कारखाने थे, दीगर लगे हुए थे, आज उनकी कमाई में कमी आयी है। इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बड़ी बड़ी डींगें हांकती है कि हम मजदूरों को रोजगार पर लगाना चाहते हैं, हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी को रोजगार देंगे ? आज 20 हजार लोग हैं जो बेकार होने पर विवश किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव बालोतरा के प्रदूषण के संबंध में है।

श्री चम्पालाल बांठिया : प्रदूषण पर ही आ रहा हूं। यह भी प्रदूषण से ही संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण की वजह से आज यह बेकारी फैल रही है। आज सरकार ने जो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया था, उद्योग खोले गये थे और औद्योगिक दृष्टि से वह क्षेत्र पिछड़ा घोषित किया था उसकी वजह से 20 हजार लोग जिले के गांव के वहां पर हैं। लेकिन इस प्रदूषण की वजह से आज एक ओर पानी दूषित हो रहा है, भूमि खराब हो रही हैं, बीमारी फैल रही है दूसरी तरफ धन्धे बंद हो रहे हैं। नये तरीके से उनको उद्योग के लाइसेंस भी नहीं दिये जा रहे हैं। जो उद्योग हैं उनके ऊपर पाबंदी है, केसेज चलाये जा रहे हैं। इस बात के लिये जिम्मेदार कौन है ? रीको, जिसने 12 आना मीटर से जमीन बेचना शुरू किया था, आज 24/– वर्गमीटर ले रही है। कोई प्रबन्ध नहीं कर रही है। आज जो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं वह नीचे आये हुए हैं। सड़कें ऊपर हैं, नाले भी ऊपर हैं, फिर किस प्रकार से दूषित पानी निकलेगा ? किस प्रकार से उद्योगपतियों को दबाया जा रहा है ? लघु उद्योगों के ऊपर रोक लगायी जा रही है, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कानून का डण्डा बताकर उनको जेल के सींखचों के अन्दर बन्द करने की धमकी दी जा रही है। क्या यही न्याय है ? सरकार ने उनको निमंत्रण देकर, राजस्थान के बाहर के प्रवासियों को निमंत्रण देकर यहां बुलाया कि आइये राजस्थान के अन्दर उद्योग लगाइये। इस पिछड़े क्षेत्र के अन्दर उन्होंने उद्योग लगाया, क्या आज सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी सुरक्षा करें। कास्टिक के ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने से आज 60% कारखानों की समस्या हल हो सकती है। इसके अन्दर गुजरात राज्य के अन्दर 80% सब्सिडी दी जा रही है।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उद्योगों को अगर पनपाना है, इनको आगे बढ़ाना है, उनको जीवित रखना है जिनका कपड़ा देश के समस्त जिलों के अन्दर और देश के प्रत्येक प्रान्त के अन्दर ही नहीं बल्कि विदेश के अन्दर एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण से देश को और इस इलाके को पैसा पैदा हो रहा है उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। वहां 20 हजार लोग, जिनके पास काम है, आज बेकार हो रहे हैं। यह मेरा बहुत लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव था। आपने इसकी मंजूरी नहीं दी लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि आप समय रहते इस सम्बन्ध में कोई न कोई कारगर कदम उठायें। बाकी 40% के अन्दर आप कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगायें, वहां लघु उद्यमी भागीदार होने के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि आप आसमान की बातें करेंगे, इतना दाम ऊंचा रखेंगे तो धन्धा मिल के मुकाबले में, कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकेगा। आज इसी वजह से उस धन्धे के अन्दर मंदी आयी है। पिछले दो वर्ष से मजदूर की मजदूरी घटी है। आज कई एक कंपनियां वहां से उठ करके चली गयी हैं। आज लघु उद्यमी सूरत जा रहे हैं, लोग आज वहां से अहमदाबाद जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री चम्पालाल बांठिया : राजस्थान के इस पिछड़े इलाके के अन्दर जो एक मात्र उद्योग है, जो आशा की किरण थी उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है लेकिन सरकार सोयी हुई है। मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि समय रहते अगर कदम नहीं उठाया तो इस अकाल के क्षेत्र के अन्दर एक और भयंकर बात होगी और त्राहि-त्राहि मच जायेगी। लोग मरने शुरू हो जायेंगे। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : मैंने करौली और उसके आसपास के इलाकों में पेयजल का जो अभाव है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली शहर में आज से 16 वर्ष पहले ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम बनी थी। वहां की आबादी आज लगभग 45 और 50 हजार के बीच में हो गयी है। वहां पर पीने के पानी का घोर अभाव है। आसपास के जो इलाके हैं उसमें जो हैंड पम्प लगे हुए हैं वे प्रायः आउट ऑफ ऑर्डर हैं। जिन इलाकों के अन्दर और हैंड पम्प लगाने थे वहां हैंड पम्प लगाये नहीं गये हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि तत्काल वहां पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाय वरना वहां पीने के पानी का घोर संकट उत्पन्न होगा और उस समय और विषम स्थिति होगी। करौली शहर की ड्रिंकिंग वाटर की जो स्कीम है उसको रिवाइज करें। वैसे तो यह इनका नैतिक कर्तव्य था, 12 साल में रिवाइज हो जाना चाहिए थी लेकिन इन्होंने कभी भी इसके बारे में कोई विचार नहीं किया। वहां उसको तत्काल रिवाइज करके ड्रिंकिंग वाटर

(श्री शिवचरण सिंह)

का जो सिस्टम है उसको बदलें करके नयी स्कीम बना करके और पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर में बाढ़ बचाव प्रोजेक्ट के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप सबको जैसा ज्ञात है, सन् 1981 में जिस दिन श्री शिवचरण जी माथुर ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली उस दिन हमारे यहां बाढ़ आयी थी। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में वे सीधे रास्ते से नहीं आ सके थे। हेलीकाप्टर को भी इंतजार करना पड़ा था। जयपुर नगर के नौ के नौ मार्ग, 6 बड़े मार्ग और तीन उपमार्ग, जो इस शहर में प्रवेश के थे, सारों का जयपुर से सम्बन्ध टूट गया था सब मामले में। जयपुर के जो सात नाले हैं उनमें प्रलयंकारी पानी आने से जगह-जगह मकान गिरे, बस्तियां टूटीं, बुरी हालत हुई। तत्कालीन सरकार ने बड़ी चिन्ता से जांच कराई और कहा कि हम इस मामले को जल्दी निपटायेंगे। उस समय जो नुकसान कूता गया वह 45 करोड़ 40 लाख का नुकसान कूता गया था उसके बाद में जब स्थिति कुछ सामान्य हुई, कुछ स्थानीय मार्गों को टेम्प्रेरीली जोड़ा गया। उस समय राज्य सरकार ने प्रगति का नया दौर के नाम से किताब निकाली....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं संक्षेप में ही कह रही हूं लेकिन मुख्य बात तो मैं कहूंगी ही। इतना तो मुझे आप इतने बड़े मैटर पर बोलने ही देंगे।

मैं कहना चाहती हूं कि जब तय किया गया था उस समय यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य-मुख्य नालों का तात्कालिक रूप से निर्माण कराया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसमें 4.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति दी गयी निर्माण के लिये जे. डी. ए. को जिसने कि 3 करोड़ रुपया तो सन् 1982 में वापस कर दिया और 1984 में, यह मेरे पास अजेंडा की किताब है, इन लोगों ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु जो एक करोड़ का प्रावधान इस वर्ष रखा गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद यह कहते हैं कि 2.47 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया था हाउसेज का, बाढ़ से प्रभावित लोगों को बसाने का था उसमें भी भूमि की अनुपलब्धता के कारण से उसका उपयोग नहीं हो सकेगा। इस तरह से बाढ़ के काम से स्थानीय विभाग ने मजाक किया है। जो बाढ़ प्रोजेक्ट बनाया गया था सरकार के द्वारा, जिसमें नाले थे 7 बड़े बड़े, नागतलाई का नाला, जवाहर नगर का नाला, जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड का नाला, सी. स्कीम का नाला, नाला अमानीशाह, नाला संजय नगर, गलता का नाला और अन्य नाले जो इसमें रखे गये

(62)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

थे, इस वार्षिक प्लान को भी बने हुए दो वर्ष बीत गये पर दो वर्ष के बीत जाने के बाद भी सरकार ने बाढ़ के बचाव के लिये कहीं भी कोई काम शुरू नहीं किया। इस तरह से इस नगर को अनाथ बनाकर छोड़ने की बात इस सरकार ने की है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, वो तो पिछले तीन सालों से पानी नहीं आया है वरना आज क्या गति मति होती यह चिन्ता का विषय है। इस समय मैं चिन्ता कर रही हूं कि इस साल अगर बरसात आ गयी, उन मुख्य मंत्री के होते तो बरसात आने की कोई कल्पना ही नहीं थी, यह जो मुख्य मंत्री बने हैं इनके आने से बरसात हो गयी तब इस नगर का क्या होगा? बाढ़ का प्रोजेक्ट बनाना चाहिये था जिले का। आपको ध्यान होगा कि ढूंढ नदी की बाढ़ कूकस की बाढ़ और जलमहल के पानी की बाढ़ से न केवल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र बल्कि सांगानेरी क्षेत्र, लालसोट का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ था। पुराने मुख्य मंत्री ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। 110 बंधे तो केवल जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के फूटे थे जिनको इस प्रोजेक्ट में नहीं लिया गया है, और न गलता के नाले को इस प्रोजेक्ट में जोड़ा गया है जिससे कि पीछे के बल्लूपुरा बलियाना, विजयपुरा सुमेर, मुकुन्दपुरा मालपुरचोर और मालपुर डूंगर बुरी तरह से तबाह हो गये थे। मैं चाहती हूं कि सरकार ने न केवल अपने आप काम किया बल्कि दूसरे लोगों ने इस गांव को गोद लिया था। जहां-जहां पर दुर्व्यवस्था फैली थी, मकान फूटे थे और बर्बादी हुई थी वहां उन लोगों ने भी कोशिश नहीं की जिन लोगों ने गांव को गोद लिया। केवल एक केशव नगर संघ वालों ने बनाया है बाकी अन्य लोगों ने जिन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को गोद लिया था उन्होंने काम नहीं किया। इस तरह से इस नगर को बर्बाद होने से बचाने के लिये सरकार ने काम करने में कोताही बरती है और इस क्षेत्र के लिये कतई पैसा अलॉट नहीं किया। आने वाले बजट में भी इस बाढ़ प्रोजेक्ट का नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार क्या करना चाहती है? क्या सरकार जयपुर से खेलना चाहती है। यहां की बस्तियों की तबाही करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस बाढ़ प्रोजेक्ट पर तात्कालिक रूप से निर्णय लेकर इसी आने वाले समय में काम शुरू किया जाय वरना कहीं लोग इस जयपुर को छोड़ने की बात न सोच लें। एक ओर तो माननीय श्रीमती कमलाजी ने कल कहा था शिकायत की, शिकायतें आती रहती हैं, शिकायत करने के लोग आदी नहीं हैं। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो इस बार पता नहीं किस भरोसे से आप आ गये आपसे लोग सड़कों पर समझेंगे....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। संक्षेप में माननीय सदस्या।

सरकार को कार्य करने के लिए आग्रह करके इस काम को जल्दी करवायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग झालावाड़ जिले में छापी बांध बना रहा है । अध्यक्ष महोदय, उस बांध पर जो सीमेन्ट, पत्थर या रेत जाती है उसके लिए पुराना जो मार्ग था, बहुत अच्छा मार्ग था । विधान सभा चुनाव के बाद योजनाबद्ध तरीके से किसी के प्रभाव में आकर के किसानों के खेतों में जहां कुए लगे हुए हैं, फसलें खड़ी हुई हैं वहां सड़क डाल दी गयी बिना जमीन अवाप्त किये । मैं पूछना चाहता हूं, बिना जमीन अवाप्त किये सड़क बनाना न्याय-संगत है क्या ? अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि गांव वाले वहां बैठकर रो रहे हैं । मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं यह कह कर कि मैं सैकण्ड बार जा रहा हूं एरिया में, अध्यक्ष महोदय, जिसने यह किया है मैं देख लूंगा उसको । मैं अभी जवान हूं, बुड्ढा नहीं हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरी यह प्रतिज्ञा है, जब तक मैं जवान हूं, मेरे इलाके में न कोई रिश्वत खा सकता है, न कोई गरीबों पर जुल्म ढा सकता है । मैं जिन्दा हूं तब तक ऐसा नहीं हो सकता चाहे इनकी पुलिस आ जाय । मैं जानता हूं, गवर्नमेण्ट के पास दो ही चीजें हैं या तो पुलिस के डण्डे या, जेल, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है । किसान के खेत में न कुआ टूटेगा, न सड़क बनेगी यह मेरी प्रतिज्ञा है । यह मेरी चुनौती है इस सरकार को । दिन-रात सरकार जुल्म ढाती है गरीबों पर मगर अब नहीं ढा सकती है ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें उसके पहले एक निवेदन कर देना चाहता हूं । मैंने आपके कक्ष में जाकर पंचायत समिति और जिला परिषद् की मीटिंग के लिए कहा था, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई । अब आज फिर तीसरी सूचना आ गयी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात की है, रोकने के लिए कहा है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : रोका होता तो मेरे पास सूचना नहीं आती ।

श्री अध्यक्ष : सूचना आज आयी है इसका मतलब पहले से जारी की गयी है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बीस तारीख को झालावाड़ की मीटिंग है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूचना, आज आयी है इसका मतलब पहले ही मीटिंग तय हो चुकी है, उसकी यह सूचना है ।

अब कहला दिया है उनसे । आपके सामने बात हो गयी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं !

मन्त्री द्वारा वक्तव्य ।

पेयजल के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदया वक्तव्य देंगी ।

शासकीय वक्तव्य

विभिन्न जिलों में उत्पन्न पेयजल संकट

श्रीमती कमला (ऊर्जा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के सन्दर्भ में प्रदेश की तथा

(श्रीमती कमला)

विभिन्न क्षेत्रों की जलदाय व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार है :—

राज्य में कुल 201 शहर एवं 34968 आबाद गांव हैं जिनकी आबादी वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार क्रमश : 72 लाख शहरों की एवं दो करोड़ इकहत्तर लाख ग्रामीण क्षेत्रों की है। वर्ष 1972–73 में केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल हेतु गांवों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया था। इसके अन्तर्गत ऐसे गांव, जहां पेयजल का स्थाई स्रोत गांव से 1.6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है अथवा जल की गहराई पचास फीट से भी अधिक है अथवा फ्लोराइड अथवा अन्य घुलनशील लवण अधिक हैं अथवा जहां पेयजल के स्रोत के पास हैजा, नारू आदि रोग के किटाणु विद्यमान हैं उन्हें समस्याग्रस्त श्रेणी में रखा गया है तथा अन्य ग्रामों को समस्यारहित श्रेणी में रखा है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत राजस्थान में 24037 गांव समस्याग्रस्त पाये गये एवं शेष गांव समस्यारहित माने गये।

(1.24 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी सभापति, पद.सीन)

राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की जल योजनाओं को लागू करके मार्च, 1985 तक करीब बीस हजार समस्याग्रस्त गांवों एवं दो हजार समस्यारहित गांवों को पेयजल से लाभान्वित किया। इस प्रकार कुल बाइस हजार गांवों को मार्च, 1985 तक पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य के 201 शहरों में पेयजल योजनायें कार्यरत हैं।

सातवीं योजना में सभी समस्याग्रस्त गांवों को प्राथमिकता देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समस्यारहित सभी गांवों को जहां हैण्ड पम्प उपयोगी हैं को धन की उपलब्धि के अनुसार पेयजल से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जहां हैण्ड पम्प उपयोगी नहीं हैं वहां पम्प टैंक योजना, क्षेत्रीय योजना अथवा डिग्गी आदि की योजना में धन की उपलब्धि के अनुसार प्रस्तावित है।

इस दृष्टि से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सातवीं योजना में करीब 800 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

बाड़मेर जिले की पंचायत समिति क्षेत्र धोरीमन्ना एवं सिणधरी में सन् 1981 की जनगणना के अनुसार क्रमशः 104 एवं 101 गांव हैं। पंचायत समिति धोरीमन्ना में कुल 104 गांवों में से फरवरी, 1985 तक कुल 61 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। बाकी 43 गांवों में कार्य चालू है। पंचायत समिति सिणधरी में कुल 101 गांवों में से कुल बीस गांवों को पेयजल दिया जा चुका है। बाकी 81 गांवों के स्रोत समीप ही उपलब्ध नहीं होने के कारण दूरस्थ गांवों से पानी लाने की योजना स्वीकृत कराई गयी है जो वर्ष 1986-87 तक पूरी होने की सम्भावना है।

खेतड़ी क्षेत्र के दस गांवों में से तीन गांव—अवाई, पपूरना की ढाणियां तथा डूडवा में हैंण्ड पम्प लगाकर जल सप्लाई की

(श्रीमती कमला)

स्थिति को सुधारने की योजना है तथा चार गांव किशनपुरा, टीबा, जमालपुर, सरदारपुरा में कुओं की सफाई एवं बोरिंग कराकर जल उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही शुरू की हुई है शेष बचे दो ग्रामों हरड़िया और सेफरा में पारम्परिक जल स्रोत योजना पूर्व से कायम है।

खेतड़ी शहर में ढाई लाख गैलन पानी प्रतिदिन सप्लाई किया जा रहा है दूसरा उच्च जलाशय बनाने के कार्यादेश भी ठेकेदार को दिये गये हैं।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में कुल 261 ग्राम हैं। इनमें से ग्यारह गांव समस्याग्रस्त एवं 150 गांव समस्या रहित हैं। इनमें से 28 फरवरी, 1985 तक 89 ग्राम पेयजल योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। बाईस गांवों में कार्य जारी है और इनमें 31 मार्च, 1985 तक पेयजल सुविधा पहुंच जाने की सम्भावना है।

हैण्ड पम्पों के रख रखाव का कार्य पंचायत समितियों द्वारा ही किया जाता है। किन्तु सरकार के निर्देशानुसार समय समय पर हैण्ड पम्पों को विभाग द्वारा भी ठीक किया जाता है।

उन समस्यारहित गांवों, जहां पर अब पीने के पानी की समस्या हो गयी है, को जिला परिषद् के प्रस्ताव के द्वारा समस्याग्रस्त गांवों में शामिल किया जा सकता है।

उदयपुर की जल प्रदाय योजना से उदयपुर नगर के 2.90 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। दैनिक मांग 103 लाख गैलन है जब कि वर्तमान में उत्पादन 85 लाख गैलन ही है।

इस माह बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा 123.50 लाख की योजना स्वीकृत की हुई है जिसका कार्य प्रगति पर है। इस योजना के आगामी ग्रीष्म ऋतु वर्ष 1986 तक पूर्ण हो जाने पर उत्पादन क्षमता 110 लाख गैलन प्रतिदिन हो जायेगी। इस ग्रीष्म ऋतु में अतिरिक्त कुओं पर पम्प लगाकर दैनिक उत्पादन 85 लाख गैलन से बढ़ाकर 90 लाख गैलन किये जाने की कार्यवाही जारी है।

समस्या के दीर्घकालीन हल के लिए विभाग ने तीन योजनायें प्रस्तावित की हैं। देवास 29.89 करोड़ रुपयों की, जयसमन्द 18.20 करोड़ की, मांसी वाकल 35 करोड़ रुपये की। तीनों योजनाओं में से जो योजना तकनीकी तौर पर अन्तिम विश्लेषण के बाद उपयुक्त पायी जायेगी, राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद लागू की जायेगी।

सूरतगढ़ क्षेत्र के गांव सिगरासर को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। दो गांव खारिया एवं डीडवाना योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गयी है एवं वहां कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 15-4-85 तक ये गांव पेयजल से लाभान्वित हो जायेंगे, ऐसी सम्भावना है।

शेष पांच गांव क्षेत्रीय जल योजना उदयपुर-सूरतगढ़ के अन्तर्गत स्वीकृत किये जा चुके हैं। हैण्ड पम्प का निर्माण पूरा हो चुका है। पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है एवं 1985-86 में इन पांचों को पेयजल से लाभान्वित किया जायगा।

जयपुर नगर की वर्तमान में जनसंख्या

(श्रीमती कमला)

12 लाख है जिसमें से लगभग 3.5 लाख जनसंख्या चार दीवारी के भीतर है। पिछली ग्रीष्म ऋतु में नगर को लगभग 380 लाख गैलन जल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा था। वर्तमान में रामगढ़ बन्धे में पानी कम होने के कारण 330 लाख गैलन उपलब्ध है जिसमें रामगढ़ बांध से सिर्फ 50 लाख गैलन ही उपलब्ध हो रहा है जो सामान्य उपलब्धि के पेटे 50 प्रतिशत है। इसके कारण शहर की अधिकतर बस्तियों में दिन में एक बार ही पानी तीन घण्टे से साढ़े चार घण्टे तक उपलब्ध कराया जा सकता है।

आगामी महीनों में कमी को पूरा करने हेतु राज्य सरकार ने 120 लाख लागत की एक आपातकालीन योजना स्वीकृत की हुई है जिसके अन्तर्गत 335 हैण्ड पम्प लगाने तथा 35 खुले कुओं का संवरण एवं 35 नये नल कूपों का बाहरी क्षेत्रों में निर्माण आदि का मुख्यत: कार्य है। इन कार्यों को नवम्बर, 1984 में ही प्रारम्भ कर दिया गया था।

20 नए कुए संधारित किये जा चुके हैं और उनसे जल वितरण सिस्टम को पानी दिया जा रहा है, शेष कुओं-नलकूपों एवं हैण्ड पम्पों का कार्य भी युद्धस्तर पर कराया जा रहा है। इनके पूर्ण हो जाने पर लगभग 25 लाख गैलन अतिरिक्त जल प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगा।

स्थायी समाधान हेतु भी जयपुर नगर की पुनर्गठन जल प्रदाय योजना पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त शहरों की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 से कार्य चल रहा है, जिसमें रामगढ़ बांध को 5 फीट ऊंचा उठाकर अतिरिक्त जल प्राप्त करना, नये 110 नल कूपों को बनाना तथा अतिरिक्त टंकी बनाकर जल वितरण व्यवस्था में सुधार करने के कार्य लगभग काफी आगे प्रगति पर हैं। इस योजना पर पिछले वर्ष तक 5 करोड़ से भी अधिक राशि का व्यय हो चुका है, और भी सम्पूर्ण तसल्ली वर्द्धक योजना, जो राज्य सरकार के काफी समय से विचाराधीन है, जैसे कि बीसलपुर योजना, जिसके कि अजमेर, किशनगढ़, जयपुर आदि शहरों के लिये जल का बहुत अच्छा आधार मिलने की गुंजाइश है, के 7वीं योजना में प्रस्ताव दिये हुए हैं उसके लिये लगभग 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

जालोर जिले में पूर्व में जो पेयजल की योजनायें स्वीकृत की गई थीं उनमें पानी की दैनिक आवश्यकता को तय करते समय पशु धन की दैनिक आवश्यकता को शामिल नहीं किया गया था....

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय मंत्री महोदया, 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है या 2 करोड़ का ?

श्रीमती कमला : 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, 2 करोड़ से क्या होता है ?

गत वर्ष राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने पशुधन की पेयजल की मांग को शामिल करते हुये इन मरुस्थलीय जिलों के लिये योजना स्वीकृत कर दी है। अब 11 मरुस्थलीय जिलों में प्रत्येक व्यक्ति को 40 लीटर के बजाय 70 लीटर पानी के वितरण का मापदण्ड निर्धारित कर दिया गया है।

(श्रीमती कमला)

जोधपुर नगर, सन् 1981 की जनगणना के अनुसार जोधपुर की 5 लाख की जनसंख्या है जिसे प्रतिदिन 150 से 180 लाख गेलन पानी वितरित किया जाता है। शनिवार दिनांक 23-3-1985 को अचानक फिल्टर हाउस का स्टार्टर का शाट उड़ जाने से और मेन पाइप लाइन टूट जाने से व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी लेकिन तुरन्त ही रविवार, दूसरे दिन ही इसकी तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करके वितरण व्यवस्था अब सुचारू रूप से चालू है।

फुलेरा तहसील के गांव जैतपुरा, मनोहरपुरा, माजीपुरा, सूरतसिंहपुरा आदि गांवों में हैण्ड पम्प योजना स्वीकृत है लेकिन पानी खारा होने के कारण उन गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये हैं। इन गांवों को क्षेत्रीय जल योजनाओं से जोड़ने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और इसके लिये योजना तैयार की जा रही है। ग्राम जगमालपुरा, ग्राम सिंघपुरा विभाग के रिकार्ड के अनुसार समस्या रहित हैं. वहां पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है। ग्राम जोरपुर स्थाई रूप से तो किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अभी नहीं हुआ है। ग्राम काछीपुरा में ड्रिलिंग एवं हैण्ड पम्प, खण्ड 2 द्वारा दो हैंण्ड पम्प बोर किये जा चुके हैं और हैण्ड पम्प लगाने का कार्य जारी है। ग्राम प्रतापपुरा में हैण्ड पम्प योजना 1981-82 लागू है। इस ग्राम में 3 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, नागौर कस्बे में जो टंकी के गिर जाने से स्थिति पैदा हो गई थी और एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी, काफी लोगों के चोटें भी आई थीं उसके बारे में भी माननीय श्री नाथूरामजी मिर्धा ने कहा था। उस सम्बन्ध में कह रही हूं कि नागौर कस्बे की जनसंख्या लगभग 50,000 है और उसे छः लाख गैलन प्रतिदिन पानी वितरित किया जाता है। वहां पर दो उच्च जलाशय बने हुये हैं। एक जलाशय 2 लाख गैलन का है जो शहर के दो तिहाई भाग को पानी सप्लाई करता है तथा दूसरा 1.40 लाख गैलन की क्षमता का है। एक छोटी टंकी दिनांक 23-3-1985 को सवेरे गिर गई जिसके फलस्वरूप एक वृद्धा की मृत्यु हो गई तथा 13 लोगों को बहुत चोटें आई और कुछ मवेशियों का भी नुकसान हुआ। मृत वृद्धा के परिवार को मुख्य मंत्री कोष से तुरन्त 2500/– रुपये की सहायता दी गई तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 5-5 सौ रुपये और साधारण रूप से घायल व्यक्ति को तीन तीन सौ रुपये तत्काल दे दिये गये।

इस क्षेत्र में पानी की तुरन्त व्यवस्था करने हेतु उसी समय सीधे पम्पिंग द्वारा पाइप लाइन में पानी पहुंचाया गया। जो कम क्षमता के पम्प थे उनके बजाय अधिक क्षमता के पम्प लगाकर वर्तमान में व्यवस्था सुचारु रूप से कायम की हुई है।

इसके अलावा विद्युत् विभाग से बात कर निरन्तर सप्लाई मिलती रहे जिससे कि पम्पिंग सिस्टम जारी रहे इसकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। फिर भी यह अपने आप में अस्थायी व्यवस्था है। विभाग को निर्देश दिये गये हैं चूंकि टंकी बनने में बहुत समय लगेगा इसलिये सुचारु रूप से समुचित

(श्रीमती कमला)

व्यवस्था कायम करने के लिये और क्या व्यवस्था करना प्रस्तावित है वह तुरन्त होती रहे और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भी रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी गई है। किस किस का, किस किस कारण से कितना नुकसान हुआ है उसको देखकर कैसी व्यवस्था और की जानी है, किसको और धनराशि दी जाय इसके बारे में तुरन्त निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सूचना देने वालों की संख्या ज्यादा है इसलिये कृपा कर दो मिनट का समय लें।

माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

एक माननीय सदस्य : कौन से भंवरलाल जी शर्मा को आप पुकार रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द डाणी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय मुझे भी दें। मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं....

श्री शोपत सिंह : दे देंगे, बैठ जाओ।

श्री सभापति : आर्डर। कृपया बैठ जायें।

श्री माणकचन्द डाणी : मैं आपके कहने से नहीं बैठूंगा ?

श्री शोपतसिंह : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं ? मैं इनके लिये कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल जी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री नवरंगसिंह जी को मीटिंग में जाना है इसलिये पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अभी काफी विस्तार से वक्तव्य दिया है। आज जो मैंने स्थगन-प्रस्ताव दिया है उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा कहना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहूंगा खासकर नवलगढ़ क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों और नवलगढ़ के कस्बे के बारे में सभापति महोदय, नवलगढ़ पंचायत समिति में 32 ग्राम पंचायतें और दो म्यूनिसिपल टाउन हैं। नवलगढ़ का बड़ा कस्बा है, जिसकी आबादी 50 हजार है। उसमें पहले एक टंकी थी और अब दूसरी टंकी का निर्माण हुये 5 वर्ष हो गये लेकिन विभाग उसका समुचित प्रबन्ध इसलिये नहीं कर पाया, सभापति महोदय, मंत्री महोदया से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, वह कहते हैं कि हमारे पास पाइप नहीं है। खाली पाइप नहीं होने की वजह से जो नयी टंकी बनी है, उस टंकी का सही उपयोग नहीं हो रहा है।

(श्री नवरंगसिंह)

दूसरा मेरा निवेदन नवलगढ़ के बारे में यह है, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदया से कि वहां पर जो पुरानी लाइन है वह सारी लाइन जगह जगह से कट गई है और जगह जगह काफी गड्ढे हैं इसलिये पुरानी टंकी से जो पानी आता है वह सारा का सारा गड्ढों में चला जाता है, लोग पानी के लिये तरसते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि नवलगढ़ में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिये जन-स्वास्थ्य विभाग विशेष प्रयास करे। जो नयी टंकी बनी है जिसके अन्तर्गत हरिजन मोहल्ले में पानी जाना था, भंगी बस्ती में, खटीकों के मोहल्लों में, सांसियों के मोहल्ले में और रैगरों के मोहल्लों में, मोचियों के मोहल्लों में वहां पर तत्काल पानी पहुंचे। आज वहां पर पानी की बड़ी किल्लत है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि म्युनिसिपल टाउन है मुकन्दगढ़ जिसकी कि पुरानी टंकी बनी हुई है, जनसंख्या वहां पर काफी बढ़ गई है इस हिसाब से वहां पर पानी नहीं आता है और आता है तो वह बहुत कम आता है। 6 फीट, 7 फीट नीचे गड्ढे खोद रखें हैं पानी के लिये। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वहां पर एक अतिरिक्त पानी की टंकी की व्यवस्था की जाय नहीं तो गर्मी का मौसम आ रहा है तब बड़ी दिक्कत हो जायगी।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कोई सही सिस्टम नहीं है। जो कुछ छोटी मोटी योजना बन गई है वह योजना आये दिन खराब हो जाती है, कभी मोटर जल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बीसों योजनायें ऐसी हैं, मैं माननीय....

श्री सभापति : संक्षेप में माननीय सदस्य, कृपया ! और भी बोलने वाले हैं....

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : सभापति महोदय, एक मिनट मैं भी....

श्री सभापति : आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री नवरंगसिंह : अभी खत्म करता हूं।

कमरी की ढाणी, पनियों की ढाणी, छापलों की ढाणी, राजू का बास, कानू सूनिया की ढाणी, पीपल की ढाणी, माताजी की ढाणी, मीलों का बास, ढाका का बास, हरिजनों की ढाणी, झडलड़ावाली ढाणी, दूदाना का बास घीसा की ढाणी, स्वामी की ढाणी, नेहरों की ढाणी, डूडिया की ढाणी, कर्वजी की ढाणी, शीठारवालों की ढाणी, गोमजी की ढाणी, भेरुवास, हरिजन ढाणी, पुजारी की ढाणी की योजनायें विचाराधीन हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही हैं। मन्त्री महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ गांव हैं जहां टंकियां बने दो-दो तीन-तीन साल हो गये हैं। मन्त्री महोदया से कहना चाहूंगा वहां बिल्कुल खाली टंकियां पड़ी हुई हैं और उनके समुचित रख-रखाव का कोई इन्तजाम नहीं है जिससे टंकियां फट जायेंगी गर्मियों में। ये गांव खास तौर से बाय बिरोल, कोसलिया, नेहरों की ढाणी, परशुरामपुरा।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय

(श्री नवरंग सिंह)

मंत्री महोदया से कि नवलगढ़ में 1981 से जो बिल जमा कर रहे हैं उसमें गबन है। वहां जो उपभोक्ता बिल जमा कराने आते हैं एक पेपर पर बाबू दस्तखत करके दे देता है, दूसरे को फाड़ देता है। नतीजा यह निकलता है, पता लगता है कि एक लाख बीस हजार के करीब गबन किया है जिन बाबुओं ने वह बाबू भाग गये और लोगों के कनेक्शन काट दिये हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदया से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस मामले को देखें, इसकी जांच करवायें और जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया है उन लोगों के कनेक्शन नहीं काटे जायं, इस बात की व्यवस्था करा देवें।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री मानक चंद डाणी : सभापति महोदय, ब्यावर के पेयजल के मामले में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी आ रहा है। कृपया सहयोग करें। कृपया समय खराब नहीं करें।

(व्यवधान)

कृपया समय खराब नहीं करे।

(व्यवधान)

माननीय भंवरलाल जी, कृपया शुरू करें।

श्री माणकचन्द डाणी : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर में पेयजल की समस्या....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री माणकचन्द डाणी : माननीय सभापति जी, आपका ध्यान इधर भी आकर्षित करने का कष्ट करें।

श्री सभापति : कृपया सहयोग करें। जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नाम नहीं हैं वह कृपया कष्ट न करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। समय नष्ट नहीं करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : सभापति जी, यह ऐसा मसला है जिसके बारे में सबको बोलना है।

श्री सभापति : जिनका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उनको समय दिया जायगा। कृपया शान्त रहें।

माननीय श्री भंवरलाल जी!

श्री मोहन छंगाणी : जिनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं हैं वे भी बोलेंगे।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी।

(व्यवधान)

Please ! Order Please !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बारे में इस समय यदि यह कहा जाय कि जयपुर शहर की जल समस्या बिल्कुल ठीक नहीं है घोर अव्यवस्था है तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हूं। जयपुर में जल संकट अत्यन्त भयंकर है उसके बारे में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह कि जयपुर शहर में ऐसे कुछ कुए हैं जो कुएं पीने के पानी के काम में आते हैं किन्तु उनकी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी में कोई आदमी गिर गया, कोई कुत्ता गिर गया और किसी प्रकार की गन्दगी है। इन कुओं की सफाई आप तुरन्त वार लेवल पर करा दें।

दूसरा जो कुएं हैं उन पर आप पम्प लगाते हैं। यह पम्प पानी ज्यादा निकालते हैं। कुओं की इतनी क्षमता नहीं है कि पानी निकालने की ऐसी क्षमता के पम्प को बर्दाश्त कर सकें। परिणाम यह होता है कि कुएं कुछ दिनों में ही बैठ जाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसमें बड़ी क्षमता के पम्प न लगा कर जितना पानी निकाला जा सकता है उतनी क्षमता के पम्प लगाये जायं तो ये काम दे सकते हैं।

तीसरा मेरा सुझाव यह है आपके सामने कि आपने हैण्ड पम्प लगाये वह लग रहे हैं जहां पहले से पाइप लगे हुए हैं, जहां पाइप लाइन लगी हुई है वह ठीक है लेकिन फिर भी कई स्थान ऐसे हैं जहां बहुत गरीब लोग कच्ची बस्ती के लोग, पशुपालक लोग रहते हैं। वहां यह पम्प नहीं लगायेंगे तो समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसलिए यह जो आपका क्राइटेरिया है कि जहां केवल पी.एच.पी. लगे हुए हैं वहां ही यह पम्प लगायेंगे, इसको थोड़ा इमेज करिये।

श्रीमती कमला : सभी जगह लगायेंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है वहां लगायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : कल आपने कहा था कि आपके डिपार्टमेन्ट के लोग कहते हैं कि जहां पी.एच.पी. हैं वहीं लगायेंगे।

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा है, तकनीकी दृष्टि से और आवश्यकता के मुताबिक जहां जरूरत होगी वहां लगाये जायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : तीसरी समस्या, जयपुर जब बसा था तब यहां पाइप लाइन डाली गई थी और लोगों ने कनेक्शन लिये थे। वह आधा इंच की बहुत छोटी पाइप लाइन लगी हुई है। वह पुरानी होने के कारण गल गई है। उसमें लीकेज होता है, प्रेशर बनता नहीं है। तो लाइन बदली जब तक नहीं जायगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर जयपुर शहर में कई स्थान ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे स्थान हैं, ऊंचे टीले हैं वहां बसे हुए हैं, वहां पानी की कमी के कारण दबाव नहीं बनता। वहां पानी नहीं जाता इसलिये आपके विभाग ने कुछ टंकियां पानी की बनाकर वहां पानी देने की योजना बनाई है उन इलाकों में पानी की व्यवस्था ठीक हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है जहां आप इस तरह पानी नहीं दे पायेंगे वहां जब तक टंकियां नहीं बनेंगी तब तक पानी नहीं पहुंच पायेगा। उदाहरण के लिए जैसे मोहननगर, है, ब्रह्मपुरी है, ऐसे कई स्थान होंगे जहां बिना टंकिया बनाये वहां आप प्रेशर से पानी नहीं दे सकते। इसलिए मेरा सुझाव है आप वहां टंकिया बनायें तब ही वहां पानी दिया जा सकता है।

अभी आपने चुनावों के दिनों में हैण्ड पम्प लगाये, कुछ लाइनें भी डाली थीं। अब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चुनाव में हार गये जयपुर शहर में, तो फिर काम भी बन्द कर दिया। अब न तो आप हैण्ड पम्प लगा रहे हैं और जो लगा दिये उनकी भी आप कार्यवाही पूरी नहीं करवा रहे हैं। अब चुनाव में हार गये तो हार गये।

श्रीमती कमला : अभी मैंने कहा, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब तो छोड़िये आप।

अब मेरा आपसे निवेदन है कि जो हैण्ड पम्प आपने अधूरे छोड़ रखे हैं उनको अविलम्ब पूरा करवाइये। जो लाइनें डाली थीं आपने पुरानी बस्ती में, इनका पानी का प्रेशर बढ़ा दें। चुनाव के बाद वह लाइनें वहीं पड़ी हुई हैं, आगे आपने जोड़ी नहीं और सड़कें भी खुदी हुई पड़ी हैं। कृपा करके अब हमारा प्रेशर मानकर प्रेशर बना दें, कम से कम चालू कर दें। इसको राजनीतिक आधार पर मत कीजिये।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार मदेरणा साहब यहां पर बिराजमान थे, मैंने कहा था कि आप जिन्दों को पानी नहीं पिला पा रहे हो लेकिन कम से कम मरे लोगों को तो पिला दो आप, श्मशान जहां पर लोग जाते हैं वहां पानी नहीं होता है। पानी धार्मिक क्रिया के लिए भी आवश्यक होता है। इतने लोग जब वहां जाते हैं तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो कम से कम आप श्मशान में हैण्ड पम्प लगा दीजिये और वहां श्रीमती कमला का नाम लिखवा दीजिये ताकि जब-जब भी आदमी वहां पानी पीएं तो आपको याद करें कि भई ऐसी कोई मन्त्री महोदया थीं।

श्रीमती कमला : आपका नाम लिखवा दूं तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : माननीय देवीसिंह भाटी।

श्री भंवरलाल शर्मा : दोनों का लिखा दो, ऊपर मेरा नीचे आपका हो जाय।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या बात है ?

श्री सभापति : एक एक पहले दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मैंने कम्पलीट नहीं किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया जल्दी खतम कीजिये।

(व्यवधान)

कोई व्यवस्था नहीं चल रही है, कहां क्या दिक्कत है क्या व्यवस्था है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बार बार हाथ झटक रहे हैं, जैसे कोई करेन्ट लग रहा है। मुझे चिन्ता हुई, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करके, आपको कोई तकलीफ हो तो बता दीजिये।

श्री सभापति : कृपया आप आकर देख लें क्या कैसे रहना है। बड़ी अजीब हालत है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । कृपया शान्त रहें ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि आपने जिन कुओं पर पम्प लगाये हैं, उन कुओं पर, महोदया....

श्री शोपतसिंह : महोदय है, महोदया नहीं है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्यवाद ! माननीय सभापति महोदय, जिन कुओं पर पम्प लगाये जाते हैं वह कुएं बैठ जाते हैं जिससे जनता को परेशानी होती है इसलिये जनता कुओं पर पम्प नहीं लगाने देती है । आप इस बात की गारन्टी करें कि जिन कुओं पर पम्प लगायेंगे वह कुए बैठेंगे नहीं और जो कुएं बैठ गये हैं उनकी आप मरम्मत करायेंगे तो आपको पम्प कुओं पर लगाने देंगे। तो एक तो आप यह व्यवस्था करें। अन्तिम सुझाव मेरा यह है कि आप पानी तो पूरा देते नहीं हैं, बिल उसका आप ज्यादा देते हैं। पानी तो पूरा मिलता नहीं है और लोगों को जितना पानी मिलता है उससे ज्यादा प्रतिशत बढ़ा कर बिल दे देते हैं । इससे लोगों को बहुत भारी परेशानी होती है । यह न्याय भी नहीं है । आप लोगों को पानी नहीं देते हैं और पानी दिये बिना ही लोगों से आप पैसे लेते हैं । कम से कम आप जितना पानी देते हैं उतना ही आप बिल दीजिये ।

यह कुछ मेरे सुझाव हैं जो मैंने आपको दिये हैं। एक आप पशुपालकों के लिए जहां पर पशु पालक रहते हैं व्यवस्था कर दें । आप पहले देखें कि वहां जगह पर कितने आदमी रहते हैं और पशुओं की संख्या कितनी है । आप पशुओं की संख्या तो गिनते नहीं हैं इसलिये पानी की कमी रहती है । इसकी तरफ भी आप ध्यान दें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! श्री देवीसिंह ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य, वक्ताओं के साथ साथ आप पार्टी का भी ध्यान रखें । यह नहीं हो सकता है कि एक ही पार्टी वाले बोलें, हो सकता है कि वक्ता अलग अलग हों ।

(व्यवधान)

माननीय देवीसिंहजी ! माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें । माननीय सदस्य, सभी को समय मिलेगा। कृपया सहयोग करें ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर'। श्री दिग्विजयसिंह ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें, कृपया सहयोग करें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ऑन पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं ।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दें । माननीय सभापति महोदय....

(व्यवधान)

दो मिनट का समय हमें भी दें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपका नाम इसमें नहीं है । आप नहीं बोल सकती हैं । आप बैठ जाय ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज ! You Cannot । आप नहीं बोल सकतीं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर !

श्री सभापति : क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं । तो मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की तारीख और समय आपके पास हैं, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पहले आये हैं उन्हें आप पहले बोलने के लिये समय दें और जिनके बाद में आये हैं उन्हें बाद में बोलने का अवसर दें । यह क्रम होना चाहिये । आपके पास नाम की सूची है उसके अनुसार आप नाम पुकारते जायं तो सभी माननीय सदस्य बोल जायेंगे ।

बस इतना ही निवेदन करना है आपको ।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें ! कृपया स्थान ग्रहण करें ! कृपया सहयोग करें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय कभी कभी इधर भी देखा करिये । मेरा निवेदन यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और जिनका विधान सभा सचिवालय द्वारा उनका उत्तर देने के लिये मुझे कहा गया है उनके नाम अगर मैं आपको पढ़ कर सुना दूं तो वह ज्यादा सही होगा । क्योंकि आपके पास जो सूची है उससे आप बोल रहे हैं उसमें ऐसे बहुत से माननीय सदस्य नहीं हैं ।

श्री सभापति : मैं निवेदन कर रहा हूं जो मेरे पास नाम हैं मैं उन्हीं में से बुला रहा हूं ।

श्रीमती कमला : विधान सभा सचिवालय से जितने मुझे दिये गये थे उनका मैंने जवाब दिया । उनमें श्री हेमारामजी, श्री मालारामजी, श्री हीरालालजी आर्य,

(श्रीमती कमला)

श्री हंसराज जी, श्री गिरधारीलाल जी भार्गव, श्री कालीचरण जी सर्राफ, माननीय नाथूराम जी मिर्धा ।

(व्यवधान)

सुनिये, सुनिये । श्री मगराज जी, श्री लक्ष्मीनारायण जी किसान ! इतने लोगों के नाम मुझे दिये गये हैं ।

(व्यवधान)

और एक बिरदमल सिंघवी, जोधपुर वाले माननीय सदस्य ।

श्री सभापति : मेरी सूची में वह नाम हैं जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैंने 20 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था और कुन्जीलालजी ने भी 20 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था । इसकी कापी मेरे पास मौजूद है, 20 तारीख को दिया है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ! माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री देवीसिंह ।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ! आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर नहीं ।

श्री नाथूसिंह : पोइन्ट आफ आर्डर नहीं सुनेंगे आप । माननीय अध्यक्ष पधार रहे हैं ।

(1.50 म. प.)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये । कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्य, जैसा कि आपको मालूम ही है आज जो स्टेटमेन्ट दिलाया जा रहा है वह स्टेटमेन्ट मैंने पूर्व में दिलाने की बात कही थी तब मैंने यह कहा था कि स्टेटमेन्ट अकाल पर और पानी की समस्या पर आयेगा । कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं और कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज । कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये हैं । जिन माननीय सदस्यों ने पहले स्थगन प्रस्ताव दिये थे मैंने पूर्व में यह व्यवस्था दी थी कि वह चर्चा के समय बोलेंगे, वह सभी माननीय सदस्य चर्चा कर सकेंगे तो पहले उन लोगों के नाम पुकारे जायेंगे जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है और

(श्री अध्यक्ष)

जिनके ऊपर यह व्यवस्था दी गयी थी यदि समय हुआ और आवश्यक हुआ तो और भी एकाध माननीय सदस्य को मैं बोलने की इजाजत दे दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि वह कृपया शान्ति बनाये रखें। जब नाम समाप्त हो जायेंगे और कोई खास बात देखी जायगी तो दूसरे सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जा सकेगा। बीच बीच में व्यवधान करके आप अपना स्वयं का समय नष्ट कर रहे हैं। यह आपको मालूम ही है कि आज का कार्यक्रम काफी लम्बा है। दोनों वक्तव्यों के बाद दो बिल भी सदन में आने वाले हैं, वित्तीय बिल हैं उन वित्तीय बिलों पर कई माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं। मैं समझता हूं उस पर भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। साढ़े चार बजे गुलोटीन है आपका मुख बन्द होगा। ऐसी स्थिति में आप समय का ध्यान रख कर सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर !

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी। मेरा स्थगन प्रस्ताव 20 तारीख का है पर मेरा नाम सूची में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सूची में मेरा नाम गायब है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सूची में से नाम मैंने अभी तो पुकारे ही नहीं हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य, कृपया बैठें। कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्रीजी ने जो नाम पढ़े हैं वह दूसरे हैं। पूरी सूची मेरे पास है वह समाप्त हो जायेगी तब अन्दाज लगेगा। आपने उसके बिना कैसे अन्दाज लगा लिया कि आपका नाम नहीं है सूची में।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर ! कृपया बैठें। कृपया बैठें ! माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। मैंने आपसे निवेदन किया, कोई समस्या होगी और अगर आवश्यक होगा तो इजाजत दी जायेगी। माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य : मारपीट हो रही है, अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश सुनवाई नहीं कर रहा है। वहां पर अन्याय हो रहा है। माननीय अध्यक्ष।

(व्यवधान)

और मिनिस्टर साहब आंकड़े बोल कर सुना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आर्डर आर्डर ! कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया नियम का पालन कीजिये। अभी जो विषय चल रहा है उस पर चर्चा होगी। आप दूसरे विषय को बीच में सदन में नहीं लायें। सदन में कार्यवाही किसी विषय पर चल रही है तो कोई दूसरी बात नहीं छेड़ें। अगर आपके पास कोई शिकायत है, अगर आपकी कोई बात नहीं आती है तो आप मुझसे मेरे चेम्बर में आकर मिलिये। फिर मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है उस पर विचार कर

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था दी जायेगी। माननीय सदस्य कृपया बैठें। सूची में जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं यदि किसी माननीय सदस्य को बोलने की मैंने व्यवस्था दी है और उसका नाम इस सूची में अगर नहीं आया है तो अगर आवश्यक समझा गया और सदन के पास समय हुआ तो उसको बोलने का मौका मैं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

(2.00 म. प.)

एक माननीय सदस्य : हरिजन और महिलाओं को तो पहले मौका देना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों को मालूम है कि कोई बात उठाने के लिए सदन के नियम बने हुए हैं। माननीय सदस्य, समय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप नहीं देते हैं फिर सदन में आकर मजबूर करते हैं, तो कैसे व्यवस्था चलेगी। आपको अधिकार है आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे सकते हैं, आपको कोई ना करने वाला नहीं है। मैं नाम पुकारूंगा। इनमें से शायद कुछ सदस्य बोल लिये हों, मैं यह नहीं कह सकता। नाम इस प्रकार हैं, बहुत नाम हैं, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नाम दो-दो जगह आ गये हैं पर एक ही जगह उनका नाम पुकारा जायगा और वह एक ही बार बोल पायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री हंसराज, भगराज चौधरी, श्री विरधमल सिंघवी, श्री उम्मेदसिंह, श्री गंगाराम चौधरी, श्री अब्दुल अजीज, श्री नत्थीसिंह, श्री शिवचरण सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण किसान, श्री हरलाल सिंह, श्री हरजीलाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्री नवरंगसिंह, श्री ललितकिशोर, श्री हेमाराम चौधरी, श्री यदुनाथसिंह, श्री नत्थी सिंह, श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री नाथू सिंह, श्री बहादुर सिंह, श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी, श्री मालाराम, श्री नवनीत लाल, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री कालीचरण सराफ, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री हरि कुमार औदिच्च, श्री देवीसिंह भाटी, श्री सी. पी. जोशी, श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कौन से भंवर लाल शर्मा हैं ?

श्री अध्यक्ष : जिनकी निर्वाचन संख्या 98 है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा नाम भी है, मेरी संख्या 99 है।

श्री अध्यक्ष : अगर है तो देख लेंगे, दिक्कत क्या है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्ति रखिये। आपस में बात नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में करीब 100 गांव ऐसे हैं, जिनमें अभी पीने के पानी की भयंकर समस्या है। माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो अपना वक्तव्य दिया उसमें मेरे क्षेत्र के केवल 11 गांव को ही समस्याग्रस्त घोषित बताया गया है। मेरे क्षेत्र के 261 जो गांव हैं, उनके बारे में आपने फर्माया कि 150 गांवों में हैण्डपम्प लगाने की योजना है जिनमें से 89 गांवों में लगा दिये गये हैं और 22 में काम जारी है। मार्च तक उनका काम पूरा हो जायगा। आपने जो सूचना दी है वह सन्तोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 11 के अलावा कितने गांव ऐसे हैं जहां का पानी खारा है, पानी सड़ता है, जहां का पानी ऐसा है जिसको पीने से नारू जैसे भयंकर रोग फैलते हैं, लोगों को उल्टी होती है, दस्त हो जाते हैं ? ऐसे गांवों में अभी तक पीने के पानी की कोई भी सुविधा सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई है और जिन 82 गांवों में हैण्ड पम्प लगाये हैं वह ऐसे गांव हैं जहां पर पहले से या तो कुए खुदे हुए थे या जो समस्याग्रस्त नहीं थे। आधे गांव ऐसे हैं जहां पर हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। वहां लगाने का क्या मतलब हुआ। बार-बार गांव वालों के कहने के बाद भी उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जैसे बिजवाड़ा है, इस गांव में पानी सड़ता है। अभी चुनाव के वक्त जब मैं वहां गया तो गांव वालों ने मेरे को पानी लाकर पिलाया। वह पानी सड़ता था। इन्होंने बार-बार कहा और पंचायत समिति और जिला परिषद् में भी इस बात को उठाया उसके बावजूद वहां पर अभी तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त बिजावता, केथोदा, बगावदा, बिशनपुरा, गुड़ला, केकाखेड़ी, बलवन खेड़ी, श्याम पुरा, गिरधरपुरा, च्यावदा, मरझाना, नारायणपुरा, बलवन, लाल गंज, सीमोला, डोरली, किशनवास, खेड़ली, खरवन गांव ऐसे हैं जहां अभी भी जो पानी है उसको पीने से या तो उल्टी होती है या दस्त लग जाते हैं। खरवन, सेड़ली, बलवन में पानी है ही नहीं। सीमोला, च्यावदा, डोरली, लालगंज गांव ऐसे हैं जिनमें गंदा पानी पीने के लिए लोग बाध्य हैं लेकिन अभी तक सरकार ने इन गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आपने फरमाया कि जिला परिषद् में बात करो। जिला परिषद् की कई बैठकों में हमने इस प्रश्न का उल्लेख किया है कि जहां पर हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं वह समस्याग्रस्त गांव नहीं है। इसलिए पहले समस्याग्रस्त गांवों में हैण्ड पम्प लगाये जायं। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य : कि पिछले एक साल में जिला परिषद् की मीटिंग पेयजल के बारे में हमारे बार-बार निवेदन करने के बाद भी नहीं हुई है, जो दुर्भाग्य है। जिला प्रमुख अपनी मर्जी से चुपचाप अपने कमरे में बैठकर आड़े-तिरछे लाभ लेने के उद्देश्य से पहले लोक सभा के वोट प्राप्त करने के

(श्री हीरालाल आर्य)

लिए, क्योंकि जो हमारे यहां लोक सभा के उम्मीदवार थे वह जिला प्रमुख थे, अपने पीछे हैण्ड पम्प खोदने की मशीन लेकर चलते थे। उनके अपने स्वार्थ के लिए, वोट बटोरने के लिए हैण्ड पम्प खोदे गये। जहां समस्याग्रस्त गांव थे वह गांव वाले बेचारे त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी बार इस चुनाव में भी केवल उनके प्रिय उम्मीदवार को जिताने के लिए जगह-जगह हैण्ड पम्प समस्याग्रस्त गांव की सीमा पर खोदे गये। जहां समस्याग्रस्त गांव हैं वहां पर कोई भी हैण्ड पम्प की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जिन गांवों में हैण्ड पम्प और पीने के पानी की सख्त आवश्यकता है प्राथमिकता पर उन गांवों में हैण्ड पम्प खुदाये जायं। जिन 82 गांवों में अभी हैण्ड पम्प खुदे हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा गांवों में हैण्ड पम्प खराब हैं, कई स्थानों पर पूरी खुदाई नहीं की, केवल थोड़ा गड्ढ़ा खोदकर लगा दिये गये हैं, सीमोला, केकाखेड़ी, बमूलिया, आदि ऐसे गांव हैं और श्रीपुरा आदि गांव ऐसे हैं जहां हैण्ड पम्प आधे-आधे खोदकर आ गये। गांव वाले कहते हैं कि इनको पूरा कीजिये पर उनकी कोई नहीं सुनता है। जिला परिषद् में प्रार्थना-पत्र भेज दिया है पर जिला परिषद् अपने मनमाने ढंग से उनका उपयोग करता है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो समस्याग्रस्त गांव हैं। उनमें प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध करायें और काम करें। जहां आधे हैण्ड पम्प खोदे हैं, अपने विभाग को आदेश दें कि वहां जाकर हैण्ड पम्प ठीक करें। गर्मी आने वाली है, पानी के बगैर त्राहि-त्राहि मच रही है। श्यामपुरा जैसे गांव हैं जिनमें पानी सड़ता है, लोग बड़े परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। दोहरायें नहीं।

श्री हीरालाल आर्य : और जिला परिषद् को आगाह करें कि राजनीतिक स्वार्थ और भेदभाव को छोड़कर मानवता के प्रश्न, मानवता के आधार पर पीने का पानी उपलब्ध करायें। साथ ही जिला परिषद् की अविलम्ब मीटिंग बुलायें जिसमें पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग बैठकर यह विचार कर सकें कि वास्तव में कहां पर पीने के पानी की समस्या है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं इनमें से कई गांव ऐसे हैं जिनके बारे में आपका विभाग जिला परिषद् को पता नहीं है कि वहां पर पीने के पानी की समस्या भी है या नहीं। जबकि वहां के लोग नदी-नालों का गन्दा पानी पीने के लिए बाध्य हैं। लिख-लिख कर दिया है, कलेक्टर को दिया है, जिला परिषद् की बैठकों में दिया है कि इस पर विचार करें। आपके विभाग ने जो सूची जारी की है उसमें इनका नाम नहीं है, यह उन गांव वालों के साथ अन्याय हो रहा है। आपके विभाग के द्वारा हिसाब-किताब से सूची बनाई जाती है। उसको पता ही नहीं है कि वास्तविक गांव तो छूट गये हैं। उनको समस्याग्रस्त गांव घोषित किया जाये और पीने के पानी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : की जो कमी है उसको दूर कर सरकार पानी उपलब्ध कराये। जिला परिषद् की मीटिंग अविलम्ब

(श्री हीरालाल ग्रार्य)

बुलाई जाये ताकि इस समस्या को ग्रविलम्ब दूर किया जा सके ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्ती) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रापने जो हैंड पम्प लगाये हैं वह ठेकेदारों की मार्फत लगवाये हैं । ठेकेदारों में ऐसे लोग भी थे जो कि कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ थे । मैंने यह बात पहले भी कही थी....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य । ग्रार्डर प्लीज ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी : ....ग्रौर उन्होंने जानबूझकर हरिजन बस्तियों में हैंड पम्प नहीं लगाये । यह शिकायत मैंने पहले भी की थी कि जानबूझकर ठेकेदार हरिजन बस्तियों को ग्रवाइड कर रहे हैं । वह इसलिए ग्रवाइड करते थे कि कांग्रेस के साथ हरिजन जुड़े हुए हैं । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उस शिकायत पर ग्राज तक सरकार का कोई ध्यान नहीं गया । उसका परिणाम यह हुग्रा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 हरिजन बस्तियां ऐसी हैं जिन हरिजन बस्तियों में जानबूझकर हैंड पम्प नहीं लगाये गये । ग्राज वहां भारतीय जनता पार्टी ग्रौर जनता पार्टी के लोग उन हरिजनों, जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मत दिया, को सार्वजनिक कुग्रों से पानी नहीं भरने दे रहे हैं । ग्राज उन हरिजनों की स्थिति यह हो गयी है कि वह पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं । यहां पर मैं कहते हुए संकोच नहीं करता कि 50 प्रतिशत हरिजनों ने केवल इसलिए मतदान नहीं किया ग्रौर वह इसलिए वंचित रह गये कि उन लोगों के लिए ग्रलग से पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह एक गहन समस्या है । यह समस्या इसलिए है कि हम ग्राज स्वतंत्र भारत में भी उनको पेयजल सुविधा उपलब्धि के लिये उनको पराधीन रखते हैं, ग्राज वह किसानों के कुग्रों के पानी पर निर्भर करते हैं । उनको ग्रापने पानी के मामले में ग्रात्म-निर्भर नहीं कराया इसलिये वह लोग जो लोकतंत्र में ग्रास्था रखते हैं, ग्रपने मतदान से वंचित रह गये । ग्राज गांव गांव में यह झगड़े पैदा हो रहे हैं —

श्री श्योपत सिंह : लिखित में दे दें ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : ... ग्राज गांव गांव में झगड़े पैदा हो रहे हैं । विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, को मैं इस बात के लिए निमंत्रण देता हूं, वह मेरे साथ चलें, मैं उनको यह दिखाने के लिए तैयार हूं कि हरिजनों की क्या दयनीय स्थिति है ग्राज के दिन । जब सरकार उनकी नहीं है उस हालत में भी विरोधी पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्रौर जनता पार्टी के लोग गांवों में हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं । पानी ग्राज उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है....

श्री दाऊदयाल जोशी : गप्प है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : आपकी सरकार की असफलता है कि पानी उपलब्ध नहीं करा पा रही है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सदस्यों को पता नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं माननीय सदस्य । कोई संकेत नहीं ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : एक जाति विशेष के आदमियों को टिकट दिये हैं, जाति विशेष का वहां बाहुल्य है, उनका बाहुल्य होने के नाते हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और पीने का पानी नहीं लेने दे रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : क्या बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठें । आर्डर प्लीज माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, सबजेक्ट पर आइये । आर्डर प्लीज....

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय के मुंह में पान होने के कारण बोल नहीं पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो राज्य सरकार से विनम्र निवेदन यह है कि हरिजनों की समस्या विकट है । पेयजल समस्या को हल करने के लिये चाहे आपने हैंड पम्प गांवों में हरिजनों के लिए दिये हैं, राज्य सरकार की यह नीति है कि हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता दी जायगी हैंड पम्प लगाते समय, लेकिन इस आदेश की अवहेलना खुलकर हुई है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 50 हरिजन बस्तियां ऐसी हैं जिनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है, न उनके सार्वजनिक पेयजल कूप हैं और न उनके यहां हैंड पम्प लगे हैं । तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि जिन हरिजन बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और सवर्ण जाति के लोगों के यहां हैंड पम्प लग गये हैं और हरिजन बस्ती वाले इससे वंचित रह गये हैं वहां हैंड पम्प लगाये जायें ।

दूसरा निवेदन यह है कि आज हरिजन बस्तियों में जहां भी हैंड पम्प लगे हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : वह हैंड पम्प या तो शुरू नहीं किये गये हैं और शुरू हो गये हैं तो वह महीने के बाद ही बन्द पड़े हैं । आज बारह, बारह महीने से हरिजन बस्तियों के हैंड पम्प बन्द पड़े हैं । वह इसलिए बन्द पड़े हैं कि वह रास्ते के किनारे पर हैं । हरिजन बस्तियां अधिकांश बाहर होती हैं और रास्ते में कीचड़ होता है । कीचड़ होने के कारण गांव वालों ने उस हैंड पम्प को खराब कर दिया है और उन लोगों को आज भी उन हैंड पम्प से पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है । इसलिए जिन हरिजन बस्तियों के हैंड पम्प खराब पड़े हैं और जिनको बारह, बारह

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

महीने और $1\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$ साल हो गया है उन हैंड पम्प को प्राथमिकता के साथ ठीक कराया जाये ।

तीसरा निवेदन मेरा यह है कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना के द्वारा गांव वालों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गयी है पर मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं बांसको के अन्दर जितनी भी हरिजन बस्तियां हैं उनको आपने पानी उपलब्ध नहीं कराया । उनके यहां नल नहीं लगे और सवर्ण जाति के लोगों के यहां नल लगे हुए हैं । तो यह जो अव्यवस्था फैली है इस व्यवस्था की जांच करायें और जांच कराने के बाद में प्राथमिकता के आधार पर उन हरिजन वस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाय....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करूंगा । जयपुर जिले में अनावृष्टि थी और अनावृष्टि के कारण आज मेरे यहां ही नहीं जयपुर जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में आप देख लीजिए, पेयजल कूप सूख गये हैं, कुएं सूख गये हैं, पानी का स्तर नीचे चला गया है और अधिकांश पेयजल कूपों में पानी नहीं रहा है । गर्मी के दिन आने वाले हैं उन दिनों में पेयजल की भारी विकट समस्या होगी, उसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार समय रहते कदम उठाये और जो पेयजल कूप सूख गये हैं या तो उनको ठीक कराने के लिए अलग से व्यवस्था की जाय या उनको गहरा कराने के लिए, बोरिंग कराने के लिए कोई व्यवस्था की जाय ।

जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन ।

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : वित्तीय समितियों के बारे में एक निवेदन करना है । प्रस्ताव है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठें ।

समिति का गठन
वित्तीय समितियों से नाम वापस लेने के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के बारे में जो नामांकन पत्र भरे गये हैं उसमें नाम वापस लेने की तिथि आज शाम 5 बजे तक के लिए थी, उसको कल दोपहर 1 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो चुनाव कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक के बीच में करा लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

:

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

सुश्री पुष्पा जैन !

विभिन्न जिलों में उत्पन्न पेयजल संकट

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में ही पानी की बहुत किल्लत है । मैं खास तौर

(सुश्री पुष्पा जैन)

से पाली ग्रामीण और पाली शहर के बारे में बताना चाह रही हूं । मंत्री महोदया, वहां पानी की हालत बहुत खराब है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलने का कारण आपको यदि पता लगे तो आपको भी शायद दुख होगा । पाली के सीने पर होकर जवाई बांध का पानी जोधपुर को जाता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे जोधपुर के लोगों से कोई दुश्मनी तो नहीं है लेकिन मैं ऐसा ज़रूर चाहती हूं कि जिसके घर से जो भी चीज जाय अगर वह टुकर टुकर देखते रहें, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहें और जोधपुर के लोग उस पानी को पीयें तो मैं समझती हूं कि यह न्यायोचित नहीं है । आपको चाहिए कि पहले पाली के जो गांव आते हैं रास्ते में, वहां से जाने वाले पानी से उस बांध में पानी भरा जाता है पहले उनके तालाबों को भरा जाना चाहिए । उन तालाबों में एक बूंद पानी नहीं है आज की तारीख में । पशु प्यासे हैं, इन्सान प्यासे हैं । बार बार कलेक्टर के पास जाते हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन उन लोगों का एक ही जवाब है कि पहले हम जोधपुर के टैंकरों को भरेंगे, उसके बाद अगर जरूरत हुई, अगर कुव्वत रही तो हम पाली के तालाबों में पानी देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ गांवों के नाम मंत्री महोदया को बताना चाहूंगी जिनमें खास तौर से हालत खराब है । यदि यथाशीघ्र आज ही आपने टेलीफोनिक मेसेज करके कलेक्टर पाली और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश नहीं दिये कि इन तालाबों में पानी भरवा दिया जाय जवाई बांध से तो मैं निश्चित रूप से आपको कहना चाहूंगी, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करें तो आप अपनी एजेन्सी के मार्फत वहां से मालुमात करा लें, वहां के लोग मरने को मजबूर हो जायेंगे । हजारों पशु वहां मर रहे हैं । मंत्री महोदया, आपकी सुविधा के लिए मैं एक कापी आपको दे दूंगी । कुछ नाम पढ़ रही हूं । जिनमें पानी की बहुत किल्लत है सुकरलाई, जैतपुर, मोण्डावास, खुटाणी, पांचपदरिया, चेण्डा, गरवोलिया मडिया, गिराढ़ड़ा की ढाणी और वायेद । दूसरे इन गांवों में हेमावास नहर रूपावास फीडर से पानी भरा जायेगा और दूसरे जवाई नहर से जिन गांवों को पानी दिलवाना है वह हैं लालकी, ढावर, मण्डली दर्जियान, रामपुरा उर्फ (तिगरा), दूदिया, काला पीपला की ढाणी । कुछ गांव ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनमें टैंकरों से भी पानी दिया जाता है जैसे निम्बिला खेड़ा और चवड़ों की ढाणी । आपको दुख होगा, आज पाली में टैंकरों की हालत यह है कि पाली से पानी लेकर टैंकर गांव में जाते हैं और रास्ते में पूरी सड़क का छिड़काव करते चले जाते हैं । वहां जाने के बाद पानी नहीं बचता । कलेक्टर पाली से मैंने बात की । उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टैंकरों की भी कमी है और जो हैं उनकी हालत यही है । अगर इनको मैं सुधारने के लिए दे दूंगा तो हालत और भी खराब हो जायेगी । अब इसका इलाज मंत्री महोदया, आपके पास है । आप चाहें तो टैंकरों की गिनती बढ़वा सकती हैं, आप चाहें तो उनको सुधारने के लिए निर्देश दे सकती हैं, आप चाहें तो जवाई बांध से तालाबों में पानी भरवा सकती हैं और आप चाहें तो लोगों को प्यासा मरवा सकती हैं ।

(सुश्री पुष्पा जैन)

यही हालत हमारी पंचायत समितियों के गांवों की है पड़ासला खुर्द, ग्राकड़ावास खुर्द, ग्राकड़ावास कलां, वानियावास, पड़ासला कलां ग्रौर ग्राकेली इन तमाम गांवों में पानी की बहुत किल्लत है। तालाब सूख गये हैं, मवेशी मर रहे हैं, इन्सान मर रहे हैं मेरा ग्रापसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि ग्राप यथाशीघ्र ग्राज ही ग्रधिकारियों को निर्देश देकर तालाबों को भरवाने की व्यवस्था करें ग्रन्यथा मजबूर होकर मुझे कहना पड़ेगा कि वहां के लोग कानून को ग्रपने हाथ में लेंगे, लेंगे नहीं लेने पर मजबूर होंगे, जवाई बांध का पानी जो जोधपुर को जा रहा है बिना दुश्मनी रखते हुए मैं कहना चाहती हूं कि उस पानी को बीच में रोक लिया जायेगा ग्रौर पहले इन गांवों के तालाब भरे जायेंगे उसके बाद ही वह पानी ग्रागे जा सकेगा। ग्रगर इससे कानून की कोई ग्रवहेलना होगी तो उसके लिए जिम्मेदार यह राज्य सरकार होगी, पाली की जनता नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रब्दुल हादी।

श्री ग्रब्दुल हादी (चौहटन) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी मार्फत मंत्री महोदय से पानी की समस्या के मुतल्लिक खास करके चौहटन क्षेत्र की गुजारिश करना चाहूंगा। ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे चौहटन इलाके में वैसे ट्यूब वैल तो काफी बने हुए हैं मगर नकारा साबित हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ट्यूब वैल से जिन गांवों को पाइप लाइन के थ्रू पानी भेजा जाता है वह पानी वक्त पर नहीं पहुंचता, रोजाना वह पाइप लाइनें टूट जाती हैं ग्रौर लोगों की शिकायतें हर वक्त रहती हैं। मिसाल के तौर पर मैं बुडान का तला की एक स्कीम है उसके मुतल्लिक बताना चाहता हूं। बुडान का तला स्कीम से 9 गांव जुड़े हुए हैं वह गांव हैं जिनके नाम ग्रर्ज करना चाहता हूं बुडान का तला, गंजासर, उहसान का तला, दिनका, सावां, सिहार, सलारिया, तालसर, जालूला, ग्रब्दुल रहीम का तला। यह गांव सब बुडान का तला स्कीम के ग्रन्तर्गत जुड़े हुए हैं मगर बड़े ग्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो तीन साल हो गये हैं मगर इस स्कीम से जिन गांवों में ग्राज तक पानी नहीं पहुंचा जिनके नाम हैं ग्रर्ज करना चाहता हूं तालसर, सिहार, सलारिया, ग्रब्दुल रहीम का तला, जालूला, सिवा। मैं बड़ी तसल्ली के साथ मंत्री महोदय से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि इन गांवों को पानी ग्राज तक भी नहीं गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राखिर सरकार की नीयत क्या है। मेरी समझ में यही ग्राता है कि सरकार की नीयत यह है कि ग्रांकड़े बता दे कि इतने गांवों को पानी दे दिया। सिवाय इसके ग्रौर कुछ नजर नहीं ग्राता। इसलिये मैं मंत्री महोदय से ग्रापके मार्फत गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी काम हो वह काम तसल्लीबख्श हो, उससे सरकार की भी भलाई होगी ग्रौर गरीबों की भी भलाई होगी। मैं पुरजोर शब्दों में गुजारिश करूंगा कि जो इस तरह की पाइप लाइनें हैं उनको चालू कर दिया जाय ग्रौर जो गांव जुड़ गये हैं उनको कम से कम पानी मिलना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री माला राम।

(व्यवधान)

ग्रापका नाम पुकारा गया था ग्राप थे नहीं सदन में।

श्री हरीशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ! हमने चूरू जिले के बारे में पानी की समस्या का सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव दिया था। प्रथम स्थगन प्रस्ताव है लेकिन मैं समझता हूं कि चूरू जिले के बारे में न तो मंत्री महोदय ने कुछ कहा और न आपने हमारा कोई नाम लिया। उसको अकालग्रस्त में लिया जब कि प्रमुख रूप से उसमें पानी की समस्या के बारे में था। आप स्थगन प्रस्ताव देख लें।

श्री अध्यक्ष : अकाल की समस्या के बारे में होगा, अकालग्रस्त में नाम आ गया है तो।

श्री हरीशंकर भामड़ा : मैं पढ़कर सुनाता हूं। "चूरू जिले में मार्च के महीने, जबकि गर्मी प्रारम्भ ही हुई है, में लोग पीने के पानी के लिये अत्यन्त दुखी हैं। स्थिति अधिक भयानक बन चुकी है। साथ ही अधिकांश गांव अकाल की चपेट में हैं। यह बाद की बात है। मेन पानी का ही था। या तो आप अलाऊ करें कि जब अकाल के बारे में चर्चा हो तब बोल दें पानी के बारे में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको मौका दे दूंगा।

श्री मालाराम !

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल (जायल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : आप मालाराम जी हैं क्या ? कृपया बैठें, माननीय सदस्य !

श्री नवनीत लाल।

श्री भगराज चौधरी : मेरा नाम शायद भूल गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है, आपका नाम मुझे मालूम है। मैं पुकार दूंगा आपका नाम।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांसवाड़ा जिला के घाटोल क्षेत्र से आया हूं। पहली बार इस विधान सभा में आपके बीच में बोल रहा हूं। 20 तारीख से बराबर मेरे प्रस्ताव भेज रहा हूं लेकिन न मालूम कागज कहीं दब गये, यह भी मैं याद दिलाना चाहता हूं पानी के संबंध में अभी माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य पढ़ा। इस संबंध में जिला बांसवाड़ा, तहसील घाटोल, पंचायत समिति पीपलखूंट की याद दिलाना चाहता हूं। पीपलखूंट पंचायत समिति में तीन तीन मील तक पीने का पानी नहीं है। मवेशी पहाड़ी को पार करके पानी पीते हैं।' यह हालत है। माही डैम बना। माही डैम बनने से वहां पर किसान बेघरबार हो गया, यानी एक तरफ से लुट गया। नीचे के क्षेत्र में एक ही भूमि पर दो दो परिवार इकट्ठे हो गये। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी का तालाब भरने से एक समस्या भी खड़ी हुई। पानी के ऊपर के किसान पीने के पानी की समस्या से दुखी हैं, इस समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता है। मैं आपको सबूत के रूप में दो गांवों के नाम याद दिलाना चाहूंगा। पंचायत समिति पीपलखूंट में गांव मोरवनिया की सम्बन्धित अधिकारियों से जांच कराई जाय। पंचायत समिति घाटोल में गांव मकनपुरा की सम्बन्धित अधिकारियों से सर्वे कराया जाये कि वहां की परिस्थिति क्या है। वहां पर पीने

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

के पानी के लिये कितनी दूर जाते हैं। हमें पंचायत समिति में सरपंच के नाते बैठने का मौका मिला। मैं पंचायत समिति में जाता हूं पर वहां पर हमारे क्षेत्र के साथ राजनैतिक व्यवहार 25 साल से अपनाया गया है। जो व्यक्ति अपने पक्ष का होता है वहां पर पानी की व्यवस्था की जाती है। खाने पीने की चीजें हैं वहां भी राजनीति अपनाई जाती है। मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि कम से कम पानी और जो खाने की चीजें हैं वह तो राजनीति से वंचित रखी जायं। वहां पर सरपंच पर दबाव डाला जा रहा है। आज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी हरिदेव जी जोशी के क्षेत्र से हूं। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैं खास तौर से जोशी जी से निवेदन करना चाहूंगा अगर आप इसी तरह से हमारे साथ भेदभाव रखते रहे तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा, अगर बांसवाड़ा जिला, दक्षिणी राजस्थान के साथ आप इसी प्रकार अन्याय करते रहे, पानी के संबंध में, सड़कों के संबंध में और अन्य किसानों की समस्या के संबंध में, और यही तरीका अपनाया तो दक्षिणी राजस्थान परतापुर, बांसवाड़ा की जनता ढोल बजाकर सड़कों पर आयेगी और आपके सामने परेशानी आयेगी। इसलिये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा जो जो काम किये गये, बीते काम को याद दिलाना नहीं चाहूंगा लेकिन अभी जो नई विधान सभा बनी है, नई विधान सभा में भविष्य में काम ध्यान रख कर करें, हमारी तरफ ध्यान दें अन्यथा किसान दुखी होकर आपके बीच में आयेगा, उस समय आपत्ति पैदा होगी....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री नवनीतलाल नीनामा : खास तौर से आखिर में मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं। कल मैंने प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। उसके लिये मैंने आपसे कहा था। चेम्बर में मेरे से बात कर लें, क्या प्रस्ताव है।

श्री नवनीतलाल नीनामा : विशेष सूचना है, 24 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री नवनीतलाल नीनामा : वहां पर श्रमिक नेता को मार दिया गया है। वहां पर ज्ञापन देने वाले श्रमिकों पर भी कलेक्टर कार्यालय के सामने लाठी चलाई पुलिस ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री नवनीतलाल नीनामा : उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी इस संबंध में कार्यवाही की जाय। बांसवाड़ा जिले के एस. पी.. कलेक्टर साहब को निवेदन किया जाय, खबर पहुंचाई जाय और शांति कायम रखी जाये अन्यथा शांति व्यवस्था वहां अस्त व्यस्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज ।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तहसील में प्राइमरी स्कूल की यह पोजीशन है कि स्कूल बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पानी के बारे में बोलें ।

श्री हंसराज मिढ़ा : बछरारा गांव है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नये सदस्य हैं, बोल रहे हैं ।

श्री हंसराज मिढ़ा : देईदासपुरा, मानकसर, सिंगरासर, खारिया, डीडवाना, बछरारा गांव है सूरतगढ़ तहसील के बारानी इलाके में पानी की व्यवस्था बहुत खराब है । पानी वहां पीने के लिये नहीं है और पानी के लिए टैंकर वगैरह बने हुए हैं, पाइप भी पड़े हैं मगर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं । जब तक पानी उनको नहीं मिलता है तब तक टैंकर लगाये जायं ताकि बारानी इलाके में पानी मिल सके । भेड़, बकरी, ऊंट और पशु वगैरह की काफी आबादी है । पहले मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अगर उनको पानी नहीं मिला तो उन लोगों की हालत खराब हो जायगी । खारा पानी है, कुओं में और वह पानी बहुत खराब है । अगर प्यासा पशु पी ले तो वह मर भी जाता है । मेरी तो रिक्वेस्ट है ज्यादा पानी की व्यवस्था की जाय । बाकी जो डिग्गियां नहरी क्षेत्र में बनी हुई हैं उनमें भी पानी नहीं है । डिग्गियां कई जगह बनी पर खाली पड़ी हैं, उनमें पानी नहीं है । शिवपुरी वाटर वर्क्स की डिग्गी बनी हुई है मगर उसमें पानी नहीं डाला गया । बाकी जो नई आबादी है उनमें कच्ची डिग्गियां कई जगह हैं । नहरें बन्द रहने से उनमें पानी नहीं है, लोगों को तकलीफ है । हर जगह पानी की समस्या आ रही है । आप एक कमेटी के द्वारा जांच फरमायें कि पानी की किल्लत कैसे दूर होगी । इसी तरह यह मसला बना हुआ है, जो हैण्ड पम्प लगाये हैं वे हैण्ड पम्प तो कामयाब नहीं हैं । पम्प की बजाय जहां से भी पाइप लाइन चले उससे जोड़ दें तो पानी सही मिल सकता है । पानी की समस्या गंभीर हो गई है । अनूपगढ़ तहसील एरिया बहुत लम्बा है । अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ ब्रान्च में जितने भी लोग बसते हैं जब नहर बन्द हो जाती हैं तो उन्हें पानी मिलता नहीं है । नहर की पुलियों से जो गन्दा पानी लाते हैं उसको वे लोग पीते हैं । उस पानी के पीने से हमेशा लोगों की हालत खराब रहती है, बीमारियां फैलती हैं । सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि लोग उससे जिन्दा रह सकें ।

मण्डियों की भी यही हालत है । डिग्गियां छोटी हैं और आबादी बढ़ती जा रही है, रायसिंहनगर मण्डी की यह पोजीशन है कि पांच हजार की आबादी थी जब वह वाटर वर्क्स बना था, अब आबादी बढ़ गई । वही हालत विजयनगर की है, वही हालत सूरतगढ़ की है और वही हालत अनूपगढ़ की है—हर जगह पानी की गंभीर समस्या है । सबसे ज्यादा ध्यान पानी पर जाय, बजट जितना होता है उसके आंकड़े बनाते हैं मगर पानी नहीं पहुंचता है इसलिये

(श्री हंसराज मिढ़ा)

आप मेहरबानी करके पानी की व्यवस्था फरमायें। पानी के बिना लोग जिन्दा नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में पीने के पानी की एक विशेष समस्या है और काफी लम्बे समय से है। राज्य सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए पिछले वर्षों में काफी कुछ किया है मगर यह समस्या अभी तक बनी हुई है। जहां जहां जल प्रदाय विभाग ने पाइप लाइन के जरिये, क्षेत्रीय योजना के जरिये पानी पहुंचाने की व्यवस्था की है वहां आज भी स्थिति गम्भीर बनी हुई है। कारण यह है कि जो लाइन पहुंचाई गई है वह टूटी फूटी हालत में है। वहां पर जो हौज बने हुए हैं वे टूटी-फूटी हालत में है, बराबर पानी छोड़ा नहीं जाता, अस्वस्थ ढांचा पानी का है और कुल मिलाकर आज स्थिति इतनी गम्भीर है कि पानी की एक एक बूंद के लिये गांव के लोग तरसते हैं। मैं इस समस्या के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय का खास तौर से आहोर तहसील की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। आहोर तहसील के जो गांव हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करूंगा। वहां के अधिकतर गांव बरसात पर निर्भर रहते हैं। इस वर्ष बरसात कम होने के कारण, बिलकुल नहीं होने के कारण वहां के तालाब और नाड़ियां सूखी पड़ी हैं। जो ट्रेडीशनल सोर्सेज हैं कुये वगैरह उनमें भी पानी नहीं है, पानी नीचे चला गया है। ऐसी हालत में इस प्रकार के जो गांव है, जहां अभी तक जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई है वहां तो हालत बहुत ही खराब है। पीने के पानी के अभाव में लोग मर रहे हैं, मवेशियों की हालत और भी खराब है। जिन जिन गांवों में जल प्रदाय विभाग द्वारा पानी पहुंचाया गया है वहां पर भी हालत बहुत खराब है। कारण कि पानी समय पर नहीं छोड़ा जाता और हौज टूटी फूटी हालत में है। एक-एक सोर्स से 10-10, 12-12 गांवों को जोड़ दिया गया है। इतनी दूरी पर लाइनें पहुंचाई गई हैं कि वहां जब से लाइन डाली गई है तब से लेकर आज तक पानी नहीं पहुंचा है. ऐसे बहुत से गांव हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृपा करके आने वाली गर्मी के समय को देखते हुए मेहरबानी करके जहां-जहां पर आपके महकमे के मार्फत पानी पहुंचाने की व्यवस्था की हैं, उस व्यवस्था को आप सुधारें, जल की आपूर्ति करें, जो हौज टूटे फूटे हैं उनकी रिपेयर करवायें और जहां जहां पर पाइप लाइनों में कचरा आ गया है, मिट्टी आ गई है या किसी और कारण से अवरुद्ध हो गया है, उसकी सफाई कराकर मेहरबानी करके पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। बहुत से गांवों में आपका स्टाफ लगा हुआ है और बहुत लम्बे समय से बैठा हुआ है उसको हटाने के लिए कहता हूं तो वहां के अधिकारी यह कहते है कि इनकी यूनियन बनी हुई है, हड़ताल कर देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार का वह महकमा किस काम का जो अपने स्टाफ को ठीक ढंग से रख नहीं पाये और छोटी मोटी यूनियन की धमकी के

(श्री मगराज चौधरी)

कारण यह कहता रहे कि इनको हम ठीक नहीं कर सकते, इनका हम तबादला नहीं कर सकते। अगर आप तबादला नहीं कर सकते और उनसे काम नहीं ले सकते तो स्टाफ किस काम का है। इसलिए मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि 4-5 रिसोर्सेज हैं और काफी लम्बे समय से स्टाफ बैठा है, उनके मैं संक्षेप में थोड़े से में उनके नाम बताना चाहूंगा ताकि वहां का जो स्टाफ है उसको हटाने की व्यवस्था करें। ऐसा स्टाफ है एक तो रामा गांव के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नाम न लें। जनरल निवेदन कर दीजिये।

श्री मगराज चौधरी : जहां आपके ट्यूबवेल बने हुए हैं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि वैसे तो सारा का सारा जो स्टाफ बैठा है वह काफी लम्बे समय से बैठा है और वह स्टाफ वहीं का रहने वाला है। आप जानते हैं, किसी न किसी कारण से हर गांव में गुटबन्दी है, चाहे पंचायत समितियों के चुनाव हों और चाहे और कोई कारण हो. वे गुटबन्दी में फंसे हुए हैं। वे वहां की लोकल पोलिटिक्स में भाग ले रहे हैं। अगर आप उनको वहां से नहीं हटायेंगे और केवल यूनियनबाजी से अथवा और किसी कारण से वहीं रखेंगे तो स्थिति सुधरने वाली नहीं है और किसी प्रकार भी आपको उनकी सेवायें मिलने वाली नहीं है। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन फिर भी निवेदन करना चाहता हूं मेहरबानी करके आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि कम से कम जिन जिन गांवों में लाइनें पहुंचाई गई हैं वहां पर पानी समय पर छोड़ें और जो हौज टूटे फूटे पड़े हैं, इनको ठीक करायें। रहतल नाम ले लीजिये, मंवराना ले लीजिये और बहुत से गांव ले लीजिये, उनमें पानी छोड़ें। हौजों में पूरा पानी भरें। अगर हौजों को पूरा नहीं भरा जाता है तो वहां के लोगों को क्या लाभ मिलेगा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री मगराज चौधरी : इसलिये मैं निवेदन करूंगा जहां जहां हौज नहीं भरे हैं, उन हौजों को पूरा भरें। बहुत सारे गांव हैं–रायथल, लेवास, बाला, भोरड़ा, मंवराना, मैं नामों की गिनती गिनाने लगूं तो समय बहुत लग जायगा। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आहोर तहसील में 110 गांव हैं उन 110 गांवों में से 90 गांव समस्याग्रस्त हैं। जिन गांवों में पानी पहुंचाया जा रहा है उनकी भी स्थिति सुधारी जावे और जिन गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, उन गांवों में पानी की समस्या इसलिये है कि या तो खारा पानी है, या कड़वा पानी है अथवा किसी कारण से पानी की व्यवस्था नहीं है, उन गांवों को भी समस्याग्रस्त मानकर शीघ्र से शीघ्र वहां पर वाटर वर्क्स की योजना बनाकर पानी पहुंचायें और पानी की आपूर्ति करवाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर की आबादी आपके मन्त्री महोदय ने 5 लाख सन् 1981 के अनुसार बताई है। मेरा निवेदन है कि आबादी और बढ़ती जा रही

(श्री विरदमल सिंघवी)

है। वहां पर मिलिट्री की भी बहुत बड़ी आबादी है जो गिनती में नहीं आती। उनका पानी का कन्जम्पशन भी बहुत है। इस कारण मैं निवेदन करूंगा वहां की पानी की समस्या के लिये, वहां पर पानी है नहीं. जवाई बान्ध से पानी आता है। पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि उन लोगों को उससे रोष होता है। रोष होना स्वाभाविक भी है। इस कारण वहां की स्थायी समस्या के लिये राजस्थान केनाल से शीघ्रातिशीघ्र जोधपुर में पानी लाया जाय, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मिलिट्री का वहां पर बेस है, मिलिट्री वहां पर बहुत आवश्यक भी है, मिलिट्री का बहुत सारा कन्जम्पशन भी है इसलिये केन्द्रीय सरकार से आपको बात करके विशेष सहायता लेकर अलग मद की मांग करके लिफ्ट योजना के द्वारा जल्दी से जल्दी जोधपुर में पानी लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से कि जोधपुर में पिछले कुछ समय से जो तालाब थे बने हुए जिनसे पानी पीते थे, जवाई बांध से पानी आने के पूर्व करीब 30-40 साल पहले की बात है जब पुरानी रियासतें थीं तो बहुत सारे तालाब भी बने हुए थे। जो अभी अभी संकट उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिये उस समय के तालाबों का उपयोग हो सकता था, गुलाबसागर, फतेहसागर और बड़े बड़े रानीसर, पदमसर आदि, परन्तु आज इन तालाबों का रखरखाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। यह बहुत बड़े तालाब हैं। इन तालाबों में नहरों से, जो आस पड़ौस में पहाड़ हैं उनसे पानी आता है। अगर रख रखाव बराबर तालाबों का किया जाय तो इन तालाबों में भी बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है, उनका उपयोग भी हम वाटर सप्लाई को सप्लीमैन्ट करने के लिये कर सकते हैं और इन तालाबों का पानी आ सकता है परन्तु आज इन तालाबों में पानी बड़ा गन्दा हो रहा है। तालाबों में जो भी नहरें आ रही हैं उसमें बड़ा कचरा है। अभी वर्षा होने वाली है, माननीय मन्त्री महोदया से मैं निवेदन करूंगा, इससे पूर्व यदि तालाबों की नहरों को साफ करवा दिया जाय। इनमें सारी गटर लाइंस भी पड़ती हैं, लैट्रिन्स के जो ओपनिंग्स हैं वह भी उन्होंने इसमें रख छोड़े हैं। उनको यदि सख्ती से बन्द करवाया जाय और इन तालाबों का रखरखाव ठीक से किया जाय तो जोधपुर को पानी की सप्लाई का सप्लीमैन्ट किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि फ्यूज सर्किट का फ्यूज उड़ जाने से दो तीन दिन की अव्यवस्था हो गयी। मैं निवेदन करूंगा कि अगर 2-3 दिन तक केवल सर्किट फ्यूज हो जाने से पानी की अव्यवस्था हो जाय और वहां कोई और दूसरा सोर्स नहीं हो तो आप विचार कर सकते हैं इतनी बड़ी आबादी वाले शहर, जहां और कोई दूसरी व्यवस्था न हो, में अगर 2-3 दिन तक बिल्कुल पानी एक बूंद भी न मिले तो किस प्रकार की स्थिति हुई होगी, किस प्रकार के हालात वहां हुए होंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसे मैटर में अधिकारी 2-3 दिन तक अगर छोटे फ्यूज को ठीक नहीं कर सकें और उसके कारण पम्प में गड़बड़ी हो जाय तो उसके विषय में सोचने की बात है।

(श्री विरदमल सिंघवी)

विशेष कर के मैं आपसे निवेदन करूंगा वहां पर विद्युत के संकट की बात बहुत कही जाती है, जब भी वाटर वर्क्स को फोन करते हैं, तो कहते हैं कि साहब बिजली फेल हो गयी, बिजली फेल हो जाने से इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा, आप वाटर वर्क्स को एक अलग से जैनरेटर दीजिए, वह उस जेनरेटर से ही काम करे। अलग से जेनरेटर लगा हो, वह वाटर वर्क्स के लिए एक्सक्लूसिव हो और वाटर वर्क्स उसी पर चले। इसके अलावा पानी की वेस्टेज बहुत होती है, और विद्युत की ट्रिपिंग बहुत होती हैं जब भी विद्युत कटती है तो सारे का सारा जो पानी आता है पम्पिंग होकर वह वापस पीछे बहता है, ढलान न होने के कारण वापस सारा पीछे बहता है। पीछे बहकर वह सारा पानी वेस्ट में जाता है, नदियों में वापस गिर जाता है और उस पानी का तनिक भी उपयोग नहीं होता। इस प्रकार से पानी का बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है। इसलिए एक अलग से जेनरेटर सैट की व्यवस्था वहां पर करें, पावरफुल जेनरेटर सैट की व्यवस्था करें वह बराबर चलते रहें इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री विरदमल सिंघवी : मैं, बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा। पानी की समस्या वहां की सबसे प्रमुख समस्या है। अध्यक्ष महोदय, पानी के बिना जोधपुर में त्राहि त्राहि मची रहती है। यहां पर जयपुर के माननीय सदस्यों की जो चर्चा चल रही थी तो आपने कहा कि यहां पर हम केवल बहुत कम पानी दे पाते हैं शहर के भीतरी भागों में हम केवल 3-4 घण्टे ही दे पाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर जोधपुर में आप 3-4 घण्टे पानी बराबर दे दें, नलों में अगर 3-4 घण्टे पानी आ जाय तो जोधपुर के लोग इतने ऑब्लाइज फील करेंगे कि आप मत पूछिये। वहां तो आधा घण्टा पानी भी आ जाय तो हम यह गनीमत मानते हैं कि आज आधे घण्टे पानी आ गया, पौन घण्टे पानी आ गया। इतना भी पानी नहीं आता, लोगों को बराबर अपनी छुट्टियां करके रात को आधी आधी रात तक जागते रहना पड़ता है। किसी का समय आधी रात में पानी आने का है, किसी का समय 9-10 बजे आने का है इसलिये कारखाने में मजदूर लोग थके थकाये आते हैं। उनको और कोई काम नहीं, सूझता, सबसे पहले यही सूझता है कि घड़ा लेकर कहीं जायं और पानी का जो टेप है उस पर जाकर पानी भरें। मैं निवेदन करूंगा कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां जो लाइन्स लगी हुई हैं वह बहुत पुरानी हैं। 1939 में लगी हुई हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था है कि कहीं से 3 इंच की लाइन आ रही है उसके आगे 4 इंच की पाइप लाइन जोड़ दी गयी है। अरे, पीछे तो 3 इंच की लाइन है उसमें अगर आप 4 इंच की लाइन जोड़ दोगे तो, उसका क्या लाभ होगा। मेरा निवेदन है कि यह पूछा जाय कि कौनसी लाइन कहां से जुड़ रही है तो वाटर वर्क्स के किसी भी अधिकारी को आज तक भी यह पता नहीं है कि कौन सी लाइन पीछे से कितने इंच की आ रही है और उसके आगे कौन सी लाइन जुड़ रही है। मैं अपने स्वयं के मकान की स्थिति बता रहा

(श्री बिरदमल सिंघवी)

हूं। पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने फोन किया, क्या बात है? तो कहा, साहब आपके यहां पाइप लाइन तो चौड़ी है, आना चाहिए पानी। फिर मालूम पड़ा कि पीछे की जो लाइन थी वह केवल 2 इंच की थी। अब दो इंच की लाइन अगर पीछे थी और 3 इंच की लाइन अगर आगे लगा भी दें तो उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। इसका सारा सर्वे करके विचार करें, लाइन्स कहां से कहां तक जाती है और कौन सी लाइन पीछे बड़ी है या छोटी है। इसके अतिरिक्त वापस लगाया जाय बहुत सारी लाइन पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी हैं, कई क्षेत्रों में आबादी नयी बसी है, नये क्षेत्रों में आबादी बसी है, कच्ची बस्तियां बसी हैं उनमें किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था नहीं है, वह करवानी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : बहुत आवश्यक है।

मैं आपसे अन्त में केवल एक बात और निवेदन करूंगा वहां पर जो रिजर्वायर्स हैं, बड़े बड़े जवाई बांध का पानी लाकर जिन रिजर्वायर्स में भरा जाता है कि वे रिजर्वायर्स कायलाना, तख्त सागर और बालसमन्द हैं, ये तीन बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं। कायलाना और तख्त सागर में विशेष रूप से पानी भरा जाता है। यहां पर स्वयं भी पानी बहुत आता था, बड़ी बड़ी लेक्स हैं, बड़ी आर्टिफिशियल लेक्स हैं जिनमें पानी की बहुत क्षमता है। आसपास के पहाड़ों से भी बहुत पानी आता था, बरसात के दिनों में हमको पानी की आवश्यकता भी नहीं रहती थी, इनमें भर लेते थे और जब इनका पानी समाप्त होता था तो जवाई से पानी मंगाते थे। इस कारण जवाई के पानी पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता था। आज स्थिति यह हो रही है कि इनके पास में बहुत सीटी पत्थर की माइन्स हैं, जोधपुर की पत्थर की माइन्स मशहूर है। पत्थर की माइन्स सारी इन्हीं इलाकों में आयी हुई हैं। वे माइन्स इतनी गहरी हो गयी हैं, उन माइन्स में इतने गहरे गड्ढे हो गये हैं कि बरसात का जो भी पानी होता है, वह सारा पानी इन माइन्स में भर जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि न तो बरसात का पानी उन रिजर्वायर्स में आ पाता है और न वह माइन्स काम कर पाती हैं, तो इस सम्बन्ध में भी आप व्यवस्था करें। माइन्स में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि उनमें बहुत सारा पानी इकट्ठा पड़ा रहता है तो यह प्राब्लम होती है माइन्स वालों को कि यह पानी बाहर कैसे निकालें। उनकी तो प्राब्लम यह है और हमारी प्राब्लम यह है कि उस पानी का उपयोग नहीं हो पाता। तो मैं निवेदन करूंगा अन्त में कि कैनाल्स का सिस्टम बनाकर उस पानी को निकालें। या तो उसको पम्पिंग से निकालें या उनमें पानी जाय नहीं, इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाय ताकि पानी आगे छोटी छोटी कैनाल के द्वारा मैन कैनाल में आ जाय और ये रिजर्वायर्स भर जायं और जवाई के पानी पर भी कम प्रेशर पड़े। इतना मेरा निवेदन है।

अन्त में यह कहूंगा कि जवाई के बांध का जो पानी आता है उसमें लीकेज बहुत होती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य !

श्री बिरदमल सिंघवी : बहुत सारा पानी लीकेज होकर वह जाता है। उस लीकेज को रोकने का प्रयत्न करें। मैं इतना ही निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेद सिंह। श्री हरजीराम बुरड़क।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

आर्डर प्लीज !

श्री शोपत सिंह : अगर इसी तरह से बहस चलती रहे तो अकाल जैसे महत्वपूर्ण सवाल जिसमें पानी का भी सवाल इन्वाल्व है, पर चर्चा नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री हरजीराम बुरड़क।

(व्यवधान)

कृपया बैठें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं दोनों पर मौका दूंगा। उस पर भी मौका दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरडक !

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा वैसे हिण्डोन के सम्बन्ध में था फिर भी मैं एक बात मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा....

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है आपसे वास्तव में पानी की कमी हो रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बिहारी लाल पारीक : अध्यक्ष महोदय, वही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं देंगे। व्यवस्था का बिन्दु बता दीजिए।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं वही बिन्दु बताने जा रहा था कि वास्तव में हम तो बोल ही नहीं सकेंगे इस हिसाब से और विधान सभा को आप स्थगित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री बिहारीलाल पारीक : हमको भी चांस मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री बिहारीलाल पारीक : हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरजी राम बुरड़क !

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पानी के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था वह फेमिन विभाग द्वारा जो पानी की व्यवस्था की जाती है उस सम्बन्ध में था फिर भी मैं एक निवेदन मन्त्री

(श्री हरजीराम बुरड़क)

महोदय से करना चाहता हूं कि जिन गांवों का आपने अभी हवाला दिया कि इतने गांव पाइप लाइनों से जोड़ दिये उनके लिये पानी की व्यवस्था कर दी गयी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की? जिन गांवों को पानी से जोड़ दिया गया उनमें से कितने में पानी पहुंचा है? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आधे गांवों में पानी पहुंचा है बल्कि चौथाई गांव तक पानी पहुंचा है मेरे क्षेत्र में....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : हमारे कांग्रेस वालों के में ही नहीं पहुंचा।

श्री हरजी राम बुरड़क : मेरे क्षेत्र में करीब करीब सारे गांव पाइप लाइनों से जुड़े हुए हैं। अधिकतर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम है उन गांवों में से एक चौथाई गांवों में पानी नहीं जाता। इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की, इसका आप मुझे उत्तर दिलावें....

दूसरा मेरा यह था कि रिलीफ डिपार्टमेंट ने यह निर्णय ले रखा है कि जिन गांवों को पाइप लाइन से जोड़ दिया गया उसमें पानी की समस्या होते हुए भी टेंकरों से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। गांव में पाइप लाइन है जबकि वास्तव में वहां पानी पहुंचता नहीं और न उनको टेंकरों से पानी दिया जाता। इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है? इन दोनों बातों का उत्तर आप इस समय दें। बाकी बातें रिलीफ डिपार्टमेंट पर मंत्री महोदय जब स्टेटमेंट देंगे उस समय मैं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर ज़िले में पानी की समस्या है। बड़ी भारी भयंकर समस्या है। बीकानेर जिला राजस्थान का पश्चिमी जिला है और पाकिस्तान की जो सीमा है वह काफी लम्बी चौड़ी सीमा है। हमारे यहां पानी पीने की व्यवस्था है वह बिल्कुल नाम मात्र की व्यवस्था है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि जिन गांवों में वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है उन स्कीमों के अन्दर सरकार असफल रही है। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, अध्यक्ष जी, जिन गांवों में राज्य सरकार ने स्कीमें बना रखी हैं मौजूदा वह स्कीमें सारी की सारी बन्द पड़ी हैं, मैंने इस सम्बन्ध में एक गांव का स्थगन प्रस्ताव भी दिया। जो नौ गांव की स्कीम है, नौ गांवों में पिछले सात साल से आज तक एक बूंद पानी नहीं दिया गया है। अगर सरकार इसकी जांच कराये तो बहुत अच्छा रहे।

दूसरी बात मेरी यह है कि राज्य सरसरकार ने डीजल से कुछ स्कीमें और चला रखी हैं। अध्यक्षजी, डीजल जो है उसको लोग बेच देते हैं। सरकार के कर्मचारी लोग बेच देते हैं और गांव के लोगों को पानी पीने को देते नहीं हैं। इस तरह की व्यवस्था है, राज्य सरकार की नीति है, यह नीति समाज विरोधी नीति है। गांव के आदमी के खिलाफ नीति है। अध्यक्षजी, आप बीकानेर जिले का दौरा करते हैं, आपको पता है इस बात का कि बीकानेर जिले में पानी की समस्या कितनी भयंकर है। राज्य

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सरकार ने दावा तो यह किया है कि हम राजस्थान नहर से पीने का पानी देंगे लेकिन, अध्यक्षजी, इन्होंने जो स्कीमें बनाई हैं वह सारी की सारी स्कीमें नाम मात्र की हैं। केवल एक फोटो बना रखा है, यह स्कीमें हैं और इस गांव से, इस पोइन्ट से पीने का पानी जायगा। अध्यक्षजी, पिछले दिनों में बहुत सी गायें, बहुत सा पशुधन पानी नहीं मिलने के कारण मौत के घाट उतर चुका है। इस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि कोलायत तहसील के दासूडी गांव खीदासर आदि दस ग्यारह गांव का ऐसा पार्ट है जो जोधपुर के फलोदी से लगते हुए हैं, वहां पानी खारा है और पीने का पानी है नहीं। आपने एक स्कीम बना कर छोड़ दी और लोगों की ऐसा उलझा दिया कि लोग किसी काम के नहीं रहे। अध्यक्षजी, मैं चाहूंगा कि बीकानेर जिले में कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था करें। मेरे लिये शर्म की बात है और इस सरकार के लिये भी शर्म की बात है कि 37 साल से गांव के आदमी का वोट लेकर यह शासन चला रही है सरकार और उनको पीने का पानी तक सरकार नहीं दे सकी, यह बहुत लज्जा की और शर्म की बात है।....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारा फर्ज है कि गांव के आदमी को कम से कम इतने लम्बे समय में पीने का पानी तो दें। आप यहां बैठे हैं एयर कण्डीशनें लगा करके, राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारी के कूलर चलते हैं। अध्यक्ष जी, मैं घरों में जाता हूं, इनके पानी के फव्वारे चलते हैं लेकिन हमारे बोर्डर, बीकानेर जिले में इंसान को पीने का पानी का एक गिलास नहीं मिलता है। लोग पानी के अभाव में गांव छोड़ कर राजस्थान नहर पर पशु लेकर जाते हैं। आपकी राजस्थान नहर भी सूखी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैं रह नहीं सकता अध्यक्षजी, यह मामला ही ऐसा है।

अगर 37 साल में राज्य सरकार एक इंसान को पानी पीने को नहीं दे सके तो इस जगह पर बैठने का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, लोग गांव छोड़ करके राजस्थान नहर की तरफ अपनी भेड़, बकरी, रेवड़, गाय और पशु को लेकर गए, राजस्थान नहर पर गए। अध्यक्षजी, यह लम्बा इलाका है, 147 किलोमीटर का इलाका है। 147 किलोमीटर में आपके किसी गांव में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां गए तो राजस्थान नहर आपकी सूखी पड़ी हुई है। हमारे प्रधान मंत्री जी के नाम से इन्दिरा गांधी नहर रखा है। इन्दिरा गांधी नहर, आज की तारीख में, आप जांच कराइये, सूखी पड़ी है। बेचारी बहुत सी भेड़ और बकरियां बिना पानी के मर गई, मौत के घाट उतर गई बहुत सी गायें। अध्यक्षजी, इस बात का दुःख है हमें कि राज्य सरकार नींद में सो रही है। इनको यह पता नहीं है कि गांव में दर्द कितना है लोगों को पानी का, मैं ज्यादा बात नहीं कह करके राज्य सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आज यहां

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

से ग्राप जिलाधीश महोदय को वायरलैस से यह बात पूछ लें कि ग्रापका विधायक ग्रसत्य बोल रहा है या इसकी बात सच है। ग्राप जांच कराइये, ग्रापकी जिम्मेदारी है, सरकार की ड्यूटी है। मैं चाहूंगा कि ग्राप पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

(ग्रनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री शोपतसिंह : ये तो बहुत बोल लिए। इनकी पार्टी भी बहुत बोल ली।

श्री गिरधारीलाल भार्गव किशनपोल) : ग्रापसे तो कम ही हैं, महाराज।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्राप कई बार इस प्रश्न को उठा चुके हैं। ग्रापका स्थगन प्रस्ताव था इसलिए संक्षेप में, बहुत संक्षेप में कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ग्रध्यक्ष महोदय, मुझ गरीब का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। सबसे पहले।

श्री ग्रध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हां, संक्षेप में बोलूंगा। मैं तो बहुत कम बोलता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय।

श्री ग्रध्यक्ष : इस समस्या को ग्राप कई बार उठा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बहुत कम बोलूंगा, साहब।

मान्यवर ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, माननीय मंत्रीजी भी जयपुर नगर से सम्बन्धित हैं ग्रौर ये विधायक बन्धु सब जयपुर नगर में विराजते हैं। इन सबकी ग्रहमियत का प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी, ग्रापको ध्यान होगा कि ग्रमानीशाह सबसे पहले जयपुर में पानी का स्रोत था। ग्राज 75 कुए हैं उनका स्रोत गिर गया। उनकी सफाई नहीं हो रही है। रामगढ़ नम्बर दो पर ग्राता है। किशनबास में 20 कुए हैं ग्रौर 320 जयपुर शहर में ट्यूबवैल हैं। 1200 जयपुर शहर में इस समय सार्वजनिक नल हैं, पी.एच.ई.डी. के जिसको कहते हैं। मेरा निवेदन करना यह है ...

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब ग्राप बता चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय महोदय मैं निवेदन कर रहा हूं कि दोनों समय पानी....

श्री ग्रध्यक्ष : इस विधान सभा में कितनी बार रिपीट करना चाहेंगे ग्रपने भाषण में इन बातों को।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : यह कई बार बोल चुके हैं ग्राप। ये फिगर ग्राप दे चुके हैं।

(व्यवधान)

ग्रार्डर, ग्रार्डर !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पांच साल बाद आया हूं। पांच साल में आंकड़े बढ़ गए हैं।

मेरा निवेदन करना है कि इस समय निर्धारित समय है साढे तीन से लेकर 7 बजे तक। यह समय बहुत जल्दी है। साढे तीन बजे कोई आदमी पानी नहीं भरता। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आप कुछ चौकड़ियों में तो दे रहे हैं सुबह पानी, मोदीखाना और विश्वेश्वरजी में दे रहे हैं आप शाम को पानी शाम को पानी मत दो क्योंकि लोग दुखदायी स्थिति में हैं। पानी जितना आपके पास है, मेरा एक ही निवेदन है कि दो समय दें, कम समय दें पर दोनों समय जयपुर शहर में सभी चौकड़ियों में आप पानी दें। जो पानी देने का समय हो उस समय निर्धारित समय में पूरे वेग के साथ प्रेशर से पानी दिया जावे। एक तो मेरी मांग मंत्री महोदय से यह है।

दूसरी मांग यह थी कि बड़ी लाइन डाल कर प्रेशर में सुधार किया जाय और जहां पर पानी का लीकेज है उन लीकेज को ठीक किया जावे। मेरा निवेदन करना यह है कि कई जगह तो यह वाटर लाइन जो है वह गटर लाइन से जुडी हुई है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं मालूम है, जयपुर नगर में हर एक व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं। सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में पेट के कीडों की दवाई जयपुर शहर में बिकती है। यह माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि यदि गटर से जुड़ी हुई जो लाईन है उनको यदि हमने ठीक नहीं किया तो जो माननीय सदस्य नये नये आये हैं उनके पेट में भी कीड़े हो जायेंगे। हम तो दुखी हैं इस राज में। आखिरकार जयपुर शहर में सबसे ज्यादा पेट में कीड़ों की दवाई बिकती है मेरा निवेदन करना है कि सोसायटीज की बात है। सोसायटीज की जहां भूमि है वहां पर लोगों ने रबड़ की पाइप लाइन डाल ली या लोहे की पाइप लाइन डाल ली। मेरा निवेदन करना यह है कि सोसायटीज ने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। सोसायटीज के नल लगे हुए हैं, राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि सोसायटीज में रबड़ की पाइप लाइन डाली हुई है या लोहे की पाइप लाइन डाली हुई है और अब उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किनकी है? आज जयपुर शहर में 765 बस्तियां उपनगरीय कृषि भूमि में बनी हुई हैं। उन लोगों की यह प्राब्लम है। मुझको आपसे यह निवेदन करना है कि एक करोड़ बीस लाख रुपया इमरजेंसी वाटर सप्लाई स्कीम के तहत खर्च करने का इन्दिरा गांधीजी जब जयपुर शहर में आई थी अगस्त के महीने में, तब निर्णय लिया गया था। सरकार सोती रही और 335 हैंड पम्प लगाने की घोषणा उसी रुपये में से सरकार ने की। बारह हजार रुपया लगेगा एक हैंड पम्प पर। चालीस लाख रुपया व्यय हो जाएगा इसमें, बाकी फिर एक करोड़ बीस लाख में से चालीस लाख खर्च हो जाने के बाद शेष रकम को राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है, यह नहीं कहा गया। यह थोथी वाहवाही ले ली। उस समय हमने आन्दोलन किया जब श्रीमती इन्दिरा गांधी आई, परसेरामजी मदेरणा के वक्त में यह स्कीम बनी और यह 335 हैंड पम्प लगाने की घोषणा आपने अब की है जब कि घोषणा कर देनी चाहिए थी आपको अगस्त के महीने में। काम शुरु

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कर देना चाहिए था आपको उसी समय। अब आप हावड़ तोवड़ में नलकूप लगाना चाहते हैं। वहां पर आएगा, कहीं पर नलकूप खराब हो जाएगा आपने कहा कि हमने 335 हैंड पम्प जयपुर शहर में लगा दिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन सोता रहा। मेरा प्रशासन पर आरोप है, इस समय जो हावड़ तोवड़ में हैंड पम्प लगाने की बात की जा रही है वह स्वागत योग्य तो है, हैंड पम्प लगने चाहिए, लेकिन प्रशासन क्यों सोता रहा ?....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मन्त्री जी कह रही थीं, यह विषय नहीं है। कानोता डेम के बारे में क्या हुआ ? बांडी नदी पर ट्यूबवेल बने, उसके बारे में क्या हुआ ? विश्व बैंक से 14 करोड़ 38 लाख रुपया जो मिला उसके बारे में क्या हुआ ? रामगढ़ से लक्ष्मण डूंगरी तक जो नई वाटर लाइन डाली जाने वाली थी जो ट्यूबवेल से मिलाई जाने वाली थी, उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं हुआ।

(3.00 म. प.)

माननीय मन्त्री जी ने एक बात जरूर कही थी बनास योजना के सम्बन्ध में। दूसरा, मुख्य मन्त्री जी ने कहा, बीसलपुर डैम, जो 30 करोड़ का डैम है, जिसका शिवचरणजी माथुर ने उद्घाटन किया, प्रारम्भ होगा। इस बात के लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। बीसलपुर की योजना ही जयपुर शहर के लिए पेयजल की स्थायी योजना है।

अन्त में आपकी मार्फत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हैंड पंप जो लगाये जायं उसके लिये जो निर्वाचित प्रतिनिधि एम. एल. ए. हैं, कम से कम उनसे सलाह ले लेनी चाहिए। अस्थाई प्रबन्ध के लिये पानी की टंकियां खुदवाई जानी चाहिए। कुएं जो अस्थायी हों उनमें पाइप लाइन लगाई जाय, मोटर लगाई जाय। जहां 10 हार्स पावर की मोटर लगानी आवश्यक नहीं हो, 5 हार्स पावर से काम चल सकता है तो वह किया जाय। जयपुर शहर में जितने भी श्मशान हैं या कब्रिस्तान हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर हैंड पम्प लगाए जायं।

मेरा अन्त में आपसे निवेदन है कि आप जो कई जगह कार्मशियल बिल लगा देते हैं, मूर्तिकार जो पानी काम में नहीं लेते, ढलाई, जड़ाई वाले काम में नहीं लेते उन पर भी इस तरह से कार्मशियल बिल लगाये जाते हैं। अन्त में चेतावनी देना चाहता हूं मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को कि यह तो पानी पीयें दो टाइम और जयपुर की जनता पीये एक टाइम, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्रीमण्डल के सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यह दोहरी नीति जयपुर शहर में चलेगी नहीं। या तो सारे जयपुर की जनता को दो समय पानी दें वरना दोनों टाइम पानी की मंत्रिमण्डल के लोगों ने सुविधा ली तो जयपुर की जनता, मैं समझता हूं, बगावत के रूप में उनके सारे के सारे कनेक्शन काट

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कर ले जायेगी । यह मैं मंत्रिमण्डल के लोगों को चुनौती देता हूं । जयपुर नगर के लोगों को भी दोनों समय पानी मिलना आवश्यक है ।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : एम. एल. ए. को तो 24 घण्टे मिलता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह ।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की तरफ से पेयजल के लिए राजस्थान को काफी धन प्राप्त हुआ । हमारे पूर्वी राजस्थान के हिस्से में कभी पानी की दिक्कत नहीं आती थी लेकिन आजादी के पश्चात् जो आदत बिगाड़ी, आदत बिगाड़ने के बाद आदत को सुधारने की कोशिश तो राज्य सरकार ने की नहीं, इस कारण से सारा संकट आ रहा है । पहले पेयजल योजनाएं नहीं थीं, उस जमाने में हमारे यहां वाटर लेवल काफी ऊंचा था, पानी की उपलब्धि थी । कस्बा हिण्डौन, गंगापुर, करौली और सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर एक मात्र शहर ऐसा है जहां एक्स ईएन., वाटर वर्क्स रहता है । वहां की स्कीम रिवाइज हुई है । गंगापुर, हिण्डौन, करौली, तीनों कस्बों की वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, आज वहां की आबादी पहले के मुकाबले में दूनी हो गई और वाटर सप्लाई स्कीम उसी प्रकार से चल रही है । एक एक, आधा आधा घंटे हिण्डौन, गंगापुर में पानी मिलता है । यही स्थिति करौली की है अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर से भरतपुर का कुछ हिस्सा, धौलपुर के कुछ हिस्से जो वांसड़ा क्षेत्र कहलाता है, बयाना से लेकर और कोटा के इलाके में जो माउन्टेन एरिया है, वहां पर पुराने जमाने में राजाओं के शिकार के कारण जो बान्ध बना करते थे उनके कारण से पानी का लेबल ऊंचा रहा करता था । वे सारे बन्धे हो गये खराब और पानी पीने के लिए जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वे हैंड पंप लगे हैं नेताओं के इशारे पर । जहां हैंड पंप 200 फीट गहरे लगने चाहिए थे वहां लगाए गये 50–60 फीट गहरे । मैं माननीय मंत्री महोदया को निवेदन करूंगा कि धौलपुर, सवाई माधोपुर के अन्दर जो हैंड पंप लगे हैं उनको खुदवाकर उनकी जांच करवाई जाय, उनका कितना पेमेंट किया गया और कितने हैंड पंप फिजिकली वहां पर मौजूद हैं । जितने हैंड पंप लगे हैं उनकी जितनी गहराई का बिल दिया गया है उतनी गहराई तक हैंड पंप नहीं लगे । यही कारण है कि वहां शत प्रतिशत हैंड पंप खराब हैं, कोई भी हैंड पंप पानी नहीं दे रहा है । वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री शिवचरण सिंह : तो मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जिले की जो चारों ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम हैं, मात्र एक सवाई माधोपुर की रिवाइज स्कीम बनी है, गंगापुर, हिण्डौन, करौली, महुआ इन कस्बों की ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम को रिवाइज करवाई जाय । डांग एरिया में जो हैंड पंप लगे हैं उनको उखड़वा कर उन अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तब तो इन हैंड पंपों की स्थिति ठीक रहेगी ।

(श्री शिवचरण सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि इन हैंड पम्पस् के ऊपर जो वेस्टेज किया जा रहा है उसकी बजाय हमें पुनः खुले हुए कुओं को बनवाना चाहिए। केवल कुएं ही एक परमानेन्ट तरीका है। हैंड पंपों का न तो रखरखाव होता है और न ही उनसे लाभ मिलता है। अब इस एरिया में खुले कुएं बनाए जाने चाहिए और जो वाटर सप्लाई स्कीम है उनको भी देखना चाहिए। मेरे इलाके से लगा हुआ पास में सरवदरा का इलाका है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, पिछले 10 साल से वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है सरवदरा में, लाखों रुपये खर्च करने के पश्चात् भी पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है। यही दशा गंगापुर की है, यही दशा हिण्डौन की है, यही दशा करौली की है। तो हैंड पंप के बारे में स्कीम को रिवाइज़ करने के बारे में मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया। इसके बाद में मंत्री महोदया उत्तर देंगी और कार्यवाही करने की कृपा करेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल सिंह।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हरलालसिंह खर्रा : पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, श्री माधोपुर नगरपालिका के वार्ड 3 में अलग टंकी बनाकर पी. एच. डी. वालों ने इन्तजाम कर रखा है बिजली लगा कर, चुनावों के बाद 2-3 बार बिजली की लाइन जानबूझ कर डिस्टर्ब करके मोटर को जलाया गया। 2-2 दिन तक वहां पानी की सप्लाई बन्द रही। अब मैं उसके बारे में यही निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी तो जांच करवाई जाय और जितने इलाके ऐसे हैं जो श्रीमाधोपुर की मेन स्कीम से नहीं जुड़े हुए हैं वह अलग स्कीम है उसकी अलग सुरक्षा रखी जाय और भविष्य में यह दुबारा पुनरावृत्ति न हो।

इसके अलावा श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जो मुंडरू, नांगल, दिवराला, अजीतगढ़, झाड़ली, मरू ग्राम हैं उनमें जो स्कीम चालू हैं वहां चुनावों के समय लाइन डाली वह अब तक शुरू नहीं की गई उनको शुरू करवाया जाय। जहां खाइयां खोद दी गई थीं, पाइप नहीं डाले थे वहां पाइप अब भी उन गांवों में पड़े हुए हैं लोगों के पास, कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं के पास, उनको इन खाइयों में डालें। लाइन खुदी हुई है, उनको भी चालू करवाया जाय।

तीसरा मेरा निवेदन है, ग्राम गढ़ टकणेत में जनता राज में जो पानी की स्कीम लागू हुई थी, जिस पर लाखों रुपया खर्च हुआ था, आज वहां स्थिति यह है कि कुए में पानी नहीं होने से 24 घण्टे में कोई 2-4 मिनट भी वह ट्यूबवेल पानी नहीं दे सकता क्योंकि ट्यूबवेल ही खराब है। मैंने जानकारी की तो मालुम हुआ कि वहां दूसरा ट्यूबवैल स्वीकृत हुआ है। मेरा निवेदन है कि ट्यूब वैल बनवाया जाकर इस स्कीम को चलाया जाय। ग्राम मुण्डू, अजीतगढ़, जोराला में जिस समय यह

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

स्कीम लागू हुई तब आबादी बहुत कम थी इसलिये टंकी कैम कैपेसिटी की और लाइनें भी हल्की डाली गई, आबादी के हिसाब से वहां और ट्यूब वैल लगा कर टंकी की व्यवस्था आबादी के हिसाब से करवाई जाय। मेरा निवेदन है कि गढ़ मौजी में भी चुनावों के समय स्कीम मंजूर की गई। चुनावों के समय ही मोटर और पाइप फिट होने के बाद स्टे लाया गया। मेरा निवेदन है कि कुएं में मोटर फिट कर दी गई, पाइप लगा दिये गये गांव वाले वैसे ही पानी नहीं भर सकते, चैनल वगैरह की अडांस के कारण, तो उसको चालू करवाया जाय जिससे वहां के लोगों को उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : जिन गांवों में जनता राज में मोटर फिट करके एक हजार से ऊपर की आबादी को पीने के पानी की सुविधा दी गई थी वहां आपकी सरकार ने पंचायत समितियों से पूछा था कि 50 कनेक्शन से ज्यादा जिन ग्रामों में लेने वाले हैं उनको भी दे दिये जाएंगे। इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि श्री माधोपुर पंचायत समिति में ऐसे 10-15 गांव हैं, जहां 50 ही क्या 100-100 कनेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो उनको भी ऐसी सुविधा दी जानी चाहिए।

अन्त में मेरा एक निवेदन है कि भगवान के नाम पर राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाय, जहां आवश्यकता हो वहां हैंड पंप लगाये जायं, पाइप लाइन डाली जाय। राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव यदि इसी तरह से किया गया तो गांवों में कटुता बढ़ेगी और उस कटुता का नतीजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो हैंड पंप लगाये जा रहे हैं उनके बारे में निवेदन यह है कि वे बहुत महंगे पड़ते हैं। मैंने पंचायतों की तरफ से प्राइवेट तौर पर लगवाये थे वह 3-3, 4-4 हजार के हैंड पंप पड़े हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जो हैंड पंप लगवाये हैं वे तो खराब पड़े हैं और जो हमने पंचायत समितियों में 5-7 हैंड पंप लगवाये हैं वह आज भी चालू हैं अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो इन पर नियंत्रण रखा जाये। हैण्ड पम्प वहीं लगाया जाये जहां 300-400 की आबादी हो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि गांवों में जो एग्रीकल्चर के कुएं हैं उनमें पानी ऊपर तो है नहीं उन सब कुओं में बोरिंग से पानी आता है। जहां 200-300 की ढाणी है वहां जब बिजली नहीं आती है तो भयंकर समस्या हो जाती है। पुनः राज्य सरकार से निवेदन है कि राजनैतिक भेदभाव नहीं किया जाये, मानवता की दृष्टि से जहां उचित हो वहां काम करें।

श्री अध्यक्ष : दोहरायें नहीं माननीय सदस्य! श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में पानी की समस्या को लेकर कई माननीय सदस्य विस्तृत चर्चा कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ : परन्तु मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहूंगा, जिससे यहां की समस्या का निदान हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में पानी के

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लिए जो मुख्य स्रोत है वह है रामगढ़ का बन्धा। जबसे यह रामगढ़ का बन्धा बना है, मुझे याद नहीं कि तब से आज तक उसकी सफाई हुई हो। कल एक प्रश्नकर्ता के जवाब में सरकार ने यह बताया कि उसकी सफाई करवाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। आज 37 फीट पानी का स्तर रामगढ़ के बन्धे में है। जैसी जानकारी सभी को है, उसमें 20 फीट मिट्टी है। आज कुल 17 फीट पानी उस रामगढ़ बन्धे में उपलब्ध है। मैं राज्य सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जो मिट्टी 20 फीट है उसकी सफाई निश्चित रूप से करायी जाय। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ साल पहले चम्बल नदी की नहरों की सफाई के लिए मशीन केटरपिलर अमेरिका से लाखों रुपयों में राज्य सरकार ने खरीदी थी। आज वह मशीन बन्द पड़ी है। उस मशीन को रामगढ़ बन्धे में लाकर उसकी सफाई करायी जाय तो मेरे ख्याल से....

श्री अध्यक्ष : वह मशीन दूसरी है, मशीन इस काम के लिए नहीं है। दूसरी मशीन है। माननीय सदस्य, आगे बढ़िये।

श्री कालीचरण सराफ : दूसरा, मेरा यह अनुरोध है, जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई, 335 हैण्ड पम्प जयपुर शहर में लगाये जायेंगे। जयपुर शहर की आबादी को देखते हुए यह 335 हैण्ड पम्प संख्या पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया रिपीट न करें जो बिन्दु आ गये सामने।

श्री कालीचरण सराफ : मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो हैण्ड पम्प की संख्या है वह पर्याप्त नहीं है। जयपुर शहर के अन्दर कम से कम एक हजार हैण्ड पम्प लगें तब यहां की समस्या का सॉल्यूशन निकल सकता है। इसलिए हैण्ड पम्पों की संख्या बढ़ायी जाय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लक्ष्मी नारायण किसान (फुलेरा) : महोदय, फुलेरा क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें पानी की समस्या है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं फुलेरा क्षेत्र में एक चौथाई गांव ऐसे हैं जहां एक फसल होती है, उन गांवों में जमीन में पानी नहीं है। गहरे खोदने पर पानी नहीं आता है। उन गांवों में पीने के पानी के तालाब और ऐसे कई साधन हैं किन्तु उनमें पानी का बड़ा अभाव है। कुल मिलाकर 20-25 गांव हैं। उनके लिये क्षेत्रीय स्कीम बनायी गई थी। तीन क्षेत्रीय स्कीम में से एक स्कीम तो राज्य सरकार ने स्वीकार कर दी लेकिन उसका भी अभी काम चालू नहीं हुआ है। बाकी दो स्कीम ऐसी हैं जिनको किन्हीं कारणों से सरकार ने आपत्तियां निकाल कर वापस कर दिया है एक स्कीम जैतपुरा की थी। जैतपुरा के आसपास 11 गांव हैं जिनमें पानी का बहुत अभाव है। जैतपुरा का एक बन्धा था जो सिंचाई विभाग का था, वह आज बन्द है। उसमें पानी जब आता है तो आसपास के लोग-बाग छोटे-छोटे कुए बनाकर पानी पी लेते हैं। लेकिन इस साल

(श्री लक्ष्मी नारायण किसान)

बन्धे में पानी नहीं आने से, पानी का अभाव होने से आज उन कुओं में पानी नहीं है। पानी का स्तर भी नीचे चला गया है। नीचे चले जाने से वहां पानी की समस्या पैदा हुई है। हालत ऐसी हो गई है कि जानवर और मनुष्य उस जगह को छोड़ रहे हैं। उनको पानी के लिये बड़ी भयंकर समस्या हो गई है।

दूसरा, आठ गांवों की एक स्कीम थी, रामजीपुरा की। रामजीपुरा एक पिछड़ा हुआ गांव है। वहां एक स्कीम बनायी गई थी लेकिन वह आपत्ति के कारण वापस विभाग में आ गई है। सरकार ने उसको मन्जूर नहीं किया। उस गांव में पानी की भयंकर समस्या है। उन गांवों की जमीन के नीचे खारा पानी है। खारा पानी का स्तर भी नीचे चला गया। नीचे चले जाने से कुओं का पानी खारा हो गया। वहां पीने के पानी की भयंकर समस्या है। उन गांवों में हैण्ड पम्प लगाये थे लेकिन हैण्ड पम्प गहरे कर दिये। क्योंकि ठेकेदारों को इससे अधिक पैसा मिलता इसलिए हैण्ड पम्प गहरे कर दिये। ऊपर तो मीठा पानी था लेकिन नीचे खारा पानी है। जो हैण्ड पम्प प्राइवेट तौर पर लगाये थे उनमें तो मीठा पानी है और थोड़े से पैसे लगे हैं। सरकार के पैसों से, ठेकेदारों ने जो लगाये, उन्होंने 100-150 फीट गहरा कर दिया जिससे खारा पानी आ गया। हैण्ड पम्प आज उसी हालत में पड़े हैं। आपसे निवेदन है कि तीन स्कीमों में से सरकार से जो स्कीम स्वीकृत हो गई है उसको चालू कराया जाय, दूसरी जो स्कीम बनी हैं लेकिन स्वीकृत नहीं हुई है। उन गांवों में पानी की भयंकर समस्या है, तो फिलहाल उनके लिए टैंकरों से व्यवस्था करें या अन्य कोई तरीके से पानी की व्यवस्था करें। कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा कुछ ऐसी स्कीम थीं जिन पर स्वीकृति होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ जैसे—भैंसावाणा, लालासर, सिनोदिया, मलिकपुरा। इन गांवों की स्कीम स्वीकृत हो गई थीं लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ ऐसे गांव हैं जैसे—मंडा भैंसवाणा, लालासर, जिनमें स्कीम स्वीकृत कर काम चालू किया था उस समय आबादी बहुत कम थी और अब आबादी बढ़ गई है। ढाणी के आसपास और इलाके हैं उनमें भी खारा पानी है उनको भी उससे जोड़ने की योजना बनायें ताकि लोगों को पानी मिल सके। इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। साढ़े चार बजे गुलोटिन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है।

श्री नाथूसिंह : दो स्थगन प्रस्ताव हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरे पास नाम है, आप बैठें। मैंने अभी क्लोज नहीं किया है। माननीय सदस्य, आपसे मैंने कई बार कहा है कि व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, आक्रोश में मत आयें।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय और सदन का ध्यान इस ओर

(श्री सी.पी. जोशी)

आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश की जो जल की समस्या है उसका निराकरण हम एक ही दृष्टि से करें तो नहीं हो पायेगा। जो राजस्थान की जियाग्राफिकल कन्डीशन है उस हिसाब से हमको इस समस्या को मीट आउट करने की आवश्यकता है। जहां हमारा रेगिस्तानी इलाका है वहां पीने के पानी की समस्या के लिए पुन: नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

दूसरा, मेवाड़ का जो इलाका है वह पहाड़ी इलाका है। वहां पानी की समस्या का निराकरण हम जो हैण्ड पंप के माध्यम से करना चाहते हैं, हैण्ड पंप के माध्यम से तात्कालिक लाभ हो सकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन दीर्घकालीन योजना की दृष्टि से यह सक्सेसफुल योजना नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, मेवाड़ के इलाके, जो पहाड़ी इलाका है, में पीने के पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए एनीकट से ट्राई करें। राजस्थान सरकार अपनी माइनर इरिगेशन के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, हम आशा करें कि पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल का निदान हो पायेगा, तात्कालिक लाभ तो हैंड पंप से कर पायेंगे लेकिन दीर्घकालीन लाभ नहीं हो पायेगा, इसलिये यह आवश्यक है कि सिंचाई विभाग और जो हमारा पी. एच. ई. डी. विभाग है, दोनों विभाग मिलकर इस तरह की योजना बनायें। ताकि मेवाड़ के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पीने के पानी की समस्या का निराकरण इस एनीकट के माध्यम से हो सके।

खास तौर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उदयपुर की जो समस्या है उसके बारे में आप स्वयं जानते हैं। माननीय महोदय, गुजरात में जो साबरमती का जो पानी है उस पानी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए लम्बे समय से देवास योजना बनाने की कोशिश की गई। उदयपुर की बढ़ती हुई आबादी को पीने के पानी की समस्या का निराकरण हम देवास योजना से कर पायेंगे। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है, माननीय अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में हम देवास योजना को जिस स्टेज पर, सैकिण्ड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पर कम्पलीट करना चाहते हैं वह स्टेज हम ले नहीं पायें।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं कर पायेंगे। योजना को पी. एच. ई. डी. करेगा या सिंचाई विभाग करेगा, यह बात बिल्कुल साफ है। उदयपुर का जो एक्सपान्शन हुआ है उस हिसाब से सोचना बहुत आवश्यक है कि यदि हमें उदयपुर के पीने के पानी की समस्या का निराकरण करना है तो या तो हमें देवास की सैकिण्ड, थर्ड और फोर्थ स्टेज की योजना को सेवेन्थ प्लान में कम्पलीट करना पड़ेगा, यह सम्भव नहीं है तो हम को वाकल की जो योजना है उसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर पूरा करना पड़ेगा। इसके लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी आवश्यक है कि उदयपुर में इण्डस्ट्रियल एक्सपांसन जितना हो रहा है, जिंक स्मेल्टर को आप पानी दे रहे हैं, जयसमंद का पानी बड़ी से लाकर जो काम आप पूरा करना चाहते हैं, यह इस तरह से स्कीम पूरी नहीं होगी।

(श्री सी. पी. जोशी)

इसलिए मैं चाहूंगा कि सिंचाई विभाग और पी. एच. ई. डी. दोनों मिलकर इस बात का निर्णय करें कि उदयपुर में पीने के पानी की समस्या का निराकरण करना है तो अविलम्ब हमको सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ में ही इस योजना को हाथ में लेना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले वर्षों में गुजरात ने यदि इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट क्रियेट कर दिया तो साबरमती का पानी भी हम उपयोग में नहीं ले पायेंगे। इस दृष्टि से मेरा मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि हम मेवाड़ के इलाके से आते हैं वहां लोग ढाणियों में रहते हैं, उनके लिये भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है। आज विभाग ने निर्णय कर रखा है कि 250 की जनसंख्या पर हैंड पंप लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि 20-20 घरों की ढाणियां हैं, मगरे पर लोग रहते हैं। 250 की जनसंख्या पर हैंड पंप लगायें तो दो-दो किलोमीटर पर रहने वाले लोगों को पानी की समस्या का निराकरण नहीं हो पायेगा। इसलिए मेवाड़ के इलाके में 250 की जनसंख्या की बनिस्पत पंचायत के जो हैमलेट्स हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं, उनकी डिस्टेंस को आधार पर मानकर हैंड पंप स्वीकृत करायेंगे तो लोगों को पीने के पानी का ज्यादा लाभ मिल सकेगा। अन्यथा ढाई सौ की जनसंख्या का लाभ जो रेगिस्तानी इलाकों में ढाणियां हैं उनके लिये तो ठीक है, हो सकता है लेकिन मेवाड़ के इलाके में ठीक नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में पेयजल की समस्या का निराकरण करने में विभाग के पास केवल मात्र यही मापदण्ड है अन्यथा वह राजस्थान में पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं कर पायेंगे। इस राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें प्राथमिकता भी बनानी पड़ेगी कि रेगिस्तान में किस तरह से पीने के पानी की समस्या का निराकरण कर सकते हैं, पहाड़ी इलाके में किस तरह से करें और बड़े शहरों में जो डवलप हो रहे हैं, चाहे कोटा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे अजमेर हो, एक दशक के अन्दर एक बड़े शहर के अन्दर लगभग 25-30 हजार की आबादी बढ़ जाती है, जो प्रोजेक्शन डेटा बना रखे हैं हमने पानी के लिये, बनाने के लिये वह प्रोजेक्शन डेटा भी उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिये यह भी आधार बनाया कि पिछले 1961 में, 1971 में, 1981 में बड़े बड़े शहरों में किस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी? उसको आधार मानें। जो पानी के लिये हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको यदि हम आधार मानेंगे तब तो जाकर शहरों की पानी की समस्या की निराकरण कर पायेंगे। इसलिए मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि रेडिकल चेन्ज की आवश्यकता है, पी. एच. ई. डी. विभाग की नीतियों में। और आवश्यकता इस बात की है कि शहरों में रहने वाले लोगों की पानी की समस्या का निराकरण रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले, मेवाड़ में रहने वाले, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के पीने के पानी की समस्या का निराकरण यदि हम एक ही ढंग से करना चाहेंगे तो आने वाले 50 वर्षों में भी इस समस्या का निराकरण नहीं कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री सी. पी. जोशी : मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय अपने जवाब में यह बतायेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस राजस्थान की जियाग्राफिकल कन्डीशन को देखते हुए हम किस तरह की नीति बनाना चाहते हैं। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह !

श्री शोपत सिंह : यह महकमा ही आपको सौंप देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : राजस्थान का प्लान 1971 की जनसंख्या को आधार मान कर बना है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

एक माननीय सदस्य : आप मुख्य मंत्री हो गये क्या ?

श्री शोपत सिंह : हम ही सी. एम. बनाने वाले हैं।

श्री नाथूसिंह (टोड़ारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं हमारे युवा प्रधान मंत्रीजी का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में !

श्री नाथूसिंह : हमारे युवा प्रधान मंत्री का वक्तव्य पढ़ा था ? जिसमें उन्होंने भारत को कम्प्यूटर युग में प्रवेश कराने की बात कही थी। एक तरफ हमारे प्रधान मंत्रीजी हमारे को कम्प्यूटर युग में ले जा रहे है और दूसरी तरफ राजस्थान की विधान सभा में पीने के पानी को लेकर बहस हो रही है। यह बहुत ही दुखदायी बात है। मैं समझता हूं कि इस पर कांग्रेस के भाई भी बहुत ही अफसोस जाहिर करेंगे। मंत्री महोदय और सरकार भी इस संबंध में विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, पानी की दो तरह की समस्या है। आज भी राजस्थान में 37 हजार और कुछ गांव हैं, जिनमें से 24 हजार गांव ऐसे हैं जिनकी कुछ समस्या है।

एक माननीय सदस्य : अंदाजे से कह दिया।

श्री नाथूसिंह : अंदाजे से ही बताया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज !

श्री नाथूसिंह : हो सकता है आपकी बात सही हो।

(व्यवधान)

आपको तो प्रधान मंत्री ने कम्प्यूटराइज कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अपनी बात कहें, माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : इसलिये दो तरह की समस्या है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी तो है मगर....

(व्यवधान)

आप ट्रेनिंग लीजिये, पहले !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! सदन के समय का ध्यान रखें ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सदस्य को ज्ञान नहीं है । विधान सभा के सदस्य होकर भी बचपना नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष : अपनी बात कहें, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी तो उपलब्ध है लेकिन पानी को पीते हैं तो कई तरह की बीमारी हो जाती है । मेरे क्षेत्र की मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जो लिस्ट ली उसके अनुसार उन्होंने बताया कि 50 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है । 117 गांव में से 50 गांवों में पीने का पानी सूख गया है, बाकी में पानी ऐसा है कि अगर उस पानी को पियेगा तो भयंकर बीमारियां हो जायेंगी । अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर रघुनाथपुरा, गणेशगंज, श्रीनगर, कल्याणपुरा, लक्ष्मीपुरा आदि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर पानी पीते हैं तो कुबड़ हो जाती है । एक गांव कुहाड़ा खुर्द है जिसमें लीवर की बीमारी और गठिया वाय, हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : आप चुनावों में इन गांवों में नहीं गये दिखते हैं ।

श्री नाथूसिंह : गया हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो नहीं हुआ ! आपको हो जाना चाहिए था ।

श्री शोपतसिंह : पानी नहीं पिलाया लोगों ने दूध पिलाया है ।

श्री नाथूसिंह : यह ठीक कह रहे हैं कि वहां की जनता का मुझे इतना प्रेम मिला कि जनता ने पानी नहीं पिलाया, दूध ही पिलाया । किसान का लड़का हूं, दूध पसंद करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (पर्यटन मंत्री) : छाछ नहीं मिली ?

श्री नाथूसिंह : यह कुछ गांव हैं जिनमें पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । अब इस स्थिति को मीट आउट करने के लिये दो तीन कार्यक्रम लिये गये, जैसे हैंड पम्प लगाये गये, कुए गहरे कराये गये, नये कुओं का निर्माण कराया गया । इसी तरह एक हमारे यहां पर बीसलपुर नयी योजना चलायी है । उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा, उस बीसलपुर का बड़ा दुर्भाग्य है । वह योजना दुर्भाग्यशाली है । मैंने सवाल पूछा है विधान सभा सत्र में, सवाल के जवाब में कहा, 81 के भावों पर 91 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च होगा । जैसा आपने कहा है, 81 के भावों के आधार पर यह प्रोजेक्ट 7 वर्ष में पूर्ण करने का प्रस्ताव है परन्तु उचित धनराशि उपलब्ध होने पर सम्पन्न होगा । सात वर्ष तो इन्होंने रख दिया अब राशि उपलब्ध हो जायेगी तो वह शुरू होगा । उसकी आधारशिला 20 जनवरी, 1985 को तत्कालीन मुख्य मंत्री ने रखी । अध्यक्ष महोदय, यह बीसलपुर योजना की आधारशिला का भी एक नाटक है । इस बीसलपुर योजना की आधारशिला स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी रखने वाली थीं, एक बार आने वाली थीं लेकिन कुछ न कुछ व्यवधान हुआ, दूसरी बार आने की तैयारी कर रही थीं, कि हत्या हो गई और हमारे बीच नहीं रहीं । उसके बाद हिम्मत बांधकर हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री शिवचरण माथुर यहां आये

(श्री नाथूसिंह)

और उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी तो वे मुख्य मंत्री पद से हट गये। उनके साथ में वहां के लोकल विधायक मौजूद थे, वे चुनाव में हार गये। अध्यक्ष महोदय, उस बीसलपुर का आधार ही, योजना ही ऐसी है....

(व्यवधान)

ऐसा दुर्भाग्य है।

श्री अध्यक्ष : आपकी राय में नहीं बननी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उसके भाग्य का पता नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस परियोजना के भाग्य का पता नहीं है कि वह कब शुरू होगी, शुरू होगी या नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय कोई निश्चित समय बतायें। पांच जिले उस योजना से प्रभावित होंगे। पांच जिलों में सिंचाई और पानी की व्यवस्था होगी। इतनी बड़ी परियोजना है, मंत्री महोदय, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आप इसके संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे।

अध्क्षक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज आपने जो हैंड पम्प लगाये हैं, अब यह हैंड पम्प योजना क्या है यह सदन इस बात का साक्षी है। इस हैंड पम्प पर इस सदन में गर्मागर्म बहस हुई, कई अधिकारी सस्पैन्ड हुए। हैंड पम्प लग रहे हैं वह किस आधार पर लग रहे हैं? आप राजनैतिक आधार पर हैंड पम्प लगा रहे हैं। दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय कि पानी की समस्या के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसको भी राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। राजनैतिक दृष्टिकोण अपनाना, राजनैतिक आधार पर हैंड पम्प लगाने का उदाहरण यह है, मेरा एक प्रश्न पूछा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य!

श्री नाथूसिंह : जोधपुर शहर के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मामला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : मैं वही पाइन्ट निवेदन करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सदन की राय में भी और यहां की जनता की राय में भी, आप भी उससे सहमत होंगे। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में हैंड पम्प लगाये गये वहां 440 हैंड पम्प लगाये गये। मैंने प्रश्न पूछा विधान सभा में, सरकार ने जबाब दिया। उसमें पूछा कि क्या 440 हैंड पम्प पीने के पानी के योग्य हैं? दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तक ही सीमित करें।

श्री नाथूसिंह : हां, उसी तक कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आगे बढ़ रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : नहीं-नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया !

श्री नाथूसिंह : मैं तो बड़ी छोटी जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करेंगे, ऐसा मामला है कि नये हैंड पम्प लगाये जायेंगे और मैं यदि उस पाइंट का जिक्र नहीं करूंगा तो वही दुर्गति होगी जो आज तक होती रही है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में अध्यक्ष महोदय। इन हैंड पम्प के बारे में मैंने पूछा कि क्या यह सभी हैंड पम्प का पानी पीने योग्य है ? यदि नहीं, तो कितनों का पानी पीने योग्य नहीं है ? इन्होंने कहा, जी हां इनका पानी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जनरल डिबेट नहीं है माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : 78% हैंड पम्प का पानी पीने के पानी के लिये निर्धारित मापदंड के अनुसार नहीं है। 78% हैंड पम्प तो यह हैण्ड पम्प क्यों लगाये ? क्यों कि उस समय जोधपुर में नगर परिषद् का चुनाव हो रहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : और जनता का वोट लेने के लिये आपने हैंड पम्प लगाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन यह है कि इन हैंड पम्प को राजनैतिक आधार पर लगाते हैं, आवश्यकता के आधार पर नहीं लगाते, मैं यह कहना चाहता हूं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उचित मापदंडों के अनुसार हैंड पम्प नहीं लगते, उनके अन्दर भ्रष्टाचार होता है। इसका कारण यह है कि भीलवाड़ा के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : और उस समय हैंड पंप लगाया, भ्रष्टाचार हुआ। एक डिप्टी सेक्रेटरी मि. नागर का सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन हुआ और बाकी कई अधिकारी सस्पेंड हुए उनको जब श्री शिवचरणजी माथुर वापस जाने लगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : उनको जाते-जाते री-इंस्टेट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : बाकी का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उनको आपने वापस लिया, उनका सस्पेंशन कैंसिल किया है, यह किस आधार पर आपने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : गलती की है। उनकी भावना ऐसी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर रहिये। माननीय सदस्य, विषय पर आइये।

श्री नाथूसिंह : काम नहीं किया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषय पर आइये। विषय पर रहिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, 3.30 करोड़ रुपये इस समय पी. एच. ई. डी. को मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है। आज तक ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : पीने के पानी के लिये पैसा आता है, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : पीने का पानी नहीं दे करके यह अधिकारी और कुछ लोग मिल करके....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इंजीनियर्स उस पैसे को खा जायं....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : और उसकी चर्चा यदि सदन में करें तो आप कहेंगे कि माननीय सदस्य संक्षेप में बोलिये। यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : मैं मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि उसमें सस्पेंसन क्यों कैंसिल हुआ, उसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्सक्ष महोदय, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें हैंड पम्प....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे कही कि अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सीमित रहें। माननीय सदस्य, मुझे मजबूर न करें।

श्री नाथूसिंह : आधा मिनट तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं तो 25% हैण्ड पम्प....

श्री अध्यक्ष : आपको एक सेंटेंस दिया था खतम करने से लिये। आप भाषण न दें। कृपया समाप्त करें। मुझे मजबूर न करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं उनको ठीक कराने की उचित व्यवस्था करें। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप गंभीरता से लग करके पीने के पानी की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मेरा सुझाव है कि जो रामगढ़ का बांध है उसके नीचे काफी जमीन है। वहां पर अतिरिक्त पानी निकालने के लिये उबाल बनाया जाय, जैसे आम व्यवस्था रहती है। भले ही पानी जाय या नहीं जाय। एक तो मेरा सुझाव यह है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि 75 लाख

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रुपये रिसाव को रोकने के लिये तय किया गया है। उसमें कितना भी पैसा लगे उसका काम अविलंब शुरू कर दिया जाय। बरसात आने वाली हैं, अगर यह काम अभी नहीं शुरू किया गया तो पानी आते ही जो रिसाव की जगह है वह फूट जायगी और बहुत दिक्कत सामने आ जायगी।

तीसरी यह है कि जहां पर 105 लाख गैलन की सप्लाई जमवा रामगढ़ के बंध से इस इलाके में होती थी, माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि उससे आधा हो रहा है। वे अपने को शुद्ध कर लें। 35 लाख गैलन केवल आप आजकल दे रहे हैं। आपने 50 लाख गैलन बताया वह पहले भिन्न बताया, पूर्व में यह 105 लाख गैलन की प्रतिदिन की सप्लाई थी। मेरा निवेदन यह है कि रामगंज की चौकड़ी, गंगापोल के इलाके में, गगनपुरा डूंगरी के इलाके जैसा कि मुझे ठीक मालूम है, मोहल्ला डाकोतान में एक महीने से एक बूंद पानी नहीं आया। काठ की बाड़ में एक महीने से पानी नहीं आया। मैं कहना चाहूंगी गंगापुरा में 15 दिन से पानी की बूंद नजर नहीं आ रही। माननीय मंत्री महोदया, इन इलाकों की बराबर हम शिकायत करते हैं, आपने कल यह कहा था कि बराबर शिकायतें आती हैं, शिकायतें आती हैं एक प्रकरण है और शिकायतों पर काम होता है यह दूसरा प्रकरण है। आपका उत्तर यह होना चाहिये था कि शिकायतों का तत्काल निबारण करने के लिये कार्य किया जाता है। माननीय मंत्री महोदया अपने विभाग को अपने अन्दर....

श्रीमती कमला : आप इस बात को रिपीट करेंगी कि 15 दिनों से गंगापोल क्षेत्र में एक बूंद पानी नहीं आया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिस इलाके की मैं बात करती हूं....

श्रीमती कमला : मैं कह रही हूं जो आपने बोला अभी उसको रिपीट करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसको रिपीट कर रही हूं, मोहल्ला डाकोतान में एक महीने से एक बूंद पानी नहीं आया, जो गंगापोल का एक हिस्सा है और मैं ऊपर के इलाके में बदनपुरे में पानी नहीं आया, खास बदनपुर में सात दिन से पानी नहीं आ रहा है। कहां कहां का रिपीट करूं। मैंने विभागीय अधिकारियों को इसके संबंध में बताया है। अगर न बताया हो तो मैं दोषी। अजमेर के जायरिन जहां आते हैं वहां का नल कल टूट गया। लोगों ने मुझे चार घंटे बिठा लिया। रात को दो बजे मैंने आपके उच्चाधिकारी से बात की। उन्होंने बजाय ठीक करने के जिस नल का पानी बह रहा था जायरिन के लिये वह नल काटकर रख दिया। यह कहां तक उचित है? आपका डिपार्टमेंट है इसके बारे में हम क्या कहें। जिन जगहों पर पानी नहीं चढ़ता ऊपर के मकानों में जबकि नीचे के इलाके हैं उस जगह के बारे में आपको स्पष्ट रूप से साफ कहना चाहिये कि मैं इस इलाके में पानी की व्यवस्था करूंगी। घाटगेट चौकड़ी में पानी नहीं आ रहा है। आप एक जगह की बात कहेंगी, आप खुद जाकर देखिये, जिन इलाकों की बात मैं कह रही हूं वहां के लोग आपको भी चार घंटे न बिठा लें तो मेरा नाम बदल दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरि कुमार।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 तारीख को हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हम लगातार....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री हरिकुमार औदिच्य : सात दिनों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नोट किया होगा कि राज्यपाल महोदय के लिखित अभिभाषण पर चर्चा में पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में अधिकांश समय चर्चा हुई है। माननीय सदस्य ! चाहे बाड़मेर से आये हों, चाहे जोधपुर से आये हों, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने पीने के पानी की शिकायत की है। राज्यपाल महोदय ने स्वयं अपने अभिभाषण में स्वीकार किया है कि 24 हजार में से 17,730 गांव में पानी दिया गया है। आज भी राजस्थान के अन्दर करीब 5 हजार गांव इस प्रकार के हैं जहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अंतरिक्ष में जाने के लिये अभिमान कर सकते हैं, हम एशियाड के ऊपर गर्व कर सकते हैं, हम अन-एम्पलायमेंट कांफ्रेन्स के लिये गर्व कर सकते हैं, कॉमन वेल्थ कान्फ्रेंस पर गर्व कर सकते हैं लेकिन 37 साल की आजादी के बाद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर 5 हजार गांव बिना पानी के त्रस्त हों तो इसके लिये शर्म से डूबकर मरने के लिये क्या सत्ताधारी लोग तैयार होंगे। आज हमारे लिये यह शर्म की बात है कि हम सदन में बड़ी-बड़ी बातें करें जैसा मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि हम कंप्यूटर युग में जा रहे हैं। हम कंप्यूटर युग में भले ही जा रहे हैं लेकिन जो लोगों की एक आवश्यकता है जिन्दा रहने के लिये, इस पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि जो शहरों से आने वाले प्रतिनिधि हैं, जिनका क्षेत्र शहर है वह इस बात के लिये लड़ाई कर रहे हैं कि मेरे यहाँ दो घंटे पानी आता है वह चार घंटे आना चाहिये। कोई कहता है कि मेरे रात में आता है, कोई कहता है कि मेरे दिन में आता है। लेकिन मेरे क्षेत्र में 80 गांव ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं आप जाकर या अपने अधिकारी को भेजकर पता कर लें, इस प्रकार के गांव भी हैं जहाँ मार्च का महीना समाप्त होते-होते गांव के लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह जा करके बसते हैं। इस प्रकार के गांवों में से एक गांव का नमूना बताऊं जब मिलने गया, पड़ौस में एक गांव है रामगंज क्षेत्र में, वहाँ गया तो वहाँ के आदमी और औरतें कहने लगीं कि हमारे यहाँ लड़कों की शादी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं बोला, इसका कारण क्या है ? बोले, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। पानी दूर तीन-तीन मील जाकर लाना पड़ता है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं, रामगंज-मण्डी का हमारा क्षेत्र एक माइन्स का इलाका है वहां पर....

(व्यवधान)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

उसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं क्या? अगर आप व्यवस्था कर दो तो ठीक है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि माइन्स एरिया में सौ-डेढ़ सौ फीट नीचे तक गहरे चले गये हैं इसके कारण उसके आसपास के जितने कुए हैं उनका वाटर लेवल नीचे चला गया है। वहां पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है।

एक दूसरी बात और निवेदन करूंगा। हमारे क्षेत्र रामगंज मण्डी के अन्दर सब जगह हैण्ड पम्प लग गये हैं। कुछ समय से उन हैण्ड पम्पों के रख-रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अगर आप सर्वे करायेंगे तो क्षेत्र के अन्दर आधे से ज्यादा हैण्ड पम्प आपको खराब मिलेंगे। यह स्थिति हमारे रामगंज मण्डी क्षेत्र के अन्दर है। जिन ग्राम पंचायत को यह अधिकार सौंपा गया है, जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया है उनके पास न तो कोई मैकेनिक है, न मिस्त्री है, न कोई काम करने वाला आदमी है। उनके पास हैण्ड पम्प ठीक करने के लिए वाशर तक उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार की स्थिति आज ग्राम पंचायतों की है। मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दें। नये हैण्ड पम्प लगाना तो दूर, जो हैण्ड पम्प जनता राज में लगे थे, दो चार भूल चूक से आपने भी लगाये थे उन हैण्ड-पम्पों को ठीक करायें ताकि पानी की व्यवस्था हो सके....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य!

श्री हरिकुमार औदिच्य : दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगंज मण्डी प्रॉपर शहर की कर रहा था। वहां पर जब तक ओवर हैड टैंक्स नहीं बनेंगे, पानी की समस्या का ठीक समाधान नहीं हो पायगा। इसलिए इस प्रकार के जो नगर हैं, इस प्रकार के जो कस्बे हैं वहां पर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पीने का पानी उपलब्ध हो। आज हम बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर की बात नहीं करते, हमारा क्षेत्र हाड़ौती का, कोटा का ऐसा है जहां पर प्रकृति की तरफ से पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन सरकार का मन ही अगर वैरी हो, सरकार ही व्यवस्था नहीं करना चाहे तो इसमें किसी का दोष नहीं है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य!

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में, हमारे अस्सी गांव प्यासे हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इतना अहम् मसला है कि इसको सदन का प्रत्येक सदस्य चाहे हां की तरफ से हो, चाहे ना की तरफ से हो, इस बात को महसूस करता है। इसलिए हमारे सदस्यों की आपके माध्यम से एक कमेटी बनायी जाय, वह पूरे गांवों का जायजा ले और सरकार को इस बात के लिए पाबन्द करे कि तीन महीने, छः महीने, एक साल के अन्दर हमारे इस राजस्थान के अन्दर जितने गांवों के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की व्यवस्था कर दें।

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

धन्यवाद !

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक एवं मुख बंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (मंत्री संसदीय कार्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में मुख बन्द का समय साढ़े चार बजे का अंकित किया हुआ है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख बन्द का समय साढ़े चार बजे से बढ़ाकर साढ़े पांच बजे तक कर दिया जाय, और कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची का कार्य पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मुख बन्द का समय साढ़े चार से बढ़ा कर साढ़े पांच बजे कर दिया जाय व सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्य सूची होने तक बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृति)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

विभिन्न जिलों में उत्पन्न पेयजल संकट

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदया का ध्यान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित किया था किन्तु अपने उत्तर में उन्होंने कोटा नगर की जल समस्या का कोई वर्णन नहीं किया । अस्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोटा शहर एक ऐसा शहर है जिसके बिलकुल समीप एक बहुत बड़ा जलाशय है—कोटा बैराज । बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना पानी होने के पश्चात् भी केवल अव्यवस्था के कारण लोगों को पानी ठीक रूप से नहीं मिल रहा है । हम तो वह लोग हैं जो सदा चौबीसों घण्टे अपने नलों से पानी लिया करते थे किन्तु आज स्थिति यह हो गयी है कि रामपुरा, नयापुरा, स्टेशन, डडवाड़ा और दादाबाड़ी—कई बार ऐसा समय आता है कि तीन-तीन दिन तक इन क्षेत्रों में पानी मुहैया होता ही नहीं है । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था ठीक करें ।

वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी थी । वर्ल्ड बैंक की स्कीम में पांच उच्च जलाशय थे, पांच ओवरहैड टैंक बनाने थे । मैं मन्त्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद वह पांच टंकियां कहां गायब हो गयीं ? पता नहीं, जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम बनी थी, जो स्वीकृत हुई थी, जिसकी चर्चा हुई थी उसमें से पांच ओवर हैड टैंक्स चले गये । मंत्री महोदया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कोटा शापिंग सैन्टर में पिछले सात महीने से बीस लाख रुपये लगाकर एक ओवरहैड टैंक बनाया गया । छः महीने हो गये । केवल इसलिए काम बन्द पड़ा रहा कि पाइप नहीं लगाये जा रहे हैं जिससे पानी उसमें ऊपर चढ़े । आउट-लैट हैं तो इन-लैट नहीं लगे । चार-चार बार उसके टेण्डर हो गये । स्वीकृत क्यों

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं हो रहे हैं ? वहां के अधिशासी अभियन्ता का पता नहीं, शायद उसमें कोई तोल-मोल नहीं बैठ रहा, उनका कमीशन नहीं बैठ रहा। यह स्थिति क्यों बन रही है ? चार-चार बार टेण्डर हो रहे हैं। छः महीने से जलाशय बनकर पड़ा हुआ है। मुझे डर लग रहा है कि नागौर में जैसे टन्की टूट गयी, यह तो अभी नयी नयी टन्की बनी है, अगर पानी उसमें नहीं भरा गया तो शायद कहीं क्रैक नहीं हो जाय और कोटा के शापिंग सेन्टर को भी वही स्थिति नहीं देखनी पड़े जो नागौर को देखने को मिली। वहां तो शायद काफी समय से वह टन्की थी. यहां तो अभी नयी बनी है किन्तु उसका उपयोग नहीं हो रहा। बीस लाख रुपया उसमें लग गया, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। एक ओवर हैड टैन्क बन रहा है महावीर नगर में, एक साल से वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि इस बात का स्पेसिफिक उत्तर दें कि यह दो ओवरहैड टैन्क बन गये हैं जिनमें पानी भरकर लोगों को पानी ठीक से मुहैया कराया जाता, उनमें केवल पाइप लगाने की छोटी सी व्यवस्था नहीं होने के कारण, केवल कुछ कमीशन तय नहीं होने के कारण चार-चार बार टेण्डर कैन्सिल हो रहे हैं, पानी नहीं भरा जा रहा है। मुझे डर है, बीस लाख-पन्द्रह लाख के यह दोनों टैन्क क्रैक नहीं हो जायें, समाप्ति नहीं हो जाये इस छोटे से कमीशन के कारण। मैं निश्चित रूप से आरोप लगाना चाहता हूं, मन्त्री महोदया इस बात की जांच करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 45 लाख रुपये सरेण्डर कर दिये गये इस जलदाय विभाग के। क्या मन्त्री महोदया इस बात की जानकारी करेंगी, जांच करेंगी, करवायेंगी कि वर्ल्ड बैंक के तहत और बाकी स्कीम्स के तहत जो 45 लाख रुपया सैंक्शन किया गया था, उसको सरेण्डर क्यों किया गया ? उसका काम क्यों नहीं हुआ है ? मुझे पता नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध लगता है कोटा के साथ, इस प्रकार की स्थिति है। इतना बड़ा जलाशय है, स्कीम्स सब बनी हुई हैं, स्कीम्स को पूरा करने की सब प्रकार की सुविधाएं भी हैं, उसके पश्चात् भी कोटा शहर में पानी नहीं मिल रहा। तीन तीन दिन तक पानी नहीं मिलता इसलिए आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

दादावाड़ी विस्तार योजना की मैं चर्चा कर रहा था। वहां जो पाइप जा रहे हैं उन पाइपों में गन्दा पानी मिल रहा है वहां के सीवरेज का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पीलिया रोग बहुत अधिक इस नाते से व्याप्त हुआ था। अब भी वह पानी लगातार मिल रहा है, रोग व्याप्त होगा। पानी वैसे तो मिलता नहीं। जो मिलता है वह भी इस प्रकार का, सीवरेज का पानी मिला हुआ मिलता है। इस प्रकार की स्थिति बनी है, इसकी अविलम्ब जांच करवायें, वहां के अधिकारियों को कहें।

अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। मुझे कहनी तो नहीं चाहिए। पता नहीं कौन से नये सुपरिन्टैण्डिंग इन्जीनियर साहब ऐसे आये हैं इसलिए इस प्रकार की स्थिति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बनी है। हैं तो जवाब, कहा जाता, है किन्तु उसके कारण ऐसी घोर अव्यवस्था हो रही है। आने वाली गर्मी में क्या हालत होगी, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा जलाशय होने के पश्चात्, व्यवस्था होने के बाद राज्य सरकार पानी नहीं पिला पा रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में चूरू जिले के बारे में हमने बीस तारीख को स्थगन प्रस्ताव रखा था। माननीय मन्त्री जी ने चूरू का कोई जिक्र नहीं किया। उनकी दृष्टि में शायद चूरू में कोई समस्या ही नहीं होगी। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। भूतपूर्व नहर मन्त्री जी ने जिला बीस सूत्री कार्यक्रम में सिर्फ एक पानी के लिए बैठक आयोजित की थी जिसके अन्दर चीफ इन्जीनियर महोदय भी पधारे थे। उन्होंने जो आश्वासन दिये थे, एक साल पहले की बात बता रहा हूं, वह सारे आश्वासन आज तक कागजों में ही मौजूद हैं, उन पर कोई अमल नही हुआ। उन्होंने एक बात यह कही थी कि विशेष तौर पर जहां स्थानीय सोर्स उपलब्ध हैं, वहां पानी उपलब्ध करा दिया जायगा। स्थानीय सोर्स वहां उपलब्ध है, गांव बैजासर, आसासर में स्थानीय सोर्स उपलब्ध हैं, उनके उपलब्ध होते हुए भी क्योंकि अगर स्थानीय सोर्स से पानी उपलब्ध करा दिया जाता है तो अधिकारियों के कमीशन की व्यवस्था नहीं होती, चोरी नहीं कर पाते, टन्की बनायी और पाइप लाइन डाली इस प्रकार की चोरी नहीं कर पाते, इसलिए दूर दराज गांव, जिस गांव में पानी की सुविधा उपलब्ध है को दूसरे गांवों से जोड़ दिया है। इन गांवों में पांच-पांच, छः-छः साल से टन्कियां बनी हुई हैं। टन्कियां बनी होने के बावजूद पानी की जो टंकी बनी हुई है वह फट चुकी है, पाइप लाइन भी गांव में जुड़ चुकी है और 3–4 गांवों में तकनीकी और फाइनेन्शियल सेंक्शन भी हो चुकी है परन्तु लाइन नहीं डाली गई है इस कारण पानी नहीं मिल रहा है। गांवों की ऐसी स्थिति है। इनकी गलत स्कीमों की वजह से मात्र गांव ओपन वैल के पानी से जुड़ा हुआ है जो इन्होंने लगाया हुआ है। ओपन वैल के बजाय मेरा एक सुझाव है कि जहां जहां पर ओपन वैल में पानी नहीं है, पानी के लिये 10-10 घन्टे प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस स्थिति में एक अर्ज है, उस गांव में ही ट्यूब वैल लगा कर वहां पर पानी उपलब्ध करा दिया जाय—मालसर, भोजासर छोटा, राजासर, चोडिया, बायला, बरजांगसर, बुकनसर बड़ा, उलरासा, कल्याणपुरा आदि स्थानीय सोर्स हैं। स्थानीय सोर्स जिस गांव में उपलब्ध है उस गांव के अन्दर, ट्यूब वैल लगाकर पानी दे दिया जाय, तो मेरी समझ में कोई ऐसी शिकायत नहीं आयेगी।

रहा सवाल हैण्ड पम्पों का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ 23 हैण्ड पम्प हैं और वह 23 के 23 हैण्ड पम्प बेकार है। लगातार पंचायत समिति का 3 साल से मैं प्रधान हूं, मैंने कितनी ही

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दफा उच्चाधिकारियों से निवेदन किया। उन्होंने लिखा कि आज ठीक करते हैं, कल ठीक करते हैं परन्तु एक साल हो गया, न जाने मैंने कितनी दफा, बीसों दफा लिख कर दिया होगा। अब इन गांवों में न कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई हैण्ड पम्प ठीक करवा रहे हैं। जो गांव पानी से जुड़े हुए हैं, पानी से जुड़े होने के बावजूद उन गांवों में 10–10, 5–5 साल से पानी नहीं जा रहा है। इसलिये मेरा यही सुझाव है कि उन गांवों में पानी पहुंचे।

मेरा अकाल के ऊपर भी स्थगन प्रस्ताव है। अकाल के मामले में निवेदन है, जैसा मैंने कहा, जो गांव पाइप लाइन से जुड़े हुए है लेकिन पानी नहीं जा रहा है। विभाग ने लिखकर भी दे दिया कि इन गांवों में पानी पहुंचाने में विभाग असमर्थ है। मेरा यह निवेदन है, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में पाइप लाइन से पानी नहीं जा रहा है और विभाग ने लिखकर भी दे दिया, पी. एच. ई. डी. से पानी लाइन से नहीं जायेगा तो उस स्थिति में उन गांवों में टैंकरों से अविलम्ब पानी पहुंचाया जाय। सरदार शहर एक ऐसी तहसील है जहां अमुमन गांव में बरसात के पानी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अबकी बार अच्छी बरसात नहीं हुई कुओं में केवल खारा पानी है, इस स्थिति में उन गांवों, में जो टैंकर्स हैं उन टैंकर्स से पानी पहुंचाया जाय। सरदारशहर तहसील के 210 गांवों के लिये सिर्फ एक टैंकर है। जिलाधीश महोदय से परसों रात को मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी तब उन्होंने कहा दूसरे टैंकर भी भेज रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी समाप्त कर देता हूं, अध्यक्ष महोदय। अभी तक दूसरे टैंकर की व्यवस्था नहीं हुई है। अतः राजस्व मंत्रीजी यहां पर विराज रही हैं, राजस्व मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करूंगा कि सरदार शहर तहसील एक ऐसी तहसील है, वहां के लोग भूखे और प्यासे जरूर हैं मगर जागरूक हैं। अगर आपने समय रहते हुये व्यवस्था नहीं की तो कहीं ऐसी स्थिति न हो जाय कि सारे लोग जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के आगे अपना विरोध उग्र रूप में प्रकट करें। गांव में तो उन्हें खारा और बेकार पानी पीकर भी मरना है। यदि आपने कोई व्यवस्था नहीं की तो भी उन लोगों को घरना देकर मरना है। ऐसी स्थिति न हो जाय, अतः समय रहते हुये आप सारी व्यवस्था कर दें।

दूसरी बात....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य! समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट।

जो ट्यूब वैल सरदारशहर में 3 गांव ऐसे हैं जिनकी ओर से, विशेष तौर से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनमें चुनाव के मौके पर बिना तकनीकि और विशेष स्वीकृति के हाथों हाथ ट्यूब वैल्स चालू कर दिये। मैं यह भी बताना चाहता हूं ठीक है, समस्या ग्रस्त गांव जरूर हैं। गांव बिजरासर में 5 तारीख को जिस समय वोटिंग हो रहा था उस दिन हाथों-हाथ ट्यूब वैल्स चालू कर दिये, बीसों

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकारी वहां पर लगे हुये थे और जे. ईएन. लगा हुआ था। आज वह सारी मशीनरी कहां पर चली गई? मेरे कहने का मतलब यह है कि पाइप लाइन जो आपने चुनाव के समय बिना तकनीकी और विशेष स्वीकृति के बिना डाल दी थी उसके लिये तो मैंने व्यवस्था कर दी है, चाहे आपका विभाग कितना ही प्रयत्न करे मैं उसे वहां से नहीं उठने दूंगा। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाय वहां से पाइप लाइन नहीं उठने दूंगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

जैतसीसर, कालवासिया, नाहरसरा, भोजासर (बड़ा), नेणासा, समेरिया, पिचकरांईतला जैसे कुए पूरे बह गये हैं, उन गांवों में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाया जाय, इन बड़े बड़े गांवों में पानी की व्यवस्था कराई जाय और जैसा कि मुझे चीफ इंजीनियर ने बताया था, स्थानीय सोर्स से वहां पर पानी उपलब्ध करा देंगे, तो मेरा माननीय मंत्रीजी से आपके मार्फत आग्रह है कि स्थानीय सोर्स से ट्यूब वैल खोद कर पानी की व्यवस्था ठीक कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया !

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। आपकी पार्टी के कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री देवीसिंह जी भाटी।

(व्यवधान)

नियमों का पालन करें, माननीय सदस्य, बैठ जायं। आप अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तो देते नहीं हैं और सदन में व्यवधान डालते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी !

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं तो याद दिलाना चाहता हूं कि गत 5 वर्षों में इसी सदन में पानी की समस्या के बारे में 11-12 बार चर्चा अलग से हो चुकी है। ध्यानाकर्षण और अन्य प्रस्तावों के माध्यम से तुरन्त समस्या वही की वहीं ठहरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. की जो भी योजना बनी हुई हैं चाहे आप बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में देख लीजिये, चाहे बीकानेर तहसील की देख लीजिये, जितनी भी जलप्रदाय योजना बनी हुई हैं सिर्फ सोर्स विलेज के अलावा किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंचता है। इसके कई अलग अलग कारण हैं, अध्यक्ष महोदय। जब हम पी. एच.ई.डी वालों से सम्पर्क करते हैं तो वे यह कहते हैं कि साहब हमें बिजली नहीं मिलती है। जब बिजली वालों से कहते हैं तो वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं। पीछे से बिजली काट दी जाती है। हम वापस आकर पी.एच.ई.डी वालों से कहते हैं, आप उसके लिये डीजल जेनेरेटर सैट लगवाइये। कई जगह डीजल जेनेरेटर सैट्स भी लगे हुये हैं। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, मात्र लापरवाही की वजह से हजारों की तादाद में लोग भुगत रहे हैं। हमारा करोड़ों रुपया इन स्कीमों पर लग चुका है।

मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं, कोलायत तहसील के अन्दर गडियाला स्कीम हमारी सबसे कामयाब स्कीम थी जिसको इन्होंने फेल कर छोड़ दिया। राजेरी के अलावा किसी भी गांव में सुचारु रूप से नहीं पहुंची है। कई गांव तो ऐसे है जिनमें 3-3, 4-4 महीने तक पानी नहीं पहुंचा। इसी प्रकार से गुड़ा जलप्रदाय योजना भी सारी ठप्प पड़ी है। अध्यक्ष महोदय, खींदासर जलप्रदाय योजना कोलायत की है, जितनी जल प्रदाय योजना कोलायत तहसील की हैं, वह सारी की सारी ठप्प पड़ी है। बीकानेर तहसील और कोलायत तहसील की योजनाएं, जो नहर से जोड़कर बनाई हैं के जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं तो यह जानता हूं कि अगर कोई मिस्त्री होता तो स्कीम ज्यादा बढ़िया बनाता। इन्होंने स्कीम बनाई टेल एण्ड पर माइनर्स थी, कैनाल पर जो माइनर्स थीं उनसे इन्होंने स्कीम बनाई। माइनर्स से मुश्किल से महीने में एक दिन पानी आता है उसके अन्दर भी सिल्ट भरी रहती है। जब पानी लास्ट में पहुंचता है उस वक्त पी.एच.ई.डी. के कर्मचारी वहां मौजूद नहीं रहते हैं। वह खाली पड़ी रहती है। लोग वहां पर त्राहि त्राहि मचा रहे हैं, बार बार बीकानेर आते हैं और अपनी समस्या के बारे में लोगों से कहते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। परन्तु एक गांव में भी, मैं पिछले 5 वर्षों से देख रहा हूं, सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सुझाव देना चाहूंगा। आप यहां पर करोड़ों रुपया जो लगा चुके हैं उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, लोगों को सुचारु रूप से पानी मिल सके इसके लिये पुनः आपको विचार करना पड़ेगा। अगर स्कीम आप बनाते हैं तो मेन कैनाल से बनाइये, मैन कैनाल से स्कीम बनाने में चाहे पैसा ज्यादा लग जाय। अगर आप माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी से स्कीम्स बनायेंगे तो आपकी एक भी स्कीम नहीं चलेगी, यह मैं आपको गारन्टी शुदा कहता हूं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था, इनके जो भी सर्विस रिजर्वायर और जी.एल.आर. बनी हुई हैं वहां तो पानी पहुंचा ही नहीं। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विचार हो चुका है, क्वालिटी पर ध्यान देते नहीं हैं, हमने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मसले उठाये हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप नोट कर लें दत्तौर के अन्दर आपकी एस.आर. बनी हुई है, आज तक स.ल. में तो भरी नहीं जा सकी और थोड़ा पानी पहुंचते ही उसमें फव्वारे छूटने लगे। वह भी बात अखबारों में आ चुकी है कि जिस दिन वह भर जायेगी उसी दिन धराशाही हो जायगी। यह बात लिखकर ले लें यह मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूं वह

(श्री देवीसिंह भाटी)

एस.आर. आपकी कभी भी कामयाब नहीं होगी। इससे भी नुकसान हो सकता है और आदमियों को हम मरने से....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता। अगर कोई भी मंत्री हिम्मत रखते हैं और समय निकालना चाहते हैं या उनके चीफ इंजीनियर महोदय जाकर देखना चाहते हैं तो कोलायत तहसील के अन्दर आज भी पुराने समय के कुए चलाये जा रहे हैं, चरस चल रहे हैं बाकी इनकी स्कीम्स....

(4·00 म.प.)

की क्या उपयोगिता है, मुझे बता दें। आपने कई जगह कनेक्शन दिये और टेक्निकली फेल हो गये। अध्यक्ष महोदय, आज फिर वक्तव्य होगा उस पर जो भी सदस्य होंगे, दो-दो चार-चार प्रश्न पूछ लेंगे। अध्यक्ष महोदय, उससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आज अकाल की स्थिति है। कलेक्टर को हम जाकर कहते हैं, साहब जहां इनकी स्कीम्स बनी वहां पानी नहीं पहुंचता है इसलिए आप व्यवस्था कीजिये। कलेक्टर से जब भी हम बात कहते हैं वो पी.एच.ई.डी. से सम्पर्क करते हैं। पी.एच.ई.डी. वाले कहते हैं कि नहीं साहब, हमारी स्कीम्स सही चल रही हैं। कलेक्टर जब मौके पर देखते हैं कि स्कीम्स नहीं चल रही है तो लिख कर क्यों नहीं देते ? लिख कर उन्होंने आज तक कभी नहीं दिया। बीकानेर कलेक्टर से पूछ सकते हैं। कम से कम जब वास्तविकता है, पानी मौके पर नहीं पहुंचता है तो क्यों नहीं आप गलती स्वीकार करते हैं। न तो ये पाइप लाइन के द्वारा हमें पानी देते हैं और न....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, टैंकरों के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है। टैंकरों के द्वारा कम से कम पीने का पानी तो मिले। जो टैंकरों की सुविधा मिलनी चाहिये वह भी हमें लेने नहीं देते। पी.एच ई.डी. ने कई लाख के कबाड़े किये हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। हम चाहते हैं जल प्रदाय योजना से लोगों को मौके पर फायदा मिलना चाहिये परन्तु एक भी स्कीम इनकी आज के दिन कामयाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये।

श्री देवीसिंह भाटी : हर स्कीम्स फेल पड़ी है। मैं तो यह कहता हूं लोगों को सुचारु रूप से ऐसे अकाल के समय पानी मिलना चाहिये। इसके लिए मुख्यमन्त्री स्वयं दौरा करें और इन निकम्मे अधिकारियों को मौके के ऊपर ले जायं। मैंने ऐसे अधिकारियों को पकड़ पकड़ कर मौके पर ले जाकर एक एक पूरी स्कीम चालू करवाई है, कोई 12 साल से बन्द पड़ी है, कोई पांच साल से बन्द पड़ी है परन्तु फिर भी वही ढर्रा चल रहा है इनका। या तो इनको रोजाना मुर्गा बनाओ वरना इसी प्रकार स्कीम का ढर्रा चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता समय आपका,

(श्री देवीसिंह भाटी)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, नहर मन्त्री तो भाग चुके हैं, परन्तु राजस्थान केनाल के ऊपर भी लोग बाग वहां बैठे हैं, जिनको जो भूमिहीन लोग बाग थे और उनको भूमि आवंटित कर दी गई उनके पास न तो कोई डिग्गियां बनी हुई हैं न सी.ए.डी. वालों ने कोई डिग्गियां बनाकर दी हैं और वहां कोई पानी का ऐसा स्रोत नहीं है जो महीने भर वो पानी को इकट्ठा करके रख सकें। जो वहां से तीन हजार पाक विस्थापित परिवार वहां जाकर बसे हैं उनके पास दो दिन से ज्यादा स्टाक रखने की शक्ति नहीं है। परन्तु उनके लिए भी टेल एन्ड पर कभी भी पानी नहीं पहुंचा पाये हैं इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की समस्या है। अगर आपसे व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप कलक्टर को लिखकर दीजिये कि हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते तो कलक्टर अपने आप वहां पर टैंकरों की व्यवस्था करेगा। परन्तु यह न तो लिखकर देते हैं और हमें आधे बीच में ही लटकाये बैठे है अध्यक्ष महोदय।

मैं यही एक निवेदन करना चाहता हूं आखिर में कि जो भी हमारी जलप्रदाय योजना है उन्हें सुचारु रूप से चलने के लिये स्वयं उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचें।

दूसरा मैं साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं, बीकानेर में सिर्फ सात टैंकर दे रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा रेतीला इलाका है, आपने स्वयं देखा है आकर, वहां नहर को....

श्री अध्यक्ष : आपने समाप्त करते करते दूसरा पाइन्ट ले लिया।

श्री देवीसिंह भाटी : सिर्फ आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं क्योंकि आपने वह क्षेत्र देखा है। ऐसा टीबों वाला इलाका है जिसमें नहर के अलावा और दूसरा कोई स्रोत नहीं है। वहां एक दो जगह ही पानी के अच्छे स्रोत हैं, उस स्रोत का उपयोग करने की पहली बात तो इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और जो स्कीम्स बनाते हैं, नये ट्यूब वैल टैस्ट करते हैं, इनके पास करते हैं। सर्वे की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर ट्यूब वैल्स खुदवाये, वह सारे ट्यूब वैल्स फेल होते जा रहे हैं। हम तो यह सुझाव देते हैं, जैसे आपके जयपुर के अन्दर पानी मिल रहा है, जमीन के अन्दर कोई पानी की कमी नहीं है, वहां आप बड़ी स्कीम बनायें और सब गांवों को पानी सप्लाई कीजिये। परन्तु ट्यूब वैल्स को ऐसी जगह देखते हैं जहां 500 लीटर से डेढ़ हजार लीटर पानी से बढ़कर डिस्चार्ज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्वालिटी कण्ट्रोल डिपार्टमेन्ट बनाया, न तो क्वालिटी है और न कहीं कण्ट्रोल है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे को कहना तो बहुत कुछ है, फिर भी मुझे शेर याद आ जाता है।

क्या पूछते हैं हाल मेरे कारोबार का, अन्धों के शहर में आइने बेचता हूं।

अध्यक्ष महोदय यह व्यवस्था करें

(श्री देवीसिंह भाटी)

वरना जनता वहां की गांव छोड़ कर चली जायगी, गांव खाली हो जायेंगे क्योंकि सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। अध्यक्ष महोदय, आखिर में यही सुझाव देता हूं कि जो रुपया लगा रहे हैं, मेरा सुझाव है, उससे यज्ञ हो तो ईश्वर खुश हो जाय, पानी बरसा दें तभी कोई इलाज होगा बाकी इन अधिकारियों से यह व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : अच्छा सुझाव है आपका।

श्री नाथू रामजी !

श्री नाथूराम मिर्धा (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेड़ता शहर के आसपास 5-6 ढाणियां हैं, वैसे 100-100, 60-60 घर होंगे। कोई है मेड़ता शहर के पास, वह म्युनिसिपैलिटि का हिस्सा है यहां वार्डों में पानी दिया है। मेरा यह निवेदन है कि उन लोगों को भी बड़ी तकलीफ है। मेड़ता के पास पांच ढाणियां, जो आधा किलोमीटर की दूरी पर होंगी शहर से और जो म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा है, के लोग हैं उनको पानी नहीं देना उचित नहीं है, इसलिए उसकी कुछ व्यवस्था की जाय।

नागौर की जब टंकी टूट गई तो उसका इन्तजाम आप करदें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करें। मैं एक खास चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र में एक धारणावास गांव है मैरे और रामनिवासजी के लोक सभा चुनाव में उस गांव में 6 हैंड पम्प लगाये गये थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जरा नोट फरमालें। !

मूण्डवा विधान सभा क्षेत्र में धारणावास एक गांव है उस गांव में पानी है अण्डर ग्राउण्ड। उस अण्डर ग्राउण्ड पानी के लिए वहां पर एक ट्यूबवेल बनाये की बात थी, और 5 हैण्ड पम्प लगाये थे। हैण्ड पम्प वहां से उठाकर ले गये चुनाव होते ही क्योंकि गांव वालों ने वोट नहीं दिये। सारे के सारे निकालकर ले गये। यह आज की मेरे पास सूचना है और ट्यूबवेल बनने का सवाल ही नहीं है इसलिए गांव प्रोब्लेमेटिक हो गया। ट्यूबवेल बने हुए थे उसको उखाड़ दिया। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चुनावों के दिनों में जो कुछ काम हुए थे, आथोराइज्ड हुए या नहीं जो कुछ काम हुए, उनको कम से कम बिगाड़ा नहीं जाय। उन्होंने उस समय कहा था लोगों को कि वोट नहीं देंगे तो हम उठाकर ले जायेंगे। एक गांव का किस्सा है कि सचमुच उठाकर ले गये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके ट्यूबवेल हैं, वोट दिये, नहीं दिये, जो होना था सो हो गया, अब उन चीजों को बिगाड़ें नहीं। एक तो मेरा निवेदन यह है महकमा वालों से। अन-आथोराइज्ड थे फिर भी ले लें उनको, रेगुलर कर लें, बिगाड़े नहीं यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा ट्यूबवेल बनाने के लिये उस समय तो वहां पर मशीन खड़ी कर दीं लेकिन वहां बनाया नहीं, वह बात आपने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहीं। मेरा निवेदन है कि चाहे अकाल राहत के नीचे थे, सप्लाई के नीचे थे, आथोराइज्ड नहीं था, आथोराइज्ड था, कुछ जल्दी में हो गया, नहीं हुआ या अन्य आर्डर से हुआ, जो कुछ भी आपने कहा, कई जगह नल लेकर डाले गये तो उन योजनाओं को पूरा करवाने की आप कृपा करें। आपके पास धन कितना है, कैसे होगा, कैसे हो सकता है, यह आपके देखने की बात है। पर जितना हो चुका है उनमें बिगाड़ न करें और वहां सुधार करके करने की कृपा करें, यह मेरा आपसे विशेष तौर से निवेदन है।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट।

श्रीमती कमला : अभी आप अकाल राहत पर बोलेंगे।

श्री मालाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के मायने....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं कृपया, माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मालाराम : और क्या है।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं

श्री मालाराम : एक मिनट में ही।

श्री अध्यक्ष : बिन्दू पर आइये।

श्री मालाराम : हां, बिन्दू पर।

अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी के मायने दो तीन गांव ऐसे हैं कि एक एक...

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य, कृपया नियमों का पालन करें।

श्री भामड़ा

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठें। व्यवधान पैदा न करें।

नाम पुकारा जाता है उस समय सदन में हाजिर नहीं होते हैं।

नाम देते ही क्यों हैं आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पानी के बारे में इस सदन में जो कुछ कहा गया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि विधान सभा के सदस्यों में कोई आस्था ही नहीं है इसमें सार कुछ निकलता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत संक्षेप में।

श्री हरिशंकर भामड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो तीन बातों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बिलकुल संक्षेप में—मैं वैसे भी ज्यादा बोलता नहीं हूं। मुझे ज्यादा बोलने का अभ्यास नहीं है और ज्यादा बोलता भी नहीं और बीच में बोलता भी नहीं हूं और वायदे के खिलाफ भी बात नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि जो स्कीम आपने बना रखी है उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

के लिए जो आपके अधिकारी हैं जरा उनके कान ऐंठिये ताकि उनके दिल में भय पैदा हो, उनका दिल पत्थर दिल पिघले कि लोग मर रहे हैं और आपने जो स्कीम बनायी है उसमें एक स्कीम का मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपने विरानिया स्कीम रतनगढ़ में बनायी है। अध्यक्ष महोदय, जैसे आप बैठें हैं वैसे जो स्कीम है उसमें पाइप लाइन इस तरह से गोल गोल गयी है। यहां से पानी शुरू हुआ है और वहां गया है टेल एण्ड तक। यहां से पानी घूम कर वहां नहीं पहुंच सकता है। यह तो सामान्य सी बात है। आपने जो विरानियां स्कीम बनायी है आप उसकी जांच करवा लीजिये, उसमें पाइप लाइन तीन फिट गहरी होनी चाहिये जमीन में। पाइप लाइन तो तीन फीट गहरी नहीं हैं ऊपर पड़ी हुई है इसलिये पाइप टूटे हुए हैं, या फूट गये हैं? जो भी आता है वह उनको तोड़ देता है या पाइप लाइन को फाड़ देता है जिससे पानी निकल जाता है और गांवों में पानी पहुंचता नहीं है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि आपके जो इंन्जीनियर हैं आप के जो एक्स. ई. एन. और ए. ई. एन. हैं वह जाकर देखते तक नहीं हैं कि पाइप लाइन में गड़बड़ी कहां हुई है। वह कह देते हैं कि बिजली नहीं है, हम क्या करें। सीधा सा जवाब देकर टह-लाते हैं। इसलिये पहले तो आपके जो अधिकारी हैं उनकी खिचाई करें ताकि जो स्कीम्स बनी हैं उनसे पानी मिल सके।

दूसरी बात, रतनगढ़ क्षेत्र में कुछ ऐसे कुएं हैं जो कि 200 फीट गहरे हैं। उनमें पानी बहुत है पर प्रोब्लम यह है कि दो दो ऊंट लगाकर पानी निकालते हैं। वहां पर अगर आप बिजली के पम्प लगवा दें तो पानी मिल जायेगा। इसी तरह से एक जानवा गांव है वहां पर अच्छा पानी है। एक असमार की ढाणी है उसमें भी बहुत अच्छा पानी है। वहां पर भी आप पानी निकाल सकते हैं। यह सामान्य सी बात है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ गांव वहां पर ऐसे हों जहां पर पानी बिल-कुल ही नहीं है, वहां पर पीने का पानी नहीं है इसलिये टैन्कर्स के जरिये पानी पहुंचाया जाता है। आपने टैन्कर्स की व्यवस्था की है अब जैसे कि गवर्नर साहब के एड्रेस में आपने कहा, 254 टैन्कर्स हैं पूरे राजस्थान में, राजस्थान में आपके दो सौ ही कान्स्टी-ट्यूएन्सी हैं। एक एक कान्स्टीट्यूएन्सी के हिस्से में आता है और एक भी टैन्कर खराब हो जाता है तो वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता है। अगर आप लोगों को पानी पिलाना चाहते हैं तब तो अभी जैसा कि मन्त्री महोदया ने कहा, राजस्थान में 24 हजार समस्याग्रस्त गांव हैं उसमें से 20 हजार गांवों को आपने लाभान्वित कर दिया है। यह कहा है, यदि यह स्थिति है तो यह स्थिति सही नहीं है। आपको इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा, वे जन-प्रतिनिधियों के जिम्मे योजनाओं को ठीक करने का काम देना चाहते हैं तो मेरे पास पूरे रतनगढ़ क्षेत्र के एक एक गांव की पूरी हिस्ट्री है यदि आप चाहें। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों से कहें कि वह मेरे साथ गावों का राउण्ड लें, मेरे साथ चलें, मैं अभी सब व्यवस्था ठीक करवा दूंगा। बिना पैसे लिये, बिना किसी डराने धमकाने के, बिना किसी राजनैतिक दृष्टिकोण के, मैं पूरे गांवों में घूमता हूं। अपने स्तरपर बिना किसी लोभ के आपको ले जाकर बता दूंगा कि इस जगह पर यह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कमी है। आप ताज्जुब करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक रिंग टूट जाती है तो लाइन मैन रतनगढ़ आकर तीन दिन बैठ जाता है पूछने पर कहता है कि रिंग टूट गयी है। यह काम तो आपके ए. ई. एन. को खुद करना चाहिये, वह राउन्ड लगावे और देखे कि कहां पर किस चीज की कमी है। वह साथ में ले जायं और वहीं पर उस चीज को सप्लाई कर दे। मगर आपके अधिकारी यह बात करने को तैयार नहीं हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी संवेदनशीलता की बात करते हैं वह संवेदनशीलता लोगों में नहीं है। वह इन लोगों के अन्दर होनी बहुत जरूरी है। अगर यह बात सही है तो राजस्थान की जनता का, आप कम से कम पीने के पानी के मसले पर हम लोगों का सहयोग लें। हम लोग आपका सहयोग करेंगे। आप विभाग के लोगों को कहिये कि हमारे साथ मौके पर जावें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें तो ही अधिकांश समस्या हल हो सकती है। यही मुझे आपको निवेदन करना था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया।

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एरिया की पानी के मामले में स्थिति खराब है।

श्री अध्यक्ष : आप अकाल पर जब बहस हो तब बोल लें।

श्री मोहन छंगाणी : पानी की सबसे बड़ी कमी है। पानी और अकाल की समस्या जुड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था।

श्री अध्यक्ष : आप उस वक्त एब्सेन्ट थे।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं उस समय उपस्थित था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आपका नाम नहीं है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री मोहन छंगाणी : दो दो मिनट का समय चाहते हैं। आप दो दो मिनट का समय दे दें। यह बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है। नाथूसिंह जी जैसा मेरा भी स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था। एक प्रश्न मुझे मन्त्री महोदय से करना है, एक जानकारी मन्त्री महोदय से करनी है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की बहुत ही आभारी हूं कि...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । माननीय मन्त्री महोदया, कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन चार बार चर्चा हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया, कृपया बैठें । कृपया बैठे । माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मन्त्री महोदय से एक यही जानकारी करना चाहता हूं । जैसा कि मन्त्री महोदया ने कहा, जो विलेज नोन प्राब्लमेटिक विलेज थे और जब प्रोब्लमेटिक विलेज हो गये हैं उनके लिये जिला परिषदों से प्रस्ताव भिजवा दें तो कन्सीडर कर लिया जायेगा, यह तो ठीक है लेकिन जिन जिला परिषदों की मीटिंग ही नहीं बुलाई जावे ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाईपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : नहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर जिला परिषदों की मीटिंग ही नहीं बुलाई जावे तो ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उसकी सूचना दें ।

श्रीमती कमला : इसके लिये आप पंचायत राज्य मन्त्री को प्रश्न के जरिये या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये या अन्य किसी माध्यम से कहिये कि जिला परिषद की मीटिंग क्यों नहीं होती है ।

श्री दिग्विजयसिंह : आप मेरी पूरी बात तो सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये । अगर आप सुनने को तैयार नहीं हैं तो फिर हम बैठ जायं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात तो सुन लें । मेरा नाम पुकारा है पूरी बात तो सुन लीजिये । आप अगर सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हम फिर बैठ जावें । हम तो आपके आदेशों की पालना करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपको क्लेरिफिकेशन सीक करना है तो मन्त्री जी जवाब दें उस वक्त मैं आपको प्रश्न करने के लिये अलाऊ कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय चाहता हूं आपके फंक्शनिंग के बारे में जानकारी करने के लिये । जिस तरह के आंकड़े मन्त्री महोदय ने दिये हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह जी बोल रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्री दिग्विजयसिंह)

महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि... ।

श्री किशन मोटवानी (ग्रजमेर पश्चिम) : ग्रोन ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री ग्रध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्नक्या है।

श्री किशन मोटवानी : व्यवस्था का प्रश्न यह है जैसा ग्रापने ग्रासन से व्यवस्था दी है कि सत्ता पक्ष के जिन लोगों का नाम नहीं है वह नहीं बोल सकते है ग्रौर जो नाम पुकारे जाने के समय उपस्थिति नहीं थे ग्रौर बाद में ग्राये वह नहीं बोल सकेंगे। यह ग्रापने व्यवस्था दी मगर इधर के जब नाम ही नहीं है तो उस पक्ष वाले कैसे बोल सकते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापका गलत ख्याल है। माननीय सदस्य किसी दूसरे स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे थे।

श्री किशन मोटवानी : तो मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पानी की समस्या का सवाल है ग्रजमेर के इलाके में पानी की बहुत भारी गम्भीर समस्या है। पर ग्रापने कहा कि ग्राप नहीं बोलें इसलिये हम नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। ग्रार्डर ग्रार्डर। ग्राप नियमों की पालना कर रहे हैं। ग्रच्छा कर रहे हैं। ग्रार्डर ग्रार्डर। कृपया बैठें।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों की मीटिंग ही नहीं बुलाई तो प्रॉब्लमैटिक विलेज की दिक्कत को दूर करने के लिये हम प्रस्ताव कैसे भेजें ? मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि टौंक जिले में पांच में से चार सीटों पर ग्रपोज़ीशन जीत कर ग्राया है ग्रौर वहां के जिला प्रमुख कांग्रेसी हैं ग्रौर पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेसी है। ग्रगर कांग्रेसी ग्रादमी जिला परिषद की मीटिंग ही नहीं बुलाये तो क्या किया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : उसके लिये, माननीय सदस्य, व्यवस्था है। उसके लिये मीटिंग बुलाने के लिये व्यवस्था है, कानून में व्यवस्था है।

श्री दिग्विजयसिंह : जब वह मीटिंग बुलायेंगे नहीं तो कैसे होगा।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापकी बात हो गयी कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दिग्विजयसिंह : यो पहले विधायक, लिखकर दे दें मन्त्री महोदय को जांच करने के लिये ग्रौर वह एग्जामिन करें ग्रौर उसका फिर इन्तजाम करें। यह दिक्कत है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापकी बात हो गयी।

श्री मोहन छंगाणी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है क्योंकि ग्राज का जो बिजनेस है उस पर ग्राप बहस करना चाहते हैं। मुझे क्या ग्रापत्ति है कि ग्राप इस पर ही बहस करें पर माननीय सदस्य ग्राप जानते हैं ग्रापके पास बिजनेस है।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की समस्या राजस्थान के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। आपको मालूम है कि सरकार के पास आज और भी बिजनेस हैं। आप सहयोग करें।

श्री मोहन छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की जो समस्या है वह असाधारण समस्या है। यह सही है कि पी. एच. ई. डी. ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काम किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट का समय दिया। To the point.

श्री मोहन छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर सभी काम गड़बड़ पिछले सालों में हो गये हैं! मेरा निवेदन यह है कि पिछले सालों में प्रदेश के नेतृत्व में, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण की कमी रही है। आप मिसाल के तौर पर फलौदी का ही उदाहरण ले लें। वहां वाटर सप्लाई की चाहे आप सीरोड़ा की योजना लें चाहे आप शैतानसिंह नगर के आमसरा की योजना को ही लें चाहे और दूसरी कोई योजना को ही लें। इसका एक ही मतलब है, जहां कुआं खुद गया और कुआं खुदने के बाद पानी वहीं सप्लाई हो गया, टंकियां बना दी गई लेकिन 1972--73 के बाद से आज तक उन टंकियों में पानी नहीं पहुंचा है, यह सही है। जैसे शैतान सिंह नगर में दो कुएं खोदे गये, एक कुआं खराब हो गया, दूसरा कुआं खोदा गया, वह भी खराब हो गया, फिर आभला में खोदा गया उसके बाद न ननुआ में पानी मिला है, न ननुआ के आगे जामा में पानी मिला है। जामा तक तो गया ही नहीं। मेरा ख्याल है मैंने बहुत जोर दिया तो प्रेशर डवलप करके जामा में पानी पहुंचा। यही की यही हालत सीणियों की योजना की है। सीणी गांव को खुद ही खा जाता है....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन छंगाणी : इसलिए यह कहें पैंतीस हजार गांव आज राजस्थान में हैं जिसमें से करीब 22--24 हजार प्राब्लमेटिक विलेजेज हैं जिनके लिए वाटर सप्लाई योजना तय करनी है। इनका यह भी एस्टीमेट है कि छठी पंचवर्षीय योजना में हम करीब 23–2400 गांवों को छोड़कर बाकी जगह पानी की समस्या हल कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सरासर असत्य है। मैं कहता हूं, इनका टार्गेट है, इनका दोष नहीं है, बहुत सारी अच्छी स्कीम हैं, बहुत सारे अधिकारी सक्षम हैं, इंजीनियर अच्छे हैं, फिर भी क्या हो रहा है अभी तक सबके सब पर्चेजेज में लगे हुए थे। टार्गेट में करोड़ों रुपये मिले, 1982–83 में, 83-84 में, 84-85 में, आप बाप की योजना लें....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, 10 हजार लोग प्यासे मर रहे हैं। तो हम टैंकरों से पानी सप्लाई करें। यह मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री का, सरकार का हमको पूरा सहयोग है यह मानते हुए भी मदास हैड से जो पानी मिलने वाला था साल भर पहले 17 लाख के पाइप वहां पहुंचाये गये उसकी योजना को क्यों नहीं पूरा किया गया ? मंत्री महोदया तो बना बनाया स्टेट-

(श्री मोहन छंगाणी)

मेंट पढ़ती है, मेरा चार्ज है इन पर...

श्रीमती कमला : देखिये, बना बनाया कोई दूसरा नहीं देता, हम खुद बनाकर लाते हैं। आप यह आरोप मत लगाये, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : छंगाणी जी जब मंत्री थे तब ऐसा ही होता होगा।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया के पास टेम्परेरी चार्ज है इनको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने के लिए यहां दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनके विभाग की बात है।

श्री मोहन छंगाणी : विभाग में तो मंत्री का इन्वाल्वमेंट होना चाहिए, यहां स्टेटमेंट पढ़ने के लिए विभाग नहीं है। इनके विरुद्ध मेरा कोई चार्ज नहीं है। जब तक इनकी कोई पोलिटिकल लीडरशिप डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग में नहीं होगी तब तक यहां के अधिकारी रेसपेक्ट करना फंक्शनिंग करना और चेंज करना कभी पसंद नहीं करेंगे। यह सही है कि सारी की सारी व्यवस्था को नया दृष्टिकोण और नई दिशा नहीं देंगे तो पानी की समस्या हल नहीं हो पायगी। आप टार्गेट दे दीजिए, पचास करोड़ दे दीजिए, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में करोड़ों रुपया मिला है परन्तु हम राजनीतिक नेतृत्व के जरिये दिशा नहीं दे पायेंगे तो इस रुपये से पानी की समस्या हल होगी ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, सदन में काफी घंटों से जल की समस्या की बाबत, मांग की बाबत, समस्याओं के निराकरण की बाबत काफी चर्चा हुई। आपको और मुझे भी मालूम है कि बहुत सारे माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते थे। इन सब बातों, चर्चा को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा निष्कर्ष यह निकलता है कि राजस्थान में काफी वर्षों से भी पेयजल की बहुत गम्भीर समस्या रही है और आज के दिन भी है। इस समस्या के निराकरण को प्राथमिकता देकर करने को इसका समाधान करने का सभी माननीय सदस्यों का पुरजोर आग्रह है। सरकार भी इस बात से पूरी तरह से अवगत है, महसूस करती है कि इस राज्य के निवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करानी प्रथम आवश्यकता है और प्रथम कर्त्तव्य है...

(व्यवधान)

इसमें शेम, शेम की क्या बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : शेम नहीं, फेल्ड, फेल्ड है।

श्रीमती कमला : वक्तव्य कहां फेल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोलें।

श्रीमती कमला : ऐसा कहने से न तो समस्या का हल होना है और न आपने जो विचार प्रकट किये हैं कि...

एक माननीय सदस्य : सरकार करना ही नहीं चाहती तो होगा कैसे...

श्रीमती कमला : पूरी तरह से ध्यान देकर राजस्थान के निवासियों के, राजस्थान के गांवों के पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाना आवश्यक है। यह सारी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष आपके और हमारे सामने है।

दूसरी बात जिस पर ध्यान दिया जाना है हम अपनी तरफ से ध्यान देंगे लेकिन पिछले कुछ वर्ष पहले आज से आठ या दस साल पहले जिन गांवों में यह समस्या नहीं थी आज उन गांवों के अन्दर भी, उन जिलों के अन्दर भी यह समस्या बहुत गहन हो चुकी हैं, क्योंकि जितने पानी की आवक होनी चाहिए या बरसात जितनी धुआंधार तरीके से होनी चाहिए बरसात के मौसम में, वह कुछ वर्षों से नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण है कि बरसात के पानी को रोकने के लिए व्यापक तौर पर एनीकेट या बांध बनाये जाने चाहिए या बांध बनाने का काम होना चाहिए वह भी नहीं हुआ। तीसरा, यह है कि जिन-जिन इलाकों में हम पेयजल की व्यवस्था कोई कर रहे हैं उसमें पानी नीचे को ही निकल रहा है। इसलिए कुल मिलाकर बहुत से जिलों के अन्दर यह समस्या है। जिनमें आज से आठ या दस साल पहले नहीं थी, उन जिलों के अन्दर यह गहन हो चुकी है और जितनी पश्चिम राजस्थान के अन्दर पहले से थी या पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर अब भी मौजूद है। तीसरी बात इसके अन्दर ध्यान देने की है, जो हमने महसूस की है कि बहुत तत्परता के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजन के पहले ही वर्षों में बड़े पैमाने पर, बड़े व्यापक तौर पर इस काम को हाथ में लिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक प्रकार से सारे राजस्थान की समस्या बन चुकी है। यह आम तौर चर्चा का भाव बन गया है इसको मैंने आपके सामने प्रकट किया है। अभी तक जो व्यवस्थायें की गई हैं उन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने आम तौर पर तीन-चार जनरल समस्यायें रखी हैं। पहली समस्या यह रखी है कि जो योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं उन योजनाओं में या तो जिस वक्त काम किया गया था उस वक्त की जनसंख्या में और आज की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाने के कारण उनको रिवाइज करने की जरूरत है, चाहे टंकियां बड़ी बनाने की जरूरत हो, चाहे पाइप लाइन को बड़ा करने की जरूरत हो, या जो मुहल्ले बस गये हैं उनको पानी पहुंचाने की जरूरत हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्रीमती कमला : उसके बाद जो दूसरी आम समस्या उभरकर आई है वह यह है कि चाहे समस्या ग्रस्त गांव कोई है या ढाणी है या नहीं है सभी गांव में आज पानी की आवश्यकता बहुत तकाजे से महसूस की जा रही है। इसलिए तमाम गांवों में हमें कोई न कोई पेयजल का साधन बहुत तत्परता के साथ उपलब्ध कराने की जरूरत है। ठीक है भारत सरकार की तरफ से कुछ श्रेणियां बनाई गईं, समस्या ग्रस्त और समस्या रहित, यह उस वक्त की बात थी लेकिन आज पानी नीचा जाने से तमाम गांव की यह समस्या हो चुकी है। इसलिए विभाग की ओर से इस प्रकार का प्रयास किया जाना आवश्यक होगा कि सभी गांवों में और खास तौर से जहां पर ढाणियां हैं वहां कुछ सब्सटेंशियल आबादी बन चुकी

(श्रीमती कमला)

है उन सबमें किसी न किसी प्रकार का पेय जल का साधन हमको उपलब्ध कराना आवश्यक हो गया है। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि बहुत सी जगह पर यह समस्या आई थी कि जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये गये हैं उनको पहले नहीं लिया गया, हालांकि पिछले साल इसका स्पष्टीकरण जारी किया गया, राजस्व ग्राम चाहे नहीं हैं लेकिन एक अच्छी आबादी जहां बन चुकी है उसको हमें इस योजना के अन्दर शामिल करना है। मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहती हूं कि दो साल पहले तमाम जिलाधीशों को रेवेन्यू विभाग की तरफ से एक परिपत्र बहुत तकाजे के साथ जारी किया हुआ है उसके बाद एक स्मरण पत्र भी जारी किया हुआ है। आप सभी अपने-अपने गांव में जाय और उसका तकाजा करके उसको लागू कराने के लिए कोशिश करें तो कुछ और बातें गुद्दे की हमारे सामने बन सकेंगी। जहां भी 250 की आबादी है उन तमाम गांवों को सरकार राजस्व ग्राम घोषित करना चाहती है। इस संबंध का तमाम जिलाधीशों को दो वर्ष से निर्देश दिया हुआ है। कुछ जिलाधीशों ने अपने स्तर पर उन गांवों का नाम भेजा भी और हमने इन गांवों को घोषित भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत से जिलों से इस तरह के प्रस्ताव नहीं पहुंचे हैं। उन प्रस्तावों के पहुंचने पर हम उनको करेंगे। इन तमाम समस्याओं में यह भी एक बहुत आधारभूत चीज है कि राजस्व ग्राम घोषित होने से चाहे बिजली है चाहे स्कूल है, चाहे नल योजना है चाहे और साधन सुविधायें हैं उनमें प्राथमिकता के ऊपर काम करने का एक दृष्टिकोण बनता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आप सबका सहयोग चाहती हूं।

दूसरी जो समस्या तमाम माननीय सदस्यों ने उठाई, जो मौजूदा हमारी नल योजनायें लगी हैं या हमारे जो हैंड पम्प लगे हैं टी०एस०एस० लगी हैं, उसमें कई ऐसी हैं जो कारगर ढंग से काम नहीं कर रही हैं। जैसे टी०एस०एस० लगी हैं तो ज्यादातर क्षेत्रों से शिकायत आ रही है कि यह किसी प्रकार की उपयोगी नहीं है इसलिए इनको बन्द कर दिया जाय और इनके स्थान पर या तो पम्प एण्ड टैंक योजना बनाई जाय या इनके स्थान पर हैंड पम्प लगा दिये जायें।

दूसरे हैंड पम्प के बारे में शिकायत आम तौर पर यह है कि या तो वह इतने गहरे नहीं खोदे गये हैं कि पानी बराबर उनमें आ जाय या उनमें खराबी इतनी जल्दी हो जाती है कि उनके सुधार का कोई रास्ता नहीं है। मेरा माननीय सदस्यों से इस बारे में निवेदन है कि जिन हैंड पम्प्स को ठेकेदारों ने पूरी गहराई तक नहीं खोदा है जहां हैड पम्प खराब पड़े हैं वह किन कारणों से पड़े हैं, साल भर पहले पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर समितियों के सहयोग से एक अभियान चलाया गया और यह आइडेन्टीफाई किया गया था कि इस तरह के कहां कहां हैंड पम्प हैं। जब तक इस तरह के आइडेन्टीफाईड हैंड पम्प को विभाग दुरुस्त नहीं कर देगा तब तक यह सारा काम विभाग के पास में ही रहेगा। यह काम विभाग की तरफ से किया गया और किये जाने के बाद में पंचायत समितियों को यह काम सौंपा गया। उनके पास में

(श्रीमती कमला)

मिस्त्री दिये गये उनके पास में फण्ड्स दिये गये। आज के दिन यह व्यवस्था है कि अगर सामान्य तौर की खराबी है तो पंचायत समिति के पास में उसके फण्ड्स और टेक्निकल पर्सनल हैं वह उसको तुरन्त ठीक करायें। अगर कोई बड़ी खराबी है तो आज भी विभाग का यह दायित्व है कि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी वहां जाकर उसको दुरुस्त करें। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन यह है कि विशेष तौर से उन गांवों के नाम और उनमें किस प्रकार की खराबी है उसका उल्लेख करते हुए अगर आप सूची दे सकें तो उसके बाबत विभाग के द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जा सकेगी।

तीसरी जो बात आम तौर पर है वह यह है कि पानी की व्यवस्था है और तमाम योजना भी सुचारु रूप से बनी हुई है लेकिन पानी नीचे चला गया है और कुआ एक ही है इसलिए और सोर्सेस उसके अन्दर निकाले जायें। जहां जहां भी जिन जिन गांवों के अन्दर दूसरे सोर्सेस विभाग को उपलब्ध हो रहे हैं उन दूसरे सोर्सेस को टेप करके विभाग ने कोशिश की है कि उन योजनाओं को सुचारु रूप से चलाये लेकिन कई दफा दो दो सोर्सेस टेप करने के बाद भी वह कारगर साबित नहीं होते हैं। इसलिए उन योजनाओं में आम तौर पर दिक्कत बनी हुई है।

एक बड़ी समस्या जो सभी महसूस करते हैं और आप लोगों ने भी यहां कहा कि बिजली से जुड़ी हुई जो भी योजनायें हैं क्योंकि आम तौर पर कुछ बड़े कस्बों को छोड़कर जहां कि फीडर अलग से डाला हुआ है रोशनी के लिए उनमें इतनी समस्या नहीं है लेकिन आम तौर पर ब्लाक्स के अन्दर बिजली दी जाती है इसलिए जब ब्लाक्स के अन्दर बिजली उस इलाके में आती है तो उस समय में उस टैंक को भरने का जो काम है वह करते हैं लेकिन गांव बड़ा हो गया है, वह टैंक भी पहले जमाने का बना हुआ छोटा है इसलिए इतने समय में पानी भरा जाता है तो टैंक का पानी थोड़े समय ही काम देता है, फिर समस्या हो जाती है। इसके साथ ही यह भी समस्या है कि विभाग के कर्मचारी भी जब बिजली की बारी आती है तो उस समय में लापरवाही बरतते हैं और टैंक को नहीं भरते हैं। कुल मिलाकर समस्या यह है कि ब्लाक्स के अन्दर जो बिजली आती है उसमें खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर पानी की बड़ी भारी समस्या हो गयी है। छोटे कस्बों के अन्दर भी और जो खेती के कुए जिनसे भी लोग पानी पीते हैं उनमें भी क्योंकि ब्लाक्स में बिजली आती है, वह जब चली जाती है तो पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यह तीसरी बड़ी समस्या क्षेत्रों के अन्दर महसूस की जा रही है।

इन तमाम आम समस्याओं का ध्यान करते हुए हम किस प्रकार से पुरानी योजनाओं को रिवाइज करके, पाइप संकडे हैं तो बड़ी बनाकर, टैंक छोटे हैं तो दूसरे बना करके, सोर्सेस कम हैं तो उसको सही करके, टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंच रहा है तो उसको पहुंचाने के लिए बीच में बूस्टर लगाकर या क्या करें—इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी धनराशि इस काम के लिए हमको मिल सके, इसको प्राथमिक आवश्यकता

(श्रीमती कमला)

राज्य के निवासियों को मानते हुए इसका प्रस्ताव दिया गया है। जैसा मैंने आपको सुबह बताया कि लगभग 800 करोड़ रुपया विभाग ने अपनी पुरानी योजनाओं को दुरुस्त करने के लिए और नयी जगहों पर ज्यादा मांग बन चुकी है वहां पर जलप्रदाय की व्यवस्था करने के लिए मांग की है। कितनी धनराशि हमको सातवें प्लान के अन्दर मिल पायगी और कितनी सातवें प्लान के फर्स्ट ईयर में मिल पायेगी उसके हिसाब से हम इसके ऊपर कारगर ढंग से काम कर पायेंगे। लेकिन हमारा प्रयत्न यह होगा कि इसको प्राथमिक आवश्यकता मानते हुए ज्यादा से ज्यादा धनराशि हम इसके अन्दर प्राप्त कर सकें इसकी हम चेष्टा करेंगे।

जहां तक, माननीय सदस्य, आपने अपने अपने क्षेत्रों के कुछ मुद्दे यहां पर रखे उनमें सब पर तो नहीं लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा संक्षेप में, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगी। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि टंकी बनी हुई है लेकिन उस टंकी को सिस्टम से अभी तक जोड़ा नहीं गया है इसलिए वह टंकी निरर्थक पड़ी हुई है और ग्रामवासियों को उससे लाभ नहीं पहुंच रहा है। मैंने विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहा था लेकिन तुरन्त उसके पास में इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि उनका एस०ई० भी और एक्स० ई०एन० भी सब झुंझुनू में बैठते हैं इसलिए उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया है। मैं इसको लिखकर तकाजे के साथ कोशिश करूंगी कि इसको तुरन्त सिस्टम से जोड़ दिया जाय।

जयपुर शहर के माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये और अपनी बहुत सारी समस्या भी बताई हैं। माननीय भंवरलाल जी ने सुझाव दिया है कि जितने भी पुराने कुए हैं जलदाय व्यवस्था के उपयोग में लाये जा सकते हैं उन सबको आइडेन्टीफाई करके और सुधार करके, उनके जल को स्वच्छ करके उनको उपयोग में लिया जाये। यह सुझाव बहुत उत्तम है। इसके बारे में हम तत्परता से कार्यवाही करेंगे।

बस्सी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात सही कही है कि राज्य सरकार का यह बहुत सख्त निर्देश है और बार बार इनकी पाबन्दी के लिए हिदायतें भी की गयी हैं कि जो कोई भी गांव या बस्ती इलेक्ट्रिफाई की जाय या जल योजना का प्रावधान किया जाय वहां सबसे पहले हरिजन बस्तियों के अन्दर इसकी व्यवस्था की जाय लेकिन आम तौर पर देखा यही जाता है कि वह बस्तियां तो छूट जाती हैं और गांव के प्रमुख लोग अपने घरों के सामने या अपने क्षेत्रों के अन्दर पहले व्यवस्था कराते हैं जिससे कि उनके सामने यह समस्या बनी रहती है। इसलिए आपने जो 50 हरिजन बस्तियों का कहा है, मैं माननीय सदस्य से चाहूंगी, वह मुझे नाम दे दें। इस तरह की बस्तियों में हम प्राथमिकता से हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था करें, इसको मैं देखूंगी।

पाली से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि पाली के लोग तो पानी के लिए तरस रहे हैं और जोधपुर को जवाई बांध की नहर जाकर पानी पिला रही है। बहुत से गांवों के नाम भी मुझे दिये हैं जहां तालाब सूख गये हैं और पानी की बहुत गम्भीर समस्या हो गयी है। मैं पाली

(134)

(श्रीमती कमला)

जिलाधीश महोदय को भी और जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी बात करके इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश करूंगी कि पाली के अन्दर जहां भी पानी का संकट है उसका हम तत्परता से और तकाजे से निराकरण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : पहले भरे जाते थे जवाई बांध के पानी से।

श्रीमती कमला : मालूम है मुझे। मेरे पास पहले महकमा था उस समय देते थे।

चौहटन से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात की तरफ ध्यान खींचा कि बुरहानकला योजना है वह योजना स्वीकृत है, योजना कार्यरत बताई जा रही है लेकिन उस पर अभी तक भी पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो मैंने जानकारी करने की कोशिश की लेकिन वहां से मुझे नहीं हुई। यह बहुत तकाजे की बात है कि जिस योजना को हम कारगर ढंग से लागू करने की बात कहते हैं उसका उपयोग नहीं हो रहा है। क्या कारण है और किस प्रकार से सम्पादित किया जाकर उपयोग किया जा सकता है इसके लिए मैं कार्यवाही करूंगी।

जोधपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन बातें काफी उपयोग की और जरूरी बताई हैं। पहली बात तो बहुत बड़े प्रावधान की है उसके लिए नीति के तौर पर तो फैसला हुआ है कि राजस्थान केनाल से लिफ्ट केनाल बना करके जोधपुर शहर की पानी की समस्या का स्थाई रूप से निराकरण किया जाय। लेकिन उसमें कितना पैसा हमें मिलेगा, कब वह शुरू हो पायगी मैं आज उसकी बाबत में कहने की स्थिति में नहीं हूं। आपने यह बात जो कही है कि पूर्व में इस शहर में पानी के लिए तालाब काम में आते थे, आज उन तालाबों की दुर्दशा हो रही है, उन तालाबों में कीचड़ है या उन तालाबों में पानी की आवक बन्द हो गयी है तो जो कुछ भी उन तालाबों का उपयोग किया जा सकता है और उनसे जलदाय योजनाओं को सहयोग मिल सकता है उसकी जांच करवाकर किस प्रकार से उनका लाभ लिया जा सकता है इसके लिए हम कोशिश करेंगे।

आपने यह भी कहा है कि जवाई नहर जो जा रही है जोधपुर को उसमें पानी जगह जगह से रिस रहा है इसलिये बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है। यह महत्वपूर्ण और अर्जेन्ट वर्क है, हम जिस पानी को कीमती मानकर वहां पहुंचा रहे हैं, जिसके लिये बीच के इलाके इतना एजीटेट करते हैं उस पानी को हम इस तरह से वेस्ट नहीं जाने दें और तत्परता से उस रिसाव को रोक करके उस पानी को पूर्ण रूप से वहां पर पहुंचावें।

नौखा से आने वाले माननीय सदस्य ने योजना का नाम तो नहीं बताया पर यह कहा कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि वह क्षेत्रीय योजना बनी हुई है काफी समय से, लेकिन उसके नौ गांवों में 7 वर्षों से एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा है तो यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। मैं उसके बारे में अभी पता नहीं कर पाई हूं। मैं इसके बारे में बहुत ही गम्भीरता से और बहुत ही सोच समझकर यह जो इतनी आपत्तिजनक स्थिति है,

(श्रीमती कमला)

योजना इतने वर्षों से बनी हुई है कह रहे हैं और सात वर्ष से....

एक माननीय सदस्य : छींगासर जल प्रदाय योजना

श्रीमती कमला : इसके बारे में एक दो दिन में असेम्बली खत्म होने से पहले मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इसकी व्यवस्था के बारे में बताऊंगी।

किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इतनी भयंकर स्थिति हो गई है, हम बड़े तावड़तोड़ हैण्डपम्प लगाने में लगे हैं। मैंने कल भी प्रश्न के जवाब में और आज सुबह भी मेरे स्टेटमेंट में बताया है कि सन् 1984 से ही काम कर रहे हैं। 20 कुएं बनाये जा चुके हैं। 26 ट्यूब वैल का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और हैण्ड पम्प का काम शुरु किया है। तावड़तोड़ कोई चीज नहीं की जा रही है, जहां आवश्यकता है और जहां पर लगाया जा सकता है उसके मुताबिक पूरी तकनीकि और सावधानी के साथ में और विभागीय व्यवस्था के साथ में उनको लगाया जा रहा है इसमें कहीं कोई आशंका की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन बार इस बात को दोहराया कि राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव बरत कर कोई कार्यवाही न करें। कुछ एक इलाके में इस तरह के इन्सटांस होंगे लेकिन जो काम राज्य सरकार पिछले इतने वर्षों से कर रही है, मानवीय आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण पर ग्राम निवासियों की जल की जो भयंकर समस्या है उससे निपटने के लिये, सक्षम करने के लिये, कर रही है तो इन्सटांस लेकर राजनैतिक रंग लाना उपयुक्त नहीं है। जितने अभावग्रस्त या समस्याग्रस्त गांव हैं, वह बाकायदा नार्म्स के मुताबिक, जैसी स्थिति है उसके मुताबिक अभावग्रस्त गांव घोषित किये जायेंगे, वे घोषित किये गये हैं और उसी के मुताबिक कार्यवाही की गई है। इसमें इस तरह के आरोप लगाना, मैं समझती हूं, उचित नहीं है और न ही ऐसी आशंका रखनी चाहिये। एक जगह गड़बड़ है और सामान अगर वहां पर है या हटा लिया गया तो उसकी हम जांच करके व्यवस्था पूर्ववत करेंगे।

जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने रामगढ़ बन्ध की सफाई के बारे में कहा था। कल सवाल के जवाब में भी मैंने कहा कि यह उपयोगी साबित नहीं होगा लेकिन विवरण नहीं दिया। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि 15 फीट जो सिल्ट बन्धे के अन्दर है उसको निकालने और पांच फीट बन्धा ऊंचा उठाने के खर्चे में बहुत थोड़ा फर्क है लेकिन जो होगी पानी की उसमें बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जो सिल्ट निकलेगी, वह नीचे गहरा इलाका है उसकी निकलेगी, उससे पानी के भराव की क्षमता कम होती है। उसमें सिर्फ 50 एम सी एफ टी पानी की आवक बन पायगी अगर सिल्ट निकालेंगे। अगर पांच फीट उसको हम उठाते हैं तो 1300 एम सी एफ टी उसकी भराव क्षमता ज्यादा हो पायगी। इसलिये सरकार ने इस बात को ज्यादा उचित समझा कि उतने ही खर्चे में या थोड़ा बहुत ज्यादा खर्चे में अगर भराव क्षमता बढ़ती है तो उसको करना ज्यादा उपयोगी है बजाय सिल्ट निकालने के।

(136)

(श्रीमती कमला)

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ स्वीकृत क्षेत्रीय योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वह स्वीकृत पड़ी हैं बहुत समय से लेकिन उनके काम शुरू नहीं हो रहे। कौन सी योजनायें हैं, क्यों स्वीकृत हो गई और फिर क्यों काम नहीं हो रहा है, मैं इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगी।

टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बीसलपुर योजना के लिये कहा। उनको डिटेल्स मालूम हैं, मैंने उनको बताया भी है उसके लिये और कोई उनके पास विशेष डिटेल्स नहीं हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम इसको शामिल कर रहे हैं। 91 करोड़ का अभी प्रावधान है, लगभग 100 करोड़ का मानना चाहिये और जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर वगैरह उन इलाकों के लिये इससे पानी मिलेगा, सिंचाई के लिये भी पानी मिलेगा। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही बड़ी हाईलाइट करके, ऐसा ही कहना चाहिये जैसे 78 प्रतिशत हैण्डपम्प जोधपुर में लगे वह सारे के सारे नाकारा हैं। उनका पानी उपयोगी वाकई नहीं है। ऐसा नहीं है। सवाल अच्छा, बढ़िया और मीठा पानी जो नार्म्स के अन्दर आता है वह बिल्कुल नहीं आ रहा है। वैसे तो आम तौर से जो हम पानी पीते हैं वैसा तो है ही। इसलिये इसका यह अर्थ नहीं कि पानी पीने योग्य नहीं है, उसको पी भी रहे हैं और उससे कोई नुकसान भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन विभाग का जो उच्च श्रेणी का मीठा और अच्छा पानी का नार्म है उससे वह नीचे है। इसलिये वैसे तो जयपुर में सब जगह आपको मिल जायगा....

श्री शोपतसिंह : आप टैस्ट भी करते हैं क्या ?

श्रीमती कमला : जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा, उस पर हमने सोचा भी है और उसको कर भी रहे हैं। जमवा रामगढ़ का जो अतिरिक्त पानी है जो कभी कभी उसके बचाव के लिये निकालना पड़ता है या रिसाव से निकल रहा है उसका हम वापिस उपयोग कर सकें, इसके लिये विभाग योजना बना रहा है और कुछ अस्थाई रूप से योजना बनाकर उस पानी का उपयोग भी कर रहे हैं। आपने जो सुझाव दिया उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बात कही हैं, आपने यह कहा कि जो योजनाओं में पैसा मिला है। सरेन्डर करना पड़ा, वह लैप्स हो गया। ऐसा नहीं है। न पिछले साल एक रुपया इसके लिये लैप्स हुआ है और न यह जो अब साल चल रहा है इसमें लैप्स होने का सवाल है। हाइएस्ट सप्लीमैण्ट्री ग्रान्ट्स अगर किसी डिपार्टमेंट की आ रही हैं तो पी. एच. ई. डी. की आ रही हैं, इसलिये कोई भी पैसा ...

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने दूसरा सामान परचेज करने के लिये पैसा का उपयोग किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवधान न करें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : दूसरे कामों में व्यय हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्रीमती कमला : आपको इतना ध्यान है जब आप बोलते हैं दूसरे को नहीं बोलना चाहिये । जब मैं बोलती हूं तो आपको नहीं बोलना चाहिये । जरा धीरज रखिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वरना मैं बता देता ।

श्रीमती कमला : एक बात आपने कही, वी ओवर हैड टैंक बने हुए हैं अभी तक सिस्टम से जुड़े नहीं हैं । यह टैंक काफी समय से बन रहे हैं, खाली रहे तो फूट जायेंगे । यह अभी माननीय सदस्य ने कहा । टंकियों के साथ साथ में पाइप लाइन भी जुड़ जानी चाहियें । जहां से जोड़ी जायेगी वह 10 मील दूर पानी का सोर्स है । उसको बनाने के लिये विभाग बराबर प्रयत्नशील है । और प्रगति अच्छी तरह से चलती अगर वित्त का हमारे पास संकट नहीं आता । वित्तीय संकट के कारण समय समय पर उसको धीमा करना पड़ा । उसको हम 3।। मील तक तो ले आये हैं लेकिन अभी 10 मील पूरी होना बाकी है । जब यह पूरी पाइप लाइन डल जायेगी तभी सारा सिस्टम आपरेट करके शुरू करेंगे । जो उसमें डिले हुई, वह धीमी गति के कारण हुई । उसके कारण निवासियों को भी दिक्कत होने की बात आपने बताई ।

इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं ।

मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य नाथूरामजी ने जो ढाणियों को नगरपालिका की सुलभ पेयजल की व्यवस्था देने की बात कही है । बहुत सी ढाणियां ऐसी जगह पर अविस्थत होती हैं कि उनको पाइप लाइन से नहीं जोड़ सकते । उनको जल की समस्या से राहत दिलाने के लिये अभी यह व्यवस्था की गई कि जिन नगरपालिकाओं में जल प्रदाय योजनायें टंकी वाली बनी हुई हैं उनमें अगर ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पाइप लाइन नहीं पहुंच रही है या पानी वहाँ तक नहीं पहुंच सकता तो हमने हैण्ड पम्प भी स्वीकृत किये हैं इस तरह से जो नगरपालिकाओं के वार्ड रह गये हैं उनको भी हम हैण्ड पम्प......

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो उस पाइप लाइन से पाव-पाव, आधा-आधा किलोमीटर है वार्ड में है ।

श्रीमती कमला : इतना सा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है । तो इसको दिखवा कर अगर इस तरह का है कि थोड़े से खर्चे से नगरपालिकाओं को लाभ मिल सकता है तो इनको निश्चित रूप से लाभ मिलना चाहिये ।

आपने मूंडवा के धारनावास का कहा, वहां पर हैण्ड पम्प लगे हुए थे वहां से ले गये । यह कुछ अच्छी बात नहीं है । अगर इस तरह की स्थिति हुई है और अगर लगे हुए थे तो उनको वापस लगवाने के बारे में विचार करेंगे ।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक विशेष योजना के बारे में बताया, बिजनिया नामक योजना जो गोल बनी हुई है उसके अन्दर पानी पहुंचने में दिक्कत होती है और पाइप लाइन टूटी पड़ी हुई है । इसलिये पाइप लाइनों से कोई पानी नहीं

(श्रीमती कमला)

ग्रा रहा है लोगों को इसका लाभ नहीं होता है। इसकी मैं जांच करवा कर जो वांछित व्यवस्था की जानी होगी, वह की जायगी।

इसके ग्रलावा माननीय सदस्यों ने कुछ जनरल बातें कहीं हैं कि यह बहुत व्यवस्था खराब है, इसको ठीक की जानी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि जनरल बातें कहने के बजाय कहां कहां पर किन किन व्यवस्थाग्रों में क्या क्या गड़बड़ियां हैं वे ग्रगर लिख कर दें, सूची बना कर दें तो जो मौजूदा व्यवधान है या मौजूदा खराबियां है उनका हम निश्चित रूप से यथा सम्भव निराकरण करेंगे ग्रौर ग्रागे समय में हम ग्रौर क्या क्या कहां कहां व्यवस्थायें करें उस पर विचार करेंगे ताकि व्यवस्था करने से लोगों को जल्दी से जल्दी पेयजल की व्यवस्था सुलभ हो सके।

मैं सभी माननीय सदस्यों का ग्राभार मानती हूं। धन्यवाद !

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ! कृपया बैठें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : उदयपुर के बारे में पूछ रहे थे।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां पक्ष के लिये एक भी सेन्टेन्स नहीं बोलीं, माननीय मंत्री महोदया....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री सी. पी. जोशी : हां पक्ष वाले कुछ बोलें या नहीं बोलें....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई। ग्रकाल राहत मंत्री जी ग्रपना वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ग्राज जनता प्यासी मर रही है उसके लिये क्या कर रहे हैं ? भाषण का सार क्या निकला ग्रापका....

(व्यवधान)

ग्राश्वासन तो मिलते रहते हैं। लोग प्यासे मर रहे हैं, उसके लिये ग्राप क्या कहना चाहती हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

ग्रकाल राहत मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह तो नहीं होगा, ग्रध्यक्ष महोदय। इसका मतलब क्या हुग्रा। हमारी तो एक भी बात का जवाब नहीं मिला। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह तो ग्रापको निर्णय करना पड़ेगा। हां पक्ष वालों के एक भी सेन्टेन्स का जवाब नहीं दिया माननीय मंत्री महोदया ने।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ! माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य, माननीय सदस्य ! कृपया बैठें तो सही ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य ने निश्चित कोई बात कही नहीं थीं । एक जनरल बात कही थी, जिसका जब मैंने शुरू किया था तब ही जवाब दे दिया था । आपने उस पर ध्यान नहीं दिया । रेगिस्तानी इलाके की अलग समस्या है तो पहाड़ी इलाकों की अलग समस्या है, उनका किस तरह निराकरण किया जायगा यह आज ही कोई मैं जवाब नहीं दे सकती हूं....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : देवास के बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती कमला : आप बहुत अच्छी तरह अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो बात मैं कहना चाहती हूं उसको आप सुनना नहीं चाहते है ।

मैंने यह निवेदन किया है, प्रारम्भ में ही कहा है कि रेगिस्तानी इलाके की अलग समस्यायें हैं, पहाड़ी इलाकों की अलग समस्यायें हैं; उनके लिये अलग अलग प्रकार की व्यवस्थायें सरकार ने अपनाई हैं फिर भी वे अपर्याप्त हैं इसलिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक प्रावधान के जरिये इन कामों को करना चाहते हैं । अगर कोई माननीय सदस्य निश्चित बात नहीं कहेगा तो जनरल बातों का जवाब तो जनरल ही मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं....

(व्यवधान)

उदयपुर की देवास योजना के सम्बन्ध में उन्होंने पूछा है ।

श्रीमती कमला : मैं सुबह ही कह चुकी हूं ।

श्री अध्यक्ष : बता दीजिये वापस ।

श्रीमती कमला : दुबारा सुन लीजिये ।

सुबह मैंने कहा था, आप शायद होंगे नहीं । मैंने जो सुबह स्टेटमेंट दिया है इसी के सन्दर्भ में उसमें यह बताया है कि उदयपुर की स्थायी समस्या के लिये तीन योजनायें तैयार की गई हैं । उन तीन योजनाओं में देवास की भी है, दूसरी और योजनायें भी हैं । उनको तकनीकी दृष्टि से तैयार करके सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया है । उनमें से सरकार जिनको उचित समझेगी उन पर सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में काम प्रारम्भ किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

माननीय अकाल राहत मंत्री जी !

सदन की कार्यवाही मुख बन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

इससे पूर्व में सदन की अनुमति से मुख बन्द का समय साढ़े पांच बजे के बजाय साढ़े छः बजे करता हूं ।

शासकीय वक्तव्य
विभिन्न जिलों में अकाल से
उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा अकाल सहायता के सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दों के बारे में राज्य सरकार की तरफ से वक्तव्य इस प्रकार है :

राज्य में मानसून के देरी से आगमन एवं अपर्याप्त वर्षा होने तथा लम्बी अवधि तक वर्षा के अभाव के कारण इस वर्ष 6 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, चित्तौडगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर एवं कोटा को छोड़कर बाकी 21 जिलों के बड़े क्षेत्र में सूखे की स्थिति व्याप्त हो गई जो एक चिन्ता का विषय है।

इस स्थिति का सामना करने एवं आवश्यक सहायता व्यवस्था किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को दिनांक 15 दिसम्बर, 1984 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाकर दिसम्बर, 1984 से मार्च 1985 की अवधि के लिये 4547.08 लाख रुपये एवं माह अप्रेल 1985 से जुलाई 1985 की अवधि के लिये 9631.94 लाख रुपये अर्थात् कुल 14179.02 लाख रुपये की सहायता राशि की मांग की गई।

(4.55 म.प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति का अध्ययन करने हेतु केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 1985 से 21 जनवरी, 1985 तक व्यापक रूप से भ्रमण किया गया एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिये कुल 542.85 लाख रुपये की सहायता राशि निम्नानुसार स्वीकृत की गई—

(1) पशु संरक्षण एवं चारा व्यवस्था	6.50 लाख
(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हेतु	330.89 लाख
(3) गैर योजनागत पेय जल योजना	5.46 लाख
(4) रोजगार उपलब्ध कराने हेतु	200.00 लाख

सूखे की इस स्थिति से राज्य के कुल 37 हजार 584 ग्रामों में से 21 जिलों की 91 तहसीलों में 6017 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं तथा उनमें चालू भू-राजस्व की वसूली भी स्थगित की जा चुकी है। प्रभावित ग्रामों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम एवं विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारी मात्रा में कार्यों को स्वीकृत किया गया। ऐसे अभावग्रस्त जिलों में फरवरी, 1985 के अन्त में 2 लाख 15 हजार 419 श्रमिक कार्यरत थे। इन कार्यों के अन्तर्गत चालू माह में यह संख्या ढाई लाख से अधिक हो जायेगी। जनवरी, 1985 में उपरोक्त कार्यों पर 1664 लाख 90 हजार रुपये का खर्चा हुआ।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

उपरोक्त के अतिरिक्त अभावग्रस्त क्षेत्रों में अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिये, राज्य सरकार द्वारा 457 सहायता कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिन पर 479 लाख 94 हजार रुपये व्यय का अनुमान है।

अभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की योजनाओं के विस्तार, क्षतिग्रस्त हैण्ड पम्प व पारम्परिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार, खाली पड़े ट्यूबवैल के विद्युतीकरण, कुओं तथा ट्यूबवैल को गहरा करवाने हेतु 330 लाख 89 हजार रुपये की स्वीकृति जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दी जा चुकी है। इनके अलावा पंचायत समितियों के माध्यम से गैर योजनागत पेयजल योजना के अन्तर्गत 5 लाख 46 हजार रुपये की स्वीकृति भी सार्वजनिक पेयजल कुओं को गहरा करवाने के लिये दी जा चुकी है ताकि प्रभावित लोगों एवं पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके।

वर्तमान में राज्य के विषम पेयजल संकट वाले आठ जिलों यथा पाली, जालौर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू एवं जैसलमेर में 59 ट्रक द्वारा 529 ग्रामों एवम् ढाणियों में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। जिलाधीशों को यह अधिकार दिये गये हैं कि जहां पर पीने के पानी की दिक्कत महसूस करें वहां पर वे तुरन्त ही टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था प्रारंभ कर दें।

इसके अलावा 104 ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था भी चालू है। जिलाधीशों को इन मामलों में भी यह निर्देश दिये जा चुके हैं कि जहां पर भी सिंचाई के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक समझा जाय वहां पर तुरन्त इसकी व्यवस्था चालू कर दी जावे।

राज्य के मूल्यवान पशुधन के संरक्षण हेतु भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य में वन विभाग के पास 70 हजार क्विंटल चारा रिजर्व में उपलब्ध है। राज्य के पशुधन प्रधान 7 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवम् अजमेर में पौष्टिक पशु आहार भी राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाने की स्वीकृत दी जा चुकी है।

(5.00 म.प.)

इस हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ को 31 मार्च, 85 तक के खर्च हेतु 22 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अन्तर्गत लगभग एक लाख पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा। लावारिश पशुओं की देखभाल एवं पोषण हेतु भी जिला जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, नागौर, जालौर, जैसलमेर जिलाधीशों को 4 लाख 50 हजार रुपये की अनुदान राशि की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 20 हजार लावारिश पशुओं की देखभाल एवं पोषण की व्यवस्था सम्भव हो सकेगी। बीकानेर जिले में चारे के संकट को दृष्टिगत रखते हुए 5 लाख रुपये की राशि जिलाधीश को उपलब्ध करवायी गयी है ताकि स्वयंसेवी संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋण राशि दी जाकर चारे के वितरण की व्यवस्था करवायी जा सके। उचित दर पर चारा उपलब्ध करवाये जाने की दृष्टि से 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50 हजार रुपये की अनुदान राशि की–

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

स्वीकृति भी जिलाधीश, बीकानेर को दे दी गयी है। पंचायतों एवम् गौशालाओं को गौशालाओं के उन्नत किस्म के सांडों की उचित देखभाल एवम् पोषण की भी राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, जालौर एवम् चूरू जिलों में एक हजार सांडों के पोषण हेतु 3.75 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से 52 हजार 500 रुपये की अनुदान की स्वीकृति दे दी गयी है....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सांडों की ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सांड, सांड। अभावग्रस्त क्षेत्र के असहाय लोगों को....

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जीवन यापन हेतु भी राज्य सरकार ने निःशुल्क सहायता प्रदान किये जाने हेतु 31 मार्च, 85 तक की अवधि के लिए 2 लाख 76 हजार रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अकाल पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आवश्यक मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 4 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गयी है। यद्यपि राज्य सरकार के वित्तीय साधन सीमित हैं तथापि राज्य सरकार अकाल पीड़ित क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाने एवम् अन्य सहायता व्यवस्था करने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। केन्द्रीय सहायता के रूप में अधिकाधिक धनराशि प्राप्त किये जाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं एवम् अप्रैल 85 से जुलाई, 85 की अभाव अवधि के लिए शीघ्र ही केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने की आशा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! कृपया क्रमवार बोलने का कष्ट करें। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।

माननीय शोपत सिंह जी !

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय सभापति महोदय, इस स्टेटमैन्ट में कोई सार नहीं है जो राज्य सरकार ने दिया है। बीकानेर जिले के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, न घास चारे की व्यवस्था की गयी है, न पशु आहार के लिए कोई अनुदान दिया गया है। बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेन्ट दिया गया है और सदन को यह गुमराह किया गया है। मुझे एक भी जगह बता दो जहां इन्होंने राहत कार्य कोई चालू किया हो या एक भी जगह ऐसी बता दें जहां इन्होंने पेयजल के लिए कोई व्यवस्था की हो। केवल 7 टैंकर वहां हैं उनमें से 3 हमेशा खराब पड़े रहते हैं और जिला हैड क्वार्टर के ऊपर रखे गये हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री देवीसिंह भाटी : आज गांवों के अन्दर लोग प्यासे मर रहे हैं और मन्त्री बता रहे हैं कि राहत कार्य खोले गये हैं। न तो कोई खुदाई का कार्य चालू किया गया है न कोई घास चारे की व्यवस्था की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेन्ट बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल गलत स्टेटमेन्ट आया है इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की गयी है। मैं यह चाहूंगा कि आप इसके खिलाफ

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री देवीसिंह भाटी)

कार्यवाही करें और इनको सदन से निष्कासित करें। धन्यवाद !

श्री सभापति : माननीय शोपत सिंह !

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, अभी अकाल के बारे में...

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, किस आर्डर से बुलवा रहे हो।

श्री सभापति : कृपया ! क्रम से बुलवा रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : मैंने प्रस्ताव दिया है। क्रम से नहीं है। प्रस्ताव हमारा पहले आया है। आप देखिये।

श्री सभापति : क्रम से बोले जायेंगे। क्रम से बोले जायेंगे, जो सिस्टम होगा वह चलेगा।

श्री शोपत सिंह : भई हमको बोलने देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : सबसे पहले तो मेरा प्रस्ताव है, आपका नहीं है। फिर भी आप बैठे बैठे देखे गये और हमारा नाम नहीं आया। पहले भी गया नम्बर और अब भी जायगा। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री सभापति : कृपया ! क्रम से आयेंगे। सबको चांस मिलेगा।

श्री हेमाराम चौधरी : सबसे पहले मुझको दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी ध्यान रखना उसमें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, सब नहीं, सबसे पहले मैंने दिया है।

श्री माणक चन्द डागा (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय ! हां पक्ष की ओर भी ध्यान दीजिएगा। हम आपके सामने साइड में रहते हैं सब।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : मेरा विनम्र निवेदन है कि समय का बंटवारा होना चाहिए। विपक्ष को आप पूरी छूट दीजिए अपनी बात कहने की लेकिन शासन पक्ष को भी कुछ समय मिलना चाहिए और समय का बंटवारा होना चाहिए। आपको समान दृष्टि रखनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया, यही होगा।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : शासन पक्ष की ओर से....

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) : अगर किसी सदस्य ने किसी बारे में प्रस्ताव नहीं दिया है और ऐसा विषय है....

एक माननीय सदस्य : यही समय ले लेते हैं और....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय ! पानी के मामले में भी आपने सत्ता पक्ष के....

श्री शोपत सिंह : बेगम साहिबा अभी....

श्री सभापति : सबको मौका मिलेगा।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सभापति महोदय, जब पेयजल की बात हो रही थी मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात....

श्री सभापति : कृपया बैठिये, माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज, बैठिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका नहीं दिया।

श्री शोपत सिंह : मैं आदरणीय बेगम साहिबा से यह....

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, क्या सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ऐसा मानते हैं कि अध्यक्ष महोदय ना पक्ष वालों के पक्ष में हैं।

श्री माणक चन्द डागी : माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी आप बोलने का समय दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आप हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। आपकी नजर हमेशा सामने की ओर रहती है और हमें इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप हमें समय देने का कष्ट कीजिएगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी : हमको कोई दबा नहीं सकता है।

श्री सभापति : कृपया बैठिये।

श्रीमती हमीदा बेगम : माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में नहीं आती, कुछ धीरे बोलियेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्या !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : ये बोलने के लिए नाम ही नहीं देंगे तो कोई नहीं बोलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति को आरोपित करने का आपको अधिकार नहीं है, ये तो बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये। हां सुन ली। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिसका नाम इस सूची में हैं..

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : कृपया, सबको मौका मिलेगा हिसाब से, जिन जिनका समय है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : मैं क्रम से बोल रहा हूं। माननीय शोपत सिंह !

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शोपत सिंह : माननीय सभापति महोदय, अभी माननीया बेगम साहिबा लपक रही थीं और बलात्कार के केस के बारे में

(श्री शोपतसिंह)

सवाल आया तो बेगम साहिब चुप रहीं। हमारी बेगम साहिबा बोलने के वक्त नहीं बोलती हैं।

श्री सभापति : माननीय शोपतसिंह।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य महारावल साहब, जो सत्ता पक्ष के हैं, ने आसन पर यह आरोप लगाया है कि आप विपक्ष के दबाव में हैं। क्या ऐसा है? आप ऐसी बात महसूस कर रहे हैं।

श्री सभापति : कोई विपक्ष का दबाव नहीं है। कोई किसी का दबाव नहीं है। निष्पक्ष चल रहा है।

श्री माणिकचन्द सुराणा : यहां जो आपकी आज्ञा चल रही है आप मन चाहे...

(व्यवधान)

यह तो आपकी आदत पड़ी हुई है कि बिना किसी मामले के मनगढ़न्त आरोप लगाते रहें। आप चाहे जो लगाइये, कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपके ध्यानाकर्षण हेतु आपके समक्ष रखा है। एक कहावत मशहूर है।

The most clamorous get the lion's share.

इस कहावत को आप चरितार्थ कृपया न करें।

श्री सभापति : श्री शोपतसिंह जी।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, अकाल जैसे गम्भीर विषय पर हम विचार करने जा रहे हैं। राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग अकाल से ग्रस्त है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह दूं, कि राजस्थान के इन पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्र में पिछले तीन चार साल से हजारों गांव अकाल से ग्रस्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जब हमारे मंत्री महोदय बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि शायद इस अकाल से करोड़ों लोग प्रभावित हैं, आज कुछ पशुओं के बारे में उन्होंने कहा कि हमने इतना रुपया अनुदान के लिए दे दिया, कुछ अनुदान के लिए बातें कहीं और कुछ अन्य बातें भी कहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आज अकाल के मौके पर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो इंसान रहते हैं और दूसरे जो उनके पास पशुधन है, इन दो चीजों को बचाइये। इन इलाकों के जहां पर अकाल है, के अन्दर आपने सस्ते अनाज के डिपो कहीं खोले। आज गांवों में क्या रेट है अनाज की? आज गांव में ढाई और तीन रुपये किलो गेहूं बिक रहा है और आपके गोदामों में गेहूं सड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज पशु के चारे का क्या भाव है? जरा गांवों में जाकर देखिए आप। आपने आटे में नमक जितना थोड़ा सा प्रसाद दे दिया या वहां पर रुपया छोड़ दिया हजारों की तादाद में और कह दिया कि हमने यह सारी व्यवस्था कर दी। मैं माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहूंगा कि एक रुपया किलो चारे का भाव है। एक रुपये का एक किलो चारा। और आप व्यवस्था कर रहे हैं पैसों की? कितना? तीन रुपया। उस इलाके में जो सांड हैं, उन सांडों की व्यवस्था के लिये तीन किलो चारा देंगे, मुहैया करेंगे और

(श्री शोपतसिंह)

आप यह सोच रहे हैं कि हम उनको जिन्दा रख सकेंगे, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप सबसे पहले तीन चीजों की व्यवस्था कीजिए। एक पानी, दूसरा उस इलाके के अन्दर अनाज। आपने क्यों नहीं खोले सरते अनाज के डिपो ? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं मांगा ? अगर मांगा है तो कितना मांगा है। जरा बताइये। आपको इस बात का कोई खयाल नहीं है कि पशु के लिए कितना चारा चाहिए। उस चारे के भाव क्या हैं उस इलाके में। वह चारा उपलब्ध कहां से होगा। आपको इस बात की फिक्र नहीं कि उस इलाके के अन्दर जो इंसान, लोग रहते हैं उनको रोटी चाहिए खाने के लिए। आपने उसके अनाज की कोई व्यवस्था नहीं की और फिर कह रहे हैं हमने सब व्यवस्था कर दी, काम चालू कर दिए, कहां चालू कर दिये। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर डिविजन से और राजस्थान के इन रेगिस्तानी इलाकों से गरीब पलायन कर चुके हैं। आप किस की व्यवस्था करेंगे, कब करेंगे ? कब तक लोग इन्तजार करें ? आप उनको तारीख तो दे दो कम से कम कि अभी इमदाद के लिए इतनी तारीख तक इन्तजार करें। अगर इन्तजार नहीं करें आपका तो क्या वह मर जाएं ? वहां पर आपकी उस इमदाद के लिए इन्तजार करते रहे और भूख से मर जावें, प्यासे मर जावें। मेहरबानी करके बताइये कि क्या आपका कोई इरादा है ? वह भी राजस्थान का इलाका है, उसमें इस तरह से मुसीबतजदा हों और हमारे राजस्थान के शहरों में जब हम जावें, आपकी राजधानी में आवें, हम पानी के लिए सदन के अन्दर चार घण्टे, पांच घण्टे तक चर्चा करते रहें। मेहरबानी करके कम से कम यह× × × तो बन्द कर दीजिए। शहरों के अन्दर आपके फव्वारे चल रहे हैं। आप फव्वारों के लिये रुपया दे रहे हैं। लाखों रुपया आपके फव्वारों की मेंटीनेंस के लिए है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप बताना क्या चाहते हैं इस देश को ? आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं ? आप फव्वारों पर रुपया लगायें या प्यासे लोगों को पानी, इन दोनों में कौन सी प्रायोरिटी है आपके पास ? तुम्हारे ऐशो आराम के लिए, तुम्हारे अच्छे वातावरण के लिए, तुम्हारे इलाके के अन्दर सड़कों के लिये रुपया दें, तुम्हारी कालोनियों में ठण्डी हवायें आवें और तुम्हारे बीवी बच्चे फव्वारों के इर्द गिर्द शाम को मंडराते घूमें।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन करना है, ये हमेशा तुम्हारे तुम्हारे करते रहते हैं। तुम्हारे तुम्हारे क्या होता है ?

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : मैंने किसी सदस्य के बारे में तुम्हारी व्यवस्था के बारे में नहीं बोला है। मैंने व्यवस्था की तरफ इंगित किया है। यह आपकी व्यवस्था है।

श्री पंकज पंचोली (बेगूं) : यह माननीय सदस्य का तकिया कलाम है, बुरा मत मानना।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री माणकचन्द डाणी : कृपया आप कह कर बोलिए।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : तकिया क्लाम है तो आपको परेशानी क्या हो रही है ? आगे भी देखिये, ये तुमसे परेशान हो रहे हैं × × ×।

श्री माणकचन्द डाणी : हम तैयार हैं। हम इसके लिए तैयार हैं।

एक माननीय सदस्य : खींचने के लिए एक खिचाई मंत्री बनाना चाहिए। यहां खिचाई मंत्री जरूर होना चाहिए।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : आप जवानी में ही नहीं खींच सकें, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, अगर आपने यह × × × बन्द नहीं की तो निश्चित रूप से आपसे हम सड़कों पर फैसला करेंगे। सड़कों पर लायेंगे।

श्री माणकचन्द डाणी : हम इसके लिए तैयार हैं....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हम सड़कों पर खीचेंगे तो 376 का केस लग जायगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! मान-नीय सदस्य।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह तो कुछ लाटरी का माल आ गया, राजीव गांधी के नाम से आ गया। यह खड़े होकर यह नागपुर की संस्कृति हमें बता रहे हैं। कल एक नहीं बोले....

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द डाणी : आप किसके नाम पर आए यह तो बता दीजिए।

(व्यवधान)

हमारी नीतियों में दम है, उसके आधार पर हम आए हैं।

श्री शोपतसिंह : आगे से आप लोग इस सदन में नहीं आयेंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभा-पति महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर। पोइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय...

(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : यह कोई सभ्यता की चीज है।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है यह लोग लाटरी का माल हैं...

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर !

श्री सभापति : कृपया विषयान्तर नहीं हों ।

श्री शोपत सिंह : मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, पोइन्ट आफ आर्डर ! मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय....

श्री सभापति : विषयान्तर नहीं हों ! आप विषय पर बोलें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पोइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय ।

श्री सभापति : कृपया विषय पर बोलें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पोइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय ।

श्री शोपत सिंह : पोइन्ट आफ आर्डर ! रूल्स की किताब में होगा । ये तो फाइल लेकर खड़े हो गए ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : पोइन्ट आफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय ! मेरा निवेदन यह है कि सदन के अन्दर बोलने से पहले....

श्रीमती हमीदा बेगम : सभ्यता से पेश आना चाहिए ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभ्यता, भाषा का परिमार्जन, विचारों की धारणा....

श्री शोपतसिंह : आपकी सभ्यता को हम कभी नहीं सीखेंगे, वह जो आपने सीखी है । हम आपको बतायेंगे ।

(व्यवधान)

नागपुर की सभ्यता को हम नहीं सीखने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : माननीय सदस्य की यही सभ्यता है जो हमें सिखा रहे हैं ।

श्री शोपतसिंह : हम भगतसिंह की सभ्यता को जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अगर आप जोर से बोल सकते हैं तो हम आपसे चौगुनी आवाज में बोलना जानते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया विषय पर शालीनता से बोलें ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : माननीय सभापति महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर के द्वारा एक ही निवेदन करना है, यह जो तू तड़ाक कर रहे हैं इसको प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज करने के आदेश दिए जायं ।

श्रीमती बीना काक : सदन की गरिमा को बनाए रखते हुए अपनी बात कहें, माननीय सदस्य ।

श्री सभापति : आप विषय पर बोलेंगे और शालीनता से बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति

(श्री शोपतसिंह)

महोदय, मैं बहुत ही शालीनता से बोल रहा था। शालीनता से बोलने से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ गा। यही शालीनता है, एक तरफ आपके फव्वारे चल रहे हैं और दूसरी तरफ राजस्थान के भूभाग के अन्दर लाखों आदमी एक एक पानी की बूंद के लिए तड़प रहे हैं। हम आपकी इस शालीनता की धज्जियां उड़ायेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का सूरमा किसान, राजस्थान के सूरमा लोग इस तरह की इजाजत नहीं देंगे। इस गम्भीरता को समझिये और नोट कीजिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बात और कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके अभी हमारे मंत्री महोदय ने—

श्री जयकृष्ण (तोसावड़ा): सभापति महोदय, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्री शोपतसिंह: सभापति महोदय, हमारे पानी के सवाल पर अभी मंत्री महोदय बोल रही थीं। मैं एक बात आपसे कहूंगा, हमें पानी कितना देते हो, कितना नहीं देते हो मगर पाइप बिछाने के लिए आपने खड्डे खोदे हैं गलियों में, मेहरबानी करके कम से कम उनको तो पूर दो। अरे! पशु मर गये उनमें गिर गिर कर। गांवों में गलियों के आगे खड्डे और खाइयां खोद दीं क्योंकि अकाल का मौसम है हमारे जानवर कमजोर हैं मैं एक गांव में गया जहां पर मैंने एक जानवर को खाई में मरा हुआ देखा। मेहरबानी करके इन खड्डों को तो बन्द कर दो, इन खाइयों को तो मेट दो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शॉर्ट में पंपों के बारे में कहूंगा। अभी हैंड पम्प और लगाये जायं, कुए और हैंड पम्प खोदे जायं, मेहरबानी करके उनको कम से कम पानी तो पहले टेस्ट कर लिया जाय कि पानी पीने योग्य है या नहीं। यह सबसे बड़ी बात है।

इसके साथ साथ तीसरी बात कहूंगा, हजारों लोगों की मजदूरी अभी बाकी है राजस्थान के अन्दर, उनका पेमेन्ट कीजिए। इस अकाल के मौके पर जितनी भी मिनिमम वेजेज सरकार ने तय की है, काम पूरा नहीं लिया तो पूरा काम लीजिए और पूरा पेमेन्ट दीजिए। इस नीति को अपनाएंगे राजस्थान के अन्दर, तो कुछ व्यावहारिक काम हो सकेंगे, लोगों को रोजी रोटी मिल सकेगी। आप कहते हैं कहीं दो रुपये दे दी मजदूरी कहीं डेढ़ रुपया दे दी। तो रुपये और डेढ़ रुपया लेने वाले मजदूर काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं पूरा काम और पूरी मजदूरी देने का आधार मान कर काम को शुरू कीजिए और मेहरबानी करके काम वह कीजिए जो स्थाई हो, यही मेरा सुझाव है।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामचन्द्र जाट।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, नम्बर आ रहा है। कृपया बैठिए।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमारे अकाल राहत मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे अधिक असत्य और निराधार कोई भी वक्तव्य सदन के सामने नहीं हो सकता। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता चाहूंगा कि आज

(श्री रामचन्द्र जाट)

राजस्थान भर में अकाल सहायता के नाम से कहीं कोई राहत कार्य नहीं खोला गया है, जो भी कार्य चल रहे है वे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे हैं। अकाल सहायता कार्यक्रम संबंधी कोई भी राहत कार्य आज की तारीख में राजस्थान में कहीं नहीं चल रहा है। मान्यवर, जो स्थिति मंत्री महोदय ने बताई, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से जो अध्ययन दल भेजा गया और जिस आधार पर हमने मांग की थी उसके लिए केन्द्र सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री बूटासिंह ने श्री वृद्धिचन्द जैन के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि राजस्थान को इस वर्ष अकाल सहायता कार्य के लिए केवल 5,42,85,000/- ही मंजूर किये गये हैं। मान्यवर, क्या यही राशि केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को आवंटित की है? क्या यही एक इनाम दिया है केन्द्र सरकार ने राजस्थान को जिसने 25 लोकसभा सदस्य भेजे? क्या हमारे लोक सभा सदस्यों ने यही पैरवी की लोकसभा में, जिसके आधार पर हमको इतनी मामूली राशि इतने बृहद् कार्य के लिए दी गई है? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस मामले में न तो कोई अच्छी पैरवी की और न हमारे लोकसभा सदस्यों ने राजस्थान की स्थिति जो गंभीर स्थिति है, लोक सभा में रखी। मान्यवर, आज यह स्थिति है कि जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य के 37,504 गांवों में से 6,017 गांव अभावग्रस्त सूची में दर्ज किये गये हैं। जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने यही कहा कि हमने चालू राजस्व की वसूलियां ही स्थगित की है। जब कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सदन में जितने भी माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह मांग उठाई कि इन राजस्व वसूलियों के साथ सहकारी विभाग की भी वसूलियां रोकी जायं, बैंकों की वसूलियां भी रोकी जांय लेकिन मान्यवर! हमारे मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया। केवल चालू राजस्व वसूलियां रोके जाने का ही उन्होंने संकेत दिया है। मान्यवर सभापति महोदय! मैं श्रीमान् के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक स्थिति सुधर नहीं जाय तब तक केवल चालू राजस्व वसूलियां ही नहीं, बैंकों की वसूलियां, सहकारी समितियों की वसूलियां और पुरानी सरकार की बकाया की वसूलियां सब स्थगित की जानी चाहिए। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भी जब अकाल राहत के कार्य चले थे, इरिगेशन विभाग और पी- डब्ल्यू. डी. ने टास्क बेसिस पर मजदूरी चुकाई थी। मान्यवर, मैं इस बात को दोहरा कर कहना चाहता हूं कि वह एक पुरानी परिपाटी थी। अकाल राहत के कार्य आरम्भ होते तो मजदूरी बेसिस पर काम नहीं दिया जाता, टास्क बेसिस पर काम दिया जाता है। इस कारण से बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत कम मजदूरी मिलती है। मान्यवर, इस प्रश्न पर राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला देकर यह व्यवस्था दी कि मिनीमम वेजेज का अकाल के तहत सब मजदूरों को वाजिब चुकारा किया जाना

(श्री रामचन्द्र जाट)

चाहिए लेकिन हमारे जो अकाल राहत मंत्री हैं, और उनके विभाग के जो इंजीनियर हैं वे इस चालाकी के साथ टास्क बेसिस पर काम कराने के आर्डर देकर के मजदूरों को कम तनख्वाह, कम मजदूरी दिलाने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मान्यवर महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बहुत सी जगह कृषि उपज मण्डी के कार्य चल रहे हैं वहां पर मिनीमम वेजेज नहीं दिया जा रहा है, टास्क बेसिस पर वर्क करवाया जाकर एक एक मजदूर को दो दो ढ़ाई ढ़ाई रुपये तक का चुकारा किया जा रहा है। मान्यवर, 1984 में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, जो केन्द्र में हैं, सूचना दी थी कि 1984 में राहत कार्य जनवरी और फरवरी में ही प्रारम्भ कर दिये जाएंगे लेकिन आज 85 की स्थिति में एक भी जगह राहत कार्य नहीं खोला गया है न स्वीकार किया गया है। राहत कार्य आरंभ करने के विषय में अभी भीलवाड़ा में जिला परिषद् की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे जिलाधीश महोदय ने यह सूचना दी कि अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के कहीं कोई आदेश राज्य सरकार ने न तो दिए हैं और न बजट में प्रावधान रखा है।

मान्यवर! मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पीने की व्यवस्था और जो चारे की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है सदन में, वह केवल गुमराह करने के लिए दी गई है। मामूली मामूली रकम, केवल एक टोकन अमाउंट उन्होंने इस राहत कार्य के लिए स्वीकार किया है, यह बहुत नाकाफी है। मैं राज्य सरकार से यह जानकारी करना चाहूंगा कि आने वाले सितम्बर माह तक कितनी राशि, चाहे पीने के पानी के संबंध में हो, चाहे चारे के संबंध में हो, चाहे राहत कार्य आरंभ करने के संबंध में हो, सरकार राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की मदद से और स्वयं के साधनों से आबंटित कर पाएगी? कम से कम निश्चित राशि की राज्य सरकार को इस सदन के माध्यम से जनता को जानकारी दी जानी चाहिए। जहां कम से कम 1/5 हिस्सा अकालग्रस्त है राजस्थान का, वहां पर आप कितनी राशि जुटा पाएंगे स्वयं के साधनों से और केन्द्र सरकार की मदद से? मान्यवर, समस्या बड़ी गंभीर है। आज यह स्थिति है कि आज ही तुरन्त कम से कम आदेश दें राज्य सरकार को कि कम से कम एक अप्रैल से राहत कार्य सभी जिलों, जो अभावग्रस्त घोषित किये हैं, में तुरन्त राहत कार्य आरंभ किये जाएं मजदूरों के लिए। कम से कम जिन जिलों में भारी अकाल की समस्या है, वहां पर टार्गेट्स घोषित करें कि इतने इतने मजदूर मजदूरी पर लिए जांय।

जो वक्तव्य दिया है मंत्री महोदय ने वह बिल्कुल निराधार, असत्य है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस समस्या को गम्भीरता से ले।

श्री सभापति : माननीय श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी, जगदीश प्रसाद तिवाड़ी!

(व्यवधान)

जगदीश प्रसाद तिवाड़ी!

माननीय श्री हेमाराम चौधरी!

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : जब आपने मेरा नाम पुकार ही लिया है....

श्री मालाराम (खेतड़ी) : एक मिनट का टाइम लूंगा, सिर्फ एक मिनट का, माननीय सभापति महोदय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप थोड़ा बिराजें।

श्री मालाराम : कृपया एक मिनट! ज्यादा देर नहीं लूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो अकाल राहत मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठ जायं।

श्री मालाराम : माननीय सभापति, मैं एक बात कहूंगा अभी एक मिनट में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज! कृपया बीच में व्यवधान नहीं। कृपया व्यवधान नहीं बीच में! कृपया बैठ जांय।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम राजस्थान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्य जहां खोलने के बारे में विरोधी पक्ष के लोग आपत्ति कर रहे हैं कि नहीं खुले, वास्तव में जहाँ अकालग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत काम चल रहे हैं। यद्यपि अकाल राहत के नाम से नहीं खुले हैं लेकिन फिर भी अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने एन.आर.ई.पी. के अन्तर्गत कार्य या अन्य विकास कार्य चालू कर रखे हैं और उनके अन्तर्गत उन लोगों को राहत मिली है, काम मिला हुआ है। ...

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : बिल्कुल असत्य है, एक भी खुला नहीं है, सरासर असत्य है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : बिल्कुल असत्य बात है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बिल्कुल असत्य है। मेरे क्षेत्र में 16 गांव हैं उनमें एक भी काम खुला हुआ नहीं है। असत्य स्टेटमेंट है, सरासर असत्य है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप बाद में बोलियेगा। कृपया बाद में बोलियेगा, आपको मौका मिलेगा। कृपया मौका मिले तब बोलियेगा।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम आसन की मार्फत जानकारी चाहते हैं कि माननीय सदस्य यह बात किस आधार पर कह रहे हैं? बीकानेर जिले में कितने मजदूर काम कर रहे हैं? ××× है जवाब कोई आपके पास।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अालोपित किया गया।

श्री सभापति : कृपया मौका मिले जब आप बोलियेगा...

(व्यवधान)

आपको मौका मिले तब....

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गलत बात का जवाब है। हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया मौका मिले तब बोलियेगा। आपको भी अधिकार है। कृपया बैठिये। आपको बोलने का मौका मिलेगा। Please.

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, विरोधी पक्ष का काम आलोचना करना है। मैं तो रचनात्मक दृष्टि से ...

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप कौन सी जिम्मेदारी से यह बात कह रहे हैं, आपके पास कौनसा महकमा है, आपके पास कौनसा विभाग है जो आप यह कह रहे हैं कि राजस्थान में फेमिन के कार्य चालू कर दिये ? आपके पास कौन सा डिपार्टमेन्ट है ? मंत्री महोदय अगर यह बात कहें तो हम खुश हैं कि बीकानेर जिले में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बीच में नहीं, माननीय सदस्य, इसका कोई अंत नहीं है। बीच में बोलते जाते हैं। आप जब अपनी बात कहें, तब कहें, आपको पूरा अधिकार है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं कि रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत क्षेत्र में काम अवश्य चल रहे हैं और उस पर श्रमिक लगे हुए हैं। मैं सोचता हूं, ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं होगी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसके अन्तर्गत काम नहीं चल रहा हो। मेरा यह कहना था, मैंने पहले ही कहा कि अकाल राहत के कार्य के नाम से नहीं खोले गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सर्व प्रथम तो अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जिला अनावृष्टि के कारण भयंकर रूप से अकालग्रस्त है। लेकिन जयपुर के आसपास जहां बिजली के साधन उपलब्ध हैं, जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां उनकी अच्छी फसलें देख कर जयपुर जिले के साथ सदैव सौतेला व्यवहार रहा है। चाहे जयपुर जिले में भयंकर से भयंकर अकाल हो उस समय भी सचिवालय में बैठने वाले लोग या जयपुर शहर में बैठने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र के बारे में यह अन्दाजा लगाते हैं कि जयपुर में केवल कल्पना मात्र से ही अकाल है। वास्तविकता अगर आप देखें, वर्षा के आंकड़े देख सकते हैं, जयपुर जिले में औसतन सात प्रतिशत से भी कम बरसात हुई है। बरसात कम हुई यह उसी का परिणाम है कि आज हमारे सिंचाई के कुओं में, पेयजल के कुओं में पानी सूख गया है और किसान अपने खेत को पानी पिला नहीं सकता है कुओं में से पानी निकाल कर। यह स्थिति आज जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की है।

एक बात यह कहना चाहता हूं जहां

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

जयपुर जिले में 75 प्रतिशत खराबा वाले गाँवों को अकालग्रस्त घोषित किया है, यह जयपुर जिले के साथ भेदभाव वाली बात है। यद्यपि पहले निर्णय हो चुका है अकाल-ग्रस्त घोषित करने का, इसलिए मैं राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों से अनुरोध करूँगा कि 50 प्रतिशत खराबा वाले गाँव जो फेमिन कोड के अन्दर अकालग्रस्त डिक्लेअर किये जाने चाहिए थे और जयपुर जिले के जिन गाँवों को छोड़ दिया था उन गाँवों को भी अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

(व्यवधान)

मेरा सुझाव यह है कि फेमिन कोड में जो गाँव अकालग्रस्त घोषित हो सकते हैं उनको तो कम से कम अकालग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए।

दूसरा, मेरा यह कहना है कि जयपुर जिले में अनावृष्टि के कारण जहाँ पेयजल कूप सूख गये हैं, अगर उनको गहरा करवाने की आवश्यकता है तो उनको गहरा कराया जाय। जहाँ गहरे नहीं हो सकते, हमारे यहाँ गांवों के पत्थर से चिने हुए कुएं होते हैं जो गहरे नहीं हो सकते, ऐसे कुओं में बोरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह जलदाय विभाग स्वयं अपने स्तर पर करे। जो अकाल से प्रभावित गाँव हैं उन गांवों में पेयजल की सुविधा की तरफ प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन गांवों में हैण्डपम्प लगा सकते हैं उन गाँवों में हैण्डपम्प लगा कर पानी की सुविधा उपलब्ध करायीं जानी चाहिए। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरा, अकाल राहत कार्य ऐसे गाँवों में अवश्य खोले जांय जैसे हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के लोग जयपुर जिले में बस चुके हैं। 1981 में जब बाढ़ आयी थी उस समय ढूंड नदी के किनारे करीब 10 किलोमीटर की चौड़ाई में जहाँ एक ऐसा रेगिस्तान मिलेगा जो 20 किलो मीटर तक जाता है, उस रेगिस्तान के जो गाँव जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे उन गाँवों में सरकारी अधिकारी का जाना दूर की बात है क्योंकि एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए निवाई तहसील से होकर आते हैं। चाकसू तहसील के वे गाँव हैं, अलगाव के रूप में है, वहाँ के लोगों को आने के लिए निवाई तहसील से होकर आना पड़ता है। एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने का रास्ता बैल गाड़ी का नहीं बल्कि ट्रेक्टर से भी नहीं जा सकते इसलिए अधिकारी वहाँ नहीं पहुँच पाते। श्रीमान् की वहाँ जीप नहीं जा सकती, जीप रास्ते में रुक जाती है। ऐसे इलाके के अन्दर चाहे आपके क्राइटेरिया में सड़कें आती हैं या नहीं आतीं, अकाल कार्य के अन्तर्गत वहां सड़कें अवश्य बनानी चाहिए।

दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि उस बाढ़-ग्रस्त एरिया में जो गांव थे, वे अकाल से प्रभावित हैं। उन गांवों की यह स्थिति है कि वहां खेती के लिए एक इन्च भी जमीन नहीं है लोगों के पास। सारी जमीन पर बालू रेत ऊपर आ चुकी है। बालू रेत वहां पड़ी हुई है उसमें खेती हो नहीं सकती है। उनके पास रोजगार के और कोई स्रोत नहीं हैं, वहां कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। ऐसे

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

समय पर उन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। श्रीमान् 50 प्रतिशत लोग वहां से जा चुके हैं। कुछ लोग इस हालत में हैं जो वहां से निकलने को तैयार हैं यदि उनको बसने के लिए दूसरी जगह दे दी जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम उन गांवों, जिनमें वास्तव में खेती के साधन नहीं हैं, कमाने के साधन नहीं हैं, जहां आने जाने के साधन नहीं हैं, में अकाल राहत कार्य खुलवा कर लोगों को रोजगार मुहैय्या करायें ताकि वे लोग जी सकें, वे लोग जीवनयापन के साधन जुटा सकें।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : क्यों? बोलो, आप बोल लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में क्या हो जाता है? कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, अकालग्रस्त गांव जो घोषित किए हैं उनमें कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां खारा पानी और जहरीला पानी है आज मुझे पांच साल चिल्लाते हुए हो गये, उन गांवों में पेयजल दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर दूर से महिलाओं को सर पर रखकर लाना पड़ता है। मवेशियों को तीन किलोमीटर दूर जाकर पानी पिलाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से एक ही अनुरोध करूंगा, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर की समस्या है, हमारे लिये इन गांवों में भी बाड़मेर और जैसलमेर की जैसी समस्या है। इन गांवों को आप किसी प्रकार से भी पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायें। स्कीम मंजूर है या तो आप उस स्कीम की क्रियान्विति करें, शुरू कर दें ताकि लोगों को तसल्ली रहे और लोगों को पीने का पानी जल्दी मिल सके। पंचायत समिति बस्सी में बधेरी, कावेरी, रेतपुरा, टाकपुरिया पाटन, लक्ष्मीपुरा, नागलबोरा, ओडला, बडा सोनी है और चाकसू पंचायत समिति के गांव हैं, बावनपुरा, नरसिंहपुरा और ठीकरीया गूजरान, ये ऐसे गांव हैं जहां पर पीने का जहरीला पानी है। उस पानी को पीने से आदमियों के कीड़े निकलते हैं, उसको वह पी नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है जहां यह पेयजल की समस्या है उन गांवों में पेयजल की व्यवस्था राहत विभाग की तरफ से कर दी जाय। अगर वह अपने प्रभाव का उपयोग जलदाय विभाग में कर सकें तो उसके माध्यम से करा दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

एक सभापति महोदय, कृषि कुओं का पानी सूख गया है। पानी की कमी आ गयी है। उसके लिये मेरा अनुरोध है कि जहां हम बोरिंग कर सकते हैं वहां बोरिंग करवाया जाय, जहां नीचे पत्थर हैं वहां पत्थर ब्लास्टिंग मशीन की व्यवस्था की जाय और उसमें सरकार पचास प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था करे ताकि किसान अपने खेतों की पिलाई कर सकें और अकाल से प्रभावित क्षेत्र में जहां पानी नहीं है वहां पानी उपलब्ध हो सके।

जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय हेमाराम चौधरी!

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी का सबसे पहले इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज से पहले जब भी अकाल पड़ा उस समय अकाल राहत कार्य खोले गये उस पर जिन लोगों को रोजगार दिया गया, उन सब लोगों की अभी तक मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, बाड़मेर जिले में सम्वत 2023 से फेमिन चल रहा है, जैसी कि मेरी जानकारी है, सम्वत 2023 से आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जिस वर्ष सब मजदूरों को पूरा चुकारा कर दिया गया हो। जो अनपेड़ हैं पेमेंट वह रह जाता है। इसके पीछे कारण, सभापति महोदय, यह है कि वहां पर जो फेमिन में काम कराने वाली एजेंसी हैं, पी.डब्ल्यू डी. है या ईरिगेशन है या जिला परिषद है या जो काम करने वाली पंचायत समिति है वह पेमेन्ट न कर दूसरी एजेंसी होती है, तहसीलदार, जो रेवेन्यू एजेंसी है वह पेमेंट करती है। काम के, महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद में पेमेण्ट लेकर वहां जाती है तो उस समय, वहां पर सारे मजदूर हाजिर मिलते नहीं है। जो मजदूर वहां पर हाजिर मिल जाते है उनको तो पेमेंट हो जाता है और जो मजदूर दो तीन महीने रुकते नहीं इधर उधर जिनको काम काज से जाना पड़ता है उनका पेमेंट अनपेड़ वापस लौट जाता है। आज दिन तक मैं देखता आ रहा हूं सम्वत 2023 से, कोई भी अनपेड पेमेंट एक बार वापस लौट गया तो उसका पेमेंट नहीं हुआ, अनपेड आ गया। एक मस्टर-रोल है उसमें से दो चार को कर दिया। एक मस्टर-रोल में 20 के नाम होते है पांच का पेमेंट रह गया, दो का रह गया, चाहे पूरे मस्टर-रोल का रह गया वह पैसा आने के बाद पी. डब्ल्यू. डी. में जमा हो जाता है और वह पेमेंट लाख कोशिश के बाद भी निकलता नहीं है। उसके बारे में कितना ही कहा गया, मीटिंग हुई उसमें कहा, फेमिन की हुई, सैंट्रल स्टडी टीम भी आयी थी उस समय भी यह मसला उठाया गया, वहां भी उठाया गया, विधान सभा में भी बराबर पांच साल से यह मसला उठा रहा हूं। लेकिन, सभापति महोदय, जो अनपेड पेमेंट रह गया है वह अब तक नहीं मिला है। मेरा इसके बारे में सुझाव हैं कि आप इसको अभियान के रूप में लें। जो भी एजेंसीज है जिन्होंने काम कराया है, पी०डब्ल्यू०डी है, इर्रीगेशन है, पंचायत समिति, जिला परिषद के थ्रू भी काम हुआ है उनको यह अभियान के रूप में हिदायत दें कि इस तरह बैठकर आज दिन तक जितना जिन मजदूरों का अनपेड पेमेंट रह गया है उनकी सूची बना ली जाय और उनके नाम के आगे रकम चढ़ा लें। यह मालूम कर लिया जाय कि इस तरह का पेमेंट आज दिन तक कितना बकाया है उस हिसाब से राज्य सरकार से पैसे की मांग करके या तो पूरा पेमेंट कर दें या थोड़ा थोड़ा। जिन लोगों ने ऐसे कठिन समय में अकाल के समय में मजदूरी की है, उनकी पेमेंट नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, मैं बार बार बैठकों मीटिंगों में यह मामला उठाता हूं लेकिन कोई कार्यवाही होती नही है। इस मजबूरी के कारण यह मामला यहां उठाना पड़ रहा है। मैं इस मामले को यहां उठाना नही चाहता था लेकिन मजबूर होकर यहाँ पर सही बात उपस्थित की है। मैं समझता हूं कि इस तरफ ध्यान देंगे।

(श्री हेमाराम चौधरी)

दूसरा समापति महोदय, अकाल राहत कार्य खोलने की जहां तक बात है, अभी तक बाड़मेर जिले में एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार। दूसरे जो काम बताये हैं, एन.आर.ई.पी. के आर.एल.ई.जी.पी के ये भी काम वे हैं जो फेमिन के हिसाब से स्वीकृत नहीं हुए हैं। एक योजना है भारत सरकार की उसके अनुसार जहां फेमिन है वहां भी और जहां पर फेमिन नहीं हैं वहां भी यह काम होते हैं। पंचायत समिति सिणधरी का मामला है, बाड़मेर की बात कर रहा हूं, वहां अधिकांश गांवों में फेमिन है; बहुत कम 10 प्रतिशत गांवों में फेमिन नहीं है। लेकिन उस पंचायत समिति सिणधरी में तो 1984-85 में एन.आर.ई.पी. का एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ आप बताइये, कौन सा काम चल रहा है। हो सकता है और कहीं चलते होंगे। इस तरह से काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। आगे के समय में किसी भी तरीके से भारत सरकार पर दबाव डालकर, ज्यादा से ज्यादा मदद लेकर के इस अकाल के समय में लोगों को मदद करने की जरूरत है इसलिये मदद करिये।

दूसरा समापति महोदय, यह भी देखना है कि स्केयरसिटी कहां पर कैसी है क्योंकि राजनैतिक प्रभाव से भी लोग अकाल घोषित करा लेते हैं और राहत कार्य खोलने की मांग करते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्वयं प्रत्येक जिले में जायें और मौके पर कुछ इलाकों को देखें। जिन गांवों को देखें उन गांवों की हालत को देखते हुए स्वयं मौके पर ही काम मंजूर करें जिससे कि वास्तव में फेमिन जहां है और लोग सबसे ज्यादा जहां पर प्रभावित हैं उनको राहत दी जाय। सब जगह एक ही हिसाब रहा तो जो फेमिन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उनको राहत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री हेमाराम चौधरी : तीसरा मेरा पीने के पानी के बारे में निवेदन है। जहां पर फेमिन है, सरल वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, और है तो वह बंद पड़ी है, वहां टैंकरों के जरिये पीने के पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है। बाड़मेर में जो टैंकर पड़े हुए हैं वे खराब हैं इसलिए उनको ठीक करवाने के लिए धनराशि देनी पड़ेगी, बिना पैसे के वे ठीक नहीं हो सकते हैं। किसी का टायर खराब है, किसी का इंजन खराब है, किसी की टंकी फटी हुयी है, इसलिये जिलाधीश महोदय से रिपोर्ट मंगाकर जितने पैसे की जरूरत हो वह मंजूर कर ठीक करायें और पीने के पानी की व्यवस्था करायें तो यह सबसे ज्यादा मदद होगी। मैं चाहता हूं कि रोजगार से पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए चारे की इतनी समस्या हमारे यहां पर नहीं है, जितनी पानी की है। पहले वहां पर पानी की व्यवस्था करें, उसके बाद रोजगार की। इस तरह से काम करें तो लोगों को फेमिन में काफी राहत मिलेगी। और कुछ ..

श्री समापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हेमराम चौधरी : एक मिनट में।

अकाल राहत काम शुरू करें। फेमिन एडवाइजरी कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुयी है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसलिये आप जल्दी से फेमीन एडवाइजरी कमेटी मुकर्रर करें और उसकी मिटिंग जल्दी से जिलाधीश महोदय बुला लें, ऐसा निर्देश आप जिलाधीश महोदय को दे दें। कहाँ-कहाँ काम चलाना ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम चलाने से रोजगार मिल सकेगा, इस तरह के भी सुझाव हम देते हैं पर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ तो काम खुल रहा है और जहां जरूरत है वहाँ काम नहीं खुलता है, इस तरह की बहुत गड़बड़ हो सकती है इसलिये सभापति महोदय, मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह पहले फेमीन में कुछ काम हुए थे, फेमीन में कुछ काम हुए थे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। कृपया विराजें। बहुत देर हो गयी।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि वायतू सिणधरी एक सड़क है जो फेमीन में बराबर स्वीकृत होती है। आप देखिये, उस सड़क की विभाग ने हालत क्या कर दी है। ग्रेवल रोड थी तब तो उसके ऊपर गाड़ी चल सकती थी लेकिन फेमीन के तहत इन्होंने गिट्टी उसके ऊपर डाल दी मिट्टी डालने के बाद उसकी कुटाई हुई नहीं है और कुछ नहीं किया है, गिट्टी उसके ऊपर बिछा दी है इस कारण उसके ऊपर अब कोई गाड़ी चल नहीं सकती, आदमी चल नहीं सकता। और कोई रास्ता नहीं है लोग अपने खेतों में चलने नहीं देते। उसके ऊपर चल नहीं सकते इस कारण मुश्किल हो गयी है। वायतू सिणधरी और जवा वादतू ये दो रोड हैं इनके ऊपर गिट्टी डाल दी है 50-50 किलोमीटर लम्बी रोड है। 31 किलोमीटर रोड पर तो गिट्टी बिछा दी है। आप गिट्टी को कुटवा नहीं सकते, डामर नहीं करवा सकते तो इस फेमीन में इस रोड की स्वीकृति जारी करके इस पर से गिट्टी वापस मजदूर लगा करके हटवा तो लें। इससे पास के लोगों को रोजगार मिल जायगा और कम से कम कुछ रास्ता हो जायगा इस पर आदमी पैदल चल सकेंगे, हमारी बैलगाड़ी उसके ऊपर चल सकेगी। ये तो रोड़ की....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : काम ऐसा लें जिससे कि लोगों को लाभ हो, उनको नुकसान होने वाले काम हाथ में न लें। पूरा न हो तो बात ही दूसरी है लेकिन उसको उल्टे आप बिगाड़ देते हैं हाथ में ले करके। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो भी काम हाथ में लें वह ठोस काम हाथ में लें। हर वर्ष क्या होता है, अकाल के अन्दर ऐसे काम होते हैं कि मिट्टी इधर से उधर डालो, उधर से इधर डालो कोई उपयोगी काम नहीं होता। एक बार सिर्फ पिछली दफा फेमीन के काम हुए थे उससे पिछली दफा प्रभाकरजी अकाल राहत मंत्री थे मैं तो इनकी तारीफ करता हूं। ऐसा काम लें कि कोई ठोस काम हो और लोगों को ठोस लाभ हो।

धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। क्रम से ले रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

. कृपया आप एक स्लिप भेज दीजिये। कृपया एक स्लिप भेज दीजिये। स्लिप भेजकर विराजें। स्लिप भेज दीजिये।

(व्यवधान)

कृपया विराजें। आपको समय मिलेगा। कृपया विराजें। समय मिलेगा। कृपया विराजें, मिलेगा, जरूर मिलेगा।

श्री हरिशंकर भामड़ा (रतनगढ़) : सभापति जी, अकाल की समस्या राजस्थान में शाश्वत समस्या है। मैं समझता हूं कि हम सबने इसको अपनी नियति मान लिया है. मानों राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को अकाल पीड़ित होना ही पड़ेगा। यह हमारी सभी सरकारों का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंग रहा है कि हमने इस नियति को अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से बचाया नहीं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हमारे से भी ज्यादा बदतर स्थितियां हैं....

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इसका एक उदाहरण है, न पीने को पानी था, न कुछ था लेकिन अपने पराक्रम से उन लोगों ने नियति को बदल दिया। राजस्थान की यह नियति न बने इसके लिये अकाल राहत मंत्री पहले अपनी इच्छा को दृढ़ करें। मैं इसके लिये सुझाव देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार को केन्द्र पर यह दबाव डालना चाहिये कि जिस तरह से बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है अकाल नियंत्रण बोर्ड भी बनाया जाय। इस समस्या को सुलझाने के लिये उपाय किये जाय और भ्रष्ट अधिकारियों को बार बार प्रताड़ित करें। अब तक की स्थिति यह है कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिये अकाल पड़ना खुशी का विषय है। अकाल पड़ता है लोग मरते हैं लेकिन भ्रष्टाचरण करने वाले खुशियां मनाते हैं कि उनको खाने के लिये पैसा मिलेगा। इसी राजस्थान में करोड़ों रुपये का गबन अकाल के नाम पर होता रहा है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिये इन सारी स्थितियों से बचने के लिये स्थाई रूप से हम इस समस्या का समाधान करें। इसके बारे में सरकार को विचार कर केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिये।

दूसरी बात, फेमीन कोड आपका बना हुआ है बाबा आदम के जमाने का, मेहरबानी करके उसको बदल दीजिये। फेमीन कोड अकाल राहत में बाधक है, साधक नहीं है। जिस जमाने का बना हुआ है उसके बाद बहुत सी परिस्थितियां बदल गयी हैं इसलिये इस फेमीनकोड को बदलने का काम अविलंब अपने हाथ में ले ताकि लोगों को सहायता मिले वरना इस फेमीन कोड के अंतर्गत जिन गांवों को आप अकाल ग्रस्त घोषित करते हैं, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, उसमें यह होता है कि जो अकालग्रस्त नहीं हैं वे अकालग्रस्त हैं और जो अकालग्रस्त हैं वे अकालग्रस्त नहीं है। क्योंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता केवल इशारे में कहता हूं कि फेमिन कोड को बदलिये। यह अकाल राहत में जरूरी है।

आप, मंत्री महोदय, इस बात की ओर जांच कर लें, आपने कहा है कि इस वर्ष की वसूलियां बन्द कर दी हैं लेकिन मुझे गांव में लोगों ने यह कहा है कि इस वर्ष की तो वसूलियां बन्द कर दी हैं लेकिन पिछले वर्ष की चालू हैं। पिछले वर्षों का

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हैं उनको चालू कर रखा है इस वर्ष की बन्द कर दी है। इसकी आप जांच कर लें। यह बात सही है तो इस तरह से नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, एक बात और है अभी बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा था कि बाड़मेर में मजदूरों की मजदूरी का चुकारा नहीं हुआ। रतनगढ़ में भरपास पंचायत है जिसमें सन् 1979 और 80 की एक लाख रुपये की राशि अभी बकाया है। जिन मजदूरों ने वहां अकाल राहत में काम किया है, उन मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है। 1979-80 की एक लाख की राशि बकाया है। सारे मजदूर लोग तहसीलदार के पास पड़े हुए हैं उनका भुगतान नहीं हुआ है। यह बहुत ही बेजा बात है इसलिये इस संबंध में मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय ध्यान दें।

मान्यवर, एक तरफ तो पानी के मारे लोग प्यासे मर रहे हैं दूसरी तरफ इस अकाल की विभीषिका से दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। आप क्या कर रहे हैं। जब आदमी भूखा होता है तो अपने कपड़े बेच देता है, बरतन बेच देता है, मकान बेच देता है, जायदाद सब कुछ बेच सकता है लेकिन आज गांव का किसान भूखा होने के बाद सबसे पहले उसके खेत में जो खेजड़ी है उस खेजड़ी को काट करके बेचता है। इस पर आपके कानून लागू होते हैं कि हरा वृक्ष काट दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमे बनाये जाते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आया "बुभुक्षाः किम न करोति पापं" भूखा आदमी कौन सा पाप ऐसा है जो नहीं कर सकता। लेकिन बजाय उनके प्रति सहानुभूति रखने के उन पर और ज्यादा कानून के शिकंजे को मजबूती से कसा जा रहा है। आप यदि यह चाहते हैं कि हरी खेजडियां न कटें तो कृपया अकाल राहत काम अविलंब शुरू करें ताकि लोग भूख से बचें प्यास से बचें और कम से कम जीने के लिये उनको राह मिले।

मान्यवर, अकाल के मामले में पटवारी तहसीलदार, एस. डी. ओ. ये तीन आदमी हैं जो कर दें सो सही है। गिरदावरी पटवारीजी करते हैं, तहसीलदार उसकी जांच करता है, एस. डी. ओ. नमूने की जांच करते हैं और वह जिसको कह दें कि यह अकाल में है वह अकाल में है, वह जिसको कह दें कि अकाल में नहीं है वह अकाल में नहीं है। इस व्यवस्था में जो गड़बड़ी पैदा हो रही हैं उन गड़बड़ियों से बचने के लिये मेरा सुझाव है विशेष तौर से आग्रहपूर्वक कि इसकी जांच की जानी चाहिये कि जो गांव अकालग्रस्त वास्तव में हैं वह अकाल में आयें और जो नहीं हैं वे अकाल में नहीं हों।

मान्यवर, अकाल राहत काम आप करें तो एक बात जरूर ध्यान में रखें, अभी मैं

(6.00 सायं)

रतनगढ़ तहसील में सब जगह घूमा हूं। लोगों से मैंने पूछा, क्या यहां अकाल कभी पड़ा नहीं ? बोले, रोज पड़ता है। रोज काम होता है। पर वहां ग्रैवल रोड नाम की कोई चीज नहीं। यानि ऐसे काम होते हैं जो एवेपोरेट हो जाते हैं। इसीलिए कई सड़कें तो ऐसी हैं जो आपके रिकार्ड में बनी हुई हैं मौके पर हैं ही नहीं। इसलिए

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

आप स्थाई काम करवाइये. । अकाल राहत में भी ऐसे काम करवाइये जो स्थाई हों। स्कूलों के कमरे बनाये जा सकते हैं, ताल-तलैया बनाये जा सकते हैं, कम से कम मैटल रोड़ बनाई जा सकती है, ऐसी रोड, जो परमानेण्ट हो, बनायी जा सकती हैं। इस तरह के काम करवाइये ताकि पैसे का उपयोग भी हो और लोगों को सहूलियत भी मिले। यह थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं, आपने अपने सारे वक्तव्य में यह नहीं बताया कि केन्द्र सरकार ने आपको कितने रुपये की सहायता देने का आश्वासन दिया। आपने यह तो बता दिया कि पांच करोड़ बयालीस लाख रुपया आपको दिया है अप्रेल-मई तक....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मार्च तक।

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां मार्च तक। लेकिन आपने कितनी मांग की ? राजस्थान को कितने रुपयों की जरूरत है उसमें से केन्द्र सरकार आपको कितना दे पायगी, यह फिगर्स यहां आने चाहिए ताकि हम भी अपनी ओर से यह निवेदन कर सकें कि वाकई राजस्थान में अकाल राहत के कामों के लिये अधिक राशि की जरूरत है, केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करे। आप 142 करोड़ रुपया मांग रहे हैं और केन्द्र सरकार आपको एक-एक, पांच-पांच करोड़ की राशि दे रही है। 15 करोड़ रुपये आपके पास मार्जिन मनी के होंगे। इस बीस करोड़ रुपये में आप क्या प्लान बनायेंगे, क्या अकाल राहत करेंगे और यहां की जनता को किस तरह से मदद मिलेगी, यह हम सब समझ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार पर इस बात का दबाव डाला जाय कि राजस्थान में अकाल वाकई एक विभीषिका है, लोग परेशान हैं इसलिए अधिक से अधिक पैसा राजस्थान की इस सरकार को अकाल राहत के लिए केन्द्र को देना चाहिए। इसका सदुपयोग हो यह आप पर निर्भर है।

श्री सभापति : माननीय श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : माननीय अकाल राहत मन्त्री जी, अकाल राहत के बारा मां में म्हारा क्षेत्र की बात आपणे निवेदन करूं हूं। अकाल राहत का अधूरा काम हा, कई तालाबां का, एनीकटां का और सड़कां का। तालाबां के ऊपरां कम से कम दो दो अर ढाई ढाई लाख रुपया पहली खर्च हो चुक्या, बाकी को काम कई है, कोई के तो मोरी बनानी, कोई के चादर बनानी, वा कां ऊपरां 50-60 हजार रुपया सूं ज्यादा काम कोनी हो, पहली कोई पे कम से कम तीन-चार लाख रुपया खर्च हो गिया फेर भी उपयोग में न आग्रो, अब ऊं पे दो फीट चादर बंधे हैं। ऊं की मोरी बन जावे तो वा को काम और पानी की दूनी भराई हो जाये, अर खेती की पूरी पिलाई हो जावे, जो एक बार पानी मिले है वा दो बारी मिलवा लाग जावे और म्हारी फसल अच्छी पाक जावे, करीब करीब पांच चार तालावां की ई साल स्वीकृति होगी है, वांके ऊपर काम चालू हुयो तो एक तालाव पर एक मस्टर रोल दे मेलियो है, बीस आदमियां को, अब यह म्हारी अर्ज है कि ऊं के उपरा कम से कम दस-पन्द्रह हजार रुपया खर्च हो रियो है और बीस जनां काम कर रिया है, पण ना तो वा चादर बंधनी है-अर ना

(श्री देवीलाल)

मोरी बननी है । पीसा सरकार का खर्च हो जावे और काम बाकी को बाकी रह जावे, एक इसान को इसान एनीकट है । ऊकी नींवां खुद गी, नींवां भरनी आगी अर अब ऊ के ऊपरां आधो काम बाकी रह गिओ । तो ऊं के ऊंपरां भी पाछो अधूरा काम चालू करा दे ओ तो वह एनीकट बन जावे, एनीकट बने तो म्हारा कुआं के मायने पानी हो जावे, मवेशियां के पीवा ने पानी हो जावे, म्हारी फसलां के कुआं में जो पानी है ऊं से सिंचाई हो जावे अर फसलां घनी आच्छी पाक जावे, तो म्हारो निवेदन या है कि जो अधूरो काम है वी काम ने ध्यान देर चालू कराओ ।

अब पीने का पानी को मैं आपने कै निवेदन करूं पानी तो एक माया है, या सारी सृष्टि पानी के ऊपर है । जितना भी रंग है छतीसू, या पानी में है । पक्षी, पशु अर मिनक, जीवा-जून की उत्पति ई पानी के ऊपर ही है ।

आपने मैं निवेदन करूं कि म्हारी तहसील है, पिछड़ी तहसील हैं आपका घोषणा पत्र और बीस सूत्री कार्यक्रम मां या बात कह मेली है कि पिछड़ा को पहले । तो म्हारी तहसील पिछड़ी है । पहली ना सही अभी पांच साल पूरा हो गिया अर वा गांवां के मायने नल योजना लागू कर दी । अब नल योजना लागू कर दी तो हैण्ड पम्प नी लगावे । हैण्ड पम्प वालां ने बोलां तो बोले नल योजना है । तो हैण्ड पम्प भी व लगावे और नल योजना का काम भी चालू न करे । अब वां गावां के मायने पांच साल तो हो गिया । अब या देख लो, 81 को काल, 82 को काल, 83 को काल और 84 के मायने में आधो काल रियो म्हारी तहसील मां और महारा जिला मा । आपने म्हारो निवेदन है कि ऊं के ऊपर आप ध्यान देर म्हारे बठे काम चालू कराओ ।

अब एक निवेदन और करूं । चाहे पानी की आपां कतरी भी व्यवस्था करां, पन्द्रह साल पहली बात मैं निवेदन करूं कि पहली पानी धरती पर ऊपर ही रहतो । नदी-नालां जेठ बैसाख के मायने भी बहता रहता । अर आज की स्थिति के मायने फागुन पहली नदी नालां सूख गिया । ई पांच साल की औसत तो मैं या मानूं हूं कि हर साल के मायने पांच फीट पानी धरती में नीचो जा रियो है । तालाब भी सूख गिया, नदी नाला भी सूख गिया । अर पानी की कमी हो री है । आप किसी भी योजना लागू करो, पानी की तो हर साल कमी होती जा रही है । पानी को साधन एक ही मानूं हूं मू तो, आप अधिक आ अधिक या दरखन्तारोपण को सगती चालू करो । ये दरखत जो है यां कि शक्ति आकाश मां है, या कि शक्ति पृथ्वी मा है, यो कि शक्ति ई धरती मां है । एक एक आदमी के लारे एक एक डाक्टर लगा देओ तो दवायां की व्यवस्था न होवे पण दरखत बो देओ तो सब बीमारी ने नष्ट कर देवे या दरखता की ऐसी माया है ।

आपने निवेदन करूं, अबार भी वह रिया हा सब जना पानी के बारे में । तो पानी की भी सारी समस्या है, आकाश के माइने शक्ति है दरखता के मायने आकर्षण है ऊं आकर्षण सूं पानी ने धरती में खींच लेवे है । या शक्ति दरखता की है । दरखता की शक्ति यूं मान लेओ, ई प्यारा प्यारा देश की सेवा कोई कर सके है तो दरखत कर सके है और कोई न कर सके है ।

(श्री देवीलाल)

अब एक और निवेदन करूं मिनखा की ही नहीं या जितरा जीव-जूण है, चार लाख मा 84 लाख जीव-जूण उत्पन्न होवे है और 84 लाख जीव-जूण में 40 लाख योनी की रक्षा दरखत कर सके है। और कोई नी कर सके है। तो या दरखतां की अधिक ऊं अधिक रक्षा करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, छोटा छोटा काश्तकार ने गांवां गांवां के मायने दरखत के वास्ते आप बीज देओ, पौधा देओ ताकि म्हैं म्हाके खेतां के मायने में दरखत लगावां, वां कि रक्षा करां। अब वा ने कोई काड लेवे, म्है ऊं का बारा में तहसील में जावां तो कोई सुनाई ना होवे। पंचायत में जावां तो कहवे थाना में जावां तो थानेदार साहब कहवे कि भाई, पीसो लाओ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहे।

श्री देवीलाल : सौ दरखत कट जावे जाद जद तो ई बात है कि म्हाने पांच चार दरखता को ही पतो लागे कि फलानो आदमी काट्यो। सौ दरखत कटे जद पांच दरखता की म्हाने पतो लाग सके है। जब वां पांच के मायने एक दो का गवाही उठे है। अर वां उठ गया तो पीसा मांगे है। तो ऊ आदमी कहवें है कि साहब, जार ल्याऊं। तो चाहे ऊं की लुगाई की गहनो मेलनो पड़े, चाहे कोई ऊंका बोरिया बिस्तर निकल जावे, दो दिन पाछे वा जीवन तो ई का पहले वां दरखत काटवा आला बरी हो जावे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री देवी लाल : एक बात मैं निवेदन करूं, सभापति जी आज कम से कम नो दस दिन हो गिया। नौ दस दिन का म्हारा पांच पांच मिनट भी रोज का गिने तो पैंतालीस मिनट हुआ म्हारा। पैंतालीस मिनट बोलूं।

तो, अब वा दरखतां के बारा में थानादार जी आवे औरऊं आदमी ने कहवें है, कठें है दरखत। तो, वा दरखत तो गायब कर देवे है और ऊं आदमी नै गवाही भुगतावै ना। तो गवाही ना बन सके तो म्हारे ऊपर उल्टी 182 लगावें है। जद 182 लगावे तो वो आदमी किश्यान ई दरखतां की रक्षा करे सके। मैं तो यां मानूं हूं कि यां दरखतां के बारां में कानून मैं सुधार करो सुधार यो ही करनो चाहिजे कि जो आदमी का हत्या करे ऊं पर जो मुकदमो लागें, वां ही दरख्तां काटन वाला के ऊपरां लागू करो कानून मैं सुधार करो तो दरखत की रक्षा हो सके। दरखत है, प्यारां ऊं प्यारा, आपणें लाडला ऊं लाडला मेहमानें आवें तो वांके गमला फूल, पाती, पानणा डाल मैं बिठावें है। तो बिसा मेहमान बिसा दरखतां का फूल अर पात प्यारा। दरखतां नै या भी मानूं है के मिनख अर दरखत मैं कांई फरक है। मिनख के मायने पांच तत्व है और दरखतां मैं चार है। एक तत्व की कमी है। आकाश तत्व आपां में भी है, आकाश तत्व दरख्तां मैं है। जल तत्व आपा मैं है तो जल तत्व दरखत मां भी है। अग्नि तत्व आपां मैं है, अग्नि तत्व दरखत मां है। एक पावन तत्व कोनां।

श्री भंवरलाल शर्मा : अकाल राहत पर बोल रहे हैं क्या ये ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य :

श्रीमती हमीदा बेगम : अच्छी बातें हैं सुनने का माद्दा पैदा कीजिए। एक किसान बोल रहा है, सुनने का माद्दा पैदा कीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या। कृपया समाप्त करें। बहुत समय हो गया, कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल : थोड़ा निवेदन और।

एक वक्त बाद अगर आपां दरखतां की रक्षा करांता तो या देश की रक्षा करै। साथ साथ या भी देखो, इसी हालत होते हुए भी ये अतरी रक्षा करै आपणी, के गांवां के मायनै, ढाणिया के मायने जो मकान है वो कच्चा मकान सारा दरखतां ऊ छा मेल्या है। म्हांके किवाड़ भी वांका और फाटक्यां भी वांका। सारी रक्षा म्हां की जिन्दगी में दरख्त ही करे। यो अशो बड़ो समाज है तो भी कुर्सियां, टेबलां भी दरख्ता की ही है। आपके कच्चा-पक्का मकान बन रहया है, लाखों रुपया लगा दिया पण किवाड़ तो लकड़ी का ही....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल : एक बात और निवेदन करूं। दरख्तां तो वो है जो आपणो अंत समय आ जावै है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल : एक दो मिनट और ही।

आपणो अंत समय आ जाय तो भी आपणो कुटुम्ब परिवार तो ऊबा-ऊबा देखे है और यह दरख्त आपणे लारे जले है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल : दो मिनट। दो मिनट।

श्री सभापति : कृपया विराजें।

श्री देवीलाल : किसी भी समुद्र पार करनो होवे तो लकड़ी की नाव में बैठकर ही पार करां। तो या लकड़ी वा चीज है। अर दरख्तां की माया इसी है कि दरखतां की महिमा करो जितनी ही थोड़ी।

के तरुवर, सरवर, संत जन

और चौथा बरसे मेह

परमारथ के कारणे

ये चारों धारी देह।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री देवीलाल : इकेह वास्ते, अकाल राहत के वास्ते एक बात है, में जो भी वसूली है वा जरूर अकाल के समय लोगां की कुरकियां और वसूलियां हो रही है चाहे सरकारी समिति लोन की है, चाहे पुरानी बकाया है। कुर्कियां जो है वा नहीं होनी चावे। वांके कने पीसा होता साठ हजार तो वे तो वे ही दे देता। कुर्कियां कराओ और मान ले पचास हजार की जमीन है ऊंकी नीलामी कराओ नो वा पचीस हजार की होवे है। आध्यो ही आध तो नीलामी के मायने फर्क पड़ जावे है। लोग उल्टा दुखी होई। अकाल राहत का कार्या मां, एक बाई सा म्हाने बताई ही कि 1981, 82, 83 को जो काल हो वीका

(श्री देवीलाल)

मजदूरां का पीसा हर तहसील में होई। म्हारीं तहसील में बारह हजार रुपया वा आदमिया का, मजदूरां का होई....

श्री समापति : कृपया समाप्त करें, कृपया समाप्त करें! कृपया विराजें, कृपया बिराजें ! कोई समय होता है।

श्री देवीलाल : बार-बार म्हाने बोलबा को मौको कदे मिलै ही कोनीं, मैं आपणै निवेदन करूं हूं कि वा आदमियां का पीसा म्हारीं तहसील के मायने....

श्री समापति : कृपया विराजें, कृपया बिराजें ! बस।

श्री देवीलाल : म्हारी बात आप सुणी, जिको धन्यवाद !

(व्यवधान)

श्री मालाराम (खेतड़ी) : समापति महोदय, यह जो भयंकर अकाल है सीकर, झुंझुनू दोनों जिलों के मायने....

श्री समापति : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मालाराम : जो वसूलियां हो रही हैं, वह रुकवानी चाहिए।

श्री समापति : श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

कृपया सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री मालाराम : समापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं। वसूली जो लोगों की हो रही है, कुर्की कम से कम यह रुकवानी चाहिए। मेरा तो यही व्यवस्था का प्रश्न है।

सदन के मायने आज ही मन्त्री महोदय इस चीज की घोषणा करें कि जो लोगों के नाम कुर्की हो रही है वह कुर्की बिल्कुल बन्द होनी चाहिए। मेरा तो यही व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री समापति : माननीय भंवरलाल शर्मा। विभाजन संख्या 99.

श्री बुलाकी दास कल्ला (मुख्य सचेतक) : Time limit for disposal of financial business – In addition to the powers exercisable under these rules, the speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of the timely completion of all financial business, including allotment of time for the disposal of various kinds of such business, and where time is so alloted, he shall at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been alloted,"

वित्तीय मामले जब विचाराधीन होते हैं उस समय समय की पावन्दी का विशेष ध्यान रखा जाता है। बुलेटिन के लिये दो वार

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

समय, सभापति महोदय, बढ़ाया जा चुका है। साढ़े छः बजे का समय होने वाला है। बार बार व्यवधान होता है उससे सदन का समय जाया हो रहा है। मेरा निवेदन है कि वित्तीय मामलों को निपटाने के लिए समय का सब लोग ध्यान रखें और साढ़े छः बजे मुख बन्द के प्रयोग के बारे में मैं चाहूंगा कि समय पर मुख बन्द का प्रयोग हो जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : सदन का समय चार बजे तक बढ़ा दिया जाय।

सदन की कार्यवाही
मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : माननीय स्पीकर महोदय ने मुख बन्द का समय साढ़े छः के बजाय साढ़े सात किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुखबन्द का समय दो बार पहले ही बढ़ाया जा चुका है।

श्री सभापति : माननीय भंवरलाल शर्मा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मुख्य सचेतक महोदय को यह जानकारी ही नहीं है कि अध्यक्ष महोदय ने साढ़े सात का समय रखा है। आप खड़े हो गये। ऐसे सचेतक तो पहली बार मिले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको मौका नहीं मिलने वाला है।

विभिन्न जिलों में अकाल से
उत्पन्न स्थिति

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने जो कहा है वह बात उचित है। माननीय सभापति महोदय, जिस ढंग से माननीय सदस्य विरोध पक्ष के अपनी बात कहना चाहते हैं तो सता पक्ष के भी उसी तरीके से बात रखना चाहते हैं आपके समक्ष। आप सर्वोपरि हैं, आप जो आज्ञा करेंगे वह करेंगे। लेकिन हमारी एक तकलीफ है, बराबर 19 तारीख से हम अपनी बात नहीं कह सके और विरोध पक्ष के माननीय सदस्य अपनी बात चाहे वह लिखकर दें या नहीं दें, चाहे आप आज्ञा दें या नही दें। उस पर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे अधिकार हमें मिलने चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्रमवाइज अनुपात से ले रहा हूं....

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) : इनकी तो शिकायत रहेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें ज्यादा समय नहीं लें, यह भी मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा जिले में अकाल राहत कार्यों के बारे में स्थगन प्रस्ताव था। बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अकाल राहत कार्य बड़ी तादाद में चल रहे हैं। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चूरू जिले में आज की तारीख तक कोई भी अकाल राहत कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है। परसों मेरी जिलाधीश, चूरू से वार्ता हुई थी, अभी तक कोई भी अकाल राहत

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कार्य चूरू जिले में स्वीकृत नहीं हुआ। ऐसी स्थिति चल चुकी है कि राजस्थान कैनाल के लोग गंगानगर और पंजाब में जा रहे हैं। राहत कार्य कोई शुरू हुआ नहीं हैं। लोग अपने मवेशियों को लेकर जा रहे हैं।

दूसरी बात, चारे का संकट है। अनाज तो दूर दराज मिल जाता है पर चारा नहीं मिलता है। सौ रुपये क्विटल मतलब एक रुपये किलो के भाव से भी चारा गांवों में उपलब्ध नहीं है। चारा पशुओं को मिल नहीं रहा है क्योंकि लोगों की रोजगार के बिना क्रय शक्ति घट गई है। वहां पर जितने भी पिवाई के कुए हैं, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से पूर्व हर साल पिवाई के कुएं से चूरू जिले में खुले हैं। अब की बार चूरू जिले को पिवाई से वंचित किया गया जबकि लोग बाग कुए खोदने में असमर्थ हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है, सौ रुपया क्विटल में चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है। दूसरे जो 200 फीट नीचे, गहरे जो कुए हैं जिन गांवों में पम्पिंग सेट नहीं हैं, बिजली नहीं है, उन गांवों में एक एक पिवाई का कुआ चालू करवाया जाय। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि चूरू जिले के जो अभावग्रस्त गांव हैं उन गांवों में जल्दी से जल्दी पिवाई के कुए शुरू करवाए जांय।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि चारे के जो डिपो हैं, पंचायत हैड क्वार्टर पर कम से कम एक चारे का डिपो हो, जिसमें पशुओं के लिये चारा और कुतर संग्रह किया जाय। चारे का जितना अभाव है उतना अभाव अनाज का नहीं है। इसलिये चारे की तुरन्त व्यवस्था आप करवायें।

तीसरा जैसा कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा, तमाम पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया जायगा। पंचायतों को सड़कों से जोड़ दिया जाय, आप इस तरह के कार्य हाथ में ले लेवें। आज अकाल राहत के तहत पंचायत हैड क्वाटर्स को जो सड़क जोड़ती हैं उनका काम हाथ में ले लेंवे। चाहे दस किलोमीटर लम्बी सडक हो उसमें से आज आप दो किलोमीटर भी पूरा कर पाते हैं तो आप दो किलोमीटर पूरा करवाइये ताकि उस सडक पर धांधला बिछाकर धांधली नहीं हो। इसलिए मेरा यह निवेदन है जितना भी कार्य करें उस कार्य को पूर्ण करायें। इसके अलावा जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल खोलते हैं इनकी बिल्डिंग नहीं है, हास्पिटल नहीं है, सबसेन्टर्स नहीं हैं। इस तरह के कार्य वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में खोले जांय और उनको पूरा करवाया जाय। आप जिलाधीश चूरू को निर्देश दें कि जल्दी फेमिन एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर वहां पर जो रिलीफ के वर्क्स हैं, जो सहायता उपलब्ध करवानी चाहिये, वहां तुरन्त शुरू करवायें।

दूसरा रहा सवाल पानी का, चूरू जिला विशेषकर सरदारशहर तहसील एक ऐसी तहसील हैं जहां आधे से ज्यादा गांवों में लोगों को बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि गांव का पानी खराब है, खारा है विरावना है। इस स्थिति में सभापति महोदय, आपकी मार्फत मेरा मन्त्रीजी से अनुरोध है कि उन गांवों में अभी जो पानी पहुंचता है वह जैसे ऊंट के मुंह में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जीरा है, ऐसी स्थिति बन रही है। सिर्फ 80 गांवों में एक टैंकर से पानी नहीं पहुंच पाता है। दूसरा टैंकर आया उसको एक दिन में तुरन्त फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के लिए राजगढ़ भेज दिया। उन गांवों की स्थिति का अब आप अन्दाज लगावें, इस पंचायत की जनसंख्या चार हजार है उसमें एक टैंकर यदि दो रोज से जा पाता है तो क्या यह पर्याप्त है? इसलिए मेहरबानी करके सही व्यवस्था तो कल से करिये। जो यह पानी की व्यवस्था है इस व्यवस्था को तुरन्त जल्दी से जल्दी ठीक करें ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। मैं आपको याद दिलाऊं कि लालवासिया, परेर, जेत सीसर इन गांवों की ऐसी स्थिति है कि एक रुपया प्राइवेट एक घड़े पर पड़ता है। सरदारशहर से आगे प्राइवेट पानी टैंकर और ट्रकों में ले जाते हैं। इसलिए इन गांवों में, जो फेमिनग्रस्त गाँव हैं से तुरन्त पानी की व्यवस्था करावें।

तीसरा मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया सहकारिता की वसूली के बारे में। मुख्य मन्त्री जी विराज रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता की वसूली ऐसी है कि आज गांव के लोगों के बर्तन और कपड़े तक कुर्क हो रहे हैं। ऐसी स्थिति है सरदारशहर तहसील की। मैं 23 और 24 तारीख को सरदारशहर गया था, लोगों ने बताया कि अकालग्रस्त गांव होने के बावजूद कोआप-रेटिव की वसूली हो रही है। सिर्फ चालू साल की वसूली जरूर स्थगित की है बाकी जो वसूली है भू राजस्व की वह भी पीछे की वसूली हो रही है। अतः मेरा आपके मार्फत राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इनकी वसूली को स्थगित कराया जाय। साथ ही जितनी भी पंचायत हैड क्वाटर्स से जोड़ने वाली सड़क हैं उनका काम तुरन्त चालू करवाया जाय और तुरन्त चालू करके पूर्ण करायें।

श्री सभापति : माननीय श्री नाथूसिंह !

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, राजस्थान हमारे देश का दुर्भाग्यशाली प्रदेश है जिसमें हर बार अकाल पड़ता है। मुझे खेद है, सभापति महोदय, हर बार विधान सभा में इस मामले पर चर्चा होती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई स्थाई इस समस्या का हल नहीं किया जाता। 22 प्रदेशों का सर्वेक्षण हुआ है, सभापति महोदय, देश के 22 प्रदेशों का जो एवरेज रेनफाल होता है, उसमें राजस्थान का 22 वा नम्बर है, यानी राजस्थान वह प्रदेश है जिसमें....

(6·24 सायं)

(श्री हीरालाल देवपुरा, अध्यक्ष पदासीन)

एवरेज रेनफॉल सबसे कम है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान इस मामले में भी दुर्भाग्यशाली प्रदेश है, जो पर्सेन्टेज ऑफ विलेजेज कवर्ड वाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है उसमें 22 प्रदेशों में राजस्थान का 22वां नम्बर आता है। ड्रिन्किंग वाटर की व्यवस्था राजस्थान में सबसे कम है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो सैण्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेन्ट को रिसोर्सेज दिये जाते हैं उस मामले में भी राजस्थान बहुत पीछे है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में !

श्री नाथूसिंह : संक्षेप में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में, माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : अकाल का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है।

श्री नाथूसिंह : आपने तो आते ही कह दिया, मैंने तो शुरू किया था और...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे मालूम है, आप समय का खयाल रखें।

श्री नाथूसिंह : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो सेण्ट्रल गवर्नमेंट है, वह जो पैसा देती है, उस मामले में 22 प्रदेशों में से राजस्थान का 19वां नम्बर है। अकाल के मामले की स्टडी करने के लिए केन्द्रीय टोलियां आईं। राज्य सरकार ने एक मेमोरेण्डम सेण्ट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा, भेजा, उस मेमोरेण्डम में 142 करोड़ की मांग की। चुनाव के समय में एक नारा लगा था कि प्रदेश में वह सरकार लाओ जो केन्द्र सरकार से तालमेल रख सके। दोनों में सामंजस्य रहे तब तो विकास होगा अदरवाइज नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्या सामंजस्य, अध्यक्ष महोदय, यह है कि राजस्थान में अकाल बढ़ाओ। राजस्थान में आपकी बात को जनता ने माना, स्वीकार किया और कांग्रेस की यहां पर सरकार बनायी। आपने 142 करोड़ की केन्द्र सरकार से मांग की, उसकी अध्ययन टोलियां आईं, उसने क्या रिपोर्ट दी, नहीं दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रखें अपने आपको। माननीय सदस्य, आप विषय से बाहर जा रहे हैं। आप जनरल डिबेट मत मानिये।

श्री नाथूसिंह : जनरल नहीं, अकाल के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपने स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रहें। माननीय सदस्य, मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, लेकिन अपने स्थगन प्रस्ताव तक सीमित रहिए।

श्री नाथूसिंह : 10 करोड़ 49 लाख रुपया।

श्री अध्यक्ष : अकाल पर बोलिये।

श्री नाथूसिंह : अकाल पर बोल रहा हूं, लेकिन यह कहां अलग है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत दे रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : ठीक है।

तो इस मामले में सामन्जस्य है कि 142 में से केवल 5 करोड़ 49 लाख आपको दिया गया। मैं अपील करूंगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें। उनको कहिए कि और पैसा दें वरना आप भी याचक बनकर रह जायेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है। यही कारण है कि हमारे राजस्थान के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलता। अकाल की वजह से शुद्ध पानी नहीं मिलता। पहले 11 प्रदेशों में डिसएबल्ड पर्सन्स की

(श्री नाथूसिंह)

पापूलेशन सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो यह दुर्भाग्य है, डिसएबल्ड पर्सन्स की पापूलेशन राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लूले, लंगड़े ये सबसे ज्यादा राजस्थान में। आजादी के बाद 37 सालों में आपने राजस्थान को अपंगता जरूर दी। मैं कहना चाहता हूं इसलिए कि प्रशासन ठीक कीजिये।

यह मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कह रहा हूं कि क्या हम राजस्थान में रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे गांवों में अकाल के कारण जगह जगह मांग हो रही है कि हमें रोटी दो, हमें रोजगार दो, हमें पानी दो। लेकिन सरकार प्रायोरिटीज तय नहीं कर पा रही है। जैसा कि कल माननीय श्री नाथूरामजी मिर्धा बता रहे थे, प्रायोरिटीज सरकार तय नहीं कर पा रही है, इस कारण अकाल जैसी समस्या जो बार बार हमारे सामने आती है उसके स्थायी हल के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की। आज हम रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, गांवों में हम लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पर हम गांव वालों को रंगीन टेलीवीजन दे रहे हैं। रंगीन टेलीवीजन देखो, क्रिकेट का मैच देखो, रोटी और रोजगार की आवश्यकता नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। जो अकाल राहत कार्य खोले हैं, अध्यक्ष महोदय, आज अभी कुछ देर पहले जब सदन में पानी की समस्या पर मैं बोल रहा था तब मैंने कुछ आंकड़े दिये, उसके बारे में कहा कि आंकड़े गलत हैं। मैंने 37 हजार गांवों के बारे में कहा था तो कुछ नये माननीय सदस्य, जो जीत कर आये, उछलने लगे। मैं उनकी जानकारी के लिए कहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज नम्बर 7 पर पढ़िये, 37504 गांव ऐसे हैं जो अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। यह सरकार कह रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं! माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। 21 जिलों की आपने गिरदावरी करवाई। गिरदावरी कराकर आपने 21 जिलों को अकालग्रस्त घोषित किया है उनमें से 7 जिले ऐसे हैं जिनमें आपने समानता नहीं बरती। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से ऊपर नुकसान होने पर भी आपने अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। लेकिन सात जिले अध्यक्ष महोदय, ऐसे हैं हैं जिनमें 75 प्रतिशत से ऊपर नुकसान होगा तो उनको अकालग्रस्त घोषित करेंगे। यह तो समानता नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा, जिलों के अन्दर असमानता नहीं लाई जाय।

पश्चिमी राजस्थान को हर बार अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देते हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिले....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ तो भी आप अकालग्रस्त घोषित कर देंगे लेकिन वह सात डिस्ट्रिक्ट, जो जयपुर के आस पास के जिले हैं, ऐसे जिले हैं जिनमें 75 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान होगा तो आप उनको वह सुविधायें देंगे। अध्यक्ष

(श्री नाथूसिंह)

महोदय, मैं टौंक डिस्ट्रिक्ट से इस बार चुनाव लड़ कर आया, टौंक डिस्ट्रिक्ट जयपुर कैपीटल के बिलकुल ही नजदीक है। आज वहां पर चारा नहीं है, आज वहां पर पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में!

श्री नाथूसिंह : आज वहां पर रोजगार नहीं है। उस पर आपने शर्त लगा दी कि 75 प्रतिशत से ऊपर नुकसान होगा तो आप सुविधा देंगे। मेरा निवेदन है कि ऐसा भेद-भाव आपने क्यों किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने वसूलियां स्थगित कीं। हमने इसके लिए मुख्यमन्त्रीजी से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने एक वर्ष के लिये वसूलियां स्थगित की हैं लेकिन पिछली वसूलियां तो आप डन्डे मार मार कर वसूल कर रहे हैं, कुर्कियां कर रहे हैं, कोआपरेटिव की वसूलियां कोआपरेटिव सोसाइटी की बकाया की वसूलियां आप कर रहे हैं। आप उसके साथ 50 गुणा पैनेल्टी वसूल कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आपने अकाल राहत कार्य खुलवाये जाने का कहा, पर आपने अकाल राहत कार्य अभी तक खुलवाये नहीं हैं। अब खुलवाने जा रहे हैं पर उनके कोई नार्म्स आपने तय नहीं किये हैं। किस आधार पर आप अकाल राहत कार्य रखवा लेंगे? आपका कोई आधार नहीं है, कहीं पर सड़क की जरूरत है तो आप वहां पर कुए खुदवाने का काम खोल रहे हैं। जहां पानी की जरूरत है वहां पर सड़क बनवाने का काम खोल रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में प्रायोरिटी देकर प्रोपर योजनायें आपको बनानी चाहिए। जहां पर गांवों में लोगों को रोजगार की आवश्यकता है वहां पर आप दस मील दूरी पर अकाल राहत कार्य शुरू कर देते हैं। ऐसा आप करेंगे तो लोगों को असुविधा होगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अकाल राहत खोले तब इस बात का ध्यान रखे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। लोगों की क्या आवश्यकता है उस आवश्यकता का ध्यान रखें जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कच्ची सड़कें अकाल राहत कार्य में बनवाई जाती हैं। जो बरसात के अन्दर टूट जाती हैं। होता यह है कि रास्ते और खराब होते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्ति करें।

श्री नाथूसिंह : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी कच्ची सड़कों को पक्की कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट!

जो बांध बनाये जाते हैं उनकी स्थिति भी यह है कि अकाल बार-बार अपना प्रभाव दिखाता है।

अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन सिस्टम के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत जमीन, जिसकी बरसात के

(172)

(श्री नाथूसिंह)

पानी से ही सिंचाई होती है की सिंचाई का वही आधार है, उसी से सिंचाई हो सकती है। सन् 1980 में जब जनता सरकार जाने लगी थी तब 20 हजार हैक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था के लिये हमने इरिगेशन पोटेन्शियलिटी पैदा की थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमने जो इरिगेशन की पोटेन्शियलिटी पैदा की थी उसका पिछले पांच साल में यह सरकार उपयोग नहीं कर सकी। आज यह 15 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की बात कर रहे हैं। अभी मुख्य मन्त्री यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सिंचाई की क्षमता को बढ़ायें। जो हमने पोटेन्शियलिटी पैदा की आज तक इसका आप एक बटा चार हिस्सा भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : दो मिनट, दो मिनट ! हर बार मैं दो मिनट आपको नहीं दे सकता।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट ! बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जो रेट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट ! महत्वपूर्ण मामला है।

जो बड़े बान्ध हैं वहां सिंचाई की रेट जो है वह तीन पानी देने पर वसूल की जाती है उतना ही पैसा एक पानी एक फसल को देने पर वसूल करते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि इस बार छोटे छोटे बान्धों से जो पानी दिया गया उसके लिये तो कम से कम आपको डिस्ट्रिक्ट में यह आदेश देने चाहिए थे कि जिनको एक पानी दिया गया है उसकी सिंचाई की दर या तो आप घटायें या आप फिर उसको पोस्टपोन करें। मेरा इतना ही निवेदन है।

अकालग्रस्त क्षेत्र में कार्य के लिये, अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है, मुझे डर है अध्यक्ष महोदय, मुझे आशंका है कि अकाल राहत कार्य जो खोले जाते हैं वह राजनैतिक आधार पर यदि आपने खोले तो मुख्य मन्त्रीजी, यह उचित नहीं होगा। चुनावों के दिनों में तो आप जगह जगह पर कार्य खुलवाते हैं और उसकी मजदूरी सात रुपये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री नाथूसिंह : 9 रुपये रोज देते हैं। मुख्य मन्त्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं। इस मजदूरी की दर आप 9 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 13 रुपये रोज करावें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दस रुपया और 11 रुपया कर दिया।

श्री नाथूसिंह : मान रहा हूं।

(व्यवधान)

पर 11 रुपये को बढ़ाकर कम से कम 13 रुपये रोज की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : बस मैं यही निवेदन करता हूं कि अकाल राहत कार्य राजनैतिक भेदभाव से नहीं खोलें।

यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद!

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री मानिकचन्द सुराना। मैंने आपका नाम पुकारा है, आपको बोलना है, पर मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि काफी समय हो गया है, अकाल की चर्चा ठीक सात बजे मैं बन्द करना चाहूंगा। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। मेरा निवेदन है कि मुझे नियमित करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करूंगा।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना, कृपया संक्षेप में!

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। यहां पर माननीय मन्त्री जी ने अपना बयान दिया उसमें अकाल के संबंध में, मैं समझता हूं जितना खूबसूरत विन्डो ड्रेसिंग किया यह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मार्च का महीना समाप्त होने को है और अकाल राहत कार्य विधिवत शुरू नहीं किये गये हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने अपने बयान में यह कह दिया कि हमने 2 लाख 17 हजार श्रमिकों को राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत काम दिया। यह इन्होंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 77 लाख दिवस ही काम देने का कहा है। आपने यदि 77 हजार लोगों को सौ दिन काम दिया तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का आपका बजट समाप्त हो जायगा। आप क्यों यह कहना चाहते हैं 2 लाख 17 हजार लोगों को काम देंगे तो एक महीने में सारा बजट राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का समाप्त हो जायेगा? इस सदन को आप गुमराह करने की कोशिश न करिये। इसी प्रकार आपने कहा है कि गरीब, भूमिहीन लोगों को रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने काम दे दिया। इस पैरा में आपने यह लिखा है कि 56 लाख मानव दिवस का कार्यक्रम का बजट आपके पास है। अगर आप 56 हजार लोगों को काम देते हैं तो सौ दिन में वह कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जैसा भीषण अकाल पड़ा है उसको देखते हुए आपको सौ करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी।

बीकानेर जिले में अकाल के कारण 50 हजार लोग आज भी काम पर आने को

(174)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तैयार हैं। लोग भूख से मरना नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सोलनकिया कला की कहानी को आप याद करें। 1982–83 में 100 लोगों की मृत्यु जोधपुर जिले में सोलनकिया कला इलाके में हो गयी थी। ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति राजस्थान में न हो।

यह बहाना नहीं चल सकता कि सरकार के पास साधनों की कमी है। आप एक एप्रोप्रियेशन बिल लाने वाले हैं। 177 करोड़ का सप्लीमेंटरी ग्रांट 1984-85 की आप करवा रहे हैं। जो राज्य 1984-85 में 177 करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट बिना विधान सभा की स्वीकृति के खर्च कर सकता है, क्या वह राज्य आने वाले साल में 100 करोड़ रुपये अकाल के लिए, लोगों की रक्षा के लिए खर्च नहीं कर सकता ? बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में हमारी बहुमूल्य गाय हैं राठी है, थरपारकर है, नागौरी भी हैं, दसों किस्म की गाय हैं। एक-एक गाय की कीमत 6 हजार रुपये हो गई है पर सरकार का एक रुपये किलो का चारा उन्हें मिल रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी, यह सम्भव नहीं है कि एक रुपये किलो का चारा खिलाकर ग्रामीण अपनी गाय को पाल सके। यदि उनको रोजगार मिले तो निश्चित रूप से गाय को पाल सकते हैं। यदि आदमी को ही रोजगार नहीं मिले, ग्यारह रुपये की मजदूरी भी नहीं मिले, तो क्या गाय का पालन करेगा। यह डेयरी कार्यक्रम है, वह पशुपालन का कार्यक्रम है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में बड़े-बड़े अनुमान लगाये हैं और जो पशुपालन का कार्यक्रम है वह हमारे क्या काम आयेगा। यदि बीकानेर में गाय इसी हालत में रही तो उसकी कीमत 6 हजार से घट कर दो हजार हो जायगी और पशुपालन कार्यक्रम समाप्त हो जायेगा। एडवांस प्लान असिसटेंस के बजट से इन गायों की रक्षा की जाये, भैंसों की रक्षा करिये, ऊंटों की रक्षा करिये। यह नस्लें ऐसी हैं राजस्थान में जिनके ऊपर आज हमारी आधी अर्थ व्यवस्था निर्भर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सस्ते चारे को सहकारी समितियों के माध्यम से देना बन्द कीजिये। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं, इन्होंने चयनित परिवारों के लिए सस्ते चारे की व्यवस्था की है। एक गांव में आठ या दस चयनित परिवार होंगे। गाय रखने वाले हैं दो सौ और चयनित परिवार हैं 10। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से सारे कार्यक्रम से विंडो ड्रेसिंग करके इसके महत्व को समाप्त मत करिये। व्यापक पैमाने पर इसको लें। एक साल पहले दे दिया, दो साल पहले दे दिया, तो क्या आफत है, क्या बाधा है ? क्या बीकानेर में प्रत्येक गांव वालों को नहीं दिया जा सकता ? जो पशुपालन के क्षेत्र हैं वहां दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 4.85 लाख लीटर दूध में से बीकानेर का शेयर 1.85 लाख लीटर है। दिल्ली को दूध हम पिलाते हैं, दिल्ली हमारे दूध के बिना प्यासी रह जायगी। इसलिए उरमूल का कार्यक्रम, व्यापक कार्यक्रम डेयरी का चल रहा है, दिल्ली को दूध भेजा जा रहा है। बीकानेर के गांव-गांव से कार्यक्रम को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से एक रुपये का दो किलो चारा प्रत्येक गांव के पशुपालक को देना चाहिए जिसका दूध आप ले रहे हैं। यदि दूध नहीं ले रहे हैं तो उनकी गायों की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए चारा देकर।

मैं इसके साथ यह निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारे बहुत से गांव लिफ्ट कैनाल से जुड़े हुए हैं जहां पानी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जायगा। लिफ्ट कैनाल के माध्यम से 18-18 गांवों को पीने का पानी देने की योजना, रीजनल स्कीम है। बीकानेर में 14 गांव को पानी मिलता है, लेकिन बिजली विभाग राजस्थान लिफ्ट कैनाल में भी, बिजली काटता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री से, एक व्यक्तिगत उद्योगपति की बिजली काटी जा सकती है, राजस्थान कैनाल की लिफ्ट कैनाल की बिजली काटने की कौन-सी नीति है? हजारों-लाखों लोगों को पानी दे रही है जो कैनाल, लाखों लोगों को पानी पिला रही है जो लिफ्ट कैनाल, अगर बिजली कट हो जाय विद्युत बोर्ड के माध्यम से तो यह नीति बिल्कुल गलत है। तत्काल इस नीति में परिवर्तन किया जाय और आदेश दिया जाय विद्युत मण्डल को कि कैनाल की बिजली हजारों-लाखों को पानी देती है, खेतों को पानी देती है वह बिजली नहीं काटी जाय। पावर कट की जो अभी तक नीति है वह कम से कम चार महीने, जब तक अकाल है निश्चित रूप से बन्द करें। आप केबिनेट स्तर पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप यह निर्देश देंगे कि राजस्थान की लिफ्ट कैनाल की बिजली नहीं कटनी चाहिए। बिजली मण्डल से दसों-बीसों गांव में पीने के पानी के लिए पी.एच.ई.डी. ने रीजनल स्कीम के लिये बिजली के कनेक्शन मांगे, लेकिन विद्युत बोर्ड के कान पर जूं नहीं रेंगती। चार-चार महीने हो गये, कनेक्शन मांगते हुए, पी.एच.ई.डी. में सुपरिंटेडिंग इंजीनियर हैं, वह बहुत परेशान हैं, लेकिन विद्युत मण्डल बिजली रिलीज नहीं करता, कनेक्शन रिलीज नहीं करता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय निर्देश विद्युतमण्डल को तत्काल जारी किये जाने चाहिए। जहां भी पी.एच.ई.डी. जल प्रदाय योजनाओं के लिए अकाल के क्षेत्रों में बिजली मांग रहा है उसको तुरन्त बिजली दी जाय, पावर कट को समाप्त कीजिये।

अध्यक्ष महोदय, व्यापक पैमाने पर अकाल राहत के कार्य जल्दी खोले जाएं। मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में रेगिस्तान और अकाल की समस्या रेगिस्तान समस्या के लिये मुख्य है। मंत्रीजी ने कहा, व्यापक पैमाने पर इसको हल करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डी.पी.ए.पी. के प्रोग्राम से अकाल की समस्या हल नहीं होगी। डोट प्रोन एरिया है। 140 जगह डी.पी.ए.पी. से अकाल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अकाल दो लाख किलोमीटर में है। 11 जिले डेजर्ट हैं, साठ प्रतिशत भूमि और चालीस प्रतिशत आबादी राजस्थान में रहती है और इसलिए साठ प्रतिशत भूमि में चालीस प्रतिशत आबादी की रक्षा के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। 500 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं रेवेन्यू बजट में, 235 करोड़ का हमारा पूंजीगत बजट है, 1800 करोड़ में से क्या तीन प्रतिशत रुपया निकाल नहीं सकते, प्रत्येक वर्ष फण्ड नहीं बनाया जा

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सकता। मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट से सारी कटौतियां करके आप पचास करोड़ रुपये का प्रावधान सिर्फ अकाल के लिए करिये। यह सेंट्रल टीम पर आधारित है कि वह यहां आये और रुपया आपको दे। यह बहाना नहीं चल सकता। यह बहाना हमको खत्म करना पड़ेगा। सेंट्रल टीम से हम अपने करोड़ के बदले पचास करोड़ मांगें, यह बिल्कुल वाजिब है, लेकिन राजस्थान सरकार यह नहीं कर सकती कि भारत सरकार नहीं देगी तो हम अकाल राहत की व्यवस्था नहीं करेंगे। आखिर हम भी राज्य हैं। हमारा 1800 का बजट है और चालीस प्रतिशत आबादी गरीब किसान, जो अकाल से पीडित हैं, का कम से कम 100 करोड़ पर हक है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि गरीब का पहला हक राजकीय खजाने पर है। यदि है तो फाइनेन्शियल स्ट्रिंजेन्सी में जो राज्य 177 करोड़ की सप्लीमेंटरी ग्राण्ट ले सकता है वह 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था निश्चित रूप से कर सकता है।

इस तरह वसूलियां चल रही हैं। वसूलियां सिर्फ रेवेन्यू के अन्दर नहीं हो रहीं, सहकारी समितियों, सरकारी बैंकों की वसूलियां की जा रही हैं, कुर्कियां हो रही हैं। हर गांव में 50-50 नोटिस बीकानेर जिले में आये हुए हैं। मैं कल गांव जेरणा में गया वहां से 70 नोटिस माननीय अकाल राहत मंत्री जी को लाकर दिए, उनकी फोटो स्टेट कापी पेश करूंगा। प्रत्येक गांव की वसूली है। इस वसूली के कारण राजस्थान का नागरिक कहां जायगा। हम इन्ट्रेस्ट भी आज वसूल करेंगे। इन वसूलियों को रोकिये। तत्काल आदेश जारी करिये कि अकाल के दिनों में कोई भी वसूली जो किसी भी प्रकार की राज्य की है, किसानों से वसूली नहीं की जायगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि अकाल राहत मंत्री इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करेंगे और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ग्यारसी लाल।

श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल (निवाई): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख से विधान सभा कक्ष में, मैं आया हूं तब से मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : अभी मिला है, माननीय सदस्य ! आपको अभी दिया है मौका।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अपनी बात कहें माननीय सदस्य, समय नष्ट न करें।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : आपकी कृपा से समय मिला है, उसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में जो फेमिन के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में दो मिनट में बताना चाहता हूं। हमारी सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि गांव शहरों से जोड़े जायें। मैं मानता हूं कि हमारे यहां कई गांवों को शहरों से कच्ची सड़क से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर सड़क के निर्माण में ऐसी चमचोरियां हो रही हैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं।

(श्री ग्यारसीलाल परिडवाल)

(व्यवधान)

फेमिन पर बोल रहा हूं।

वहां क्या होता है, सड़क पर 25 व्यक्ति मिट्टी डालने का काम करते हैं पर जो मेट होता है वह 25 की जगह वहां चालीस आदमियों का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। आज भी वहां 25 आदमी काम करते हैं लेकिन हाजिरी चालीस की....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य नये आये हैं, बोलने दीजिए।

श्री ग्यारसी लाल परिडवाल : होती है। एक भी मजदूर को सही पैसे नहीं दिये जा रहे हैं। मेरे गांव में दूसरी जगह 11 रुपये और एक हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक डेढ़ किलो के हिसाब से अनाज दिया जाता है।

पर डे के हिसाब से दिया जाता है जब कि भिलाई से सिरोही सड़क बन रही है वहां मजदूर को 9 रुपया दिया जाता है। मैंने खुद ने वहां देखा है कि जब वह ओवरसियर आता है और हाजिरी चैक करता है, देख जाता है और चला जाता है। मैंने कई मजदूरों से बात की है। वह कहते हैं कि हमें 9 रुपया रोज दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर जो मेट होता है वह मेट एक रुपया प्रति मजदूर लेता है। बाकी एक रुपया रोज प्रति मजदूर के हिसाब से ओवरसियर की जेब में आता है। यह मैं आपको बता सकता हूं मेरे क्षेत्र के अन्दर। इस तरह की वहां अनियमितता बहुत जोर शोर से हो रही है पर कोई चैक नहीं कर सकता। उसको चैक करने सिर्फ ओवरसियर जाता है। हम वहां जाते हैं तो हमें कुछ नहीं बताया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस तरह की जो छोटी चोरियां हैं उससे हमारी सरकार का जो पैसा है, रकम है सरकार की उसमें काफी लोस होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाय और इसके लिए कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये वक्तव्य के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अमूल्य सुझाव दिये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में बताया कि चारे का भाव एक रुपया किलो बीकानेर में है और गेहूं 250 रुपये से 300 रुपया प्रति क्वि. बिक रहा है। मैंने आज ही बीकानेर के जिलाधीश से सम्पर्क किया और सूचना प्राप्त की तो मुझे जानकारी मिली है कि बीकानेर और चूरू जिले में जहां हमारी फेयर प्राइस शाप है वहां हमने 300 मी. टन और 200 मी. टन चावल और 300 मी. टन गेहूं का आवंटन किया। इसी तरह से एक हजार मी. टन बीकानेर में और 500 मी. टन गेहूं चूरू में, 300 मी. टन चावल बीकानेर में हमने आवंटन किया। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि इन राशन की दुकानों से अभी तक गेहूं कोई खरीदने नहीं आ रहा है जबकि हमारे भाव 187 रुपये प्रति क्वि. हैं। मुझे समझ में नहीं आया, माननीय

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सदस्य यह कहते हैं कि 250 रुपये और 300 रुपया गेहूं के भाव बढ़ गये जबकि वहां पर फेयर प्राइस शाप पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान सरकार के पास पर्याप्त अनाज के भण्डार हैं, और जब भी आवश्यकता होगी फेयर प्राइस शाप पर उचित मात्रा में अनाज उपलब्ध करा दिया जायेगा।

चारे के संबंध में भी मैंने आज जिलाधीश बीकानेर से चर्चा की थी। उन्होंने मुझे बताया है कि चारा जो पंजाब से आ रहा है उसके भाव इस प्रकार हैं—तूड़ी 55 रुपया प्रति क्वि., सेवर घास 75 रुपया क्वि. वहां मिल रही है। उक्त भाव थोक भाव हैं। हो सकता है रिटेल में इससे कुछ ज्यादा पैसा लगता हो लेकिन हमने जैसा कि आपको निवेदन किया, ट्रान्सपोर्ट सब्सिडी 10 रुपया प्रति क्वि. देने की जिलाधीश को आदेश दिये। इन आदेशों के प्रभावी होने पर यह भाव घट सकते हैं इसलिए यह कहना न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं होगा कि वहां पर चारा एक रुपया किलो बिक रहा है। जो आज के भाव हैं वह मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया।

इसी प्रकार से उन्होंने कहा राहत कार्यों की स्वीकृति के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे स्टेटमेंट में स्पष्ट निवेदन किया, राजस्थान सरकार ने फैसला किया कि इस वर्ष योजना के जो कार्य चल रहे हैं चाहे एन. आर. ई. पी. के कार्य हों, चाहे आर. एल. ई. जी. पी. के काम हों, चाहे हमारे डी. आर. डी. के काम हों और चाहे हमारे प्लान वर्क्स हों, इन कार्यों को प्राथमिकता देकर अभावग्रस्त लोगों को काम पर लगाया जाये। मैंने उन सब कामों की संख्या आपको बताई। जैसा निवेदन किया कि माह जनवरी तक 2 लाख लोग काम पर लगे हुए हैं विभिन्न योजना के कार्यों के तहत। फरवरी में यह संख्या बढ़कर 2 लाख 15 हजार हो जायगी जिसके जिलेवार आंकड़े उपलब्ध हैं। यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

पीने के पानी के संबंध में माननीय सदस्यों ने बताया कि टैंकर्स की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं उनको यह निवेदन करना चाहता हूं और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए 215 टैंकर्स का आवंटन किया है। उसकी जिलेवार स्थिति मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, पाली में 14, जालौर में 8, नागौर में 10, जोधपुर में 29, बाड़मेर में 44, बीकानेर में 18, चूरू में 22, जैसलमेर में 64, अजमेर में 4, सिरोही में 1 और धौलपुर में 1। इस प्रकार से हमने 215 टैंकर्स का आवंटन किया है। इन टैंकर्स में से 59 टैंकर्स के जरिये अभी भी पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के 16 गांवों में, सोजत के 3 गांवों में, सांचोर के 6 गांवों में, नागौर के 2 गांवों में, लाडनूं के 3 गांवों में, फलोदी के 6 गांवों में, सिरोही के 7 गांवों में, बाड़मेर के गांवों में, जिनके लिए भी जिलाधीश महोदय ने बताया पानी की किल्लत है उन सभी गांवों में टैंकर्स से पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के बैठने वाले सदस्य हों, चाहे उस पक्ष के बैठने वाले

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सदस्य हों, यह प्रश्न मानवता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी सुझाव दें इस प्रकार का सुझाव दें जो उचित हो, राज्य सरकार उसको निश्चित रूप से मानेगी। राजस्थान में रहने वाला चाहे पशुधन हो, चाहे इन्सान हो, उसके सामने किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी पैदा नहीं होने दी जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह भाव कब तक बढ़ते रहेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप जरा सुनने की तकलीफ कीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जितने सम्माननीय सदस्य बोले हैं, इस चर्चा पर जिन्होंने भाग लिया उनमें से मुझे किसी ने यह नहीं कहा कि वहां पानी का अभाव है या उस गांव में पानी नहीं पहुंचा। किसी ने यह नहीं कहा कि उस गांव के मजदूर काम पर जाना चाहते थे और उन्हें नहीं लगाया गया। मुझे खुशी है कि राजस्थान में योजनाबद्ध कार्य हाथ में लिये गये हैं, उन पर काफी लोगों को काम मिला है। इसलिए ऐसी शिकायत इस सदन में नहीं हुई। फिर भी अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 मार्च को अलग अलग जिलों में जो कार्य मैंने स्वीकृत किये हैं उनकी संख्या मैं बता रहा हूं। चूरू जिले में 107 काम स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 123.96 लाख है। इसी तरह से बाड़मेर जिले में 89 कार्य स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 138.52 लाख है। उदयपुर में केवल 3 काम स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 11.80 लाख है। बांसवाड़ा में 4 कार्य स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 8 लाख रुपया है। टोंक में 12 कार्य स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 14.44 लाख है। जालौर में 59 काम स्वीकृत किये हैं जिनकी लागत 136.10 लाख है। अजमेर में 10 कार्य स्वीकृत किये हैं जिनकी लगात 11 लाख है। सिरोही में और जोधपुर में 64 काम स्वीकृत किये हैं। इसी तरह से पाली में 36, बीकानेर में 54 और सीकर में 15 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। माननीय सदस्यों ने यहां पर एक आरोप लगाने की कोशिश की।

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय मंत्री महोदय, भीलवाड़ा में कितने काम स्वीकृत किये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं भीलवाड़ा का जवाब जब आपका सवाल आयेगा तब निवेदन करूंगा।

इस सदन में इस बात को दोहराया गया कि अकाल राहत कार्यों में राजनीति....

श्री मानिक चन्द सुराना : इसकी राशि बता दीजिए, 54 कामों की राशि कितनी है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राशि मैं अभी आपको नोट करा देता हूं।

यहां पर यह बताया गया कि जो राहत कार्य खोले जाते हैं उसमें राजनीति को आधार माना गया है। माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी बांसवाड़ा जिले से आते हैं वहां केवल 4 काम स्वीकृत किये।

एक माननीय सदस्य : छोटा सा जिला है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं माननीय सदस्यों को गांवों को संख्या भी बता देना चाहता हूं जो अकालग्रस्त हैं। मैं उदयपुर जिले से आता हूं और मेरे पास फेमिन डिपार्टमेन्ट है फिर भी इसमें 3 काम स्वीकृत किये हैं। इसलिए राजनीति को आधार बनाने वाली बातें गलत हैं। केवल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत कार्य खोले गये हैं। सरकार इसको राजनीति से परे रखना चाहती है।

मैंने जैसा निवेदन किया, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सहायता कम मिली। केवल 542.85 लाख मिली। यह सही है। हमने अपनी मांग की थी लेकिन भारत सरकार ने हमको केवल 542,85 लाख रुपये स्वीकृत किये। हम इस बात के प्रयत्न में हैं अगले वर्ष जो 1 अप्रेल से चालू होगा, के लिए हमने भारत सरकार से 96 करोड़ रुपये की मांग की है। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि भारत सरकार से हम अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक धन प्राप्त करें। अप्रेल से जुलाई तक का जो समय है उस समय में हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

(7.00 रात्रि)

बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां यह भी जिक्र किया कि जिले में राहत कार्य शुरू नहीं किये गये। मुझे आज ही जानकारी मिली, जिलाधीश ने कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं भेजे थे। जिलाधीश को हमने लिखा है। आज जानकारी भी नहीं थी। जो प्रस्ताव जिलाधीश ने भेजे हैं उन प्रस्तावों को स्वीकृति शीघ्र से शीघ्र दे दी जायेगी। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं।

माननीय सदस्य, अब तक जो कार्य स्वीकृत किये हैं हमने वह जिलाधीश की सिफारिश पर ही किये हैं लेकिन मैं चाहूंगा उसमें जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाय। हर जिले की अकाल राहत समिति गठित करने के शीघ्र ही आदेश दे रहा हूं ताकि जन प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्ताव हमारे सामने आयें और उस पर सरकार कार्यवाही कर सके।

श्री जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी, जो बस्सी से आते हैं, माननीय सदस्य....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो गये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह गये होंगे लेकिन उन्होंने एक मुद्दा यहां उठाया, और मुद्दा यह उठाया कि राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों में 50 प्रति. से 75 प्रतिशत गांव अभावग्रस्त घोषित किये और कुछ जिलों में ऐसे गांव बच गये हैं जो 50 से 75 प्रतिशत या 50 प्रतिशत खराब होने के बावजूद अभावग्रस्त घोषित नहीं किये हैं। यह जिले हैं—अजमेर के 80 गांव, बांसवाड़ा के 1036 गांव, जयपुर के 802 गांव, झालावाड़ के 534 गांव, सीकर के 230 गांव, टौंक के 756 गांव और उदयपुर के 330। यह गांव 50 प्रतिशत के खराबे के हैं। उन्होंने एक प्रश्न उठाया, वह नीति का प्रश्न है। क्या 50 प्रतिशत खराबे वाले गांवों को भी सरकार अभावग्रस्त घोषित करेगी या नहीं करेगी। मैं माननीय तिवाड़ी जी

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

को आश्वस्त करना चाहता हूं, राजस्थान के सात जिलों के 3771 गांवों को अभावग्रस्त की घोषणा करता हूं। यही नहीं अन्य जिलों की तरह समान सुविधाओं की स्वीकृति दी जायगी।

इसी तरह से....

एक माननीय सदस्य : वसूलियां भी करवा दो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बाड़मेर से आने वाले, गुडामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि पिछले वर्षों में जो अकाल था उस अकाल के वक्त की जो बकाया मजदूरी थी उस मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। उसका कारण नहीं बताया। विभिन्न एजेन्सियों के पास मस्टर रोल होने से उसका चुकारा नहीं हो पाया। मैं ऐसे समस्त जिलाधीशों से बकाया मजदूरी के आंकड़े प्राप्त करके इस बात का प्रयत्न करूंगा कि सारी बकाया को चुकाने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था कर दी जायगी।

रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया जिस तरह से केन्द्र ने फ्लड के लिये एक बोर्ड बना रखा है इसी तरह अकाल नियन्त्रण करने के लिये एक बोर्ड बनाने को भारत सरकार को सुझाव देना चाहिये। जहां तक उनके सुझाव का सवाल है, अच्छा सुझाव है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अपनी ओर से भेजने की कोशिश करेगी। राजस्थान सरकार और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि यह विपदा केवल राजस्थान की ही नहीं है, भारत सरकार को भी सहयोग करने के लिये आगे आना चाहिये। बोर्ड बने या केन्द्रीय सहायता के रूप में राशि मिले। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अधिक से अधिक राशि हमको मिले।

इसी प्रकार से श्री नाथूसिंह जी ने कहा, राजनैतिक आधार पर काम खोले जाते हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूं। अब तक जो काम हमने शुरू किये न दक्षिणी राजस्थान में, न पश्चिमी राजस्थान में, न पूर्वी राजस्थान में राजनैतिक आधार पर शुरू किये बल्कि जहां काम की आवश्यकता थी, जहां अकाल की विभीषिका थी, जहां लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता थी, वहां पर हमने काम खुलाने की स्वीकृति दी हैं। यह सब स्वीकृति जारी हो चुकी हैं। कहीं पर मानलो काम प्रारम्भ नहीं हुआ तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, सभी जिलाधीशों को निर्देश दे रहा हूं कि जहां की स्वीकृति जारी की है वहां पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर दें ताकि अभावग्रस्त लोगों को राहत मिल सके।

कई माननीय सदस्यों ने आज कई अन्य प्रश्न भी उठाये जो नीतिगत प्रश्न है। जहां तक 50 प्रतिशत खराबे वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने की बात है, मैं अपनी बात कह चुका हूं।

सहकारी कर्जे की वसूली के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां सवाल उठाये। मैं यह मानता हूं कि हमने करेंट रेवेन्यू की वसूली स्थगित की थी, अकालग्रस्त घोषित करने के साथ लेकिन जब लोगों की हालत चिंताजनक हो, हम अभावग्रस्त मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सहकारी समितियों की वसूलियां भी स्थगित करने के आदेश भी प्रसारित कर रहा हूं।

माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

की ओर दिलाना चाहता हूं कि सहकारी समितियों के जो शार्ट टर्म कर्जे मिलते हैं वे कर्जे तो जब किसी गांव को अभावग्रस्त घोषित करते हैं रिजर्व बैंक के आधार पर वह शार्ट टर्म कर्जे, मीडियम टर्म कर्जे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिये वसूली करने का प्रश्न नहीं होगा। लेकिन वसूलियों से लगता है कि पुराने बकायात की वसूलियां हैं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसे लोगों से ऐसी वसूलियां बन्द की जायं। अभाव की स्थिति है फिर भी राज्य सरकार द्वारा इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके जैसा कि मैंने निवेदन किया, शीघ्र से शीघ्र सहकारी समितियों की वसूलियों को स्थगित करने के आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक साल का कर रहे है या सारा ही ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब से कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कोआपरेटिव सोसाइटी के कर्जे के बारे में पिछली बार राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया शायद वह उनके ध्यान में होगा। यह पहला अवसर है कि राजस्थान सरकार ने हिम्मत से इस बात का फैसला किया कि जिन लोगों की सहकारी कर्जे की रकम मूल रकम के दुगनी हो गई थी या दुगनी से ज्यादा हो गई उनसे मूल रकम के बराबर ही ब्याज वसूल किया जायगा और अगर अधिक राशि होगी तो उसको राज्य सरकार माफ कर देगी। ऐसा फैसला इस राजस्थान सरकार ने किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें कौन सी हिम्मत की बात है, यह तो कानून है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पशुधन को बचाने के बारे में चिन्ता प्रकट की। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की योजना ढांढों को बचाने के लिये, दुधारू पशुओं को पोष्टिक आहार देने के लिये, चारे के लिये सब्सिड़ी देने की योजना है। इस संबंध में हमने जिलाधीशों को आदेश दिये हैं, आवंटित भी किये हैं, जो हमारी सोसाइटीज काम करती हैं उनके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि इस काम में कुछ खराबी हुई है तो वह आगे न हो। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पशुधन को बचाने के लिये जो भी आवश्यकता होगी, और सामग्री चारा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी वह समय पर निश्चित रूप से उनको उपलब्ध कराई जायगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों ने जो कुछ सुझाव दिये उनके संबंध में जो कुछ राज्य सरकार की ओर से मुझे निवेदन करना था मैंने निवेदन किया। मैं समझता हूं चाहे इस पक्ष के बैठने वाले सदस्य हों चाहे उस पक्ष में बैठने वाले सदस्य हों, इस प्रश्न पर हम मानवीय दृष्टि से विचार करें। इस अकाल की विभीषिका से जूझने के लिये हम सब मिलकर के काम करें ताकि राजस्थान को इस

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

दुखद घड़ी में इस परेशानी से उभार सकें उसके लिये आपके सहयोग के लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मानिकचन्द सुराना : एक क्लेरिफिकेशन, अध्यक्ष महोदय....,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।....

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : एक पूछेंगे तो सभी पूछेंगे। माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मानिकचन्द सुराना : इन्होंने लिफ्ट केनाल के ऊपर और पावर कट के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सारी बात कह दी। अकाल की समस्या से निपटने के लिये सबके सहयोग की अपेक्षा की है। इसलिये हम समझ सकते हैं गम्भीरता से लिया जा रहा है।

चर्चा समाप्त हुई।

अनुपूरक अनुदान की मांगें
मांग संख्या 7. निर्वाचन एवं मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य

मुख्य मंत्रीजी। मांग संख्या 7।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 50,22,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12 लाख 43 हजार रुपये तक की राशि और प्रदान की जाय।

मांग संख्या 7 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 7 मुख्य शीर्षक निर्वाचन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

(1) विधान सभा के चुनावों में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

(2) विधान सभा के चुनावों में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा)

(3) निर्वाचन विभाग द्वारा विधान सभा चुनावों में हुई अनियमितता को न रोक पाने में विभागीय विफलता के बारे में चर्चा के लिए।

श्री हंसराज (सूरतगढ़)
श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर)

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

(4) विधान सभा के निष्पक्ष व स्वच्छ निर्वाचन करवाने में सरकार की ओर से पैदा की गई बाधाओं पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम (लाडनूं)

(5) चुनाव के समय निर्वाचन विभाग के निदेशक के विरुद्ध। लाडनूं निर्वाचन क्षेत्र में अधीक्षण अभियन्ता जलदाय विभाग नागौर द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

(6) चुनाव व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(7) नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में नये मतदान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(8) विधान सभा चुनाव में बूथ-केपचर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(9) चुनाव विभाग के स्पष्ट निदेशों के विरुद्ध जयपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा चुनावों के समय जलदाय विभाग द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)
श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

(10) "चुनाव भय रहित वातावरण में कराये जायेंगे" इस घोषणा का भरतपुर में पालन न किये जाने पर चर्चा के लिये।

(11) निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाता बूथों की दूरी को कम की जाने संबंधी घोषणा का पालन न करने से उत्पन्न पर चर्चा स्थिति के लिये।

(12) निर्वाचन विभाग द्वारा जयपुर नगर में सन् 1985 के विधान सभा चुनावों में की गई शिकायतों पर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(13) मतदान केन्द्रों को सरकारी बिल्डिंगों के रहते हुए भी प्राइवेट संस्थानों में रखने से होने वाली धांधलियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर)

(14) विधान सभा के चुनावों में गड़बड़िया रोकने के संबंध में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(15) विधान सभा चुनाव निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिये व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19–मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल)

(1) सातवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रशासन स्तर सुधार के अधीन बनने वाले भवनों के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा न करवाये जाने पर चर्चा से लिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) कृषि भवन के निर्माण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा)

(3) विभागीय कार्यों में मजदूरों की मजदूरी कम देने, कार्यों की गुणवत्ता को महत्व न देने एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री हरजी राम (लाडनूं)

विभाग द्वारा क्षेत्र में प्राथमिकता वाले कार्यों पर कार्य न कराने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

(5) जयपुर नगर में विभाग द्वारा भवनों का निर्माण में उपेक्षा पर चर्चा के लिए।

(6) जयपुर नगर में पी.डब्ल्यू.डी. के भवनों की मरम्मत के अभाव से दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या व आशंका पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(7) जयपुर नगर के सही गुलाबी रंग के स्थान पर हिरमिच के कच्चे रंग से सरकारी भवनों की पुताई का जयपुर नगर की गुलाबी रंग की ख्याति को आघात पहुंचाने पर चर्चा के लिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

(8) राष्ट्रीय कार्य विस्तार परियोजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु चर्चा के लिए।

(9) कृषि भवन के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

(10) पुलिस चौकी तूंगा, जटवाडा, कोटखावदा के भवनों के निर्माण न करने पर चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (टोड़ारायसिंह)

टोडारायसिंह (टौंक) में नया पुलिस स्टेशन भवन निर्माण पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 7 व 19 पर विचार

श्री अध्यक्ष : इस मांग सम्बन्ध में 12 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को मैं मौका दे सकूं। जैसा आपको मालूम है साढ़े सात बजे मुख बन्द है और 8 मिनट पहले राज्य सरकार को जवाब देने के लिये समय देना होगा। उस समय में हमें इस बात को समाप्त करना होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव के सम्बन्ध में मांग संख्या 7 के बारे में मैंने एक कटौती प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि चुनाव के वक्त बहुत सी जगहों पर बूथ केपचरिंग और फर्जी वोटिंग करने की परम्परा कई मौकों पर देखने को मिली है। इस बारे में चुनाव के कानून में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। जहां पर मौके पर वोटिंग होता है, और जहां वोटिंग

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

एजेन्ट, दूसरी पार्टी के नहीं बैठें उस समय मैं माइनर वोटिंग और बहुत सी जगह वोटर लिस्ट के आधार पर बहुत से लोगों की फर्जी वोट देने की जो टेन्डेन्सी है उसको किस तरह कम किया जाय, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

दूसरा पोलिंग स्टेशन्स के निर्धारण के सम्बन्ध में निवेदन है, अभी हाल ही लोक सभा चुनावों और विधान सभा के चुनावों में हमने गांवों में देखा है कि वोटर्स को 7–7, 8–8 किलोमीटर से आना पड़ता है, कुछ स्थान ऐसे निर्धारित कर देते हैं । राज्य के नियमों के अनुसार वैसे तो कानून विभाग ने ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये हैं कि कोई मतदाता तीन किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर दूरी पर न जाय परन्तु वास्तव में हमने देखा है कि गांवों में तीन तीन पोलिंग स्टेशन को एक जगह निर्धारित किया है । गांवों में जगह जगह प्राथमिक पाठशालाये हैं जहां पोलिंग स्टेशन आसानी से कायम किये जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाता को तीन किलोमीटर या इससे ज्यादा 5 किलोमीटर तक की ही दूरी पर जाना पड़ेगा पर देखने में आया है कि बहुत सी जगह खर्चा भी अधिक होता है राज्य सरकार का और मतदाता को मत देने में बहुत कठिनाई उपस्थित होती है । इस बारे में चुनाव विभाग द्वारा विभिन्न पालिटिकल पार्टीज का सहयोग लेकर ऐसे आधार मुकर्रर किये जाने चाहिए ताकि मत दाताओं को कम से कम दूरी पर जाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा मतदान भी कर सकें । इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा लोक निर्माण के बारे में कटौती के दो प्रस्ताव हैं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कुछ भवन निर्माण जिलों में किये गये हैं, उनकी मरम्मत वगैरह के लिये प्रावधान सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के द्वारा मांगा है । कुछ जिलों के अन्दर खास कर पश्चिमी रेगिस्तानी जिले हैं उसमें पहले तो भवन निर्माण हुए ही बहुत कम हैं, जो होने की बहुत आवश्यकता है और जो भवन निर्माण हुए हैं उनमें मरम्मत के लिये बहुत कम पैसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, विशेषकर जालौर जिला, बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला, इन जिलों में कृषि भवन और विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत ज्यादा बजट अलोकेशन किया जाकर भवन बनाने की आवश्यकता है । वैसे तो भवनों का बहुत अभाव है, प्राइवेट तौर पर किराये के मकान मिल नहीं सकते हैं, जो भवन हैं वे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन हैं उनमें जो मरम्मत के लिये पैसे का अलोकेशन किया जाता है वह समान आधार पर न होकर बहुत ही पक्षपात तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग अलाट करता है । सिर्फ सफेदी कराकर छोड़ देते है । यहां तक कि बरसात में बहुत से भवन गिर जाते है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके जरिये से निवेदन है कि ऐसे भवन निर्माण में विशेष रूप से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तखमीना बनाकर समान रूप से बजट अलाट करें ताकि भवन क्षतिग्रस्त होने से बच सकें। मेरा यह निवेदन है कि इन भवनों को क्षतिग्रस्त होने से अवश्य बचाया जाय ताकि समय पर उपयोग किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार का ध्यान इन भवनों के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम।

श्री हरजी राम बुरड़क : मैं मांग संख्या 7 के बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : बिल्कुल संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमने सबसे ज्यादा कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। प्रायोरिटी के आधार पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। सबका आ जायगा। मैं कोशिश करूंगा सबको अकामोडेट करने की।

श्री हरजीराम बुरड़क : चुनाव घोषणा होने के बाद इलेक्शन कमीशन कुछ डाइरेक्शन्स राज्य सरकारों को करता है कि आप इस चुनाव के समय कोई नई घोषणायें नहीं करेंगे, कोई नये निर्माण कार्य नहीं करेंगे लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, नागौर जिले में पी.एच.ई.डी. ने किस तरह इलेक्शन कमीशन के आदेशों की अवहेलना की है उसकी आप किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवा सकते हैं। वहां के छोटे अधिकारियों ने मना कर दिया कि हम अनियमितता का काम नहीं करेंगे तो तत्कालीन पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर महोदय ने एक्स.ई.एन. को बुलाकर, डांट कर यह कहा, जैसा यह उम्मीदवार कहता है, उस हिसाब से आपको काम करना है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री हरजी राम बुरड़क : हां संक्षेप में बता रहा हूं, साहब। ऐसा आदेश दिया कि उम्मीदवार लिखकर देता है तो वहां आप पाइप लाईन डाल दें। यह आप जांच करवा सकते हैं। कागज सील करवा सकते हैं, अभी ए.ई.एन. ऑफिस में पड़े हैं। उम्मीदवार ने लिखकर दिया कि यहां पाइप लाइन डालनी है तो वहीं पाइप लाइन डाली गई है। न तो उसमें कोई स्कीम थी न कोई एक्स.ई.एन. और ए.ई.एन. की स्कीम पास की हुई थी। खुले आम इलेक्शन कमीशन के निर्देशों की अवहेलना करके काम हुए हैं। आज भी लोगों के घरों में पाइप पड़े हैं ये पाइप लगा लेना, हम आपके यहां घर लाकर रख देते हैं....

(व्यवधान)

एस.ई. ने ट्रकों की ट्रकें....

(व्यवधान)

इसलिये जिस अधिकारी ने ऐसे आदेशों की अवहेलना और घोर उपेक्षा की है, उनके

(श्री हरजीराम बुरड़क)

खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के आदेशों की पालना होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 7 के सम्बन्ध में मुझे यही निवेदन करना है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाला मतदाता सामान्यत: वह मतदाता है उनकी अपनी बात में आर्टीक्यूलेशन नहीं है। पिछले चुनावों में हमने देखा है कि चुनाव के परिणाम निकलने के बाद उस क्षेत्र, जहां पर कांग्रेस का मतदाता माइनोरिटी तथा विशिष्ट समाज वर्ग का कांग्रेस की रीति नीति में जुड़ा हुआ है, में चुनाव परिणाम निकलने के बाद उस मतदाता को....

श्री रामचन्द्र जाट : व्यवस्था का प्रश्न है।

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उन माननीय सदस्यों को तो अवसर नहीं दिया जा रहा है और जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किये हैं, उन्हें समय दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उन्हीं माननीय सदस्यो को पुकार रहा हूं जिनके कटौती प्रस्ताव मेरे समाने हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैंने पहले कह दिया आपको....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आम तौर पर इस सदन की यह व्यवस्था रही है कि जो भी माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वे सब प्रस्तुत किये हुए माने जाते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस बात की व्यवस्था करें। कुछ राजनैतिक दल, जिनकी अपनी राष्ट्रीय नीति है, की राष्ट्रीय नीति के आधार पर मतदाता जुड़ा हुआ है। कुछ राजनैतिक दलों के मतदाता जाति समीकरण के आधार पर जुड़े हुए हैं। जिनकी राष्ट्रीय नीति नहीं है, जाति समीकरण के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को खड़ा कर देती है। ऐसी जगह चुनाव परिणाम के बाद मतदाता निर्भीक होकर दुबारा मतदान कर सके, इस बात की व्यवस्था करना बहुत लाजिमी है यह व्यवस्था आपको चुनाव के समय में करना बहुत आवश्यक है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम मतदाता को परिचय पत्र इश्यू नहीं करेंगे तब तक हम फाउल मतदान को रोक नहीं पायेंगे। इसलिए इस बारे में भी हमको घोषणा करनी चाहिए।

तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, विनम्र शब्दों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं राजस्थान विधान सभा के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : कि इस विधान सभा चुनाव के अन्दर केवल मात्र पांच डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा के बाद ज्यादा मतदान हुआ। ज्यादा मतदान हुआ उन जगह पर हुआ जहां पर एक जाति विशेष के आदमी ज्यादा रहते थे....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात का भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मतदान किस तरह बढ़ जाता है। जहां पर एक जगह पर 70 से 80 प्रतिशत मतदान होता हो ऐसी जगह पर भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग यदि ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता है तो निर्भय मत की हम अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं बनती है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। समाप्त करें कृपया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, वह जाति कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा चुनाव में खुद मुक्त भोगी हैं। मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं कहना है कि उनके निर्वाचन में क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : यह लोक सभा के अध्यक्ष भी जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात विशेष कहना चाहता हूं कि राजस्थान एक पूअर स्टेट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : पूअर स्टेट राजस्थान में जो लोग जो अपना राजनैतिक मतदान करना चाहते हैं ऐसे लोग मतदान के लिए दोबारा मतदान करने नहीं जावें, यह व्यवस्था यदि हम नहीं कर पायेंगे तो सही लोकतन्त्र राजस्थान में नहीं हो पायगा। यह भी आवश्यक है !

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोहरायें नहीं।

श्री सी. पी. जोशी : दूसरी मांग जो हमारी लोक निर्माण पर है उसके सम्बन्ध में मुझे एक ही निवेदन करना है....

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रोस्पैक्टिव जो प्लान बनाया रोड्स का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी जोशी : उसमें एक चीज पर, अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो पी. डब्ल्यू. डी. की टैक्नोलोजी है उस टैक्नोलोजी में परि-

(श्री सी. पी. जोशी)

परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जैसा मैंने पी यू. सी. में भी कहा, रेगिस्तान की समस्या सड़क की अलग है और जो पहाड़ी इलाका है उसकी सड़क की व्यवस्था अलग है। हम पक्की सड़क नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे पहाड़ी इलाके में चाहे अकाल राहत के काम चलते हों, चाहे विभाग के काम चलते हों, वहां पी. डब्ल्यू. डी. ब्लास्ट करने के लिए मशीन की व्यवस्था नहीं कर पाता। इसलिए लाखों करोड़ों रुपये हम खर्च करने के बाद भी पहाड़ी इलाके में रोड की व्यवस्था नहीं कर सकते....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए यह आवश्यकता है सबसे पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहाड़ी इलाके के अन्दर कम से कम हम मकानात में काम शुरू करायें, डिपार्टमेन्ट के काम शुरू करायें....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सी. पी. जोशी : रोड्स पक्की बनायें उससे पहले उससे भी आवश्यक यह है कि ब्लास्ट करने की स्वीकृति सबसे पहले हम देने का कष्ट करें। उसके बाद न्याय हो पायगा। लोक निर्माण में, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री सी. पी. जोशी : एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सी. पी. जोशी : कि जिस विधान सभा क्षेत्र में....

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण के कटौती प्रस्तावों में इनका नाम ही नहीं है। कटौती प्रस्ताव का तो उल्लेख ही नहीं है जो यहां पर यह....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सार्वजनिक निर्माण से मतलब है उनका।

श्री सी. पी. जोशी : आपको नहीं मिला तो मेरी गलती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र जाट : जो सूची दी है कटौती प्रस्तावों की, सी. पी. जोशी का नाम इस मांग संख्या 19 कटौती प्रस्तावों में नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री सी. पी. जोशी : आपको तकलीफ क्या हो रही है ?

श्री रामचन्द्र जाट : आपको अधिकार ही नहीं है बोलने का।

श्री अध्यक्ष : यह समय ले रहे हैं। आप इतनी देर में बहुत कुछ तो कह चुके हैं।

श्री सी. पी. जोशी : कि जो हम सैक्शन कर रहे हैं उसमें किस विधान सभा क्षेत्र में या किस पंचायत समिति में कितने पंचायत मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं उसको आधार बनाया जाय। पंचायत समिति अभी कुछ पक्की सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है और कुछ पंचायतें ज्यादा जुड़ी हुई हैं। यह प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करना चाहिए। आप नहीं सुनना चाहते।

(श्री सी. पी. जोशी)

आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी !

श्री रामपाल उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो निर्वाचन कार्य सम्पादित हुआ है, उसकी भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि चाहे 1980 से 1985 तक हमारे 21 लाख मतदाता बढ़ गये हों, चाहे हमारे मतदान केन्द्रों की संख्या 22050 से बढ़कर 26208 हो गयी हो, 26218 हो गयी हो और चाहे हमारा निर्वाचन सम्पूर्ण प्रदेश में एक दिन में सम्पादित किया गया हो, कुल मिलाकर सारे शान्ति पूर्वक और विधिवत् निर्वाचन सम्पादित हुए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें अपने कटौती प्रस्तावों के तहत कही हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया के अधीन 45 दिनों में इलेक्शन पिटीशन का प्रावधान है, इसलिए मैं इसको उचित नहीं समझता सरकार की ओर से कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी निर्वाचन विशेष के बारे में कोई विशिष्ट बातों का उल्लेख किया जाय। मोटे तौर से, सैद्धान्तिक रूप से जिस प्रकार का निर्वाचन कार्य सम्पादित हुआ है, मैं समझता हूं उससे कुल मिलाकर राजस्थान में काफी संतोष है।

मैं अन्तिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ नयी घोषणाएं और नये निर्माण कार्यों का उल्लेख किया है। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि निर्वाचन का मतलब यह नहीं है कि निरन्तर संचालित कामधाम या प्रक्रियाओं को समाप्त कर दिया जाय। जो काम है वह तो अपने रूटीन में होते रहते हैं। मैं समझता हूं ऐसा ही हुआ होगा।

मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य ने परिचय पत्र, मतदान के परिचय पत्र की बात कही है। वैसे यह बात स्वागत योग्य है। प्रजातन्त्र के अन्दर मतदान निर्भीकता से करने का अधिकार दिये जाने का सरकार का सतत प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सैन्ट्रल एक्ट होने के नाते और राजस्थान प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है ऐसी परिस्थिति में एक वित्तीय भार को देखते हुए यह मामला हमारे विचाराधीन है।

कुल मिलाकर सभी राजनैतिक दलों ने अपने इलैक्शन एजेन्टों के जरिये, अपने निर्वाचन एजेन्टों के जरिये और अपने काउन्टिंग एजेन्टों के जरिये कुल मिलाकर के जो शान्ति का कार्य किया है, मैं समझता हूं कि सरकार को इसके बारे में निर्वाचन आयोग से जो प्रशंसा प्राप्त हुई है, मैं समझता हूं राजस्थान की सारी जनता के लिए और राजस्थान के सभी दलों के लिए, राजनैतिक दलों के लिए यह सारी बात वरेण्य है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी !

एक माननीय सदस्य : बोल लिये आप तो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ठीक है सब कुछ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कटौती प्रस्ताव पर पहले मतदान करना होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस सदन की व्यवस्थाएं हैं। माननीय सदस्य, आप तो इस चेयर पर बैठे हैं। इस आसन को आपने सुशोभित किया है, इस सदन की अपनी व्यवस्थाएं हैं। जो मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो यह माना जाता कि कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये या वापस ले लिये गये। सदन की व्यवस्था है, माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य : आपने स्वयं दी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चाहे तो मैं पढ़कर सुना दूं।

मांग संख्या 7 एवं 19 का पारण

मांगों पर मतदान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,50,22,000/- (रुपये दो करोड़, पचास लाख, बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, राज्यपाल महोदय को 12,43,000/- (रुपये बारह लाख तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अनुपूरक अनुदान (1984–85) की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या एक राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,27,000/- (रुपये एक लाख सत्ताइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 मन्त्रिपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,43,000/– रुपये (रुपये दो लाख तियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में लिये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 34,64,000/- (रुपये चौंतीस लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 92,98,000/- (रुपये बानवे लाख अठानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,00,000/- रुपये (रुपये सोलह लाख) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,13,000/- रुपये (रुपये पिचहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000/- रुपये (रुपये एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–10 विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 76,000/- रुपये (रुपये छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11–विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,68,000/- (रुपये छत्तीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23,33,000/- रुपये (रुपये तेईस लाख तेंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,15,000/- रुपये (रुपये उन्तीस लाख पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,45,00,000/- रुपये (रुपये पांच करोड़ पैंतालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,44,74,000/- रुपये (रुपये दो करोड़ चौवालीस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,69,000/- रुपये (रुपये सैंतीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,25,000/- रुपयें (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,91,08,000/- रुपये (रुपये दो करोड़ इकानवे लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़क एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,24,75,000/- रु. (नौ करोड़ चौबीस लाख पिचेहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,70,00,000/- (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,65,18,000/- रु. (रुपये चार करोड़ पैंसठ लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,15,90,000/- रुपये (रुपये उन्नीस करोड पन्द्रह लाख नव्वे हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या–25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,52,000/- रुपये (रुपयें सोलह लाख वावन हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य ग्रौर सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,34,00,000/- रुपये (रुपये एक करोड़ चौतीस लाख) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–27

प्रश्न वह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या–27 पेय जल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 31,79,87,000/- रुपये (रुपये इकत्तीस करोड़ उन्यासी लाख सित्यासी हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या–28 सूखा ग्राशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,00,000/- रुपये (रुपये पचास लाख) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि ग्रनुपूरक ग्रनुदान की मांग संख्या–29 नगर ग्रायोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,76,59,000/- रुपये (रुपये एक करोड छिहत्तर लाख उनसठ हजार) तक की राशि ग्रौर प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 30 जन जाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85,85,000/- (रुपये पिचासी लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 31 पुनर्वास एवं सहायता के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,13,000/- (रुपये दस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,72,000/- (रुपये इक्कीस लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,97,42,000/- (रुपये तीन करोड़ सत्तानवें लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,96,76,000/- (रुपये दो करोड़ छियानवें लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,000/- (रुपये आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,48,50,000/- (रुपये आठ करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,41,79,000/- (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,88,72,000/- (रुपये दो करोड़ अठयासी लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,91,25,000/- (रुपये एक करोड़ इकानवें लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,77,14,000/- (रुपये एक करोड़ सतहत्तर लाख चौदह हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,95,000 - (रुपये तेरह

(श्री अध्यक्ष)

लाख पिचानवें हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,000/– (रुपया तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 44

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,33,53,000/– (रुपये दो करोड़ तेतीस लाख तरेपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,00,000/– (रु. उन्नीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,76,60,000/– (रु. दो करोड़ छिहत्तर लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,25,000/– (रुपये उनतालीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 48 विद्युत् के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-

(श्री अध्यक्ष) दय को 1,000/– (रु. एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 49

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग सं. 49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000/– (रुपये दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985

मुख्य मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1985 पारित किया गया।

लेखानुदान प्रस्ताव

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 1985–86 के विवरण में मांग संख्या 1 से 49 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक, जिनका योग 6,72,82,22,000/– (छः

(श्री हरिदेव जोशी)

सौ बहत्तर करोड़ बियासी लाख बाइस हजार रुपये) मात्र हैं, व्यय के लिये अनुदत्त कर दी जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता-प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण देंगे, मुख्य मंत्रीजी बता दें कि वोट ओन अकाउन्ट यह जो 672 करोड़ रुपये का विनियोग विधेयक है उतना ही होगा या कमोबेश होगा।

श्री हरिदेव जोशी : विनियोग विधेयक वोट ओन अकाउन्ट तो यही है। जो विनियोग विधेयक है वह यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर विनियोग विधेयक संख्या 2 क्या है ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग है; उसका अलग प्रस्ताव होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह है क्या चीज ?

वोट ऑन अकाउन्ट के लिए जो प्रस्ताव रखा है, क्या इस प्रस्ताव के बाद में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ? यदि आवश्यकता है तो क्या विनियोग में जो रकम बतायी गयी है, वह रकम इसमें दिखायी गयी है, क्या इससे ज्यादा बतायी गयी है ?

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, विनियोग विधेयक जो है वह तो पूरा होगा मगर यह जो वोट ऑन अकाउन्ट है वह इतने का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, पूरा कैसे होगा ? पूरे बजट का नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : ज्यादा हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा कैसे हो सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : क्योंकि अनुमान जो है वह ज्यादा के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनुमान तो आपने वोट ऑन अकाउन्ट जितने पर करायेंगे उससे ज्यादा विनियोग विधेयक कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब जानते हैं विनियोग विधेयक में तो चार्ज्ड एण्ड अनचार्ज्ड दोनों अमाउन्ट आयेंगे। यह जो डिमाण्ड पास की है वह डिमाण्ड तो चार्ज्ड की पास की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिमाण्ड का सवाल ही नहीं है, इसमें कहां डिमाण्ड आ गयी ? इसमें कहीं डिमाण्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वोट ऑन अकाउन्ट जो ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें तो वोट ऑन अकाउन्ट है that includes charged & vo'ed वह अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : चार्ज्ड और वोटेड दोनों ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों ही हैं। मैं यही जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : विनियोग विधेयक जो होगा वह तो ज्यादा ही होगा इससे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, वह कैसे होगा ज्यादा। वोट ऑन अकाउन्ट की जितनी स्वीकृति लेंगे उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन बिल में अमाउन्ट कैसे दिखाया जायगा।

श्री हरिदेव जोशी : जो मेरी सूचना है उसके अनुसार जो चार्ज्ड है वह इससे अलग है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितना है वह ?

श्री हरिदेव जोशी : 672 करोड़ 82 लाख 22 हजार रुपये है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह तो वोटेड है।

श्री हरिदेव जोशी : वोटेड है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : चार्ज्ड कितना है ?

श्री हरिदेव जोशी : 270 करोड़।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितना ?

श्री अध्यक्ष : 270 करोड़।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिर यह तो टोटल नहीं होता, टोटल गलत होता है।

श्री हरिदेव जोशी : I am sorry. विनियोग विधेयक तो चार्ज्ड और अनचार्ज्ड दोनों मिला करके है। मगर जो वोटेड अमाउन्ट है जो मैंने आपको पढ़ कर वह सुनाया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि वोट ऑन अकाउन्ट में जो चार्ज्ड मनी है क्या उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए ?

श्री हरिदेव जोशी : जो हमने मांगा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने नहीं मांगा, मैं कह रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : हमने जो मांगा, वह यह है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो चार्ज्ड है क्या वह वोट ऑन अकाउन्ट में शामिल नहीं होता है।

श्री हरिदेव जोशी : जो हमने मांगा है वह वोटेड है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो आपने मांगा है वह तो देख लिया हमने, और हम देख भी लेंगे, यह गारन्टी मैं आपको देता हूं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, बिराजें।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा।

मैं यह समझता हूं कि विनियोग विधेयक और वोट ऑन अकाउन्ट और वोट ऑन अकाउन्ट पर जो आप मांगते हैं for four months जैसा आपने बताया है, उसमें जो अमाउन्ट होगा और विनियोग विधेयक में जो अमाउन्ट होगा चार्ज्ड अमाउन्ट, जिसमें वोट ही नहीं होगा, उसमें कैसे शामिल होगा ? ये तो वोटेड अमाउन्ट आयेगा, असेम्बली को तो वोट करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन तो करना होगा, चार्ज्ड हो या वोटेड हो।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक जो मैंने अभी यहां रखा है, उसमें वोट ऑन एकाउन्ट ही है। क्योंकि चार्ज्ड अमाउन्ट के लिए वोटिंग ही नहीं होता है, इसलिए उसको इसके अन्दर इन्क्लूड नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय ! मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लेखानुदान की मांग की है जिसमें लिखा है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में लेखानुदान 1985-86 के विवरण में मांग संख्या 1 से 49 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक, जिसका उपयोग 672 करोड़ सो एण्ड सो रुपये मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जाये। एक क्वेश्चन है। अब यह तो आ गया वोट ऑन अकाउन्ट। मैं यह जानना चाहता हूं कि वोट ऑन अकाउन्ट के अन्दर जो आइटम चार्ज्ड है जिन पर इस सदन का वोट नहीं हो रहा है क्या वो इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो इसमें शामिल नहीं होता, माननीय सदस्य। इसलिए कह रहा हूं कि यह प्रस्ताव है जिसमें वोट हो सकता है। विनियोग विधेयक जब आयेगा तब यह शामिल होगा चार्ज्ड अमाउन्ट, क्योंकि टोटल अमाउन्ट देना पड़ेगा। यह जो वोट ऑन अकाउन्ट में ले रहे हैं इसमें चार्ज्ड अमाउन्ट इसलिए नहीं है क्योंकि विधान सभा को वोट नहीं करना है। इसलिए इसमें वो ही अमाउन्ट है जिसे वोट करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक में चार्ज्ड अमाउन्ट आता है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आयगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस पर भी वोट होता है तो उस पर वोट कैसे होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मगर उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : उसमें डिफरेंट कालम्स हैं—चार्ज्ड, एण्ड वोटेड।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक में जैसा आपने लिखा है, यह विनियोग विधेयक आप पेश कर रहे हैं उसके बाद में लिखा है, "राज्य की समेकित निधि में से विविध व्यय करने से निर्मित, जो वर्ष 1985-86 में अनुसूची के स्कम्भ एक में निर्दिष्ट सेवाओं के बारे में भुगतान के दौरान सामने आयेंगे, ऐसी राशि भुगताई व काम में लायी जा सकेगी जो अनुसूची के स्कम्भ–दो में दी हुई राशियों से अधिक नहीं होगी और कुल मिलाकर 1943 करोड़ 40 लाख 48 हजार रुपये मात्र होगी।" तो क्या यह मानकर चलूं कि इसमें चार्ज्ड अमाउन्ट नहीं है। और है तो फिर....

श्री हरिदेव जोशी : चार्ज्ड अमाउन्ट जो है अलग दिखाया गया है मगर उसके ऊपर वोटिंग नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक तो दोनों मिला कर होता है। 643 करोड़ रुपया दत्तमत है, माने वोटेड है, 270 करोड़ चार्ज्ड है, कुल मिला

(श्री हरिदेव जोशी)

कर 943 करोड़ और कुछ लाख रुपया जो है यह तो टोटल अमाउन्ट है। मगर उसका वोटिंग होता है वह केवल वोटेड अमाउन्ट पर होता है इसलिये उस पर वोट मांगा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न केवल प्रस्ताव का नहीं है। देखिये, डिमांड्स उनकी रखीं, उन पर डिस्कशन जरूर हो सकता है। लेकिन Demands are not put to vote. यह तो क्वेश्चन आया उस अमाउन्ट का, जो चार्ज्ड है। लेकिन दूसरे अमाउण्ट की डिमाण्ड्स भी रखी जा सकती है। और प्रत्येक डिमाण्ड पर वोटिंग होता है। क्वेश्चन है एप्रोप्रियेशन बिल का। एप्रोप्रियेशन बिल में दोनों चीजे हैं—दत्तमत भी है और प्रदत्त भी है। शायद प्रदत्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : दोनों हैं एप्रोप्रियेशन बिल में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों हैं तो वोट तो हुआ ना एप्रोप्रियेशन बिल पर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इसी से समझें। जनरल बजट में भी, जैसा आपको खयाल है, डिमाण्ड्स के ऊपर वोट होता है। डिमाण्ड्स पर जो वोट होता है उसमें वोटेड अमाउन्ट ही आता है, चार्ज्ड अमाउण्ट नहीं, आता। विनियोग विधेयक जब पेश होता है तब आता है। यह प्रस्ताव जो आ रहा है, यह प्रस्ताव ठीक उसी प्रकार से है as if we are voting on demands.

माननीय सदस्य, कृपया सुनें।

As if we are voting on demands. जनरल बजट के बाद डिमाण्ड पर वोट होने के बाद वह तो यह हुआ, जैसा आपने बताया, इसमें डिमाण्ड्स नहीं होती। डिमाण्ड्स की जगह पर यह प्रस्ताव है। अब इस प्रस्ताव पर वोट होगा, उसके बाद विनियोग विधेयक आयेगा, एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा। उस एप्रोप्रियेशन बिल में, जैसे कि जनरल बजट में भी एप्रोप्रियेशन बिल में चार्ज्ड एण्ड वोटेड दोनों अमाउन्ट्स आते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब इसमें विनियोग विधेयक आयेगा उसमें यह दोनों अमाउण्ट आ जायेंगे।

मुख्य मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी : मैंने प्रस्ताव कर दिया।

श्री अध्यक्ष : एक बार फिर कर दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लेखानुदान 1985–86 के विवरण के मांग संख्या 1 से 49 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग 672 करोड़ 82 लाख 22 हजार रुपये मात्र है, व्यय के लिये अनुदान कर दी जायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक रात्रि 7.59 बजे, बृहस्पतिवार दिनांक 28 मार्च, 1985 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 46 का विवरण)

परिशिष्ट–क

दिनांक 21 फरवरी, 1985 को कस्बा डीग में हुई पुलिस फायरिंग में निम्नांकित व्यक्तियों की मृत्यु हुई :—

(1) श्री मानसिंह

(2) श्री सुमेर सिंह

(3) श्री हरिसिंह

मृतक श्री सुमेरसिंह एवं श्री हरिसिंह के परिवार के सदस्यों में से एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्त कर दिया गया है ।

परिशिष्ट–ख

D. No. 2265 दिनांक 23.2.85 FIR No. 38/85

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
भरतपुर ।

मान्यवर,

निवेदन है, कि दिनांक 21-2-85 को दिन के करीब 12–12½ बजे की बात है, राजा मानसिंह जी अपने चुनाव प्रचार के सिलसिले में कस्बा डीग में पूर्व नियोजित मीटिंग करने अपने विपिन कैरियर में बैठकर पुस्तकालय की ओर से लक्ष्मन मन्दिर की तरफ जा रहे थे । उनके साथ विपिन कैरियर में, मैं, राजा साहब का दामाद व कार्यकर्ता एवं भजन मण्डली के लोग ठाकुर हरीसिंह व सुमेरसिंह जी, मलखान सिंह अरोदा के, विजयसिंह जनूथर के, मिटठनसिंह भरतपुर के, फूलसिंह भारकई के, बाबू ढोलक वाला, बच्चू सिनसिनी का, नवाब सिंह राठौड़ी के व अन्य आदमी बैठे हुये थे ।

रास्ते में अनाज मण्डी में श्री कानसिंह भाटी, डिप्टी एस.पी. व अन्य काफी पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मचारी जो लगभग 40–50 की संख्या में थे, एक राय व मशवरा करके राजा साहब को जान से मारने के इरादे से बन्दूकों, रिवाल्वरों से सुसज्जित होकर के मिले । अन्य पुलिस कर्मचारियों को मैं नाम से नहीं जानता हूं, सामने आने पर शक्ल से पहचान सकता हूं ।

जैसे ही राजा साहब अनाज की मण्डी में पहुंचे तो पुलिस वालों ने एक गाड़ी राजा साहब की गाड़ी के आगे अड़ा दी व राजा साहब के विपिन कैरियर को चारों ओर से घेर लिया उसके बाद कानसिंह भाटी ने राजा साहब की गाड़ी के टायरों में गोली मारकर नष्ट कर दिये व उसके बाद कानसिंह भाटी व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने हमारे ऊपर अन्धाधुंध बन्दूकों व रिवाल्वरों से फायर करना शुरू कर दिया। सर्व प्रथम गोली कानसिंह भाटी ने चलाई थी जो राजा मानसिंह के सिर में लगी व अन्य गोलियां जो भाटी तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों ने चलाई वह राजा साहब व विपिन कैरियर में बैठे ठाकुर हरीसिंह व ठाकुर सुमेर सिंह के लगी जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी। जब राजा साहब के गोली लगने के कारण मुंह में से खून निकल आया तो मैं एकदम गाड़ी में नीचे सर करके झुक गया जिसके कारण बन्दूकों की गोली मेरे दोनों कानों के बगल में होकर निकल गई और मैं बाल बाल बचा। राजा साहब की गाड़ी में बैठे अन्य आदमी राजा साहब में गोली लगने के बाद भागने लगे जिनमें से 2-3 आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले गई और पुलिस ने काफी अन्धाधुंध फायर करके डीग की जनता को बुरी तरह से आतंकित कर दिया था जिसकी वजह से डीग का कोई आदमी हमें बचाने गाड़ी तक नहीं जा सके, सिर्फ दुकानों में बैठकर दुःखी होते रहे। पुलिस की गोलियों से घटना स्थल पर ही राजा साहब, ठाकुर हरीसिंह जी व ठाकुर सुमेरसिंह जी का स्वर्गवास हो गया। मुझको भी पुलिस वालों ने मरा समझा था लेकिन अब उन तीनों के शवों के साथ मुझको भी पुलिस वालों ने उठाया तो पुलिस वालों को मुझे जिन्दा समझकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर बन्दूक की बटों से मेरी बुरी तरह पिटाई की। उसके बाद पुलिस मुझे पकड़ कर थाना पर ले गयी व उक्त तीनों के शवों को पुलिस वाले ले गये। हमारे अलावा मौके पर काफी आदमी इकट्ठे हो गये थे जिनमें कुंवरसेन जी प्रधान। डीग व श्री कुन्दन सिंह एडवोकेट भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से सारा वाकया देखा है।

उक्त सारा कार्य डिप्टी एस. पी भाटी ने, उसके साथियों ने, राजस्थान सरकार के उच्च पदाधिकारियों की पूर्व नियोजित साजिश के आधार पर किया है।

मुझे पुलिस वालों ने कल सुबह छोड़ा। उसके बाद मैं राजा साहब व अन्य मृतकों की शव यात्रा में गया था। उसके बाद उनके दाह संस्कार में व्यस्त रहा था। उसके बाद मैं रिपोर्ट करने थाना डीग गया तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट लेने से इन्कार कर दिया। इसलिये श्रीमान् के समक्ष यह रिपोर्ट जरिये रजिस्ट्री भेजी जा रही है। कानूनी कार्यवाही की जाये।

दिनांक 23–2–1985

प्रार्थी

(विजयसिंह) पुत्र श्री भोपाल सिंह,
जाति–जाट,
निवासी ग्राम–सीही, पो.आ. सैदपुर,
जिला बुलन्दशहर, (उत्तर प्रदेश),
हॉल–मोतीझील, भरतपुर, (राज०)।

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, भरतपुर।
4. एस. एच. ओ. थाना डीग।

(विजय सिंह)

परिशिष्ठ–ग

FIR No. 34/85

अभियोग सं. 34, दिनांक 20–2–85, धारा 307, 147, 149, 427 ता. हि. थाना डीग, जिला भरतपुर–प्रथम सूचना रिपोर्ट।

श्रीमान् थानेदार साहब, थाना डीग। सविनय निवेदन है कि डीग विधान सभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्री बृजेन्द्रसिंह जी, कांग्रेस आई के समर्थन में डीग लक्ष्मणजी के मंदिर के सामने आज करीब एक बजे दिन मीटिंग चल रही थी। आज की मीटिंग में श्री बृजकिशोर जी गुप्ता लोह भाषण कर रहे थे तथा मंच पर श्योवरसिंह जी, रिटायर्ड एक्साईज ऑफिसर, निवासी ग्राम बठेरा, श्री रामभरोसी जी, बाबूलालजी मुल्ला तथा अन्य काफी कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैठे हुये थे तथा मैं भी मंच पर ही बैठा हुआ था। उस समय बराबर डीग की तरफ से एक वैपन केरियर में विपक्षी निर्दलीय उम्मीदवार श्री राजा मानसिंह जी तथा उनके साथ दस पन्द्रह आदमी और बैठे थे तथा उसके पीछे एक जोगा में भी और आदमी भरे हुये थे आये और वैपन कैरियर जिसको श्री राजा मानसिंह जी ड्राईविंग कर रहे थे, ने। आते ही मंच के सामने लगे हुये बेरीकेटिंग बल्लियों का था उसको अपने वैपन कैरियर से टक्कर मारी जिससे बेरीकेटिंग बल्लियां टूट गई। इसके बाद फिर अपने वैपन कैरियर को बैक करके सभा मंच पर बैठे व्यक्तियों को जान से मारने की नीयत से वैपन कैरियर से टक्कर मारी जिससे काफी तख्त टूट गये तथा वैपन कैरियर को बैक करके फिर वैपन कैरियर से तीसरी बार टक्कर मारी जिससे सारा मंच टूट गया तथा तथा लाउड स्पीकर तथा उसकी बैटरी भी टूट गई तथा लाऊड स्पीकर सैट भी सभा मंच से नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार करीब सभा मंच का तीन हजार रु का नुकसान हो गया है। थानेदारजी, डीग जब पहुंचे तो वैपन कैरिर लेकर श्री राजा मानसिंह जी चले गये। रिपोर्ट पेश है। कानूनी कार्यवाही की जाये। प्रार्थी—विशम्भर नाथ साहनी अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी (आई), डीग, दिनांक 20–2–85 एस.डी 1–विशम्भर नाथ साहनी

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री बिशम्बर नाथ साहनी पुत्र श्री उत्तमनाथ साहनी, निवासी मोह० डीग, थाना डीग ने मुझ वीरेन्द्रसिंह एस. आई., एच. ओ., डीग को बमुकाम लक्ष्मण मंदिर के सामने सदर बाजार डीग में पेश की । मजमून रिपोर्ट से मामला 307 आई. पी. सी. का वकू में आना पाया जाता है । अत: वास्ते कार्यवाही जुर्म असल तहरीर बहस्त कानि० श्री हीरासिंह, नं० 224 के थाना डीग भेजी जाती है । जुर्म नं० से सूचित किया जावे । मन एस. एच. ओ. मसरुफ तफतीश हूं । एस डी/- वीरेन्द्रसिंह एस. आई. । एस. एच. ओ. पी. एस. डीग, एस डी/- विशम्भर नाथ साहनी ।

नोट:—उपरोक्त मजमून की तहरीरी रिपोर्ट श्री हीरासिंह, एल सी, नं० 324, थाना डीग ने लाकर पेश की, जिसकी नकल उक्त में अक्षरश: की गई, जिस पर मु० नं० 34/85 धारा 307, 427, 147, 149 आई. पी. सी. कायम किया जाकर असल तहरीर अग्रिम तफतीश हेतु हमराह कानि० के मौके पर रवाना की गई । एस. एच. ओ. साहब पहले से ही मौके पर मशरुफ तफतीश हैं । प्रतियां एफ. आई. आर. नियमानुसार जारी की गई । एस. डी. हीरासिंह, एस. डी./- हरिकिशन एच. सी. आई./सी. डीग 20-2-85 ।

परिशिष्ट 'घ'

FIR No 35/85

Sq. fd. D. S, Suri (Retircd) E. 31 Majid moth New Delhi-110048, 20th February 1985, To the SHO, Deeg (Distt.) Bharatpur, Rajasthan. Dear Sir, I hereby submit the following FIR the barour of your action I am employed of by M/S Manick ji Aviation (P) Ltd., Juhu Airport, Bombay for flying as a pilat for the Chief Minister of Rajasthan for the duration of election compaign for Vidhan Sabha election. At 1.10 P.M. today, I landed with the Chief Minister at deeg school ground halipad. The Chief Minister left for his meeting and I suitehed of the machine. I sat down in the cock pit in wait for the chief minister. At about 1.15 P. M. I saw an open military truck approching the helicoptor speedily. I was sitting the pilat seat, I shouted at the driver of the vehicle to stop but he kept on comming towards me in order to kill me. He finally hit the helicoptor with the right front side of his truck. I was thrown a side with a highjerk It appeared that the driver wanted to kill me. But with the jerk I was throwon away. The vehicle was driven by a man of about 60 years clean shaved, wearing a blue berret cap and green Jarken. The vehicle was also having a yellow

flag with green strips there were about 10 persons also sitting in the vehicle. It had a red 'Bharatpur' written on the front the vehicle after bitting went away. I shouted at the policeman and asked them about the identify at the driver. I was told that driver was Raja Man Singh. At the time of this harring the following police man ware on duty around the halicoptor, 1. ASI Shita Ram 2. Sh. Kishori Lal 3. Kuldeep 4. Sh. Sukh Ram 5. Bijay Singh 6. Mohon Lal 7. Soddha Ram 8. Mahendra pal 9. Panna Lal 10. Sh. Mohan Ram 11. Sh. Bhan Singh and a few other police men. The halicoptor had been damaged heavily. The estimated damage is about 4 lacs. We request you to kindly to the needful. yours faithfully. Sd. D. S. Suri.

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट श्री डी०एस०सूरी पुत्र श्री बलदेवसिंह सूरी नि०ई० 31 मस्जिद मोड, न्यू देहली हाल मुलाजिम मानक की अवीऐशन प्राइवेट लिमिटेड जूहू एयर पोर्ट बम्बई ने व मुकाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डीग मुझ वीरेन्द्रसिंह उ०नि० एस०एच०ओ०पी०एस० डीग के समक्ष पेश की। मजमून सूचना से जुर्म धारा 307 भा० द०सं० का वकू में आना पाया जाता है। अतः असल तहरीर व हस्ब कानि० कानि० शेरसिंह 567 के वास्ते कायमी जुर्म खना थाना डीग की गई। मन एसएचओ मसरूफ तफतीश हूं। नम्बर मुझ से सूचना दी जावे। एसडी वीरेन्द्रसिंह एसएचओ पीएस डीग 20–2–85 एसडी–डी०एस०सूरी।

नोट उपरोक्त मजमून की तहरीरी रिपोर्ट श्री शेरसिंह कानि० 567 ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसको नकल वाद में अक्षरशः की गई। जिस पर मु०नं० 35/85 धारा 147/307/149/427 ता०हू० का कायम असल तहरीर वदस्त आमदा कानि० शेरसिंह 567 के अग्रिम तफतीश हेतु घटना स्थल पर रवाना की गई। एस०एच०ओ०सा० पहले से ही मसरूफ तफतीश हैं। प्रतियां एफ०आई०आर० नियमानुसार जारी की गई। एसडी 1–हरिकिशन है० का० आई सी पी एस थाना डीग 20–2–85 एसडी /-डी०एस० सूरी।

परिशिष्ट "ङ"

दिनांक 24–2–85 को पुलिस द्वारा गोली चलायें जाने से भरतपुर शहर एवं कस्बा डीग में मृत/घायल व्यक्तियों की सूची/विवरण :

भरतपुर शहर–मृतक–1

(1) श्री सतीश पुत्र भगवानदास नि० बजरिया, स्टेशन रोड, भरतपुर।

घायल–13

(1) श्री कन्हैयालाल पुत्र अमरनाथ वैश्य, नि० नदिया मोहल्ला, भरतपुर ।
(2) श्री भगवान पुत्र किशोरी लाल वैश्य नि० कोडिया मोहल्ला, भरतपुर ।
(3) श्री बांके बिहारी पुत्र श्यामसुन्दर ब्राह्मण नि० अटलबन्द भरतपुर ।
(4) श्री रमेशचन्द पुत्र श्री मनोहरीलाल नि० सूरजपोल गेट भरतपुर ।
(5) श्री बलदेव कुमार पुत्र रामसरनलाल वैश्य नि० लक्ष्मण मंदिर भरतपुर ।
(6) श्री सुभाषचन्द पुत्र लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल नि० भारकई थाना नदबई ।
(7) श्री हरी पुत्र मिटठनलाल छीपी नि० बासन गेट भरतपुर ।
(8) श्री महेशचन्द पुत्र बीधाराम वैश्य नि० नदिया मोहल्ला भरतपुर ।
(9) श्री मोहरपाल पुत्र श्री मूली जाट नि० गारोली थाना डीग
(10) श्री हरवीर पुत्र पेमा जाट नि० गारौली थाना डीग ।
(11) श्री फतेहसिंह पुत्र रामचरन जाट नि० पोरी थाना नदबई ।
(12) श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री यादवराम नि० कृष्णा कालोनी भरतपुर ।
(13) श्री गोकुल पुत्र रामचन्द निवासी कुम्हेरगेट भरतपुर ।

कस्बा डीग–मृतक–3

(1) श्री हरेन्द्र पुत्र शिवराम जाट नि० बहज थाना डीग ।
(2) श्री सुखवीरसिंह पुत्र बिलारीसिंह जाट नि० बारोलीचोथ थाना डीग ।
(3) श्री मोबलसिंह पुत्र भवीचन्द जाट नि० बहज थाना डीग ।

घायल–3

(1) श्री गुट्यारी पुत्र पतराम जाति फौजदार नि० बहज थाना डीग ।
(2) श्री वेदन पुत्र साहिबसिंह जाति फौजदार नि० श्यौरावली थाना डीग ।
(3) श्री राजू पुत्र नत्थी ब्राह्मण नि० बहज थाना डीग ।

परिशिष्ट "च"

मृतकों के संतप्त परिवारों को 10 हजार रुपया प्रत्येक मृतक परिवार के हिसाब से मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से तथा 10 हजार रुपये प्रत्येक मृतक के परिवार को राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिक दंगों/घटनाओं से पीडितो को वित्तीय सहायता योजना के प्रावधानों को शिथिल करते हुये अतिरिक्त रूप से आर्थिक सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये । तथा दो गंभीर रूप से घायल श्री गुट्यारी पुत्र श्री पतराम एवं श्री

वेदन पुत्र श्री साहिबसिंह को दो हजार रुपये प्रत्येक के हिसाब से मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ सहायता कोष से स्वीकृत किये गये।

परिशिष्ट "छ"

मृतक श्री मानसिंह के शरीर से प्राप्त चीजों का ब्यौरा—

(1) एक कोट जरकिननुमा रंग हरा

(2) एक कमीज रंग हरा

(3) एक बनियान सफेद

(4) एक पेन्ट खाकी

(5) एक घड़ी टाइमेक्स सुनहरी डायल व केस 25 ज्वेल्स स्टील की जंजीर लगी हुयी।

(6) कमीज की जेब से चमड़े का एक पर्स जिसमें 204 रुपयों के नोट, 11 चवन्नी, एक अठन्नी, एक पेट्रोल की खरीद की रसीद न० 249 व विधान सभा चुनावों का छपा पर्चा जिस पर तराजू का फोटो व खुद (श्री मानसिंह का) फोटो

(7) कोट की जेब से एक चश्मा नजर का।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूचियां)

जोधपुर, उदयपुर व अजमेर के चिकित्सालयों में अन्तरंग एवं बहिरंग मरीजों की संख्या

वर्ष	जोधपुर		उदयपुर		अजमेर	
	अन्तरंग	बहिरंग	अन्तरंग	बहिरंग	अन्तरंग	बहिरंग
1980	43,075	4,36,425	39,883	4,21,239	30,181	3,07,546
1981	46,039	5,59,673	41,673	4,27,791	31,727	3,07,283
1982	46,023	5,43,646	43,380	4,27,296	32,093	3,08,096
1983	46,943	4,69,578	44,226	4,06,096	33,384	3,03,092
1984	42,078	5,89,984	47,404	3,65,582	35,436	3,30,330

—

जोधपुर, उदयपुर, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में रोगी शैय्याओं की संख्या

स्थान/अस्पताल का नाम	रोगी शैय्याओं की वर्तमान संख्या
जोधपुर	
1. महात्मा गांधी अस्पताल	574
2. नव शिक्षण अस्पताल	98
3. मानसिक अस्पताल	85
4. क्षय रोग अस्पताल	150
5. पृथक्त्व अस्पताल	18
6. कुष्ठ रोग अस्पताल	55
7. उम्मेद अस्पताल	330
	1310
उदयपुर	
1. जनरल अस्पताल	694
2. जनाना अस्पताल	170
3. सेठ रामविलास मुवालका यक्षमा सदन	230
4. चल चिकित्सालय	50
	1144
अजमेर	
1. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय	818
2. चल चिकित्सालय	50
	868

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ व दवाइयों का अभाव

54. **श्री जयकिशन तोसावड़ा** (दूदू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) निर्वाचन क्षेत्र, दूदू में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में निर्धारित माप दण्ड के आधार पर स्वास्थ्य सेवायें पर्याप्त है ? यदि नहीं तो अब किन-किन गांवों में व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य केन्द्र या उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें निर्धारित स्टाफ व दवाइयों की कमी है ? यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) दूदू पंचायत समिति क्षेत्र में निम्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं— प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—मौचून उप स्वास्थ्य केन्द्र :—

1. हरसोली	2. चैनपुरा
3. सुनाडिया	4. पडासोली
5. हिरनोदा	6. धाधोली
7. पिथियासन	8. सेवाऊ
9. सावली	10. बोराज
रोजडी	12. गगातीकला
13. केसरिसिंहपुरा	14. सावरदा
15. मोमाना	16. गीदाणी
17. कोरसीना	18. श्री रामपुरा

(2) जी नहीं. निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार सन् 2000 तक करने का लक्ष्य है जिसे योजनाबद्ध तरीके से समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर करना संभव होगा। स्थान का चयन जिला आयोजन समिति के प्रस्तावों पर किया जाएगा।

(3) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जमुवा-रामगढ़ क्षेत्र में नदी नालों पर एनीकट निर्माण

55. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमुवा-रामगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का जमुवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र में सिंचाई के एक मात्र साधन कुओं के गिरते हुए जल स्तर को ऊंचा उठाने तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए नदी नालों पर छोटे-छोटे एनीकट बनाने की कोई योजना तैयार करने का विचार है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

इस क्षेत्र की तीन एनीकटों के प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव

56. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्तमान में कार्यरत पंचायतों एवं पंचायत समितियों का चुनाव कब हुआ तथा इनका कार्यकाल कब तक था ?

(2) राज्य सरकार ने इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया है ?

(3) क्या राज्य सरकार निर्धारित अवधि में पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पंचायतों का चुनाव दिसम्बर, 81 तथा पंचायत समितियों का 4 जनवरी, 1982 एवं जिला परिषदों का 11 जनवरी, 1982 को कराया गया था। पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर, 84 पंचायत समितियों का 3 जनवरी, 85 एवं जिला परिषदों का 10 जनवरी, 1985 तक था।

(2) राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसम्बर, 1985, पंचायत समितियों का 3 जनवरी, 1986 एवं जिला परिषदों का 10 जनवरी, 1986 तक बढ़ाया है।

(3) जी हां, सरकार निर्धारित अवधि में चुनाव कराना चाहती है, निश्चित तिथि दिया जाना अभी संभव नहीं है।

जिला जयपुर में सिचाई बांधों से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

57. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले में सिचाई बंध चांदराना व दूबली बंधों का निर्माण कब हुआ ? क्या उनमें किसानों की कृषि भूमि व आबादी में बने रिहायशी मकान डूब में आये थे ? यदि हां, तो कृपया बंधवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सच है कि जिन लोगों की कृषि भूमि अथवा रहने के मकान डूब में आये उनमें से कई लोगों को मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जिनको मुआवजा नहीं दिया गया उनकी सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में चांदराना व दुबली बान्धों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इन बान्धों के निर्माण से किसानों की कृषि भूमि व रिहायती मकान डूब में आये हैं, जिसका बन्धवार विवरण परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) चांदराना व दूबली बान्धों के डूब में आई कुछ कृषि भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। चांदराना बान्ध में डूब में आये कुछ रिहायशी मकानों का भुगतान भी नहीं किया गया है। इसका विवरण परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है। कृषि भूमि का मुआवजा नहीं देने के मुख्य कारण खातेदारी का सही नाम पर नामान्तरकरण नहीं करना तथा अन्य विवाद है। कुछ कृषक मुआवजा नहीं लेना चाहते है। शेष रिहायशी मकानों का मुआवजा देने के लिये अवार्ड विचाराधीन है।

परिशिष्ट (क)

लघु सिंचाई चांदराना एवं दूबली योजनाओं की डूब में आने वाली किसानों की भूमि का विवरण।

चांदराना बांध

क्र. सं.	बांध का नाम ग्राम	खातेदारों की संख्या	प्रभावित कृषि योग्य क्षेत्रफल
			बीघा बिस्वा
1.	चांदराना	43	110.12
2.	सरपुरा	8	7.15
3.	पेईपुरा	5	4.15
4.	बोराई	23	37.15
5.	पुलीवाड़ा	36	62.11
	योग :—	115	223.08

दूबली बांध

1.	दुबली	20	56·05
2.	गढ	1	10.00
3.	धौली	2	10·05
	योग :—	23	76.10

डूब में आने वाले मकानों का विवरण

चांदराना बांध

क्रमांक	नाम ग्राम	मालिक जिनके मकान डूब में आये	मकानों का विवरण		
			पक्के	कच्चे	योग
1.	चांदराना	10	2	8	10
2.	पेईपुरा	17	3	14	17
3.	मालीयान की ढाणी	11	0	11	11
4.	चोधरियान की ढाणी	9	—	9	9
5.	कोलीवाड़ा	76	12	64	76
	योग :—	123	17	106	123

दूबली बांध

परिशिष्ट "ख"

बंन्ध चान्दराना व दुबंली की डूब में आने वाली भूमि का चुकारा की जाने वाली राशि का ग्राम वार विवरण

क्र०सं० ग्राम नाम	नाम बान्ध	बकाया मुआवजों का विवरण			
		खातेदारों की संख्या	रकबा बीघा	रकबा विस्वा	मुआवजे की राशि रु. में
1. चान्दराना	चान्दराना	9	4	84	5328.17
2. सरपुरा	,,	3	1	18	1072.50
3. पेईपुरा	,,	1	1	09	797.50
4. बोरौई	,,	13	16	03	16887.29
5. पुलीवाडा	,,	8	8	08	5683.33
	योग	34	32	02	29768.79
1. दुबली	दुबली	20	56	05	
2. गढ	,,	1	10	00	
3. घोली	,,	2	10	05	अवार्ड प्राप्त
	योग	23	76	10	नहीं हुआ है।

मकानों का मुआवजा

		मकानों की संख्या			
		पक्का	कच्चा	योग	
1. चान्दराना	चान्दराना	2	8	10	
2. पेईपुरा	,,	3	14	17	
3. ढाणी मालियान	,,	—	11	11	अवार्ड प्राप्त
4. ढाणी चौधरियान	,,	—	9	9	नहीं हुआ है।
	योग	5	42	47	

बान्ध दूबली

जयपुर नगर में स्वरोजगार योजना से लाभान्वित बेरोजगार

58. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर के कितने शिक्षित बेरोजगारों ने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत आवेदन किये हैं ?

(2) कितने व्यक्तियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के 23535 शिक्षित बेरोजगारों ने स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने हेतु आवेदन किये।

(2) दिनांक 22.3.1985 तक 1159 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को इस योजना के अधीन लाभान्वित किया गया।

पंचायत समिति मनोहरथाना एवं छीपाबड़ोद के ग्रामों का विद्युतीकरण

59. (1) **श्री प्रतापसिंह** (छाबड़ा)

(2) **श्री जगन्नाथ** (मनोहरथाना)

(3) **श्री हरिश** (खानपुर)—क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, मनोहरथाना एवं छीपाबड़ोद के कितने गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। स्वीकृत गांवों में से अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष गांवों का कब तक विद्युतीकरण हो जावेगा ?

(2) क्या मण्डल उक्त पंचायत समितियों के सभी गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति मनोहरथाना तथा छीपाबड़ोद की योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 60 व 63 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। उक्त क्षेत्रों में वर्ष 1984–85 के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में पंचायत समिति मनोहरथाना के 15 तथा प०स० छीपाबड़ोद के 11 ग्राम विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित है. जिनमें से छीपाबड़ोद के सभी 11 ग्रामों तथा मनोहरथाना के 11 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 4 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। शेष स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में वित्तीय साधन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर हो सकेगा।

(2) उक्त पंचायत समितियों के सभी गांवों के विद्युतीकरण हेतु अभी योजनायें स्वीकृत नहीं हैं। अत: सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

पं०स० मनोहरथाना के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	मवासा	26.3.62	31.	लाहपस्या	26.3.85
2.	सालावड़	63	32.	बीन्दा	84
3.	छाछोरनी	68	33.	उगेना	82
4.	बारवाड़	75	34.	उगेनी	81
5.	किशोरपुरा	69	35.	लुहारपुरा	83
6.	बामनन्याखेड़ा	72	36.	महुवा खेड़ा	156
7.	खेड़ी जागीर	70	37.	देवरी खुर्द	154
8.	पतलोन	71	38.	मदन पुरा	155
9.	सेमली जागीर	76	39.	देवरी कलां	153
10.	खेरड़िया	66	40.	रानीपुरा	79
11.	पीपल्या	77	41.	नयापुरा	157
12.	वान्डहेड़ा	162	42.	थानारी	160
13.	बामूल्या	74	43.	मोतीपुरा	159
14.	खेजूरी जागिर	164	44.	खेजरा	194
15.	शुल्या जागीर	73	45.	गीरिया खेड़ा	193
16.	देवरी खुर्द	165	46.	चुरेल्या	196
17.	खेजदरा	185	47.	पृथ्वीपुरा	248
18.	बन्धा	163	48.	मूंज खेड़ा	246
19.	देवरी कलां	186	49.	देवरी चंचल	198
20.	कालू खेडी मेवातियान्	184	50.	पटरी खेड़ा	201
21.	अर्जुनपुरा	167	51.	सररारी खुर्द	200
22.	गणेशपुरा	166	52.	सरखारी कलां	202
23.	सोरती	183	53.	बुट्ट खेड़ी	183
24.	चाँदपुर	181	54.	सरखाडिया	243
25.	जाटावा	258	55.	देवरादी	244
26.	नागान्या खेडी	260	56.	जामून्या	294
27.	सादल्या	259	57.	देवकेदार	249
28.	पाछेटा	267	58.	बलदेवपुरा उर्फ चरखेड़ा	285
29.	कोकरदा	88	59.	लासोड़िया शाह	287
30.	वरदावाड़ा	86	60.	गोकुलपुरा	288

पं० स० छीपाबड़ौद के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	उतावली	25.11.67	33.	करनाल	25.11.56
2.	पीपलहेड़ा	102	34.	भगवंतपुरा	57
3.	गोविन्दपुरा	65	35.	तुमरा	61
4.	हरनावाड़ा जागीर	28	36.	पीपलखेड़ी	58
5.	मीयारा	23	37.	मोतीपुरा खुर्द	56
6.	दौलतपुरा	24	38.	खेरला	55
7.	फुलबारोला	15	39.	अचलपुरा	51
8.	मवासा	14	40.	पादल्या	87
9.	घाघोन्या	16	41.	बांसखेड़ा	83
10.	गुरू खेड़ी	17	42.	गांगती	86
11.	कोहनी	18	43.	पोटरा भगवान	97
12.	टनंचा	26	44.	सारंग खेड़ा	41
13.	गणेशपुरा	19	45.	गादरी	40
14.	मोखामपुरा	48	46.	गुन्दलाई	5
15.	जयनगर	47	47.	कल्याणपुरा	4
16.	माधोपुर	46	48.	आमलावाड़ा हाली	3
17.	मालोनी	50	49.	नीमथुर	1
18.	पीपल्यया घाटा	49	50.	चेनपुरा जागीर	39
19.	अचलपुरा	51	51.	पीपल्या चौकड़ी	6
20.	बीलेन्दी	52	52.	फालिया	7
21.	सुखनेरी	91	53.	बिन्दारदा	37
22.	बोरदा	90	54.	रामपुरा	38
23.	आमलवाड़ान खारान	92	55.	हरनावाड़ी जागीर	29
24.	फतेहपुर	89	56.	नलखेड़ी	30
25.	बाडेई	88	57.	राजपुरा जागीर	9
26.	बामोरी मुतासिल बाडेई	94	58.	अजनावाड़	31
27.	पाँचकुई	44	59.	नारायणपुरा	10
28.	लक्ष्मीपुरा खुर्द	42	60.	रूपपुरा	12
29.	कोहरी	43	61.	बारावाड़ा	11
30.	रानवा	60	62.	तांची	13
31.	रानेई	35	63.	तकारदा	95
32.	खेड़ी	59			

उद्योगों हेतु प्रदत्त ऋण की वसूली

60. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई), **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर) **श्री जगमालसिंह यादव** (तिजारा) **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत पांच वर्षों में उद्योगों को कितने ऋण दिये गये ? इनमें से कितनी नियमित वसूली हो रही है, तथा कितनी राशि बकाया है ?

(2) इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और शिथिलता के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा गत पांच वर्षों में उद्योगों को दिये गये ऋण उनसे नियमित वसूली तथा बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	ऋण स्वीकृत	ऋण वितरित	वसूली	बकाया	अधिदेय
1.	80–81	37.39	26.10	8.82	68.47	8.67
2.	81–82	45.65	29.96	12.04	94.90	10.33
3.	82–83	55.82	37.52	16.84	128.63	24.99
4.	83–84	54.60	38.79	23.08	153.98	25.02
5.	84–85	45.75	34.90	22.41	175.25	32.60
	(फरवरी, 1985 तक)				(जनवरी 85)	

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋणों की वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख परिशिष्ठ "क" में दर्शाया गया है ।

निगम द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली में कोई शिथिलता नहीं बरती गई है, अत: अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋणों की वसूली के लिए किये जा रहे प्रयास :

1. इकाई को जिसको की किश्त (मूलधन अथवा ब्याज) बकाया होने जा रही है उसे 10–15 दिवस पूर्व किश्त का विवरण देते हुए समय पर जमा कराने की सूचना दी जाती है।

2. समय पर किश्त जमा न कराने पर शाखा प्रबन्धक अथवा शाखा के अन्य अधिकारी द्वारा दूरभाष अथवा व्यक्तिगत रूप से किश्त जमा कराने की सलाह दी जाती है।

3. 30 दिवस के भीतर ऋणी की किश्त की अदायगी नहीं करने पर उसे स्मरण पत्र द्वारा किश्त जमा कराने की सलाह दी जाती है। निगम अपने स्तर पर डिफाल्ट करने वाली इकाइयों का वर्गीकरण निम्न दो वर्गों में करता है :

   (क) जान बूझ कर चूक करने वाली इकाइयां

   (ख) परिस्थितिवश चूक करने वाली इकाइयां जिन्हें जिन्यूआईन डिफाल्टर कहते हैं।

निगम इसके पश्चात इन इकाइयों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करता है जो निम्न प्रकार से है।

1. **जान-बूझ कर चूक करने वाली इकाइयां :**

वह इकाइयां जो लाभ कमा रही होती है लेकिन निगम की किश्तों का भुगतान जान-बूझ कर नहीं करती है उन्हें सर्वप्रथम शाखा अधिकारियों द्वारा निगम के ड्यूज का भुगतान करने की सलाह दी जाती है।

2. इसके पश्चात उसे पत्र एवं स्मरण पत्र द्वारा सलाह दी जाती है फिर भी यदि वह चूक करता है तो रजिस्टर्ड ए. डी. पत्र द्वारा उसे भुगतान करने की सलाह दी जाती है।

3. जब कोई इकाई व्यक्तिगत सम्पर्क, पत्र एवं स्मरण पत्रों के बावजूद भी ड्यूज का भुगतान नहीं करती तो उसे राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत "लीगल नोटिस" सम्पूर्ण राशि जमा कराने के लिए दिया जाता है तथा साथ में उसे यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि नोटिस में दिये गये समय तक भुगतान नहीं किया गया तो राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 अथवा 31 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

4. इसके अतिरिक्त निगम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 1.4.83 के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं एवं रियायतें बन्द करने की सिफारिश करता है तथा सम्बन्धित बैंक को भी इकाई को प्रदत्त सुविधाओं पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश करता है।

5. उपरोक्त प्रयत्नों के बावजूद भी यदि कोई इकाई निगम के ड्यूज का भुगतान नहीं करती है तो उसके विरूद्ध राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 अथवा 31 के अन्तर्गम कार्यवाही करता है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण कर उसकी परिसम्पत्तियों का अन्तरण खुली निलामी द्वारा अथवा इकाई के मालिक की सहमति से इच्छुक व्यक्ति को किया जाता है। अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत इकाई के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में दिवानी वाद दायर किया जाता है।

6. लघु उद्योगों के मामलों में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम को क्रेडिट गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत क्लेम दायर किया जाता है।

ख–परिस्थितिवश चूक करने वाली इकाईयां :

यह वे इकाइयां होती है जो किन्हीं कारणों से, जो की इकाई के स्वयं के दायरे से बाहर होते है, निगम के ड्यूज भुगतान नहीं कर पाती है निगम ऐसी इकाइयों के कारणों का अध्ययन कर उन्हें निम्न सुविधाएं प्रदान करता है।

1. किश्तों का पुन: निर्धारण,
2. डी० जी० सैट के लिए ऋण प्रदान करना,
3. कार्यशील पूंजी हेतु बैंकों को सिफारिश
4. राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिये सिफारिश।
5. रुग्ण एवं बन्द इकाइयों को आवश्यक पुनर्जीवन सहायता प्रदान करना।

अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य

61. **श्री नाथूराम** (मेड़ता)

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25 नवम्बर, 1984 के पश्चात् राज्य में अकाल राहत विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण, लघु सिंचाई, पीने के पानी की सुविधा इत्यादि के कार्य स्वीकृत किये गये या चालू किये गये? यदि हां, तो कृपया उनके संबंध में निम्न सूचनाएं पृथक्-पृथक् सदन के पटल पर रखें: —

(श्री नारायणराम बेड़ा)

(क) कार्य का नाम

(ख) कार्य का स्थान एवं तहसील का नाम

(ग) संबंधित ठेकेदार का नाम

(घ) कार्य के स्वीकृति का दिनांक

(ङ.) कार्य की स्वीकृत लागत

(च) कार्य के चालू करने का दिनांक

(छ) वर्क ग्रार्डर के अनुसार कार्य की समाप्ति का दिनांक

(ज) कार्य की वास्तविक अनुमानित लागत क्या होगी ?

(झ) कार्य की समाप्ति का दिनांक क्या होगा ?

(2) क्या उपरोक्त कार्यों में से तत्पश्चात् कोई कार्य बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां तो कृपया उन कार्यों का नाम, बन्द करने का दिनांक, बन्द करने का कारण एवं अब तक इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई, से संबंधित पृथकश: विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 25 नम्बर, 1984 के पश्चात राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो 457 कार्य खोलने की स्वीकृतियां जारी की गई है, उनकी सूचियां अभिकरणवार, जिलेवार, कार्यवार संलग्न हैं ।

कार्य ठेकेदारों के माध्यम से नहीं करवाये जा रहे हैं क्योंकि स्वीकृतियां अभी जारी की गई हैं अत: उनकी समाप्ति दिनांक देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

इसके अतिरिक्त अभावग्रस्त जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनकी सूची भी संलग्न है ।

(2) कार्य को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता । स्वीकृत कार्यों की स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में बताई गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

पंचायत समिति निवाई के गांवों का विद्युतीकरण

62. **श्री ग्यारसी लाल** (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, निवाई के सभी गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो कृपया योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखें ।

(2) स्कीम के अनुसार कौन-कौन से ग्राम किन-किन वर्षों में विद्युतीकृत हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पंचायत समिति निवाई में कुल 201 ग्राम है, जिनमें से माह फरवरी 85 तक 124 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 67 अन्य ग्राम

(श्री ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है। शेष 10 ग्रामों के विद्युतीकरण करने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत योजना की रूपरेखा निम्न प्रकार है—

1. योजनानुसार विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की संख्या	87
2. योजना का स्वीकृत वर्ष	1981–82
3. योजना का कार्यकाल	5 वर्ष
4. माह फरवरी 85 तक विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या	20
5. शेष स्वीकृत ग्राम	67
6. स्वीकृत ऋण राशि	76.246 लाख रुपये

(2) पंचायत समिति निवाई की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामो की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है—स्वीकृत योजना के अनुसार ग्रामों का विद्युतीकरण निम्न प्रकार है:—

प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	कुल
23	36	15	6	7	87

पंचायत समिति निवाई की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची

	प्रथम वर्ष	द्वि० व०	तृ० वर्ष	च० वर्ष	प० वर्ष	कुल
1. योजना में सम्मिलित ग्रामों का फेजिंग	23	36	15	6	7	87
2. कार्यकाल	5 वर्ष					

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विवरण
1.	अमयपुरा	11/2/113	विद्युतिकृत
2.	नाहरवाड़ी	112	"
.	नटवाड़ा	192	"
4.	वारोडिया	187	"
5.	भंवरपुरा	188	"
6.	गोरघनपुरा	184	"
7.	सकतपुरा	118	"
8.	गोपालपुरा	125	"

(226)

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विवरण
9.	देवपुरा	127	विद्युतीकृत
10.	गंगापुरा	128	,,
11.	चक विजयपुरा	105	,,
12.	बिशनपुरा	109	,,
13.	हमीदपुरा	115	,,
14.	रामसिंहपुरा	116	,,
15.	जुगलपुरा खुर्द	83	,,
16.	श्री दौलतपुरा	44	,,
17.	राधा किशनपुरा	45	,,
18.	श्री गोविन्दपुरा	43	,,
19.	जगमोहनपुरा	42	,,
20.	ग्राकोडिया	25	,,
21.	श्योसिंहपुरा	117	स्वीकृत
22.	जुगलपुरा कलां	122	,,
23.	दयालपुरा	65	,,
24.	बारोड़ी	69	,,
25.	राधागोविन्दपुरा	68	,,
26.	रचकपुरा	72	,,
27.	श्री सुखपुरा	74	,,
28.	संगरामपुरा	129	,,
29.	विजयगोविन्दपुरा	75	,,
30.	राम मावटा	62	,,
31.	सूरतरामपुरा	63	,,
32.	घुटरिया	60	,,
33.	मनमोहनपुरा	57	,,
34.	भगवानपुरा	56	,,
35.	दयापुरा	12	,,
36.	बृजपुरा	11	,,
37.	चरनपुरा	10	,,

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विवरण
38.	महासिंहपुरा उर्फ माजुकरा	11.2.9	स्वीकृत
39.	बाढ खेड़ी मोहनपुरा	50	स्वीकृत
40.	नागल नाहर	135	,,
41.	चित्रनपुरा	136	,,
42.	जसोदानन्दनपुरा	137	,,
43	श्री राजधिराजपुरा	138	,,
44.	महापुरा उर्फ तुरकिया	139	,,
45.	बाढ सुख चैनपुरा	140	,,
46.	श्री सुन्दरपुर का बाढ़	141	,,
47.	बन्सीपुरा	150	,,
48	कायम नगर बावड़ी	151	,,
49.	मोथुका	152	,,
50.	बाढ रामपुरा	142	,,
51.	राम दामोधरपुरा	149	,,
52.	श्री राजधनपुरा	153	,,
53.	लक्ष्मी दामोधरपुरा	143	,,
54.	बाढ जगसरा	145	,,
55.	दाराश्रों नगर	159	,,
56.	अभयपुरा	160	,,
57.	बाढ-गर-कलां	158	,,
58.	बाढ़-गर-खुर्द	161	,,
59.	बाढ़ हान्डा	162	,,
60.	गणेशपुरा	132	,,
61.	गोरधनपुरा	134	,,
62.	रामचन्द्रपुरा	169	,,
63.	बहादुरपुरा	167	,,
64.	श्रीरामपुरा उर्फ नया गांव	166	,,
65.	गोविन्दपुरा	104	,,

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विवरण
66.	श्योसिंहपुरा	97	स्वीकृत
67.	गिरधारीपुरा	95	,,
68.	देवरी	93	,,
69.	सवाई जयसिंहपुरा	94	,,
70.	सरसरी रामपुरा	90	,,
71.	चोरिया	33	,,
72.	नगर	1	,,
73.	रामभा	131	,,
74.	रतनपुरा/रौहेड़ा	26	,,
75,	चतुर्भुजपुरा	27	,,
76.	भांदगपुरा	34	,,
77.	जोधपुरा	28	,,
78.	मोहनपुरा	30	,,
79.	चुराड़ा	29	,,
80.	श्री विजयपुरा	17	,,
81.	श्री कृष्णपुरा	16	,,
82.	सुरज पुरा टौंक	18	,,
83.	श्री जगतपुरा	19	,,
84.	सूर्जा	4	,,
85.	पथराज	21	,,
86	श्री जवेतपुरा	22	,,
87.	बाढ़ पथराज कलां	20	,,

जिला अजमेर का औद्योगिक विकास

63. **श्री राजकुमार जयपाल** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में कौन-कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ?

(2) जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित करने के आधार क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले को पिछड़ा घोषित नहीं कर रखा है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में एक वर्ष के लिए अजमेर जिले को वे सभी सुविधाएं प्रदान की गई थी जो एक पिछड़े जिले को प्राप्त होती हैं ?

(5) क्या सरकार अजमेर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित कराने हेतु कारगर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) भारत सरकार (योजना आयोग) द्वारा घोषित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले घोषित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों की सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। वर्ष 1975-76 में अजमेर जिले में लघु उद्योग स्थापित करने पर केवल 15% राज्य अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(5) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले भारत सरकार द्वारा घोषित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को सम्पूर्ण प्रदेश को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के प्रस्ताव पूर्व ही भिजवाये हुये हैं। वैसे अजमेर जिले में भी भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत "सी" श्रेणी के जिलों के समान राज्य अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सूची "क"

भारत सरकार (योजना आयोग) द्वारा घोषित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

1. जैसलमेर
2. सिरोही
3. अलवर
4. जोधपुर
5. उदयपुर

(उद्योग मंत्री)

6. चुरू

7. नागौर

8. भीलवाड़ा

9. टौंक

10. बांसवाड़ा

11. डूंगरपुर

12. जालोर

13. झुंझुनूं

14. झालावाड़

15. सीकर

16. बाड़मेर

सूची (ख)

जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित करने हेतु निर्धारित माप दण्डों की सूची

1. प्रमुख फसलों का प्रति व्यक्ति (ग्रामीण जनसंख्या) उत्पादन मूल्य
2. प्रति 1000 श्रमिकों में गैर कृषि श्रमिकों की संख्या
3. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन मूल्य (ग्रोस)
4. प्रति एक लाख की जनसंख्या में फैक्ट्री श्रमिकों की जनसंख्या
5. बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग
6. प्रति एक लाख की जनसंख्या के लिये उपलब्ध सड़कों की लम्बाई

जिला टौंक में लघु सिंचाई योजनायें

64. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टौंक में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य हाथ में लिये गये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उप खण्ड उनियारा व टौंक में कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनका सर्वे हो चुका है और उनकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जिला टौंक में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांच योजनायें—

1. श्योदानपुरा, 2. शोहदरा
3. सूथंडा, 4. सिरोही एवं
5. कासीर का कार्य प्रगति पर है।

(2) उपखण्ड उनियारा व टौंक में (1) ठीकरिया (2) सरदारपुरा (3) माधोलाव तथा (4) रूपवास का सर्वे हो चुका है और उनमें से तीन निम्नलिखित लघु सिंचाई परियोजनाओं पर एन आर. ई. पी. के अन्तर्गत कार्य शुरू करवा दिया गया है :—

1. ठिकरिया तहसील अलीगढ़ उपखण्ड उनियारा।
2. सरदारपुरा तहसील देवली उपखण्ड द्वितीय टौंक।
3. माधोलाव तहसील निवाई उपखण्ड प्रथम टौंक।

सराड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य

65. **श्री भैरूलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सराड़ा क्षेत्र के जगत से जयसमंद रोड तथा डीगरी से इटाली वाया सल्लाडा, बडगांव बड़ावली का रोड निर्माण कार्य योजना में लिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई और निर्माण कार्य कब तक चालू किया जायेगा ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कितनी सड़कों का निर्माण कार्य चालू है और कितनी सड़कों का कार्य बंद पड़ा है ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें। अधूरी सड़कों को पूरा करने की सरकार की क्या मंशा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा सराड़ा क्षेत्र में पांच सड़कों पर निर्माण कार्य चालू है और किसी भी सड़क पर वर्तमान में कार्य बंद नहीं है। (सूची "अ" संलग्न है)।

सूची "अ"

सराड़ा तहसील की पांच सड़कों की स्थिति का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	कुल लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)	वर्तमान स्थिति
1.	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क गोदासर	3.00 किमी०	2.20	1.91	2.00 किमी. ग्रेवल सड़क
2.	सम्पर्क सड़क धकवांरा	4.00 ,,	9.00	0.95	2.00 किमी. में मिट्टी का कार्य।
3.	चांदथाना डीगरी सड़क	6.00 ,,	9.00	0.89	मिट्टी कुटाई का कार्य पूर्ण 2 किमी० में मिट्टी का कार्य पूर्ण।
4.	सम्पर्क सड़क सिथड़ी की पाल	3.00 ,,	1.00	4.43	3 किमी. में मिट्टी का कार्य 3 कि. मी. में मिट्टी का कार्य 3 पुलियाओं का कार्य प्रगति पर।
5.	केवरा बावेरमल रोड	4.00 ,,	12.00	11.74	3.20 किमी. में मिट्टी का कार्य। 9 पुलियाओं का कार्य पूर्ण। 4 पुलियाओं का कार्य प्रगति पर।
	योग :—	20.00	40.20	19.92	

जिला बाड़मेर में अकाल राहत कार्य

66. **श्री गंगाराम चौधरी** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बाड़मेर में 1984–85 में कब से अकाल राहत कार्य आरम्भ किये गये व अब तक राहत कार्यों पर कार्य कर रहे कुल मजदूरों की क्या संख्या है? कृपया प्रत्येक राहत कार्य/कैम्प के प्रारम्भ होने की तिथि, अंतिम सूचना तक कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या, मजदूरी के भुगतान की तिथि एवं प्रति मजदूर प्रतिदिन मजदूरी की दर, जिसके अनुसार भुगतान किया गया या किया जाने को है, से संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि मजदूरी को निर्धारित दर से कम भुगतान किया गया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का नाप प्रति मजदूर, प्रति गैंग या प्रति [illegible] किया जाता है ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में वर्ष 84–85 में अकाल राहत कार्य आरम्भ करने की स्वीकृतियां अन्य जिलों की तरह सहायता (विमाग द्वारा दिनांक 8.3.1985 को जारी की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम तथा अन्य योजना-गत निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जिला बाड़मेर में पहले से ही 4085 श्रमिक कार्यरत हैं।

चूंकि सहायता विभाग द्वारा राहत-कार्य खोलने की स्वीकृति को जारी हुए सिर्फ सप्ताह भर ही हुआ है अतः कार्यों के प्रारम्भ होने की तिथि, कार्यरत मजदूरों की संख्या, मजदूरी के भुगतान की तिथि का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता है जहां तक मजदूरी दर का प्रश्न है इस साल मजदूरी की दर रु. 11/– प्रतिदिन प्रति मजदूर कार्य की मात्रा को संबंधित करते हुए देय होगी। किन्तु वास्तविक भुगतान किये गये कार्य (Task Basis) पर होगा।

(2) मजदूरों को भुगतान करने का अवसर ही अभी तक पैदा नहीं हुआ है अतः कम भुगतान करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का नाप प्रति गैंग किया जाता है।

एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनायें

67. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(1) जिला टोंक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनाओं का काम चल रहा है ?

(2) सरदारपुर व खुमारिया का जो कार्य एन. आर. ई. पी. में चलाया जा रहा है, क्या क्षेत्र के लाभ हेतु उन्हें नियमित कार्यों में वर्ष 1985-86 में शामिल किये जाने का विचार है? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला टोंक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य चल रहा है :—

1. ठिकरिया तहसील अलीगढ़
2. सरदारपुरा तहसील देवली
3. बोदन्दा तहसील टोडारायसिंह
4. मांगोलाव तहसील निवाई

(2) एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत सरदारपुरा का कार्य ही लिया गया है, खुमारियां का नहीं। सरदारपुरा सहित उपरोक्त सभी कार्यों को धनराशि की उपलब्धता होने पर वर्ष 1985–86 में एन. आर. ई. पी. या सूखा संभाव्य कार्यक्रम या अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों के तहत लेने का विचार है।

दूदू क्षेत्र में सड़क निर्माण

68. **श्री जयकिशन तोलावड़ा** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में आवागमन एवं अन्य सुविधा की दृष्टि से सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण की क्या-क्या योजनायें विचाराधीन हैं ?

(2) इस क्षेत्र के किन-किन गांवों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कितनी-कितनी किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) कौन-कौन सी सड़कों पर डामर तथा कौन कौनसी सड़कों का अर्थ वर्क कराया जायेगा और कब तक ? कृपया ऐसी सड़कों की अलग-अलग सूची सदन के पटल रखें ।

उत्तर

(1) आवागमन व अन्य सुविधा की दृष्टि से इस क्षेत्र में वार्षिक योजना 84-85 में पांच सड़कें निर्माण हेतु स्वीकृत की गई हैं ।

(2) सूची संलग्न है ?

(3) स्वीकृत सड़कों पर डामर करने का प्रस्ताव है परन्तु वार्षिक योजना में धन-राशि की उपलब्धि पर कार्यों की प्राप्ति संभव होगी ।

दूदू तहसील की योजना में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र. सं.	स्वीकृत सड़क का नाम	लम्बाई किमी. में	स्वीकृत राशि (लाखों में)	जोड़े जाने वाले गांव (आबादी सहित)	वर्तमान प्रगति
1	2	3	4	5	6
1.	गाडोता (एन एच-8) गांगोटी कला	6 किमी.	9.00	गंगोटी कला (763)	4 किमी. में मिट्टी का कार्य पूर्ण ।
2.	बोराज से बोबास	8 किमी.	12.00	बोबास (4000) पचार (2100).	5 किमी. में मिट्टी कार्य पूर्ण ।
3.	परसोली, हरसोली, रलाना, गारडू, घाघोली रोड	13 किमी.	19.50	हरसोली (1,759) परसोली (1407) रेलाना (2154).	गामरूढ गांव तक पेवक सड़क पूर्ण, और रेहलाना गांव तक मिट्टी का कार्य पूर्ण ।

1	2	3	4	5	6
				गांगरूंड (1183) डाडोली (2984)	
4.	दूदू, फाग सड़क से सवाईमाधोसिंहपुरा (नया मोजा) लोरडी तक सड़क निर्माण	5 किमी.	7.50	नयामोजा (361) लोरडी (1026)	2 किमी. लंबाई में मिट्टी का कार्य पूरा।
5.	दांकरी लाहेरा साली रोड	11 किमी.	16.50	लादेरा (701) साली (1746)	6 किमी. में मिट्टी का कार्य पूर्ण एवं इस पर क्वारी रबिस की बिछाई पूर्ण।

लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य

69. श्री नाथूराम (मेड़ता)
श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25 नवम्बर, 1984 के पश्चात् राज्य में सिंचाई विभाग द्वारा लघु सिंचाई योजना के कार्य स्वीकृत किये गये या चालू किये थे ? यदि हां, तो कृपया उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाओं से सम्बद्ध विवरण सदन के पटल पर रखें :—

(क) कार्य का नाम

(ख) कार्य का स्थान एवं तहसील का नाम

(ग) सम्बन्धित ठेकेदार का नाम

(घ) कार्य की स्वीकृति का दिनांक

(ङ) कार्य की स्वीकृति लागत

(च) कार्य के चालू करने का दिनांक

(छ) वर्क आर्डर के अनुसार कार्य की समाप्ति का दिनांक

(ज) कार्य की वास्तविक अनुमानित लागत क्या होगी

(झ) कार्य की समाप्ति का दिनांक क्या होगा।

(2) क्या उपरोक्त कार्यों में से तत्पश्चात् कोई कार्य बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन कार्यों का नाम, बन्द करने का दिनांक, बन्द करने का कारण एवं अब तक इन कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च हुई, से सम्बन्धित पृथकशः विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई विभाग की लघु सिंचाई योजनाओं के मास्टर प्लान की स्वीकृति विभाग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1984 को प्रदान की गई थी। इन कामों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के

(236)

–(सिचाई मंत्री)—

अन्तर्गत चालू करने के लिये विशिष्ट योजनायें एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बजट का आवंटन भी 9 नवम्बर, 1984 को किया गया था।

(ख) बिंदु संख्या (क), (ख) व (ड़) की सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में दी गई है। अन्य बिन्दुओं की सूचना निम्न प्रकार है :—

(ग) ये काम रोजगार योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं, इसलिये इन पर कोई ठेकेदार नहीं लगाये गये हैं।

(घ) यह सूचना समयाभाव के कारण एकत्रित नहीं की जा सकी है।

(छ) ठेके पर काम नहीं होने के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सूचना बिन्दु संख्या (ड़) पर दे दी गई है।

(झ) ये कार्य लगभग चार वर्षों में पूरे किये जा सकते हैं परन्तु समाप्ति भविष्य में वर्षवार धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करेगी।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट (अ)

सिचाई विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत ली गई लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण।

क्र.सं.	कार्य का नाम/स्थल	तहसील	कार्य की अनुमानित/स्वीकृत लागत (लाख रु०)
1	2	3	4
	जिला अजमेर		
1.	पीपलाज	केकड़ी	129.57
2.	फवाठिया तालाब	..	3.22
3.	नाहरदाता काकलोत	पिसांगन पंचायत समिति	13.778
4.	अम्बापुरा	केकड़ी	45.32
5.	विजय सागर फतेहगढ़	सरवाड़	3.20
6.	बड़ा तालाब रामसर	अजमेर	2.19
7.	सूरजिसागर मिनायक	केकड़ी	5.00
8.	रामसागर घूमालिया	केकड़ी	1.46

1	2	3	4
जिला अलवर			
9. कालियाकी कैनाल		तिजारा	4.54
10. मगोही खुरद		किशनगढ़	9.51
11. निम्बाहोरी		तिजारा	24.79
12. सारण खुर्द		तिजारा	50.35
13. विजय सागर नहर		,, अलवर	[illegible]
14. खानपुर		,, किशनगढ	[illegible]
15. ओड़पुर		राजगढ़	[illegible]
जिला जयपुर			
16. बड़ी जोड़ी	,,	विराटनगर	8.84
17. रघुनाथ पुरा		,,	4.80
18. वानेड़ी		कोठपूतली	143.10
19. दांतील का नाका		,,	2.59
20. रामपुरा अ तेला		विराटनगर	8.80
21. गोकुलपुरा		फागी	16.07
22. चतरपुरा		वैराठ	2.278
23. चांदेरा		सिकराय	9.14
24. दांतोली फ्लड प्रोडक्शन		वैराठ	9.74
25. नीमली		बैराठ	5.18
26. देवीपुरा बांध		,,	1.275
जिला जालौर			
27. जगनाथ जी बांध		जालौर	6.04
28. दूडसी बांध		,,	7.51
29. सरदारगढ़ बांध		,,	30.92
30. भादरून क्रास बांध		सांचोर	4.767

1 2	3	4
31. खेड़ा सुमेरगढ़ बांध	जालोर	17.406
32. कानीवाड़ा बांध	आहोर	23·75
33. मेडा उपरला बांध	जालोर	16.620
34, राजनबाडी बांध	आहोर	6.64
35. सूणा की खाल क्रास बांध	सांचोर	2.19
36. केसरी क्रास बांध	,,	3·19
37. आंकड़ा क्रास बांध	,,	3.57
38. करनी जी खडीन	आहोर	4.99
39 कटकेश्वर एनीकट	जालोर	1.78
40. सियाना एनीकट	,,	1.81
41. रारीप एनीकट	,,	2.23
जिला बाड़मेर		
42. किटनोद बांध	पचपदरा	6.534
43. कानागांव खडीन	शिव	3.437
44. कूडाल खडीन	,,	1.403
45. राखी खडीन	सिवाना	7·66
46. चारणों वाला खडीन	शिव	2·46
47. रानी गांव खडीन	बाड़मेर	0.65
जिला भरतपुर	—	—कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।
जिला धौलपुर		
48. बाडीपुरा	बाडी	13·77
49. चिलचोंद	बसेरी	9.68
50. ओडेला	धौलपुर	9.14
51. ढाखां	बसेरी	5.74

1	2	3	4
	जिला झुंझुनू		
52.	निरायुणा की ढाणी	उदयपुर वाटी	25.26
53.	मंडावरा	,,	13.06
54.	मानकास	,,	6.64
55.	कोस सिकराय कैनाल	,	0.79
56.	पोक बांध	,,	2.00
57.	काला भूको कैनाल	खेतड़ी	1.15
58.	अजीज सागर बांध व नहर	,,	1.46
59.	वारियल बांध एवं अजीजसागर फीडर	,,	1.09
60.	टोन्हा	,,	16.62
	जिला जोधपुर		
61.	मूरकिया	भोपालगढ़	10.62
62.	अरटिया खुरद	,,	9.61
63.	थोब	ओसिया	11.259
64.	अखेदाता	फलोदी	0.63
65.	गंगाना	जोधपुर	1.86
66.	उम्मेदनगर-1	ओसिया	2.36
	जिला नागौर		
67.	ढावरी याती	मेड़ता	3.399
68.	जून की घाटी	परबतसर	28.91
69.	कुण्डारी	,,	7.05
70.	कून्डाल	मेड़ता	6.182
71.	कालरू	मेड़ता	17.217
72.	वानसर	परबतसर	7.635
73.	घाटरपट	डेगाना	0.38

1	2	3	4
74.	खुणावा बांध	नागौर	2.26
75.	रघुनाथपुरा बांध	डिडवाना	0.77
76.	पचरंदा	डेगाना	1.16
77.	मण्डावरी	परबतसर	11.30
	जिला सीकर		
78.	डूखीया	दांतारामगढ़	6.01
79.	वासडी	श्री माधोपुर	6.087
80.	गावरी	नीम का थाना	6.53
81.	फतेहपुर	,,	20.53
82.	दीपावास	नीम का थाना	14.21
83.	हरीपुरा	सीकर	5.41
84.	करोई	श्री माधोपुर	9.28
85.	खिरोठी	,,	5.00
86.	बम्बेडा	,,	16.492
87.	नांनगल	सीकर	15.05
88.	मांकडी	नीम का थाना	22.57
89.	गोवटी	दांतारामगढ़	7·818
90.	रामपुरा बांध	नीम का थाना	0.203
91.	बुदौली	नीम का थाना	0.503
92.	ऊपर रेला बांध एवं कैनाल	,,	0.561
93.	लोवर रेला बांध एवं कैनाल	,,	1.006
94.	रायपुस फाब्यास बांध एवं कैनाल	,,	4.55
95.	पारा बांध	,,	0.305
96.	मांट्रोन बांध	,,	0.060
97.	नीम की कैनाल	श्री माधोपुर	0.340
98.	सेवाली	,,	5.58

1	2	3	4
99.	सिकरीन बांध	श्री माधोपुर	1.69
100.	शेरपुरा बांध सिया बांध	दांतारामगढ़	1.35
101.	दन्ताला बांध	दांतारामगढ़	1.19
102.	नांगल माइनर आफ श्यामपुरा	नीम का थाना	0.68
	जिला सिरोही		
103.	पंचारिया	सिरोही	29.27
104.	चिनार	आबूरोड	33.76
105.	कमेडी	सिरोही	145.84
106.	महादेव का नाका	आबूरोड	42.08
	जिला टौंक		
107.	ठीकरिया	उनियारा	86.68
108.	सरदारपुरा	देवली	35.21
109.	वोटुन्दा	टोडारायसिंह	51.80
110.	माधोलाव	निवाई	36.56
111.	नार्थ कैनाल टोरडी सागर	टोडारायसिंह	12.00
112.	गलवा कैनाल	उनियारा	9.00
113.	फीडर आफ हालोलाव बांध	निवाई	4.40
	जिला पाली		
114.	वाडी नेहरा	पाली	215.65
115.	गोलडेरा	वाली	11.76
116.	रघुनाथपुरा-II	वाली	5.45
117.	सवारी	,,	3.99
118	घोलेदांता	सोजत	116.07
119.	पीपलो	वाली	4.65
120.	चतरसागर	जैतारण	28.095

242

1 2	3	4
121. वलवाना	वाली	13.89
122. कोट	,,	89.18
123. सुमेर	देसूरी	134.54
124. मिठ्ठरी	ठाली	24.865
125. भांवरी	पाली	1.873
126. दयालपुरा	,,	1.052
127. जोगारवास बांध–II	खारची	2.501
128. नाडिया एनीकट	वाली	1.01
129. वोर नदी एनीकट	मारवाड़ जंक्शन	0.618
130. काराघोरी की बाव	वाली	0.090
131. मांडीगढ़ बांध	देसूरी	0.75
132. पुनाडिया एनीकट	वाली	1.01
133. रघनाथपुरा–III	वाली	98.22
जिला सवाईमाधोपुर		
134. सेवा	गंगापुर	9.33
135. डीव	,,	8.075
136. डोरियान का तालाब	करोली	27.51
137. राहियर वन्जारा	सपोटरा	7.15
138. मरमादा	करोली	5.379
139. अडेवा	,,	14.51
140. मारीना	,,	6.315
141. खुडा	,,	9.35
142. निदार	कारोली	2.37
143. चन्दनपुरा कैनाल	गंगापुर	2.05
144. वृन्दावल	बोंली	0.105

1	2	3	4
	जिला जैसलमेर		
145.	खोला खडीन	जैसलमेर	0.57
146.	खेलाना खडीन	पोकरन	0.45
147.	सैलत	जैसलमेर	0.37
148.	मन्दालिया	,,	0.15
	जिला कोटा		
149.	डोलिया	लाडपुरा	13.80
150.	दांता	सांगोद	22.02
151.	फालिया	छीपाबड़ोद	33.17
152.	नवेली	शाहबाद	49.04
153.	बरखेडी मदारिया	सांगोद	189.826
154.	बांदीपुरा	किशनगंज	49.56
155.	उतावली	छीपाबडोद	60.336
156.	वडोरा	अटरू	39.63
157.	अहमदी	किशनगंज	95.67
158.	सहरील तलहटी	शहबाद	0.856
	जिला बूंदी		
159.	अन्न पूर्णा	नैनवा	11.29
160.	फगारा	हिण्डौली	9.96
161.	शाहीपुरा	बूंदी	42.63
162.	वाक्या का नया गांव	नैनवा	16.68
163.	नारायणपुरा	हिण्डौली	59.84
164.	दरा का नया गांव	,,	31.67
165.	चंदा का तालाव	बूंदी	59.193
166.	प्लास्तूनी बांध	नैनवा	16.07
167.	विस्तूनिया	पचपहाड़	25.98

1 2	3	4
168. निमोदा	झालारापाटन	12.60
169. वोरदा	,,	40.13
170. माथनीया	पिडावा	31.470
171. वनी	पंचपहाड़	89.31
172. मानपुरा	इकलेरा	82.83
173. मौंगरा	पंचपहाड़	69.50
174. नाका सारण	,,	5.86
175. सामन खेड़ा	,,	20.02
जिला डूंगरपुर		
176. मेवाड़ा	सिमलवाड़ा	159.54
177. झांकरी नाका	आसपुर	96.97
178. करावाड़ा	सिमलवाड़ा	34.22
179. इन्दर खेत लिफ्ट	डूंगरपुर	10.35
180. सिथल	सिमलवाड़ा	15.24
181. वागैरी लिफ्ट	आसपुर	10.10
182. अमरपुरा	सिमलवाड़ा	508.16
183. कांकरी सेल नाका	सिमलवाड़ा	68.13
184. रेजिंग आफ धाम्बोला	सिमलवाड़ा	19.85
185. रेजिंग आफ मोधाई	आसपुर	16.82
186. सारंगी	आसपुर	15.09
187. मानपुरा	डूंगरपुर	28.48
188. रामसौर	आसपुर	10.81
189. माछलिया	आसपुर	18.59
190. सोम राइट कैनाल	डूंगरपुर	5.113
191. सिशोद बांध	डूंगरपुर	3.850
192. गुमानपुरा	डूंगरपुर	3.10
193. भादर टैंक	सिमलवाड़ा	4.017

(248)

1	2	3	4
	जिला डूंगरपुर		
194.	गजपुर टैंक	सिमलवाढ़ा	4.017
195.	बोडीगामा टैंक	आसपुर	5.012
196.	बावा की बार	सागवाड़ा	2.103
197.	लोडीसर टैंक	सागवाड़ा	5.00
198.	मसोर टैंक	सागवाड़ा	2.205
199.	पुंजपुर टैंक	आसपुर	2.138
200.	गुलियाना टैंक	आसपुर	4.039
	जिला भीलवाड़ा		
201.	विकरण	माण्डलगढ़	6.567
202.	पटियाल	माण्डलगढ़	20.00
203.	नाथजी का खेड़ा 7	माण्डलगढ़	3.457
204.	घोला दात्तो	कोटड़ी	18.86
205.	कांवरिया	माण्डलगढ़	8.073
206.	किशनगढ़	कोटड़ी	20.23
297.	चौधरियास	कोटड़ी	20.13
208.	हार्थिपुरा	कोटड़ी	19.82
209.	सरसिया चारण	जहाजपुर	20.87
210.	मेघपुरा	जहाजपुर	7.975
211.	कंटालिया	आसींद	25.29
212.	गंगदेह	माण्डलगढ़	23.81
213.	स्वरूप जी का खेड़ा	माण्डलगढ़	12.17
214.	गेनोलि	,,	11.156
215.	सुशीला सागर	,,	48.58
216.	रसुंधा बांध	,,	9.14
217.	वई गेसला	जहाजपुर	20.716
218.	मोतीपुरा	माण्डलगढ़	36.33

1	2	3	4
	जिला भीलवाड़ा		
219.	शिवसागर पाराली	कोटड़ी	85.44
220.	वोरियापुरा	रायपुर	17.165
221.	घोडास लिफ्ट	माण्डलगढ़	10.37
222.	देवरी नाला	,,	41.84
223.	शक्कर गढ़	जहाजपुर	94.45
224.	पचानपुर	माण्डलगढ़	14.506
225.	गणेशपुरा	जहाजपुर	30.906
226.	झालरा	,,	31.97
227.	पीथा कामंड	माण्डलगढ़	31.105
228.	नागदिया	जहाजपुर	10.90
229.	जालिया	वनेडा	73.77
230.	सारलासागर	जहाजपुर	31.70
231.	कावरदा टैंक	रायपुर	1.47
232.	कलाल खेड़ी	,,	1.00
233.	छारोद टैंक	,,	1.02
234.	वाडी टेंक	,,	1.75
235.	थाला एनिकट	,,	2.30
236.	टापरिया खेडी	सहाडा	0.305
237.	अदाकाली ऐनिकट	,,	1.888
238.	मामादेव एनिकट	,,	1.802
239.	महेन्द्रा गढ़ टैंक	,,	0.425
240.	शिवरात्री टैंक	,,	2.08
241.	दांता धुंघला	माण्डल	0.5334
242.	चिलेश्वर टैंक	,,	0.89
243.	निसनिया टैंक	माण्डल	0.9925
244.	नवलपुरा टैंक	,,	1.8531
245.	लसारिया टैंक	,,	0.564

1	2	3	4
	जिला भीलवाड़ा		
246.	देवरिया टैंक	मांडल	0.5526
247.	निम्बाहेडा एनिकट	,,	0.994
248.	कचोलिया बांध	,,	1.6113
249.	चरस का टैंक	,,	1.0266
250.	थागोन का खेडा एनिकट	,,	2.40
251.	बनास संगम एनिकट	भीलवाड़ा	0.55
252.	कान्या खेड़ी टैंक एण्ड फीड़र	,,	3.56
253.	नया गांव टैंक	,,	1.168
254.	गोवारड़ी टैंक एण्ड केनाल	,,	2.53
255.	पुरवोरंदा माइनर ऊरार एम. सी. मेजा	,,	2.08
256.	महुवा खुर्द एनिकट	,,	1.16366
257.	कालसास टैंक	,,	0.55672
258.	इन्द्रपुरा माइनर ग्राफ मेजा	,,	3.41809
259.	विरघोल टैंक	कोटडी	0.43328
260.	संमदरी टैंक	,,	0.39917
261.	झाडोल टैंक एण्ड केनाल	,,	4.34804
262.	सांकरा एनिकट एण्ड टैंक	,,	2.07353
263.	फतेहसागर	,,	4.43270
264.	देवरिंया खेत खानी	जहाजपुर	0.6654
265.	त्रिजेठा	,,	1.4960
266.	खोरा काला	,,	2.11642
267.	कालरचट अमरगढ़	,,	2 11642
268.	डेगारिया एनिकट	,,	1,11353
269.	उम्मेदसागर डेम	शाहपुरा	2.11992
270.	देवीसागर मुण्डेता	,,	0.749
271.	रलायता एनिकट	,,	0.51992

1	2	3	4
272.	धीराज सागर	शाहपुरा	0.82786
273.	गांगली एनिकट	,,	0.59277
274.	अरवर डेम केनाल	,,	2.8899
275.	आमली कालु सिह	,,	0.63731
276.	दिवास एनीकट	,,	0.48008
277.	उदयसागर टेहनल 5	,,	0.70963
278.	नायला बरगासन	आसीन्द	1.03485
279.	जगपुरा ऐनिकट	,,	0.50203
280.	सूरज कैनाल व माइनर	,,	0.34802
281.	डाली सागर	,,	0.30110
282.	अरुयेसागर वादनोरा	,,	0.38336
283.	विनोद सागर वादनोर	,,	0.25264
284.	जोगीदारा टैंक	,,	0.22163
285.	गिरधरसागर सपुला	,,	0.28255
286.	फुलसागर वरसानी	,,	0.20692
287.	मारेवदा टैंक अरजुन सागर	,,	0.94080
288.	आसीन्द माइनर	,,	0 30295
289.	खारी बांध	,,	0.49780
290.	हरीपुरा टैंक	हुरडा	0.48819
291.	भारेली टैंक	,,	1.09384
292.	ईनानी खेडा	,,	0.19283
293.	हाजियास टैंक	,,	0.20365
294.	पारोदास ऐनीकट	,,	0.25937
295.	कोटडी टैंक	,,	0.50566
296.	जावासिया केनाल	बानेरा	0.99591
297.	जगत सागर धारटा	,,	0.97304
298.	रूपेहेली खुर्द टैंक	,,	1.05925
299.	उदयसागर वानेरा	,,	0.22840

1	2	3	4
	जिला भीलवाड़ा		
300.	मैरू खेडा टैंक	हुरड़ा	0.24742
301.	लसाडिया टैंक	,,	0.50195
302.	मोढा मुसा टैंक	,,	1.10214
303.	नागदिया	माण्डलगढ़	18.90
304.	दांता निलावरी	बानेडा	1.19078
305.	निम्बाहेडा टैंक	,,	0.53072
306.	लाम्बीया टैंक	,,	0.20121
307.	नाथोलाई रायला	,,	0.31458
	जिला बांसवाड़ा		
308.	रामगढ़	कुशलगढ़	10.10
309.	मूतपाडा	बांसवाड़ा	55.90
310.	भामेर भार	घाटोल	37.33
311.	खेरवा	,,	3.60
312.	बागेरी	बांसवाड़ा	101.20
313.	सज्जनगढ़	कुशलगढ़	13.20
314.	कारन्डिया	,,	29.17
315.	पीपला खूंट	घाटोल	44.79
316.	केसरपुरा लिफ्ट	गारही	41.61
317.	बीजोरी	कुशलगढ़	15.16
318.	भूर	बागीडोरा	44.97
319.	गोपालपुर	कुशलगढ़	20.73
320.	चोकड़ी	घाटोल	29.306
321.	मामरी टिंडी	कुशलगढ़	82.52
322.	ग्रारया पाडा	घाटोल	29.50
323.	नया गांव	कुशलगढ़	65.12

1	2	3	4
	जिला बांसवाड़ा		
324.	माहुवाल मुगंरा	घाटोल	0.51
325.	देलवाड़ा	,,	0.93
326.	सोमपुर	,,	0.97
327,	सिंगधोलिया	,,	1.99
328.	मेल तालाब	,,	8.556
329.	सागवाड़ी	,,	3.608
330.	लाम्बा डावरा	,,	2.83
331.	घोंडी ताजपुर	बांसवाड़ा	1,90
332.	महेशपुरा	,,	1.67
333.	गंगार तलाई	वागीड़ोरा	0.76
334.	खोडालीम	,,	2.00
335.	सालीया	,,	0.75
336.	वाडियाला	,,	0.030
337.	सुन्डेराव	,,	1.01
338.	मन्देश्वर	,,	1.01
339.	घोडादडा	,,	0.949
340.	जोखडिया	,,	2.002
341.	छोटी टान्डी	,,	2.230
342.	पांडा	कुशलगढ़	2.01
343.	वियापाड़ा	,,	1.99
344.	भूरा कुंभा	,,	1.100
345.	झिन्कली	,,	0,62
346.	रसोडी	,,	1.313
347.	खेरिया पाडा	,,	0.480
348,	अख्येपुरा	,,	0.624
349.	वाडी स खाटेक व फीडर	,,	0,796

1	2	3	4
	जिला बांसवाड़ा		
350.	कारजी	कुशलगढ़	0.200
351.	मानवरिय	बागीडोरा	14.56
352.	चारखानी	कुशलगढ	50.92
353.	खारदा	बागीडोरा	50.50
354.	वाड़ी दानपुर	बांसवाड़ा	12.05
355.	काजलिया	बागीडोरा	25.50
356.	मुघवा	,,	23.23
	जिला उदयपुर		
357.	देवला	धारियावद	20.23
358.	वनजना	,,	133.50
359.	ओवरां	गोगुन्दा	2.90
360.	सातघाट	राजसमन्द	24.50
361.	जालीवास	कोटड़ा	9.80
362.	मादरा	कोटड़ा	44.00
363.	उमरवास	कुम्भलगढ़	12.13
364.	सालाम सागर	आमेट	9.36
366.	गुनिया	देवगढ़	50.11
366.	मुंजका नाका	गोगुन्दा	46.00
367.	सांगावास	देवगढ़	32.19
368.	मेवाड़िया	कुम्भलगढ	27.30
369.	सावन क्यारिया	कोटड़ा	25.75
370.	मनोहर सागर	आमेट	114.03
371.	त्रिकुलवास	नाथद्वारा	618.14
372.	महोम्मद फलासिया	झाड़ोल	19.64
373.	कोल्यारी	कोटड़ा	28.04

1	2	3	4
	जिला उदयपुर		
374.	मुभाडा	खैरवाड़ा	27.74
375.	भैंसा खुर्द	नाथद्वारा	50.40
376.	कोलयारी	भाडौल	25.00
377.	गामांनी का नाका	कोटड़ा	17.40
378.	भेन्टा का नाका	कोटड़ा	26.44
379.	केलवाडा	कुम्भलगढ़	9.16
380.	संजला	सलूम्बर	28.63
381.	गोपालपुरा	,,	15.40
382.	अम्बा माता	,,	162.50
383.	बरोठी	खेरवाड़ा	5.60
384.	पीपलघरा	,,	6.24
385.	केरपुरा एनिकट	सराड़ा	0.88
386.	रूआव माईनर	सलूम्बर	5.18
387.	देवलीया	धारियावाद	1.50
388.	सालरा प्रोजेक्ट	मावली	2.65
389.	सरन टेंक	गिरवा	1.25
390.	वाराव ऐनीकट	सराड़ा	4.78
391.	काली मीत	धारियवद	5.71
392.	राव मादरा	गोगुन्दा	9.93
393.	भीखा खेडा	मावली	1.80
394.	थीरिया	कुम्भलगढ़	11.14
395.	फरारा	राजसमन्द	8.92
396.	कागमादारदा	नाथद्वारा	8.89
397.	होपरा	,,	8.88
398.	कोढमल	,,	5.60
399.	धानीन	कुम्भलगढ़	8.60
[illegible].	गोदावरी का नाका	खेरवाड़ा	5.15

1	2	3	4
401.	बन्जारिया	देवगढ़	9.75
402.	दोविया	भीम	13.53
जिला चित्तौडगढ़			
403.	ईडरा	डूंगला	17.07
404.	सोमी	कपासन	54.85
405.	डोराई	बेगूं	198.70
406.	भंवर सेमलिया	प्रतापगढ	368.75
407.	मुजडा	बेगूं	27.96
408.	रूपारेल	,,	235.48
409.	रायपुरिया	कपासन	21.48
410.	पाड़लिया	प्रतापगढ़	78.439
411.	सादी नेहर	चित्तौडगढ़	0.515
412.	मोडियां महादेव	,,	0.510
413.	जर्लालिया एनीकट	,,	0.513
414.	केशनोरी टेंक	,,	2.122
415.	भगत सागर	गंगरार	0.930
416.	सालेरा नेहर	,,	1.09
417.	सोनियाना	,,	1.918
418.	बोरदा	,,	1.15
419.	वानिना	,,	0.594
420.	मानसरोवर	बेगूं	1.979
421.	नूरलिया नेहर	,,	2.20
422.	ऊंचा नेहर	,,	1.165
423.	गंगारिया टेंक	भदेसर	0.588
424.	लुहारिया	,,	2.010
425.	नागावाली	डूंगला	0.66
426.	पारासोली	बड़ीसादड़ी	1.966
427.	मून्जवा	,,	0.703

1 2	3	4
जिला चित्तौड़गढ़		
428. केशुन्दा	छोटी सादड़ी	0.657
429. लोअर बासेडा	,,	0.774
430. गाढोला	प्रतापगढ़	0.946
431. बरदिया	,,	0.988
432. धारिया खेड़ी	,,	0.688
433. तेजाद	,,	0.950
434. जादाना	राशमी	1.146
435. 1 डी. के. फीडर	कपासन	2.786
436. उसरोल	,,	2.05
437. मेडोग्रा टैंक	,,	4.027
438. ई एण्ड आई आफ वडगांव	,,	3.990
439. जाशमा द्वितीय नहर	,,	1.042
440. रामपुरिया ऐनीकट	,,	0.788
441. फातियाना ऐनीकट	,,	0.953
442. कुलथाना ऐनीकट	प्रतापगढ़	0.291
443. ओराई नहर	बगु	5.00
444. ई एण्ड आई आफ गम्भीर प्रोजेक्ट	निम्बाहेड़ा	3.96
445. कोसीथाल ऐनीकट	भदेसर	0.55
446. कपासन टैंक	कपासन	1.458
447. भोपाल सागर नहर	,,	5.044
448. डीनडाली टैंक	राशमी	2.285
449. ऊंचकिया नहर	,,	0.960
450. अरनी टैंक व केनाल	,,	1.134
451. दीपपुरा टैंक एण्ड केनाल	रावतभाटा	4.97

1 2	3	4
जिला चित्तौड़गढ़		
452. मन्देसरा	रावतभाटा	2.75
453. पाडीभर	,,	2.61
454. देवपुरा लिफ्ट	,,	1.80
455. भोन्किरा लिफ्ट	,,	0.92
456. मान्देसरा	बेंगू	1.4947
457. ग्रार.पी.एस. कैनालस	,,	3.91
458. कुम्रा खेड़ा	,,	1.67
459. साकल खेड़ा	चित्तौड़गढ़	76.75
460. ग्रोडवाडिया	गंगरार	28.387
461. रानडियारी सानडियारी	कपासन	15.253
जिला बून्दी		
462. गुरजारनिया ऐनीकट	हिन्डौली	3.83
463 वटावदी कैनाल	नैनवा	0.96
464. जावंरा	बून्दी	37.44
जिला झालावाड़		
465. जूना खेड़ी	पाटन	2.79
466. उन्हैल टैंक	पचपहाड़	3,50
467. माथुरिया टैंक	,,	1.50
जिला कोटा		
468. सायफन ग्राफ पर्वती मैन कैनाल बारां		2.59

कपूरडी में कोयला आधारित ताप बिजलीघर

70. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुड़ा-मालानी)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कपूरडी में कोयले के भण्डार मिले हैं जिस पर ताप बिजलीघर लगाया जा सकता है ?

(2) यदि हां तो कितने मेगावट का और कब तक स्वीकृति जारी होकर कार्य पूर्ण कराने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि बाडमेर जिले में कपूरडी में भूरे कोयले (लिग्नाईट) के भण्डार मिले हैं।

(2) योजना आयोग ने नवेली लिग्नाईट कारपोरेशन आफ इन्डिया को कपूरडी लिग्नाईट के भण्डार के बारे में पूरा सर्वेक्षण करने को कहा है। सर्वेक्षण के बाद भण्डार की किस्म व मात्रा के बारे में अधीकृत तौर पर जानकारी मिलने के बाद ही ताप बिजली घर की स्थापना के बारे में विचार करना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न 59 के परिशिष्ट)

परिशिष्ट–"अ"

जिला बांसवाडा के दानपुर कुशलगढ़ व पीपलखूट क्षेत्र (पंचायत समिति) के अन्तर्गत निम्न सिंचाई योजनाओं से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

क्र०सं०	नाम तालाव	सिंचाई क्षमता (एकड़ में)	विशेष विवरण
1	2	3	4
1. दानपुर क्षेत्र			
1.	नलदा तालाब	175	
2.	महेशपुरा तालाव	101	
3.	वरवाला मच्छार	55	
4.	वोरखाबर तालाब	383	
5.	छापरिया तालाव	235	
6.	घोडीतेजपुर तालाव	170	
7.	करजी तालाब	70	
8.	सामरिया तालाब	234	
9.	सुरबानिया तालाव	3309	माही कमांड में आने से माही परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
10,	झरनिया तालाव	128	
11.	वोदला लिफ्ट योजना	110	
	योग	4970	एकड
2. कुशलगढ क्षेत्र			
1.	पाणदा तालाव	476	

1	2	3	4
2.	खेरिया पाडा तालाब	135	
3.	खाना पाड़ा तालाब	158	
4.	घोड़ादरा तालाब	447	
5.	झकरिया तालाब	101	
6.	रसोडी तालाब	64	
7.	बड़ी सरवा तालाब	63	
8.	बियापाड़ा तालाब	1100	
9.	बडवास तालाब	73	
10.	झीकली तालाब	162	
11.	छोटी टाण्डी तालाब	590	
12.	मरका तालाब	195	
13.	मगरदा तालाब	60	
14.	अन्देश्वर तालाब	59	
15.	अखेपुरा तालाब	136	
16.	भूरा कुआ तालाब	110	
	योग	3929	एकड़

3. पीपलखूंट क्षेत्र

1.	लाम्बाहायरा तालाब	424	
2.	सागवारी तालाब	143	
3.	मेल तालाब	2000	
	योग	2567	एकड़

परिशिष्ट "ब"

दानपुर, कुशलगढ एवं पीपलखूंट क्षेत्र के लिए विचाराधीन योजनायें

1. कार्य जो अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे है —

क्र०सं०	नाम तालाब	अनुमानित लागत (लाखों में)	सिंचाई क्षमता (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	**दानपुर क्षेत्र**		
1.	मूत पाड़ा तालाब	55.90	154.00
2.	वारी दानपुर तालाब	12.05	63.00
3.	वगैरी तालाब	101.20	313.00
	योग	169.15	530.00
2.	**कुशलगढ क्षेत्र**		
1.	रामगढ़ तालाब	10.10	22.00
2.	विजोरी तालाब	16.16	37.00
3.	नवा गांव तालाब	55.12	147.00
4.	मवरी टाण्डी तालाब	82.52	342.00
5.	सज्जनगढ़ तालाब	13.22	37.00
6.	करमदीया तालाब	29.17	83.00
7.	गोपालपुरा तालाब	28.73	80.00
	योग	245.02	748.00
3.	**पीपलखूंट क्षेत्र**		
1,	पीपलखूंट तालाब	55.00	182.66
2.	चौकि तालाब	25.00	49.41
	योग	80.00	232.07

2. निम्नलिखित कार्य प्लान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है—

कुशलगढ़ क्षेत्र

1. पीपलोन तालाब		110.00	220.00
2. चरभीनी तालाब		48.00	136.00
	योग	158.00	356.00

3. निम्नलिखित कार्यों का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य चालू है—

1. दानपुर क्षेत्र

1. बडली खेड़ा तालाब
2. महुडी पाड़ा तालाब
3. कमली पाड़ा तालाब
4. रजीया तालाब

2. पीपलखूंट क्षेत्र

1. वक्तोड़ तालाब
2. काली घाटी तालाब

3. कुशलगढ क्षेत्र

1. हिम्मतगढ तालाब
2. सुरबन तालाब
3. सोनरिया तालाब
4. कलिंजरा तालाब
5. हिरन सिंचाई योजना

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न 61 की सूची)

निम्न लिखित ग्राम पंचायत मुख्यालयों को मुख्य सड़कों से जोडने शेष हैं: –

1. ऊटड़ा
2. गेगल
3. पगारा
4. मटसूरी
5. बुधवाड़ा
6. रामपुरा
7. मांयापुर

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 64 से सम्बन्धित सूचना)

वर्ष 1980 से फरवरी, 1985 तक सीकर जिले में डकैती, हत्या, लूटपाट, चोरी, आगजनी, राहजनी की घटनाओं का ब्यौरा

फिक्स 27–3–85

(परिशिष्ट–अ)

वर्ष	डकैती	हत्या	लूट	चोरी	आगजनी	राहजनी
1980	निल	22	33	141	15	निल
1981	1	26	25	178	21	निल
1982	5	35	27	185	40	निल
1983	3	20	17	189	5	निल
1984	1	28	22	130	2	1
1985	निल	3	6	27	—	निल
योग	10	134	130	850	83	1

नक्शा जरायम वर्ष 1980 से 28 फरवरी, 1985 तक जिला सीकर

फिक्स 27–3–85

(परिशिष्ट–ब)

वर्ष	डकैती	कतल (हत्या)	लूट	चोरी	आगजनी	राहजनी	चालान
1980	निल	29	15	65	15	निल	70
1981	निल	54	12	52	21	निल	71
1982	41	115	23	65	39	निल	93
1983	9	43	15	60	5	निल	75
1984	7	74	21	28	2	निल	56
1985	निल	1	2	6	निल	निल	6
योग	57	316	88	276	82	निल	371

"परिशिष्ट स"

क्र० सं०	नाम थाना	वर्ष	माल मशरूका		माल बरामद	
			नकबजनी	डकैती	नकबजनी	डकैती
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोतवाली सीकर	1980	41635–00	—	17000–00	—
		1981	19650–00	—	6570–00	—
		1982	42836–00	—	9040–00	—
		1983	99364–00	—	49562–00	—
		1884	63771–00	—	42580–00	—
	फरवरी	1985	200–00	—	—	—
2.	सदर सीकर	1980	23940–00	—	1270–00	—
		1981	61150–00	—	3100–00	—
		1982	67658–00	—	26152–00	—
		1983	8778–00	—	2900–00	—
		1984	113950–00	—	8200–00	—
	फरवरी	1985	—	—	—	—
3.	रघुनाथगढ़	1980	17000–00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
		1981	14000–00	33000–00	300–00	100–00
		1982	47765–00	—	460–00	—
		1983	67386–00	128185–00	6700–00	—
		1984	90180–00	—	635–00	—
	फरवरी	1985	10000–00	—	—	—
4.	लोसल	1980	15010–00	—	7010–00	—
		1981	18200–00	—	2100–00	—
		1982	23350–00	—	16500–00	—
		1983	17200–00	—	8000–00	—
		1984	43650–00	—	—	—
	फरवरी	1985	1100	—	—	—
5.	दांतारामगढ़	1980	3100–00	—	75–00	—
		1981	51400–00	—	40012–00	—
1		1982	11000–00	—	400–00	—
		1983	9179–00	—	6375–00	—

1	2		3	4	5	6	7
			1984	61700–00	—	2000–00	—
		फरवरी	1985	1100–00	—	—	—
6.	खाटू		1980	4469–00	—	—	—
			1981	41216–00	—	—	—
			1982	94255–00	—	47545–00	—
			1983	118941–80	30000–00	18700–00	—
			1984	75500–00	—	24300–00	—
		फरवरी	1985	15000–00	—	—	—
7.	फतेहपुर		1980	63725–00	—	30192–00	—
			1981	43122–00	—	14285–00	—
			1982	74630–00	—	41200–00	—
			1983	9500–00	—	2000–00	—
			1984	60700–00	—	4250–00	—
		फरवरी	1985	15300–00	—	12200–00	—
8.	लक्ष्मणगढ		1980	8703- 00	—	5990–00	—

1	2	3	4	5	6	7
	लक्ष्मणगढ़	1981	28960–00	—	250–00	—
		1982	25514–00	—	25–00	—
		1983	21930–00	—	11000–00	—
		1984	32900–00	—	5300–00	—
	फरवरी	1985	1000–00	—	—	—
9.	रामगढ़ सेठान	1980	33220–00	—	—	—
		1981	14415–00	—	4415–00	—
		1982	2000–00	—	—	—
		1983	6420–00	—	3027–00	—
		1984	200–00	—	—	—
	फरवरी	1985	5000–00	—	1000–00	—
10.	नैछवा	1980	10034–00	—	3019–00	—
		1981	4000–00	—	—	—
		1982	425–00	—	—	—
		1983	2300–00	—	—	—

2608

1	2	3	4	5	6	7
		1984	—	—	—	—
	फरवरी	1985	21500-00	—	1500-00	—
11.	खण्डेला	1980	9140-00	—	—	—
		1981	27035-00	—	6750-00	—
		1982	54540-00	—	900-00	—
		1983	44980-00	—	480-00	—
		1984	16600-00	—	1430-00	—
	फरवरी	1985	—	—	—	—
12.	श्रीमाधोपुर	1980	124000-00	—	15000-00	—
		1981	85699-54	—	60950-00	—
		1982	41658-00	90000-00	17400-00	20000-00
		1983	57670-00	4000-00	2063-00	4000-00
		1984	9000-00	—	—	—
	फरवरी	1985	3000-00	—	—	—
13.	रींगस	1980	—	—	—	—
		1981	—	—	—	—

1	2		3	4	5	6	7
			1982	—	—	—	—
			1983	760–00	—	—	—
			1984	22421–13	—	—	—
		फरवरी	1985	13300–00	—	—	—
14.	थोई		1980	13645–00	—	420–00	—
			1981	58591–00	—	7500–00	—
			1982	11007–00	—	300–00	—
			1983	59650–00	—	2100–00	—
			1984	5905–00	—	[illegible]	—
		फरवरी	1985	42000–00	—	4000–00	—
15.	पाटन		1980	11360–00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			1981	62326–00	—	13050–00	—
			1982	25955–00	20000–00	—	2500.00
			1983	21976–00	—	—	—
			1984	9925–00	—	—	—
		फरवरी	1985	—	—	—	—

269

1	2	3	4	5	6	7
16.	नीमकाथाना	1980	23683–17	—	5550–00	—
		1981	38380–00	—	12446–00	—
		1982	25231–00	10280–00	19236–00	10250.00
		1983	14290–00	—	6000–00	—
		1984	17342–00	—	12700–00	—
	फरवरी	1985	14848–60	—	14362–00	—

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न-संख्या 65 की सूची)

निलम्बित राजपत्रित अधिकारियों की सूची

क्र.सं. नाम एवं पद	निलम्बन की तिथि	निलम्बन का कारण
1. श्री एस. डी. गुप्ता अधिक्षण अभियन्ता	17.8.82	मंत्री मण्डल के निरीक्षण के दौरान काश्तकारों की शिकायत पर
2. श्री आर. के. गुप्ता अधिशाषी अभियंता	,,	,,
3. श्री वी. एम. सी. माथुर सहायक अभियंता	,,	,,
4. श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक अभियंता	26.5.83	एफ. एफ. ए. की रिपोर्ट के आधार पर ।
5. श्री एन. डी. जोशी, सहायक अभियन्ता	,,	,,
6. श्री आर. पी. शर्मा, अधिशाषी अभियंता	9.2.84	कोयले की ढुलाई में अनियमितता के संबंध में ।
7. श्री एच. सी. दास छाबड़ा सहायक अभियन्ता	,,	,,
8. श्री प्रीतम सिंह, सहायक अभियन्ता	18.8.82	दातौर माईनर की आर. डी. 5 पर निम्न स्तर का कार्य एवं अनियमितताओं के कारण ।
9. श्री सी. के. जैन, सहायक अभियन्ता	13.3.84	सीमेंट की चोरी में लिप्त होने के कारण ।

(272)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची)

सीकर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मुख्यालय जो सड़क से जुड़े नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या 1981
1. सीकर	1. कुडली	1850
	2. गोठड़ा भुकरान	2162
	3. चन्दपुरा	1843
	4. चैनपुरा	1572
	5. जुराठडा	1143
	6. तोरपुरा	3979
	7. पलासरा	1318
	8. बैरी	5420
	9. राणपुरा	1029
	10. श्यामगढ़	1441

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की तालिका)

वर्ष 1984-85 में 28 फरवरी, 1985 तक राज्य में निर्माणाधीन बहुद्देशीय, वृहद, मध्यम एवं आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की गई धनराशि

क्रमांक	योजनाओं का नाम	व्यय राशि वर्ष 1984-85 में 28 फरवरी, 1985 तक लाख रु.
1	2	3
(अ)	**बहुद्देशीय परियोजना (चम्बल)**	
1.	टेक्नीकल कमेटी तथा लेफट ओवर वर्क्स	24.48
2.	लिफ्ट स्कीम	31.86
3.	राणा प्रताप सागर	10.72
4.	जवाहर सागर	35.295
5.	कोटा बैराज को ऊंचा उठाना	0.84
	योग	112.195
(आ)	**वृहद परियोजनाएं**	
1.	जाखम	467.82
2.	गुडगांव नहर	36.03
3.	नर्मदा	11.40
4.	सिंद्धमुख	2.88
5.	बीसलपुर	0.57
	योग	518.70
(इ)	**मध्यम परियोजनाएं**	
1.	मेजा फीडर	98.50
2.	मोर्मसागर	107.68

1	2	3
3.	हरिश्चन्द सागर	12.09
4.	छापी	22.06
5	परवन लिफ्ट	12.99
6.	सावन भादो	31.99
7.	विलास	20.08
8.	सोम कमला अम्बा बांध	179.02
9.	सोम कमला अम्बा नहर	
10.	सोम कागदर	100.20
11.	वागन परावर्तन	81.85
12.	बस्सी	106.65
13.	कोठारी स्टेज–II	177.94
14.	पांचना	106.10
15.	डाया	0.33
16.	लसारिया	4.55
17.	कानोता	0.55

(ई) आधुनिकीकरण परियोजनाएँ

1.	छापरवाड़ा	2.02
2.	कालक सागर	5.29
3.	मोरेल	16.37
4.	ज़ग्गर	8.74
5.	जय समन्द (अलवर)	3.84
6.	पार्वती (धोलपुर)	12.33
7.	बांकली	0.07
8.	जवाई	0.55
9.	माशी	8.24
10.	गलवा	10.51

1	2	3
11.	पार्वती (बांरा)	7.00
12.	अलनियां	14.49
13.	गुडा	22.33
14.	परवन पिक अप वियर	9.12
15.	जय समन्द नहर (उदयपुर)	12.91
16.	राज समन्द	5.99
17.	गम्भीरी	30.49
18.	मेजा नहर	10.11
19.	गंग नहर लिंक	341.31
	योग	627.71
	कुल योग	2321.085
	माही परियोजना पर (दिसम्बर, 84 तक का उपलब्ध)	1321.16
	योग—माही परियोजना सहित	3642.245

———